Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 21वां दिवस [संख्या 16

शुक्रवार,

दिनांक 22 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, सहकारिता, स्वायत्त-शासन, आबकारी, नगर आयोजना, कृषि, वन, खनिज, जन स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत, उपनिवेशन, योजना, देवस्थान एवं सामुदायिक विकास-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

गेहूँ की पैदावार

373. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और नागौर में गत वर्ष कितना कितना गेहूं पैदा हुआ ?

(2) क्या सरकार ऐसे जिलों में, जहां गेहूं कम पैदा होता है, अधिक गेहूं वितरण करने की अथवा दूसरे जिले से आयात करने की विशेष व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, ऐसे जिले जहां गेहूं कम पैदा होता है वहां अन्य प्रकार के अनाजों की उपलब्धि तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया जाता है। जिलों से निर्धारित मात्रा तक गेहूं लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है अतः आयात करने की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी जिले से वहां के जिलाधीश गेहूं दूसरे जिले में नहीं ले जाने देते हैं। हमारे आस-पास केवल गंगानगर में गेहूं पैदा होता है और वहां के कलेक्टर ने नहीं जाने दिया है—क्या यह सही है ? और क्या इसके निराकरण के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अब तो एक जिले से दूसरे जिले में गेहूं ले जाने पर कोई रोक नहीं है और एक ट्रक तक

(श्री शिवचरण माथुर)

आसानी से ले जा सकते हैं इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गंगानगर में कोई रुकावट है तो देख लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूरू जिले में और जो कम गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र हैं उनमें बाहर से गेहूं नहीं आने दिया जा रहा है और उनमें पैदा नहीं होता और सरकार की तरफ से वितरण होता है और चूरू जिले में 11 नगरपालिकायें हैं वहां 1½ किलो गेहूं मिलता है-क्या इसकी मात्रा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : यह आपने अभी कहा कि चूरू जिले की दूसरी म्युनिसिपेलिटीज में नहीं मिलता है। तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। और जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूं कि कोशिश यह है कि कम से कम 3 किलो गेहूं शहरी एरिया में दे सकें और इसमें कमी है तो देख लेंगे।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में जो गेहूं की मात्रा कम पैदा होती है उसकी पूर्ति करने का आश्वासन दिया है इसके लिए तो धन्यवाद लेकिन गांवों में स्त्रियों के बच्चे पैदा हो जाते है तो गेहूं की आवश्यकता होती है उनके मां बनने की सूरत में, तो इसके लिए लिए मन्त्री महोदय ने क्या योजना सोची है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है क्या वहां पर यह मान कर चलते हैं कि वहां गेहूं का वितरण नहीं किया जायेगा ? जबकि आप सारा गेहूं 76 रुपये के हिसाब से ले लेते हैं ?

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि गेहूं पैदा नहीं होता है तो जहां पैदा होता है वहां सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाये ताकि उसमें रुकावट नहीं आये।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में गेहूं कम पैदा होता है और वहां पर भी गेहूं देहात में नहीं दिया जाता है वह देंगे क्या ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं। शहरों के अलावा जो कस्बे हैं क्या उनके बारे में सरकार मानती है कि उनके लिए गेहूं और खाद्यान्न का और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण पूर्ण रूप से उपलब्ध होता है और इसीलिए क्या सरकार उनके वितरण की व्यवस्था वहां पर नहीं करती ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह है कि जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने शहरों और कस्बों को कम से कम तीन किलो गेहूं मिले इसकी व्यवस्था की है, तो क्या गांवों के अन्दर मन्त्री महोदय ने व्यवस्था की है कि वहां गेहूं नहीं मिले और वहां के लोगों को भूख से मारने की व्यवस्था की है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो श्री गुरदयाल सिंह जी ने किया कि जिस जिले में गेहूं पैदा होता है

(श्री शिवचरण माथुर)

क्या वहां के लोगों को वितरण करने के लिये गेहूं की मात्रा नहीं मिली--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। गंगानगर जिले में गेहूं का वितरण होता है, शहरों में भी होता है और वह भी राशन के आधार पर होता है लेकिन ग्राम तौर से अपेक्षा यह की जाती है कि जहां गेहूं की पैदा होती है वहां भावों में कम अन्तर होता है इसलिए वहां वह उपलब्ध हो जाता है। जहां पैदा नहीं होता है वहां पर पूर्ति करना आवश्यक है।

दूसरे आपने कहा कि सारा का सारा गेहूं 76 रुपये के भाव से सरकार ने ले लिया, यह बात गलत है। बहुत थोड़ी मात्रा जो भी पैदावार होती है उसका 76 के भाव से खरीदा गया और उसके बाद भी काफी वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बच जाता है।

जहां तक दूसरे प्रश्नों का सवाल है सरकार अनाज देना चाहती है लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी आवंटन होता है उसको यदि राजस्थान की सारी आबादी में बांट दिया जाय तो मेरे ख्याल से कुछ ग्राम ही पल्ले पड़ेगा इसलिए जितना भी आज उपलब्ध होता है उसको आवश्यकता की दृष्टि से जैसा भी देखते हैं उसको अच्छी तरह से आवंटन करने की कोशिश की जाती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री दीपंकर : नागौर...

श्री विट्ठल भाई : गांवों में गेहूं नसीब ही नहीं होता। सबको देना चाहिए। बराबर देना चाहिए। यह क्या कि शहरों को दे देते हैं और गांवों को नहीं देते।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या शहरों की जनता गरीब है इसलिए उनको सरकार की तरफ से गेहूं मिलना चाहिए और गांव के रहने वाले लोग इतने सम्पन्न हैं कि वह अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने गांवों के लिये अभी तक स्पष्ट नहीं कहा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि नागौर जिले के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि नागौर जिले में गांवों में रहने वाले काश्तकारों के लिए जो बीमार हो जाये और डाक्टर कहें कि गेहूं खायें या औरत के जापा हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में गांव में रहने वाले लोगों को गेहूं विशेष परमिट से मुहैय्या करायेंगे क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि एक मूल आधार तो यहां आबादी का बनाया जाता है लेकिन उसको आवंटित हम जिलाधीशों से कराते हैं और विशेष आवश्यकता के अनुसार और जिलाधीश आवश्यकता महसूस करते हैं तो ऐसे काम के लिए दे सकते हैं लेकिन यहां पर आधार बनाकर नहीं भेजते हैं।

श्री दीपंकर : आप आवश्यकता अनुभव करते हैं या नहीं ? गांव वालों को किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यकता रहती है।

श्री शिवचरण माथुर : यहां से गांवों के लिए या तहसीलों के लिए आवंटन नहीं

(५)

(श्री शिवचरण माथुर)

होता है हम जिलों के लिए करते हैं। जिलों के आधार पर जिलाधीश अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए फिर उसका ब्रेक-अप करते हैं इसलिए यह कहना कि प्रत्येक विलेज के लिए या देहात के लिए गेहूं का अलाटमेंट यहां से हो तो वह सम्भव नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : एक तरफ तो कहते हैं तीन किलो शहरों को दिया जायेगा और फिर कहते हैं कि गांवों को नहीं दिया जायेगा।........

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो दे चुके हैं। यह तो रिपीटीशन ही होगा।

श्री गुर दयाल सिंह सन्धु : मेरा प्रश्न यह है कि जो आप कलेक्टर्स को अलाट करते हैं कोटा उसमें यह ध्यान रखते हैं कि देहातों को भी गेहूं मिलना चाहिए ?

श्री शिवचरण माथुर : जो कुछ भी हमको मिलता है उसको यदि पूरी तरह से बांटें 3 किलो के हिसाब से तो वह कुल मिलाकर 45 से 46 लाख की आबादी के लिए होता है और यदि उसको 2½ करोड़ की आबादी में बांटे तो क्या हिसाब उसका आयेगा आप स्वयं ही देख लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

नगरपालिका क्षेत्र की आवासीय भूमि का परिवर्तन

374. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया ? तथा इस निर्णय से संबधित निर्णय कब प्रसारित किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि निर्णय लिये जाने और आदेश प्रसारित किये जाने में कुछ अधिक समय लगा ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इन आदेशों के अन्तर्गत आज तक कितने मामलों का नियमितीकरण किया गया ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को अनधिकृत रूप से आवासीय भूमि में परिवर्तन को नियमन करने का निर्णय दिनांक 21-8-71 को लिया था और निर्णय के अनुसरण में नियम राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट एण्ड रेगुलेराइजेशन आफ कन्वर्शन आॅफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फार रेसिडेन्शल एण्ड कमर्शियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1971 दिनांक 5-10-71 को प्रसारित किये गये हैं। तथा भविष्य में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने का निर्णय दिनांक 26-9-73 को लिया गया और उक्त निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना दिनांक 14-11-73 को प्रसारित की गई है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त नियमों के तहत कुल 1024 मामलों में एवं भरतपुर जिले में 2030 वर्ग गज भूमि का नियमितिकरण किया गया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राज्य सरकार ने जो यह निर्णय लिया कि जयपुर शहर के अन्दर नगरपालिका के क्षेत्र में जो कृषि भूमि के रूप में रूपान्तरण करने की घोषणा सिरसका में मंत्री मण्डल की बैठक में ली थी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितने मामलों के लिए उन्होने कि एक हजार चोबीस मामले किए हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आज भी दस हजार ऐसे केसेज गांधी नगर क्षेत्र में है जिनकी रूपान्तरण कार्यवाही करना है। आज हालत यह है कि कृषि रूपान्तरण कार्यालय के अन्दर न तो उनको सरकार की नीति का मालूम पड़ता है, न उसकी क्रियान्विती का मालूम पड़ता है। यहां तक कि जो रेट निर्धारित की हैं उन रेट्स के बाद भी पी. डी. आर. के अन्दर नोटिस दे रखे हैं... ..

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस प्रकार की हालत में वे किस तरह से निपटारा कर सकेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछ लूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मंत्री महोदय यह महसूस नहीं करते कि इन कन्वर्शन रूल्स में इतनी कठिनाई है, इतनी दिक्कत है कि कईयों ने अपने मकान कृषि भूमि पर बिना इजाजत के ही बना लिए हैं। तो क्या सरकार यह राय नहीं रखती कि इन कानूनों के तहत तहसीलदार या एस. डी. ओ. को कन्वर्शन की पावर दे दी जाय?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है.......

श्री अध्यक्ष : You always speak without catching the eye of the Chair.

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कृषि भूमि में प्रवास करने के नोटिस दिए गए थे और क्या यह भी सही है कि इस सदन में भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने यह घोषणा की थी कि जिन लोगों को कृषि जमीन प्रवासि के नोटिस दिए गए हैं वे वापस ले लिए जायेंगे। तो क्या यह सही है कि सरकार को यह विचार रखते हुए भी साम्र सुदर्शनपुरा पर सोढाला में लगभग ढाई सौ लोगों को कृषि भूमि प्रवासि के नोटिस दिए गए हैं।

श्री दीपकर : अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें, तो अब मैं भी पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री दीपंकर : मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे बहुत से भूस्वामी हैं जिन्होंने कृषि भूमि के अलग अलग टुकड़े करके लोगों को बेचकर लाखों रुपया प्राप्त कर लिया और इस तरह से वे लोग अपनी भूमि को बेचकर पैसा प्राप्त कर चुके हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों ने खरीद की है उनके खिलाफ 91 की कार्यवाही चल रही है। तो इस तरह से उस भूमि को आबादी में परिवर्तन करने का क्या

(6)

(श्री दीपंकर)

सरकार यह विचार रखती है कि जो लोग व्यक्तिगत तौर पर लाखों रुपया प्राप्त कर चुके हैं उनसे भी उस भूमि का मुआवजा लिया जाएगा ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया था उस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो कन्वर्शन सम्बन्धी रूल्स बने और उसके पश्चात् जिन जिन की एप्लीकेशन इन्वाइट की और आई वह छः महीने की अवधि थी। उसमें पूरी एप्लीकेशन नहीं आ पाई। इसके पश्चात् उसका पीरियड बढ़ाया गया और जितनी अप्लीकेशन आई थीं उनकी संख्या 3861 है। इन पर विचार किया गया और उनमें से 74 तक 884 मामले फैसले किए गए जो विभिन्न स्थानों पर हैं। इस प्रकार जिन जिन शहरों की रेट रिवाइज हुई हैं, जिन जिन के प्रस्ताव जिलाधीश से मांगे हैं उनमें से कुछ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं और उनके अनुसार रूपान्तरण की कार्यवाही के आदेश प्रसारित हो चुके हैं, परन्तु फिर भी कुछ शहरों के प्रस्ताव नहीं आए हैं जिनके लिए जिलाधीशों को लिखा गया है और वह प्रस्ताव आने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि जो जो हमारे सामने एप्लीकेशन आई हैं, उन पर विचार करके कृषि भूमि का परिवर्तन कर दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने घोषणा की, जो पहले की रेट निर्धारित थी उन रेट्स के निर्धारण के पहले जनता को नोटिस जारी किए गए थे और उनके बाद पी. डी. आर. में भी नोटिस जारी कर दिए गए, लोगों के मकान नीलाम होने की नौबत आ गई तब सरकार ने यह घोषणा की कि हमने 25) रुपया पर्टीक्यूलर जगह की कन्वर्शन रेट थी उसको घटा कर 15 रुपया या 20 रुपया कर दिया। घटी हुई रेट गवर्नमेंट ने निश्चित कर दी तो फिर उन पुराने केसेज के ऊपर भी रूपान्तरण करने की स्थिति में नई रेट क्यों नहीं लागू होगी। क्योंकि आपने घोषित कर दिया कि 25 से घटा कर 15 कर दिया है तो वह 15 के हिसाब से ही पैसा देगा। इन केसेज को निपटाने के बारे में क्या सरकार के दिमाग में कोई योजना है। क्योंकि जब तक जो आपने दुबारा घोषणा की है उसके अनुसार अपने विभाग को आदेश नहीं देंगे, रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। उनके पी. डी. आर. के नोटिस चल रहे हैं।

मेरा दूसरा क्वेश्चन है साथ ही कि जो बड़े इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं उनमें कोआपरेटिव सोसायटी ने कृषि भूमि में मकान अलाट कर दिए, मकान बन गए और आज वह नगर विकास न्यास के क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकान बन गए और दूसरी तरफ नोटिस की कार्यवाही चल रही है जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। यह निश्चित तौर पर निवेदन कर सकता हूं कि 60 प्रतिशत हिस्सा गांधीनगर क्षेत्र का, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां की जनता इन सारी परिस्थितियों से परेशान है। इसके लिए आपकी क्या योजना है इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष : आपके पूरक सवाल लम्बे होते हैं।

Page No 7

7

श्री दीपंकर : मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया कि व्यक्तिगत तौर से लाखों रुपये कमा चुके और फल दूसरे भोग रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय अध्यक्ष महोदय ......

(व्यवधान)

आप सुनिए, आपका ही जवाब दे रहा हूं।

" Land over which conversion cannot be regularised:-The land in respect of which acquisition proceedings are pending under provisions of Rajasthan Land Acquisition Act or any other law in force..."

इसका मतलब यह है कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के नीचे जो अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट के नीचे कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है एक्वीजिशन के सम्बंध, में यह कानून लागू नहीं होगा। यदि एक्वीजिशन की कार्यवाही हो रही है तो उस बारे में कोई फैसला न सिरिसका में लिया गया और न कहीं और जगह निर्णय लिया गया। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि बड़े बड़े आदमियों ने पहले जमीनें बेच दीं और जिनको बेच दीं, सेल कर दीं उनके सामने यह प्राब्लम खड़ी हुई। क्योंकि यह जो नोन अरबन एरिया है, जहां तक रूरल एरिया के लिए कानून बनाने का सवाल है, यह राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही थी कि वहां पर इस तरह की प्राब्लम है और तहसीलदार या एस. डी. ओ. को पावर दे दी जावें। आप जानते हैं कि अरबन एरिया के लिए कानून बनाया गया और जहां तक रूरल एरिया का सवाल है, आप स्वयं जानते हैं कि 1960 के रूल्स बने हुए रेगुलराईजेशन के जिसमें तरमीम भी सन् 71 में की गई है, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। वह पावर्स तहसीलदार और एस.डी.ओ. को पहले से है। तहसीलदार को भी पावर्स हैं उसमें। इसलिए यह प्रश्न अरबन एरिया में जैसा कि अभी स्टेट मंत्रीजी कह रहे थे कि यह अरबन एरिया के कुछ ही शहरों में यह कन्वर्शन की रेट निर्धारित की है। दूसरे शहरों में जयपुर भी एक है। जयपुर की प्राब्लम दो तरह की है। कुछ तो रेगुलराइजेशन हुए हैं, काफी सात सौ आठ सौ केसेज फैनल हुए हैं और करीब नौ लाख के आसपास धनराशि भी जमा हो गई है। लेकिन जो लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य बात कह रहे हैं कि क्यों रेगुलराइजेशन कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कृषि लैंड बेच नहीं सकते थे उन्होंने बेच कर बहुत पैसा उसमें से ले लिया है। फिर उसके बाद रेगुलराइजेशन करने के लिए ट्रांसफर और ट्रांसफरी से किससे वसूल करें और किस से नहीं करें। आपका कहना है कि बेचने वाले से वसूल करना चाहिए और खरीदने वाले से नहीं वसूल करना चाहिए। यह काफी बड़ी प्राब्लम है गवर्नमेंट के सामने जो विचाराधीन थी। सरकार ने यह सोचा कि यू. आई. टी. के पास में तो जमीन है नहीं और जयपुर की आबादी बढ़ती जा रही है और कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर प्लाट्स पर मकान बना लिए हैं। अब मकान बनाने के बाद में उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करना ठीक नहीं लगता। इसी दृष्टि से इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए और इन नियमों में प्रावधान रखना चाहिए ताकि ऐसे मामलों को रेगुलराईज किया जा सके और रेगुलराईजेशन किया जा रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया है । मेरा क्वेश्चन यह था अध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने जो रेट्स निर्धारित की और उस रेट निर्धारण के पहले ही पुराने रूल्स के आधार पर नोटिस जारी कर दिए तो आज विभाग के सामने यह परेशानी है कि वह नई रेट के आधार पर......

श्री परसराम मदेरणा : आप बिराजिए अभी फिर 15 मिनिट का भाषण हो जायेगा । मैं आपको बता देता हूं । मैं इस को एग्जामिन कर रहा हूं क्योंकि जो रेट्स रिड्यूज की गई उसका आर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू की गई है । इसलिए यह कानूनी मसला है जिसका मैं ऑफ हैंड उत्तर नहीं दे सकता । आपने एक बात कही ......

(श्री गिरधारीलाल भार्गव के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप बैठिए, हाउस में कभी खड़े नहीं होते हैं । मैं जब एक बात कह रहा हूं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बैठ गया, आप बोलिए ।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो आसन के सामने भी खड़े हो जाते हैं । मैंने यह प्रवृत्ति पिछले 15 सालों में नहीं देखी जो इस वक्त पिछले दो सालों से देख रहा हूं । एक मेम्बर हाउस पजेशन में है और दूसरा खड़ा हो जाता है एक मेम्बर खड़ा हो तो कभी ऐसा नहीं होता है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको इस प्रकार का आश्वासन राजस्व मन्त्री जी ने इस सदन में दिया है । इस सदन में, कोई भी दिया गया आश्वासन, एक एक शब्द रिपोर्टर्स लिखते हैं, वह इस हाउस की प्रोसिडिंग्स का पार्ट होता है । मैंने पढ़ने का कोशिस की है, उस पोर्शन को जानने की कोशिश की है । इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने घोषणा की थी । आप प्रोसिडिंग्स देख कर मालूम कीजिए । निश्चित तौर से आश्वासन दिया गया है । यह कहा गया है कि एक्वीजीशन की कार्यवाही वापिस ली जा रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : जिसका जिक्र किया गया है अभी तक वह नहीं हुई है । मैंने विधान सभा सचिवालय से मंगवा कर पढ़ा है । उसमें कोई आश्वासन नहीं है कोई दूसरी डिमांड पर आश्वासन दिया गया होगा या शायद आपने पब्लिक मीटिंग में कह दिया होगा ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरे प्रश्न के उत्तर में राजस्व मन्त्री श्री रामचन्द्र चौधरी ने इस जगह यह आश्वासन दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी आश्वासन दिया गया हो । मैंने कोशिश की है कि यह आश्वासन क्या है । वैसे एक्वीजीशन के सम्बन्ध में जो क्वेश्चन है, वह स्वायत्त शासन मन्त्री जी से सम्बन्धित है । वे इसका जवाब देंगे ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय........(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । सहकारिता मन्त्री जी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय...

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको एक बार फिर वार्निंग देता हूं । आप बार बार इस घन्टी को सुन कर नजरअन्दाज करते हैं । यह ज्यादा ठीक नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । मुझे यह निवेदन करना है कि मुझे यह सदन चलाना है, इसकी कार्यवाही को चलाना है और यह देखना है कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न आवें । इस बात की कोशिश भी की है । लेकिन 25 मिनिट दो प्रश्नों पर हो गये हैं और समय लेना चाहते हैं । अन्य माननीय सदस्यों के भी सवाल हैं । उनके भी सवाल आने चाहिये या सारा समय इन प्रश्नों पर ही लगा दिया जाए और सदस्यों के महत्वपूर्ण सवाल हैं । इसलिए मैं किसी बात पर निर्णय दूं, किसी प्रश्न को समाप्त कर दूं तो माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे इसमें सहयोग दें । जो और सदस्य हैं उनको भी समय मिलना चाहिये ।

नेक्स्ट ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पुराने जो मन्त्री महोदय थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का जो उद्देश्य होता है, वह हो गया है । ध्यान आकर्षित हो गया है । राजस्व विभाग की डिमांड होगी । उसमें यह प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्रीमती निर्मला कुमारी ।

कृषि सहकारी समिति सैंती

375. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौडगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि सहकारी समिति सैंती (चित्तौड़गढ़) की स्थापना किस वर्ष में हुई?

(2) इस समिति में कुल कितने सदस्य थे तथा इनके अधीन कितनी जमीन थी ?

(3) इस समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी ?

(4) क्या इस समय इस समिति को भंग कर दिया गया ? यदि हां, तो निकट भविष्य में अनुसूचित जाति के सदस्यों के जीवन निर्वाह की सरकार क्या व्यवस्था करने की सोच रही है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री राम नारायण चौधरी): (1) सैंती रैयत टिनेन्ट कृषि समिति की स्थापना वर्ष 1959 में हुई ।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) इस समिति में पंजीयन के समय 11 सदस्य थे तथा इनके अधीन 121 बीघा 11 बिस्वा जमीन थीं।

(3) इस समिति में पंजीयन के समय अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 8 थी।

(4) जी नहीं।

श्रीमती निर्मला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, इस समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों के अलावा 11 और भी सदस्य हैं। परन्तु यहां पर संख्या मन्त्री महोदय ने 11 बतायी है, वह सही नहीं है। इसके अलावा वे व्यक्ति भी समिति के सदस्य हैं। जिनके पास में पूर्व में 100 बीघा से अधिक जमीन है। क्या इस तरह से सरकार उस व्यक्ति को भी जमीन देती है जिसके पास पहले से जमीन है। क्या इस प्रकार का निर्णय सरकार लेने का विचार रखती है जिनके पास जमीन है उनको इस सहकारी समिति का सदस्य नहीं रखा जावे।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो 121 बीघा जमीन है, क्या वास्तव में अनुसूचित जाति के लोग वहां पर काम कर रहे हैं और स्वर्ण जाति के लोग उसको काश्त कर रहे हैं। जो कि समिति के सदस्य हैं। इसका फायदा किसको मिल रहा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : रजिस्ट्रेशन के समय इसकी सदस्य संख्या 11 थी और वर्तमान में इसमें 23 सदस्य हैं जिसमें 8 अनुसूचित जाति के, दो जन जाति के और शेष दूसरे आदमी हैं। दूसरी जातियों के हैं।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : जमीन किसके पास है ?

श्री रामनारायण चौधरी । जमीन समिति के पास है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : जमीन होने के बाद वे व्यक्ति जमीन का फायदा उठा रहे हैं और इसमें प्रधान सरपंच है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये हम भाषण देते हैं। इस तरह की कार्यवाही होती है तो वे भाषण ही रह जाएंगे। क्या सरकार यह सोचती है कि इस समिति के वे ही सदस्य रहें जिनके पास कि जमीन नहीं है ? क्या सरकार इस पर सोचती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह समिति वर्तमान में अवसायन में है। और इस पर सामूहिक कृषि सहकारी के उपनियम लागू करने का विचार किया जा रहा है। मैं इसको देखूंगा कि इस समिति के अन्दर इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हों जिनके पास पहले से ही भूमि हो और नियमों के अन्तर्गत मुझे कोई अधिकार प्राप्त हो तो कार्यवाही करूंगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

भूतपूर्व चेयरमेन नगरपालिका झूंझुनूं द्वारा भूमि का आवंटन

376. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका झुंझुनूं के भूतपूर्व चेयरमेन के विरुद्ध उनके कार्यकाल में कई अनियमितताओं के आरोपों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

के सम्बन्ध में जांच की गई जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध निलंबन के आदेश भी जारी हुए ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन भूतपूर्व चेयरमैन नगरपालिका ने अपने कार्यकाल में अपने अधिकारों का उल्लंघन करके आराजी जमीनें आवंटित कीं ? यदि हां, तो इसकी सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) यह सही है कि नगरपालिका झुंझुनूं के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध उनके कार्यकाल में कई अनियमितताओं के आरोपों के सम्बन्ध में पहिले श्री प्राणेश्वर तिवाड़ी उप निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा जांच की गई और बाद में जिलाधीश झुंझुनूं द्वारा। यह सही नहीं है कि इस जांच के फलस्वरूप अध्यक्ष के विरुद्ध निलम्बन के आदेश जारी हुए। जिलाधीश झुंझुनूं की जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष द्वारा अनियमित रूप से भूमि का बेचान करना पाया गया है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो एडमिनिस्ट्रेटर है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडमिनिस्ट्रेटर कब मुकर्रर हुए और मुकर्रर होने के बाद कितने महीने पहिले ये जमीनें आवंटित की गईं और नियमों के अन्तर्गत क्या आवंटन की गई जमीन दूसरों को सेल की जा सकती है या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : एडमिनिस्ट्रेटर 11-12-73 को नियुक्त हुआ था। आवंटन के जो नियम हैं वे काफी लम्बे चौड़े बने हुए हैं। उनका गजट नोटिफिकेशन हुआ है। आवंटन का जो तरीका है वह बहुत संक्षेप में ही कह दूं कि जो भूमि प्लाट के रूप में आवंटित करनी है, उसकी स्कीम बनायी जाती है और उस स्कीम को चीफ टाउन प्लानर से एप्रूव कराया जाता है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होने के पहले ये ट्रान्सफर हुई हैं, दो, तीन, चार महीने पहिले। उनकी तारीखें बता दीजिये। दूसरा क्या आवंटन के नियमों में ऐसा नियम है कि जो जमीन आवंटित होती है, उस आवंटित की गई जमीन को दूसरों को रि-सेल नहीं कर सकते। दूसरी जो सूची दी है उसमें जिनको जमीन आवंटित की गई है बताया गया है, जिसकी तारीखों के एक महीने बाद दूसरों को जमीन रि-सेल कर दी गई है। क्या यह ट्रान्सफर आपके नियमों के अनुसार है ?

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों के अनुकूल नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है ? क्या उसको केन्सिल कर दिया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार इसकी जांच करेगी। अभी दो-तीन दिन पूर्व ही जिलाधीश झुंझुनूं की रिपोर्ट आई है, और उस पर कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : विधायक के रूप में शिकायत की है। तीन महीने पहिले आवंटन हुआ। दूसरी सूची में शिकायत आप स्वयं ले लें। आवंटन की तारीखें बतलाई हैं 2/3/73 और रि-सेल की तारीख है 14/4/73। ये सारी शिकायतें आपके पास आ गई हैं सदन के प्रांगण पर। तब शिकायत आये इसका क्यों इन्तजार है। इसी आधार पर क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह नियमों के तहत किया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इधर-उधर चल रहे हैं। नियमों के तहत माननीय मन्त्री महोदय, नम्बर 1 तो ट्रान्जेक्शन यह सेल के हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर होने के 2-3 महीने पहले मन्जूर हुए हैं। उसके बाद वापिस रि-सेल इसी जमीन का हुआ है और ट्रान्जेक्शन्स की तारीख 1-2 महीने के बाद की है। अब नियमों के अनुकूल आपने कहा कि यह ट्रान्जेक्शन्स इल्लीगल हैं। जब इल्लीगल हैं आप मानते हैं तो एक्शन जरूरी है। एक्शन जरूरी करने के लिए क्या मैं एफिडेविट पेश करूं या माननीय सदस्य की मान्यता पर ही आप एक्शन ले सकते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज यह है कि प्रभावी तत्वों को राज्य सरकार द्वारा सुना जाना चाहिए। आज भी उनको सुनने का अवसर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत दिया जायगा। सुनवाई का मौका दिये जाने के बाद राज्य सरकार, नियमों के तहत जो वाजिब होगा वह करेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि ऐसे कितने केसेज आपके सामने हैं विचाराधीन जिनके ऊपर एक्शन लेना है।

श्री रामनारायण चौधरी : जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामले अभी तक फिलहाल 39 सामने आये हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने यह बताया है कि चेयरमैन के पावर्स विथड्रा कर लिये गये हैं तो पावर्स विथड्रा करने के जो आदेश प्रसारित सरकार ने किये वे म्युनिसिपल एक्ट की कौनसी धारा, कौनसे नियमों के अन्तर्गत पावर्स विथड्रा की गई है ?

श्री मीठालाल : अलग से प्रश्न।

(विराम)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री मीठालाल : आपका जवाब दे दिया कि अलग से प्रश्न है। चेम्बर में मिल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर देने में कोई एतराज नहीं है। यह प्रश्न माननीय सदस्या का जब

(श्री रामनारायण चौधरी)

शेड्यूल्ड था उस समय सम्माननीय सदस्या उपस्थित नहीं थीं। मैं पूरी तैयारी करके लाया था। यह उत्तर उनके पास पहुंच जायगा। अगर उनकी इच्छा है तो दुबारा उठा लें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्वायत्त शासन संस्था के किसी भी इलेक्टेड आदमी के पावर्स किये जायं तो याद रहना चाहिए कि कौनसी धारा के तहत पावर्स विथड्रा किये हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष के जो अधिकार हैं उनमें से कोई अधिकार राज्य सरकार के द्वारा कम नहीं किया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे फिर से स्पेसिफिकली जवाब चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार ने चैयरमैन के पावर्स को विथड्रा करने के कोई आदेश प्रसारित नहीं किये थे ?

श्री रामनारायण चौधरी : चैयरमैन के अधिकार को वापिस लेने के कोई आदेश नहीं दिये गये थे। सिर्फ यह आदेश दिया गया था कि गैरकानूनी जमीनों के एलाटमेंट के पट्टे नहीं दिये जायं और गैरकानूनी जो कन्स्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं उनको रोका जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न और है।

श्री मीठालाल : आप 376 में इतना क्यों इन्ट्रेस्टेड हो रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी एक प्रश्न का उत्तर और बतायेंगे कि इन्होंने इस प्रकार से विथड्रा करने के आदेश नहीं दिये थे तो अब जवाब में यह भी बता दें कि चैयरमैन अकेला ही जमीनों का एलाटमेंट या आक्शन कर सकता है ? यदि वह अकेला नहीं कर सकता है और कोई कमेटी है तो फिर उसको अकेले को ही उसके लिए रेस्पान्सिबल करार देना कहां तक उचित है ?

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं को अधिकृत किया है कि वह नियमानुसार अपने एरिया में जमीनों का विक्रय करे और एलाटमेंट करे और इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि गैरकानूनी तरीके से किसी को भूमि में आवंटन हुआ है तो उसके पट्टे जारी नहीं किये जायं, और इस प्रकार की भूमि का यदि कोई कन्स्ट्रक्शन चल रहा है तो उस कन्स्ट्रक्शन को रुकवा दिया जाय। यह नजूल लैण्ड एक्ट के अन्तर्गत पावर्स नगरपालिका को दिये हैं। अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है। नगरपालिका एज ए होल बोडी बेचने के लिए और एलाटमेंट करने के लिए नियमों के तहत जो कि बने हुए हैं अधिकृत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप स्वयं ही कह रहे हैं कि नगरपालिका एज ए होल बोडी उनके लिए रेस्पान्सिबल है तो चैयरमैन के अकेले के खिलाफ ही यह कार्यवाही करने का कैसे सवाल पैदा होता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द।

शराब की बिक्री

377. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष व इस वर्ष राज्य में कितने रुपयों की शराब की बिक्री हुई ?

(2) इस राशि में से कितनी राशि प्रशासन व शराब बनाने आदि पर खर्च की गई है ? व सरकार को कितनी खरी आय (नेट इन्कम) इससे हुई है ?

(3) क्या इस प्रकार की आय का मुख्य स्रोत गरीब किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी लोग हैं व इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि नहीं, तो कैसे ? यदि हां, तो क्या सरकार नीति परिवर्तन का विचार रखती है।

राज्य मंत्री आबकारी (श्री जुझार सिंह) : (1) गत वर्ष 9,99,41,373 रुपयों की शराब की बिक्री हुई। इस वर्ष 10,10,00,000 रुपयों की शराब की बिक्री होने का अनुमान है।

(2) उक्त मद में से कोई राशि प्रशासन व शराब बनाने पर खर्च नहीं की गई है। प्रशासन पर वर्ष 1972-73 व 1973-74 में क्रमशः 66,58,562 रुपये व 70,66,500 रुपये का खर्चा हुआ है जो कि आय का 5-35 व 5-73 प्रतिशत है। शराब खरीदने पर 1972-73 में 1,19,90,347 रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष 1,50,00,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(3) आबकारी से हुई आय का स्रोत शराब पीने वाले सभी लोग हैं। समाज के किसी वर्ग विशेष के लोग नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार राज्य सरकार का नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने प्रश्न के भाग 2 में निवेदन किया था कि खरी आय क्या है यह फर्मा दें, और मैंने पूछा मुख्य एकमात्र स्रोत नहीं पूछा है। मेरा मैन सवाल इन सबके लिए गरीब किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी लोग और इस कारण से इनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसका क्या जवाब है, और अगर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो सरकार क्या सोचती है ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इसके जवाब की जरूरत नहीं है। आप तो यह बता दें कि शराब पीने से किसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : आप अपने अनुभव से ही बता दें।

श्री जुझारसिंह : शराब का किसी वर्ग विशेष पर प्रभाव पड़ता हो ऐसी बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार नये साल में शराब के श्र कितनी आमदनी बढ़ाना चाहती है, और उसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

आबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : इसके फिगर्स तो दे दिये हैं और अगले साल

(श्री चन्दनमल बैद)

के जो फिगर्स दिये हैं वह बजट में प्रस्तावित हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या राज्य सरकार अपनी पूर्ण शराब बन्दी की घोषणा का पालन करने का विचार रखती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मंत्री महोदय, इस तरह से मेरे प्रश्न को टाल नहीं सकते। हम जानना चाहते हैं कि कितनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। यह सरकार हर साल 2–2½ करोड़ आमदनी शराब से बढ़ाती है। हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं आप बजट में से पढ़कर बता दें।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह चर्चा की है कि हर जाति के वर्ग पर आर्थिक दुष्प्रभाव इसका पड़ता है जो पियेगा, तो गरीब लोगों को इसके प्रभाव से मुक्त रखने के लिए किस जगह पर शराब की दुकानें खुलें और किस जगह पर न खुलें इस प्रकार की जो सरकार की पालिसी है उसका पालन करा रही है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या सरकार पूर्ण शराबबन्दी की जो उसने घोषणा की है उसका....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या आपने इस बात का सर्वे कराया है, शराब पीने वालों में ज्यादातर गरीब मजदूर, किसान, हरिजन और आदिवासी लोग होते हैं और ये ही लोग ज्यादातर शराब पीते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सवाल ही पूछे जायेंगे। उनका जवाब तो आने दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि शराब से आमदनी हर साल बढ़ती जा रही है तो पीने वालों की कितनी संख्या बढ़ी है या केवल उसकी कीमत बढ़ी है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब यह है कि सरकार शराबबन्दी नहीं करना चाहती।

श्री चन्दनमल बैद : जो कुछ पूछना है एक साथ पूछ लें।

श्री नानालाल : क्या राज्य सरकार का यह आदेश है कि जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां पर शराब के ठेके की दुकानें नहीं होंगी ?

श्री दिनेश डांगी : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इसका प्रभाव सभी तबके पर पड़ता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कुप्रभाव पड़ता है ? अगर कुप्रभाव पड़ता है तो क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहती है ? अगर कुप्रभाव पड़ा है तो एक ऐसा मोहल्ला बता दें जहां पर जाकर शराब पीने वाले लोग बस जायं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। इस बार शराब के ठेके नीलाम किये हैं इसमें क्या यह असेस करने की कोशिश की है कि जो दूकानें दी जावेंगी वे पालिसी के अनुसार हैं या नहीं ? पहले शिकायतें की गई थीं कि बहुत सी दूकानें मन्दिरों, मस्जिदों, स्कूलों और ऐसे सार्वजनिक स्थानों के आस पास दे दी गई थीं जो नहीं दी जानी चाहिए थीं नियमों के अनुसार।

Page No 16

(१८)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तो इस बार इस बात का ध्यान रखा गया है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : यह समाजवादी पदार्थ है इसलिए इसका वितरण इसी तरह से होने दिया जाना चाहिए ।

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रश्न राजस्थान का ही नहीं सारे देश का है । इस पर विचार करने के लिए भारतीय स्तर पर एक बैठक दिल्ली में 26 तारीख को होने जा रही है जिसमें सारे भारत के मन्त्री और दूसरे अधिकारीगण भाग ले रहे हैं । राजस्थान में भी इस प्रश्न को हल करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसके संयोजक राज बहादुरजी हैं, मैं हूं, सिद्धराम जी ढड्ढा हैं, गोकुल भाई नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि हैं नवलकिशोर जी भी हैं । एक आध और हैं । इस कमेटी की बैठक 18 तारीख को जयपुर में हुई थी । इसके साथ बहुत से प्रश्न जुड़े हुए हैं तो राजस्थान के स्तर पर हमने विचार किया है । अब दिल्ली में विचार करेंगे । इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो निर्णय होगा वह सामने आवेगा ।

श्री केदारनाथ : इसकी रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

श्री मूलचन्द सामरिया : 1 अप्रेल 72 से पूर्ण मद्यनिषेध की घोषणा की गई थी लेकिन नहीं किया । × × ×

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने कहा है कि × × × यह शब्द असंसदीय हैं । इन्हें वापिस लिया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : ये असंसदीय हैं इन्हें एक्सपन्ज कर दिया जाय ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं ठीक कह रहा हूं । × × ×

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : शराब के सम्बन्ध में ठीक ही शब्द प्रयोग किये हैं । × × × इस बार भी उसने यही किया है ।

श्री केदारनाथ : शराब के लिये ये शब्द ठीक ही हैं । शराब पीकर बोलते हैं भाषण देते हैं यह भी ठीक हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये शब्द तो यहां बार बार आ गये हैं । शब्द बुरे नहीं है ।

जयपुर की श्मशान रोड बस्ती में मकानों का निर्माण

378. **श्री जयकिशन लाल (फागी) :** क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिलाधीश द्वारा सन 1971 में कराये गए

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई ।

(श्री जयकिशन लाल)

सर्वे के अनुसार घाटगेट बाहर गिरजाघर के पीछे श्मशान रोड़ बस्ती में 263 कच्चे एवं 6 पक्के कुल 269 मकान थे ? यदि हां, तो मकानों का अनधिकृत निर्माण कैसे हो गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 103 परिवार रहते हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(3) विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति में सर्वे से वंचित कितने परिवार हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने व्यक्ति हैं ? तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

(4) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों का जयपुर शहर में कोई आवास या भूखण्ड नहीं है और जिनका कि उक्त बस्ती में कब्जा है और अब तक सर्वे से वंचित रहे हैं उनको भू-आवासीय सुविधा देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां ? और यदि नहीं तो, क्यों ?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री रामनारायण चोधरी) : (1) जयपुर जिलाधीश द्वारा सन 1971 में कराये गए सर्वे के अनुसार घाटगेट बाहर गिरजाघर के पीछे श्मशान रोड बस्ती में 259 कच्चे एवं 8 पक्के मकान थे। इस सर्वे के पश्चात् और कोई सर्वे नहीं किया गया, अनधिकृत निर्माण होने पर इसे न्यास द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है।

(2) जी नहीं। उक्त बस्ती में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 102 परिवार रहते हैं। सूची संलग्न है।

(3) विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा दी गई सूची के अनुसार समस्त सदस्य सर्वे वाले हैं जिसमें से 24 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जन जाति के हैं। सूची संलग्न है।

(4) जिन लोगों ने दिनांक 21-8-71 के पश्चात् अनधिकृत निर्माण किया उन्हें बसाये जाने का मामला विचाराधीन नहीं हैं बल्कि समय समय पर ऐसे निर्माणों को ध्वस्त किये जाने की न्यास की कार्यवाही की जाती रही हैं। सर्वे से वंचित परिवारों का फिर सर्वे नहीं कराया जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयकिशन लाल : जैसा बताया गया वहां विभिन्न बस्तियों में सभी लोग हैं लेकिन सवर्ण लोग अधिक हैं वे हरिजनों को परेशान कर रहे हैं। क्या इस बारे में सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : सभी अपने अपने अधिकृत मकानों में रहते हैं। परेशान करने का कोई कारण नहीं है।

नैयड़ क्षेत्र में फसल को क्षति

379. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर के नैयड़ क्षेत्र में जिला जालोर में इस वर्ष गेहूं

Page No 18

(18)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की फसल में गेरूं (रस्ट) की भयंकर संक्रामक बीमारी फैल गई है ? अगर हां, तो शुरू में किस गांव में कितने क्षेत्र में गेरूं की बीमारी गेहूं की फसल में किस माह में लगी और अब तक कुल कितने क्षेत्र की गेहूं की फसल गेरूं की बीमारी से नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बीमारी अब तक तहसील सांचोर एवं जिला बाड़मेर के कई गांवों में भी फैल चुकी है ?

(3) उपरोक्त गेहूं की फसल में लगी भयंकर बीमारी की रोक थाम के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मन्त्रि (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। सर्व प्रथम माह नवम्बर 1973 के अन्तिम सप्ताह में ग्राम चरणीम व चीतलवाला से यह रोग प्रारम्भ हुआ। अनुमान के अनुसार यह बीमारी 9680 हैक्टर में फैलने का अन्दाज है कितने क्षेत्र में रोग हुआ इसका निश्चित क्षेत्र गिरदावरी के पश्चात् ही लगाया जा सकेगा।

(2) जी हां।

(3) रोग प्रारम्भ होने की सूचना प्राप्त होते ही विभाग द्वारा औषधियां उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध कराया गया तथा छिड़काव का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। माह दिसम्बर में इस रोग की भयंकरता को देखते हुए दिनांक 29-12-73 को महामारी घोषित कर दी गई तथा प्रचुर मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराई गई। जिला बाड़मेर के घोरीमन्ना क्षेत्र में भी छिड़काव के समस्त प्रबन्ध कर दिये गये थे किन्तु कृषकों की रुचि न लेने के कारण औषधि की अनुदानित कीमत जो कि 7) प्रति एकड़ आती है उसको भी नहीं देने को तैयार होने के फलस्वरूप छिड़काव कार्य 500 एकड़ में ही हो सका। पंचायत समिति सांचोर की साधारण सभा में भी दिनांक 11-1-74 को यह निर्णय लिया गया कि काश्तकार औषधि की अनुदानित कीमत भी देने की स्थिति में नहीं हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने हवाई छिड़काव की भी तैयारी कर ली थी ताकि रोग को फैलने से रोका जा सके। किन्तु पंचायत समिति सांचोर ने दिनांक 8-2-74 को फिर यह प्रस्ताव पारित किया कि हवाई छिड़काव की राशि भी अनुदान के बाद कृषक देने को तैयार नहीं हैं। इसी बीच शीत लहर के प्रकोप से भी फसल का काफी नुकसान हो गया तथा हवाई छिड़काव तर्क संगत नहीं समझा गया था।

श्री नाथूराम : रेवेन्यू वसूली के लिए स्थगित किया या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

बल्लभनगर फार्म पर निर्माण कार्य

380. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के वल्लभनगर फार्म पर कुछ भवनों (शास्त्री भवन, कैंटीन व तीन क्वार्टर) का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इन भवनों के निर्माण की पूर्व में स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो किस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

अधिकारी से और कब ली गई तथा व्यय की गई राशि किस मद से आई ? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा एक नाग कमेटी की स्थापना की गई ? यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त नाग कमेटी रिपोर्ट में डाइरेक्टर रिसर्च, विश्वविद्यालय उदयपुर के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि वल्लभनगर फार्म पर 1968-69 में पशु राहत कार्य में हुए गबन के सम्बन्ध में एक सैक्शन आफिसर द्वारा जाली बिलों की फोटो स्टेट कापी समेत एक रिपोर्ट उपकुलपति, उदयपुर विश्व विद्यालय को 1-2-72 को भेजी गई थी ? यदि हां, तो यह गबन कितने रुपयों का था और राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह सही है कि पशु राहत कार्य में हुए गबन के सम्बन्ध में दिनांक 17-4-72 को विश्व विद्यालय उदयपुर की कार्यकारिणी द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के बल्लभनगर फार्म पर कुछ भवनों (शास्त्री भवन, कैन्टीन व तीन क्वार्टर) का निर्माण किया गया था। इन भवनों के निर्माण की पूर्व में कोई लिखित स्वीकृति नहीं ली गई थी। इन भवनों का निर्माण संचालक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा ही करवाया गया था, किन्तु उन्होंने इन भवनों के निर्माण की स्वीकृति उदयपुर विश्व विद्यालय के किसी सक्षम अधिकारी से नहीं ली थी। उक्त भवनों पर किया गया व्यय वल्लभनगर फार्म के बजट से ही किया गया था, तथा मेटीरियल (माल) इत्यादि की खरीद यू. एस. ए. आई. डी. द्वारा दिये गये बजट से किया गया था।

(2) जी हां। उक्त कमेटी की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नाग कमेटी की रिपोर्ट में संचालक, अनुसन्धान केन्द्र, उदयपुर विश्वविद्यालय के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि यदि फार्म संचालक सतर्क रहते तो फार्म पर जो अव्यवस्था है एवं नुकसान हुआ है वह नहीं होता। विश्व विद्यालय एक ओटोनोमस बॉडी है, तथा उन्हीं का वहां के कर्मचारियों पर नियंत्रण है। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। उक्त रिपोर्ट पर उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा ही अग्रिम कार्यवाही की जानी थी। अत: उनके द्वारा कार्यवाही जारी है।

(4) जी हां। यह सही है कि बल्लभनगर फार्म पर सन 1968-69 में पशु राहत कार्य के सम्बन्ध में एक सैक्शन

(श्री शिवचरण माथुर)

आफिसर द्वारा जाली बिलों की फोटो स्टेट कापी उपकुलपति, उदयपुर विश्व विद्यालय, को दिनांक 1-2-72 को भिजवाई गई थी। उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति पर विश्वविद्यालय, द्वारा जांच की गई तथा फेमिन विभाग की इन्टरनल ऑडिट पार्टी द्वारा भी जांच कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य में कितना गबन हुआ है। यह मामला उदयपुर विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

नाग कमेटी रिपोर्ट को विश्वविद्यालय के नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें फैसला किया गया कि उक्त रिपोर्ट में दिखाये गये मुद्दे की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच कराई जावे, जिसका प्रशासन के क्षेत्र में दीर्घकालीन अनुभव हो। अतः श्री सरदारी लाल कक्कड़, भूतपूर्व आई ए. एस. को इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया। श्री कक्कड़ द्वारा दिनांक 11-11-73 को विश्वविद्यालय की रिपोर्ट दे दी गई है, जिसके फलस्वरूप डा. पी. के. श्रीवास्तव, संचालक, कृषि अनुसंधान केन्द्र को दिनांक 22-1-74 से निलम्बित कर दिया गया है।

(4) जी हां। उक्त समिति की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे, यह जो भवन बनाया गया, उस पर कितनी लागत लगी ? अगर बजटेड अकाउन्ट था तो क्या बजट में दिखा सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट निवेदन किया है, इसका अलग बजट न था, न स्वीकृति ली गई। मूलतः यह दोष था, अधिकारी के खिलाफ जांच की गई और अब कार्यवाही की जा रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): कितना अपव्यय हो गया ? भवन पर कितना व्यय हो गया ?

श्री शिवचरण माथुर : यह जानकारी में नहीं है क्योंकि यह डिटेल नहीं मांगी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गबन हुआ है, कितने लाख का हुआ है, कहां से आया है यह प्रश्न है ?

श्री शिवचरण माथुर : समिति की रिपोर्ट में सब मिल जायगा। समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी है, उसके आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय ने कार्यवाही की है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह केस एन्टी करप्शन में भेजेंगे ? क्या इस रिपोर्ट के अन्दर दर्ज है कि श्री पी. के. श्रीवास्तव ने जो रिलिफ के अन्दर कार्य करवाया है, उसके अन्दर अनियमितता और गबन है, कारण कि उन्होंने जो पेमेन्ट करवाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस महीने में 31 दिन नहीं होते, उस सितम्बर के महीने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

में 31 दिन बता कर एक व्यक्ति का तीन-तीन, चार-चार बार नाम बताकर पेमेन्ट किया गया है, यह उस कमेटी की रिपोर्ट में विद्यमान है । ऐसी अनियमितता के बावजूद क्या राज्य सरकार उचित समझती है कि एण्टी करप्शन में यह केस भेजा जाय ताकि डिटेल में जांच हो सके ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया ....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा प्रश्न भी जोड़ लीजिये, इसके साथ, आपने कहा, गबन हुआ है, किस राशि का हुआ है यह पता नहीं है। क्या यह पता है, क्रिमिनल आफेन्स, एम्बेजलमेंट, चीटिंग, फाल्स एकाउंटिंग है, यह आटोनोमस बाडी है, यह कह कर बचत नहीं होती है। आफेन्स हुआ है तो एफ.आई.आर. लाज की जानी चाहिए। नहीं करने पर आफेन्स होता है। ऐसी स्थिति में क्या यह वाजिब नहीं है, जब आप मानते हैं कि आफेन्स हुआ है तो आप इसको पुलिस के सुपुर्द कर दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आर सुपुर्द नहीं करते हैं तो लाइबल हैं। आप जानते हैं कि आफेन्स है और आप लाज नहीं करते हैं तो आप अण्डर ला लाइबल हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट है और मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। अनियमितता हुई और उसकी उदयपुर विश्वविद्यालय ने अपने तौर पर जांच कराई, अपने चार पांच अधिकारी भेज कर जांच कराई। एक मामले में उन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय के कन्ट्रोलर को भेज कर जांच कराई और उस जांच में अनियमितता पाई गई। उसके अन्दर जब जांच करने के लिए रिटायर्ड आई. ए. एस. को मुकर्रर किया ताकि फिर से जांच करे। कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट आने पर उदयपुर विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया, अब चार्ज शीट सर्व की जा रही है। गबन का सवाल आता है और उदयपुर विश्वविद्यालय उचित समझता है कि पुलिस को देना चाहिए तो दे सकता है। हम यहां पर तब कार्यवाही कर सकते हैं जब कि वहां कार्यवाही नहीं की हो। उन्होंने जो अनियमितता पाई गई है, उसके अनुसार कार्यवाही की है और अधिकारी को निलम्बित किया है, चार्ज शीट सर्व की जाय, उसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 1971 में यह घटना घटी और अब जो निलम्बित किया वह कब किया है ?

श्री केदारनाथ : रीसेन्टली।

श्री शिवचरण माथुर : 22-1-74 को।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 74 में निलम्बित करने की कार्यवाही हुई है, चार्ज-शीट तीन वर्ष के बाद दी जायगी। ऐसे गबन के केस को राज्य सरकार अगर एन्टीकरप्शन को नहीं देगी तो केस का फैसला नहीं होगा ?

प्रश्न संख्या 37

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ! श्री शंकरलाल जाट।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री राजेन्द्रसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य

136. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान के क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने कार्य अपूर्ण पड़े हैं ? जिलेवार ब्यौरावार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त कार्यों पर कितना खर्चा हो चुका है और कितना करने पर कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त कार्यों को पूर्ण कराने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री रामनारायण चोधरी): (1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत 527 कार्य अधूरे पड़े हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अपूर्ण कार्यों पर 2,56,96,271 रु. व्यय हो चुके हैं और लगभग 1,76,19,893 रु० व्यय करने पर कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) राज्य के वित्तीय साधनों को देखते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सूची दी गई है, इसके अन्दर क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और भू-संरक्षण, जंगलात के कितने कितने कार्य अपूर्ण पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने पहले प्रश्न में ब्यौरेवार मांगा है, आपने सिर्फ नम्बर दे दिया है 527, वह अलग अलग बताने की कृपा करें।

श्री दीपंकर : मेरा प्रश्न जुड़ता हुआ है इनके सप्लीमेन्ट्री से। नागौर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत पी. डब्ल्यू. डी. के कितने अधूरे काम हैं, और उनको पूरा करने के बारे में क्या योजना है ?

एक माननीय सदस्य : सारे जिलों में।

श्री रामनारायण चोधरी : जो सूची जिलेवार है, वह सदन की मेज पर रख दी गई है। जिला नागौर का प्रश्न किया है, यह सी. एस. आर. एफ. प्रोग्राम है, यह भारत सरकार का प्रोग्राम है, 31 मार्च, 1974 तक ही यह कार्यक्रम फिलहाल है। आगे भारत सरकार की नीति के ऊपर निर्भर करेगा, यह कार्यक्रम आगे रहते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल !

श्री दीपंकर : क्या ऐसे भी कार्य हैं जिनको शुरू नहीं किया गया है और उनकी रकम लैप्स हो चुकी है ?

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री दीपंकर : इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है।

श्री दीपंकर : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप हर सवाल पर पूछते हैं। हर महत्वपूर्ण है।

श्री दीपंकर : भारत सरकार से पैसा मिला, और राजस्थान का विकास नहीं हुआ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री राजेन्द्रसिंह : यह सूची दी है, इनमें से अलग अलग सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई विभाग, भू-संरक्षण, जंगलात में कितने कितने अपूर्ण कार्य पड़े हैं ? अगर सूची है तो आप बताने की कृपा करें।

श्री दीपंकर : नागौर जिले में ऐसे कितने काम हैं, जिनको शुरू नहीं किया गया है ? पैसा लैप्स हो गया है ? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कहना चाहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न साफ है, राजस्थान के क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने कार्य अधूरे पड़े हैं ? जिलेवार, ब्योरावार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह सूची रख दी गई है। यह सम्पूर्ण सूची है, 26 जिलों के अन्दर अधूरे काम हैं, वह लिख दिये हैं, जो काम हैं, रकम है वह दी है, कितनी रकम खर्च हो चुकी है, ...

श्री दीपंकर : जिन अधिकारियों की गलती से काम शुरू नहीं हुए हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्रसिंह : यह सूची दी है, इसमें नम्बर दिया है, तादाद दी है कि इतने अपूर्ण कार्य पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ब्योरेवार हो, इन विभागों के कितने कितने कार्य अपूर्ण पड़े हैं। आपके पास सूची नहीं है तो आप जवाब दे दीजिये कि सूची अपर्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्रीमती निर्मलासिंह : क्रेश प्रोग्राम में केन्द्रीय सरकार ने जो भी पैसा आवंटित किया था राज्य सरकार को——

श्री राजेन्द्रसिंह : जवाब नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दीजिये।

श्रीमती निर्मलासिंह : उसमें से कितने पैसे का उपयोग सरकार कर चुकी है या पूर्ण राशि लैप्स हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : पोस्टपोन कराने से क्या मिलेगा। इसमें खास बात नहीं है। आप मुझ से मिल लीजिये।

श्री राजेन्द्रसिंह : मुझे चेम्बर में मिलने की आदत नहीं है।

श्रीमती निर्मलासिंह : यह क्रेश प्रोग्राम में जो राशि आवंटित की गई केन्द्रीय सरकार से, क्या वह पूरी काम में ले ली है या लैप्स हुई है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री दीपंकर : मेरा एक प्रश्न है......

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

२५

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, इसे स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर देंगे।

श्री सज्जनसिंह : मेरा प्रश्न स्थगित किया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-3-74)

पंचायत समितियों द्वारा किसानों को दिया गया खाद व बीज

37. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन):

श्री जवाहरलाल (सहाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1961-62-63 में राजस्थान की सारी पंचायत समितियों द्वारा किसानों को खाद व बीज दिया गया था ? यदि हां, तो इसकी कितनी राशि वसूल हो गई है ? और कितनी राशि बकाया है ? इतने लम्बे समय तक इस राशि को वसूल नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि अब उन किसानों पर ब्याज का इतना भार पड़ रहा है कि जिनको देने में वे असमर्थ हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ब्याज माफ करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 117 पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना जिलेवार एकत्रित कर सदन की मेज पर रख दी गई है। बाकी पंचायत समितियों से सूचना एकत्रित की जा रही है। निरन्तर अकाल की स्थिति होने के कारण पूर्ण राशि वसूल नहीं हो सकी है जिसे वसूल किये जाने की कार्यवाही चालू है।

(2) निरन्तर अकाल की स्थिति रहने एवं काश्तकारों द्वारा राशि जमा न कराये जाने के कारण ब्याज की राशि बढ़ गई है।

(3) राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैक्टर खरीदने हेतु ऋण छोड़कर दण्डनीय ब्याज राज्य सरकार ने 18-2-73 तक का माफ कर दिया है। जहां तक साधारण ब्याज का प्रश्न है राज्य सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत बरजामसर के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

297. **श्री लूनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री उगमसिंह सरपंच ग्राम पंचायत बरजामसर जिला चूरू के विरुद्ध गुप्त रूप से भूमि बेचने एवं पद का दुरुपयोग करने की शिकायत क्षेत्र के निवासियों में पंचायत विभाग एवं जिलाधीश चूरू के समक्ष की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। सरपंच श्री उगमसिंह बरजामसर के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27 (क) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा जिलाधीश चूरू को निवेदन किया गया था। पंचायत द्वारा किये गये पट्टे अनियमित होने के कारण जिलाधीश द्वारा दिनांक 24-5-73 को पंचायत के आदेशों को निरस्त कर प्लाटों को नियमानुसार नीलामी किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

इस संबंध में विभाग द्वारा जिलाधीश से जांच रिपोर्ट मंगाई गई है, जो प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०

298. श्री रमेशचन्द्र व्यास सैनिक (हिन्डोली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड जिला बून्दी कितनी लागत से कौन से वर्ष में बन कर तैयार हुई थी?

(2) इस समय यह मिल कितने समय से कितने रुपये के घाटे में चल रही है? घाटे के कारण क्या हैं जब कि जिले में गन्ना प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है?

(3) इस मिल में कुल कितने कर्मचारी किस किस श्रेणी एवं कौन कौन सी वेतन शृंखला में हैं? इस मिल में रिटायर्ड अधिकारी कितने हैं और उनको कितना कितना वेतन दिया जाता है? सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) इस मिल को एक पूरे सीजन में चलाने के लिये कितने एकड़ गन्ने की आवश्यकता है? इस वर्ष बून्दी जिले में कुल गन्ने का उत्पादन कितना है? पंचायत समितिवार ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में पर्याप्त मात्रा में गन्ना होने के उपरान्त भी जिले से बाहर का गन्ना मंगवाया जा रहा है? यदि हां, तो उसका कारण बतावें तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि बून्दी जिले के किसानों के गन्नों का भविष्य क्या होगा?

(6) इस वर्ष जिले में कुल कितने गन्ना क्रय केन्द्र खोले गये? क्या इन केन्द्रों से गन्ना पूरा और व्यवस्थित ढंग से उठाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि बोर्ड के संचालकों के अनुरोध के उपरान्त भी संचालक मण्डल की बैठक नहीं बुलाई गई? यदि हां, तो क्यों?

(8) क्या यह सही है कि मेनेजिंग डाइरेक्टर ने बिना संचालक मण्डल की अनुमति के कुछ गन्ना क्रय केन्द्र तोड़ दिये हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

(9) क्या संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि किसानों को गन्ने के दाम एजेन्ट्स द्वारा नहीं दिया जाकर मिल द्वारा दिये जावेंगे? यदि हां, तो बाहर से आने वाले गन्ने के दाम बाहर नियुक्त हुए एजेन्ट्स द्वारा क्यों चुकाये जा रहे हैं?

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

(10) क्या यह सही है कि मिल में एक ट्रक को खाली करने में दस बारह घन्टे का समय लग जाता है ?

उत्तर

(1) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, जिला बून्दी वर्ष 1970 में बनकर तैयार हुई जिसकी लागत बाद में हुए परिवर्धन के साथ 239.58 लाख रुपये है।

(2) मिल वर्ष 68-69 से घाटे में चल रही है। इस समय 203.89 लाख रुपये का घाटा है। घाटे के मुख्य कारण निम्न है:—

1. मिल क्षेत्र में जिले की क्षमतानुसार पर्याप्त मात्रा में समय पर गन्ना उपलब्ध नहीं होने से उत्पादन व्यय अधिक रहा।

2. मिल के स्वयं की निजी पूंजी प्रचुर मात्रा में न होने से अन्य वित्तीय संस्थाओं से ब्याज पर ऋण लेना।

3. मिल का शैशव काल होने से अधिकांशतः पूंजीगत व्यय होने से।

4. तकनीकी कठिनाइयों के कारण।

(3) इस समय मिल में 534 विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनको उनके सामने अंकित वेतन दिया जा रहा है:—

क्र० सं०	नाम	पद	वेतन
1.	श्री बी० एस० सूद	प्रबन्ध संचालक	2000)
2.	श्री बद्रीनारायण शर्मा	विकास अधिकारी	500)
3.	श्री हीरालाल ठाकुर	सुरक्षा अधिकारी	375.80
4.	श्री हरिकिशोर गुप्ता	सहायक अभियन्ता	400)
5.	श्री जी० एल० जोशी	शुगर मिल सुपरवाईजर	379.88

(4) इस मिल को एक पूरे सीजन में चलाने के लिये 18750 एकड़ गन्ने का उत्पादन आया है। इस वर्ष बून्दी जिले में निम्न पंचायत समितियों में 15534 एकड़ क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हुआ है:—

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	उत्पादित गन्ने का क्षेत्र
1.	केशोरायपाटन	2528 एकड़
2.	तालेडा	3867 एकड़
3.	हिण्डोली	6119 एकड़
4.	नैनवा	3020 एकड़
		15534 एकड़

(सहकारिता मंत्री)

(5) जी नहीं।

(6) इस वर्ष बून्दी जिले में 59 गन्ना क्रय केन्द्र खोले गये। इन केन्द्रों से पूरा गन्ना व्यवस्थित ढंग से उठाया जा रहा है।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

(9) जी हां। बाहर से आने वाले गन्ने के दाम भी काश्तकारों को ही दिये गये।

(10) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच, ग्राम पंचायत दांता के विरुद्ध शिकायतें

299. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत दांता, काकरा के खिलाफ कई शिकायतें राज्य सरकार एवं जिलाधीश सीकर को की गई थी? अगर हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच दांता ने गोचर भूमि में से हुसैन खां पंच दांता एवं बालानन्द स्वामी को गलत तरीके से पट्टे बनाकर दिये थे जिसकी शिकायत राज्य सरकार एवं जिलाधीश सीकर को की गई थी? अगर हां, तो दोनों मामलों में जिलाधीश एवं राज्य सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की? अगर नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला प्रमुख सीकर ने झुंझुनूं तथा अन्य जगह टेलीफोन किये? अगर हां, तो कब कब, किन किन को कहां कहां और क्यों? सन् 1972 और 73 का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच दांता के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दोनों शिकायत पर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। केवल बालानन्द के मामले में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिस पर सुनवाई का अवसर दिया गया। सरपंच का कहना था कि यह खसरा जो मोहनराम ने अपना बताया है वह उनका नहीं होकर किसी और का है और अन्य किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई ऐतराज नहीं था। इस बात के तथ्य के लिए तहसीलदार को लिखा गया था और वहां से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। दूसरी शिकायत बाबत श्री हुसेन खां को अनधिकृत रूप से जमीन बेचने की जांच रिपोर्ट अभी जांच अधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सरपंच काकरा के विरुद्ध राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिलाधीश सीकर के यहां सरपंच ग्राम पंचायत काकरा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसकी जांच किये जाने पर यह पाया गया कि सरपंच द्वारा अपने पुत्र एवं भानजे को अनियमित रूप से खसरा नं० 44 में 10 बीघा एवं खसरा नं0 46/2 में 10 बीघा 3 बिस्वा क्रमशः अलाट करवा कर नामांकरण नं० 76 एवं 68 दोनों को खुद ने

Page No 28

(28)

(पंचायत मंत्री)

तस्दीक कर खाता करवा लिया और ग्राम काकरा में सार्वजनिक चौक को अपने पुत्र के नाम पट्टा कर कमरे बनवा लिये और 5)रु. माहवार पंचायत कार्यालय के नाम से किराया अपने पुत्र के नाम लेना शुरू कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत को बाद जांच किराये की रकम वापिस जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। और अलाटमेंट केन्सिल किये जाने की कार्यवाही जिलाधीश के यहां चल रही है। अन्य दो शिकायतें बाबत ग्राम दुल्हेपुर के जाट परिवार के विवाह के समय दो सौ रुपये डरा धमका कर लेने एवं सार्वजनिक कुए के पास सिवाय चक भूमि को 200) रुपये रिश्वत के लेकर मुसलमान लुहार को देने बाबत शिकायत जांच से सही नहीं पाई गई।

(2) जी हां। इसका उत्तर प्रश्न के भाग एक में अंकित है।

(3) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगर परिषद् जयपुर द्वारा क्रय की गई सीमेंट की चद्दरें

300. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि 1972 में सीमेंट की चद्दरें नगर परिषद् जयपुर द्वारा क्रय की गई थी ? यदि हां, तो कितनी चद्दरें क्रय हुई और अब उनका उपयोग किस किस प्रकार हुआ तथा स्टाक में किस हालत में मौजूद हैं ?

उत्तर

नगर परिषद, जयपुर द्वारा सन् 1972 में कोई भी सीमेंट की चद्दरे क्रय नहीं की गई थीं।

म्युनिसिपल कोन्सिल जयपुर द्वारा लोहा का उपयोग

301. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् 1972 में करीब 6 टन लोहे का परमिट म्युनिसिपल कोन्सिल जयपुर ने किसी ठेकेदार को परिषद् के कार्य के लिए सरकारी कोटे से दिलाया था ? यदि हां, तो इस लोहे का परिषद् के किस कार्य हेतु क्या उपयोग किस किस प्रकार हुआ ?

उत्तर

नगर परिषद्, जयपुर द्वारा ठेकेदार को लोहे का परमिट देने के लिये सिफारिश की गई थी। लोहे का परमिट स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज से नहीं दिया जाना नगरपरिषद् के रिकार्ड से प्रकट है।

लेवी की वसूली

302. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किस जिले में लेवी सबसे अधिक वसूली की गई है ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों के खेतों में बाजरा नहीं हुआ है उन काश्तकारों से बाजरे की जगह डिफरेन्स के पैसे की वसूली की गई है ? यदि हां, तो बीकानेर जिले के ऐसे काश्तकारों की सूची नाम व गांव दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सबसे अधिक लेवी जिला बाड़मेर में वसूल की गई है।

(2) जी नहीं। जिन काश्तकारों के खेतों में बाजरा पैदा नहीं हुआ उनसे बाजरे की जगह डिफरेन्स की रकम वसूल नहीं की गई है।

बीकानेर जिले में इस प्रकार का कोई उदाहरण है ही नहीं-अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं रहता।

कृषि उद्योग निगम जयपुर के आयातित ट्रैक्टर

303. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उद्योग निगम, जयपुर द्वारा चूरू जिले में किन किन कृषकों को आयातित ट्रैक्टर दिये गये ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आयातित ट्रैक्टर दो वर्ष पूर्व बेचे नहीं जा सकते ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले के कुछ कृषकों को आयातित ट्रैक्टर दिये गये थे उनमें से कुछ ने जिनका कृषि पेशा नहीं था वह ट्रैक्टर स्वयं काम में न लेकर अन्य व्यक्तियों को बेच दिये ? अगर हां, तो फिर उन पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर इन कृषकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उद्योग, निगम, जयपुर द्वारा चूरू जिला में आवंटित विभिन्न आयातित ट्रैक्टरों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सितम्बर 1971 से पूर्व इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं था। दिनांक 1 सितम्बर 1971 से 'ट्रैक्टर कन्ट्रोल आर्डर' लागू हुआ एवं इस आर्डर के अनुसार दो वर्ष पूर्व ट्रैक्टर बेचने पर पाबन्दी लगा दी गई लेकिन कन्ट्रोलर की पूर्व स्वीकृति लेकर कोई व्यक्ति इससे पूर्व भी ट्रैक्टर बेच सकता है।

(3) 1 सितम्बर 1971 से पूर्व निगम के स्वयं के ट्रैक्टर आवंटन के नियम थे जिनके अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को ट्रैक्टर अलॉट नहीं किया जिसने तहसीलदार या राजस्व अधिकारी से 15 एकड़ भूमि होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो। 1 सितम्बर 1971 को ट्रैक्टर कन्ट्रोल आर्डर लागू हो गया एवं इसके अनुसार भूमि का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं रह गया था ट्रैक्टर बेचने के सम्बन्ध में निगम के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि निगम द्वारा आवंटित ट्रैक्टरों में

(कृषि मंत्री)

से कितने ट्रेक्टर किन किन व्यक्तियों ने किस किस व्यक्ति को कब कब बेच दिये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चूने के पत्थर भण्डारों का सर्वे

304. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर-टाटगढ़ तक, ब्यावर-रास बाबरा, ब्यावर-सेन्द्रा और ब्यावर-मसूदा तक के क्षेत्रों में चूने के पत्थर के भण्डारों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितनी मात्रा में यह पत्थर उपलब्ध है?

(2) क्या यह पत्थर सीमेन्ट उद्योग के काम में आने लायक है? क्या इस पत्थर की क्वालिटी सबसे बेहतर है? यदि हां, तो इस पत्थर को उपयोग में लेने के संबन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का भू-जल मन्डल द्वारा सर्वे

305. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या भू-जल मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कब कब और किन किन ग्रामों का तथा सर्वे के अनुसार पानी कैसा पाया गया? सर्वे रिपोर्ट गांव वाइज एवं तहसील वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि सर्वे नहीं किया गया है तो क्यों और अब कब तक सर्वे कराये जाने का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शाहपुरा एवं विराटनगर के ग्रामों का सर्वे किया जा चुका है? यदि हां, तो कब? सर्वे की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बैराठ के क्षेत्र में ग्रामों में बाणगंगा नदी, सावी नदी एवं अन्य बरसाती नदियों का पानी काफी मात्रा में उपलब्ध है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न ग्रामों का क्या परिणाम रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले के समस्त क्षेत्र का प्राथमिक भू-जल सर्वेक्षण, भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं अन्वेषण योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1967-68 में मई, 67 से फरवरी, 1968 के दौरान किये गये जयपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र के प्राथमिक सर्वेक्षण के अधीन किया गया है।

ग्रामवार सर्वेक्षण के समय का तथा पाने की बाबत जानकारी दे सकना संभव नहीं है तथा न ही ग्रामवार तथा तहसीलवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। क्योंकि भू-जल विभाग द्वारा समस्त जयपुर जिले के लिये एक संकलित रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है जिसमें क्षेत्रीय

Page No 31

(31)

(भू-जल मण्डल मंत्री)

आधार पर ही भू-जल उपलब्धि से संबंधित प्रारम्भिक जानकारी दी हुयी है।

(2) पंचायत समिति शाहपुरा का अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण भू-जल विभाग द्वारा वर्ष 1972-73 में किया गया। परन्तु वर्ष 1972 में क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा के अभाव में सर्वेक्षण सम्बन्धी सभी आंकड़े पर्याप्त रूप से एकत्र नहीं किये जा सके। अत: वर्ष 1973-74 में पुन: इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

"अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम" के अन्तर्गत पंचायत समिति विराटनगर का सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है। अतः सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) क्षेत्र के अर्द्धविस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के आंकड़े

306. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान प्रान्त में जिलेवार क्षेत्रानुसार योजना व्यय विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं में हुआ? प्रत्येक पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना का अलग अलग से आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

तहसील नोखा के गांवों की वाटर सप्लाई स्कीम

307. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर के जिन गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है उन गांवों में से कितने हरिजन मोहल्लों में पानी के स्टेण्ड व पाईप बिछा दिये गये हैं? इनके नाम, गांव सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष बनाये गये हरिजन मोहल्लों में पानी के स्टेण्ड बनाते ही सब टूट गये व बिखर गये? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) तहसील नोखा जिला बीकानेर के निम्न गांवों में हरिजन मोहल्लों में पानी के स्टेण्ड व पाइप लाईन बिछा दी गई हैं-:

(1) सूरपुरा (2) देसलसर (3) पांचू (4) बीकासर (5) रोड़ा (6) कुदसू (7) जसरासर (8) झाड़ेली (9) रासीसर (10) नोखा (11) जांगलु (12) मामट-सर (13) काकड़ा (14) बेरासर (15) बादनु (16) सादासर। इनमें से क्रमश: 11 से 16 में पाइप लाइन स्पेशल्स न मिलने के कारण अभी तक चालू नहीं की जा सकी है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 32

(32)

तहसील जहाजपुर की गुमशुदा मिसलें

308. **श्री माणकचन्द सोगाणी** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के पर्चे लगानी भू-प्रबन्ध विभाग भीलवाड़ा के तकसीम होने के बाद में किस अधिकारी व किस किस कर्मचारियों को लगाया गया व कितने समय तक जहाजपुर की उजरदारी का कार्य किया गया व कितनी मिसलें दर्ज हुई व कितनी फसल हुई व कितनी खारिज की गई व कितनी पेन्डिंग दी गई व उजरदारी कार्य के लिए किस नये अधिकारी को मुकर्रर किया गया व इसके बाद चार्ज किस अधिकारी से किस तारीख को लिया गया व चार्ज लेने व देते समय में कितनी मिसलें गुम होने की रिपोर्ट दी गई ?

(2) मिसलें गुम होने बाबत किन किन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया गया या नहीं ? अगर केस दर्ज करवाया गया तो पुलिस में किस तारीख को कितनी मिसलों का और पुलिस ने किन किन कर्मचारियों को दोषी ठहराया व पुलिस में चोरी की रिपोर्ट करने के बाद में अब तक कितनी मिसलें मिल चुकी हैं और अब कितनी मिसलें किस किस गांव की बाकी हैं ?

(3) तहसील जहाजपुर की गुमशुदा मिसलों की जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया व विभागीय जांच किस तारीख को शुरू हुई व किस तारीख को खत्म हुई ? विभागीय जांच में पंचनामा बैठाया गया या नहीं व चार्ज देने वाले अधिकारियों के समक्ष दोषी कर्मचारियों को साथ बैठने का मौका दिया गया या नहीं ?

(4) तहसील जहाजपुर की मिसलें गुम होने बाबत किस कर्मचारी के द्वारा संख्या एफ. 11 (17) रा. स. ग्रो. 168 दिनांक 21–5–68 को राजस्थान सरकार सतर्कता आयोग में केस दर्ज करवाया ? क्या उसकी जांच की गई और जिस जिस गांव की मिसलें कम थी उन गांवों के काश्तकारों के बयान लिए या नहीं व चार्ज देने वाले व लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान लिये या नहीं और उस पर अब क्या जांच की जा रही है ?

(5) क्या तहसील जहाजपुर की फर्जी मिसलें भी तैयार की गई थी ? यदि हां, तो किस कर्मचारी के द्वारा किस किस गांव की किस किस नम्बर की कि गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई व किस तारीख को किन कर्मचारियों के द्वारा किस अधिकारी को जानकारी दी गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) तहसील जहाजपुर के केस में सरकार का अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और किन किन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है ?

(स्थगित किया गया)

छतरगढ़ एस्टेट

309. **श्री लूनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री लूणाराम)

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य में छतरगढ़ ऐस्टेट थी ? यदि हां, तो क्या इस एस्टेट का जैसा कि बीकानेर राज्य का राजस्व रेकार्ड था उसी अनुरूप गिरदावरी ढालबाछ आदि रेकार्ड था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रेकार्ड के गैर खातेदार लोग जो तहसील अनोपगढ़ के अन्तर्गत छत्तरगढ़ एस्टेट के गांवों के थे जिनका कि चार्ज एस्टेट मर्जर होने पर राजस्थान सरकार को दिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त तहसील के गैर खातेदारों को राजस्थान को अन्य तहसीलों की भांति सं. 2012 सन् 1955 के सरकारी लैण्ड रेकार्ड गिरदावरी में व मौके पर काबिज होने से गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सम्वत् 2012 की गिरदावरी के आधार पर उपरोक्त तहसील के अन्तर्गत एस्टेट के इन गांवों के खातेदारी अधिकार से किसानों को वंचित रखा गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि बिना किसी तरह का नोटिस दिये सं. 2013 में जिनके कि मौके पर व राजस्व रेकार्ड में पहले से कब्जा चला आ रहा था तहसीलदार ने अपनी मरजी से किसानों को कब्जा रेकार्ड में से हटा दिया ? यदि हां, तो तहसीलदार ने नाम अपने अधिकार से हटाये या उच्च अधिकारियों के आदेश से ? यदि कोई आदेश हुआ हो, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि इस प्रकार से हटाये गये नामों के बावजूद भी अभी अधिकांश किसानों का अभी तक कब्जा है और सरकार ऐसे कब्जे अवैध मानती हुई रेकार्ड में कुछ भी नहीं दर्शाती है ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही से पीड़ित कुछ किसान उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण में भी गये और फैसला किसानों के हक में हो गया और सरकार की कार्यवाही को अवैध माना गया ? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपने रेकार्ड से हटाये गये किसानों के नामों को पुनः दर्ज कर उनका कब्जा मान लिया है ?

(7) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो ऐसे हटाये गये समस्त किसानों के नामों को सरकार कब तक वैध कर देगी ?

(स्थगित किया गया)

काश्तकारों को नोटिस

310. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) कोटा एवं बूंदी जिले में चम्बल क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग के अधीन कितनी ऐसी भूमि है जिस पर गत कई वर्षों से भूमिहीन हरिजनों का कब्जा चला आ रहा है और क्या विभाग ने उन्हे बेदखल किये जाने के नोटिस जारी कर रखे हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश भूमिहीनों का कब्जा चम्बल क्षेत्र कायम होने से पूर्व भी था ? यदि हां, तो प्रत्येक

(श्री नन्दलाल बैरवा)

तहसील में ऐसे कितने भूमिहीन हरिजन थे ? सूची तहसील वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि भूमिहीनों के कब्जे में वर्षों से चली आ रही कृषि योग्य भूमि की भारी कीमत वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो किस किस किस्म की भूमि की क्या क्या दर है ? वसूली करने सम्बन्धी नियम एवं आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। वसूली नियमानुसार की जाती है। नियम व आदेशों की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अदालत के आदेश के अनुसार लौटाई गई राशि

311. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गणेशाराम बनाम श्री डालूराम के केस में एस. डी. ओ. रतनगढ़ (चूरू) के आदेश क्रमांक 135 दिनांक 31-7-57 से चारा. मोठ का कीड़ा (डिगला) श्री तुलसाराम पुत्र मघा राम जाट निवासी बाना के नाम नीलाम किया जाकर 825) रु० तहसील श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में दिनांक 14-8-57 को जरिये ड्राफ्ट नं. बी-356526/14 दिनांक 13-3-58 एस० डी० ओ० रतनगढ़ को पेश किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि यह 825) रु० श्री डालूराम पुत्र भोमा राम निवासी बाना तहसील डूंगरगढ़ जिला चुरू को वापिस लौटाने का अदालत से आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह राशि श्री डालूराम को लौटा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक लौटा दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम थाना तहसील डूंगरगढ़ में दिनांक 31-7-57 को चारा मोठ का एल कीड़ा (डिगला) तहसील द्वारा नीलाम रु० 825) में किया गया था यह रकम तहसील की रोकड़ में दिनांक 14-8-57 को जमा हुई थी और दिनांक 12-3-58 को आदेशानुसार बैंक ड्राफ्ट के द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, रतनगढ़ में भिजवा दी गई थी।

(2) वाद की पत्रावली व सीगा अपील में जाने के बाद प्राप्त नहीं हुई, इसलिए यह रकम जमा रही। किसको दी जावे इस सम्बंध में न तो कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुआ है और सीगा अपील से पत्रावली ही प्राप्त हुई है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

बीकानेर जिले में 'कासा' एजेन्सी द्वारा काश्तकारों को कुए बनाने के लिये अनुदान

87. श्री चुन्नीलाल इन्दुलिया (नोखा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर जिले में कासा एजेन्सी द्वारा कितने काश्तकारों के खेतों में सिंचाई के कुए बनाने के लिये अनुदान दिया गया ? किसान का नाम, गांव, तहसील दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि कासा एजेन्सी के द्वारा बीकानेर जिले में प्राथमिक पाठशाला भवन व मिडिल स्कूल भवन आदि बनाने के लिये अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किस गांव में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में कासा एजेन्सी के द्वारा स्कूल भवन कुए आदि बनाने के लिये अनुदान दिया जाने का बजट है । यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों के कुए आदि बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

रासायनिक खाद का वितरण

89. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति पदमपुरा जिला गंगानगर क्षेत्र में कितनी सिंचित गेहूं, जौ, चने, सरसों, चारा आदि की रबी की फसल 1974 में बोई गई और उसके लिए कितने रासायनिक खाद की आवश्यकता थी और कितनी दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में रासायनिक खाद की आवश्यकता का 10 प्रतिशत किसानों को सरकार द्वारा वितरण किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि वितरण प्रणाली अच्छी न होने के कारण रासायनिक खाद का एक बहुत बड़ा भाग चोर बाजारी में बिका है, और विकास अधिकारी ने अधिकतर खाद अपने ही वर्ग के लोगों को दी है, इसलिये अन्य लोगों को खाद बहुत कम मात्रा में मिल पाई है ? क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पदमपुर क्षेत्र में सिंचित गेहूं, जौ, चना, सरसों, चारा आदि की रबी फसल 1974 में बुवाई का निश्चित क्षेत्र गिरदावरी पूर्ण होने पर ही ज्ञात हो सकेगा । उक्त क्षेत्र में इन फसलों के लिये 1415 मैट्रिक टन नत्रजन उर्वरक की आवश्यकता विभाग द्वारा आंकी गई थी जिसके विरुद्ध अब तक 354 मैट्रिक टन नत्रजन उर्वरक वितरित किया जा चुका है ।

(2) उपरोक्तानुसार अनुमानतः 25% उर्वरक वितरित किया गया है ।

उत्तर

(3) गंगानगर में वितरण परमिट प्रणाली के अन्तर्गत किया गया था जिसमें जिला कृषि अधिकारी, विकास अधिकारी व कृषि प्रसार अधिकारी को परमिट देने को अधिकृत किये गये थे। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

जिला बून्दी की नगरपालिकाओं द्वारा अनुसूचित जातीय परिवारों को भू-खंडों का आवंटन

102. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की किन किन नगर-पालिकाओं में 1969 से 1973 तक कितने भू-खंड आवंटित किए गए ? नगरपालिका वाईज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बूंदी जिले की समस्त नगर-पालिकाओं ने जितने भू-खंड आवंटित किए उनमें अनुसूचित जातीय परिवारों को कितने भू-खंड आवंटित किये ? नगरपालिका-वाईज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन पालिकाओं ने हरिजनों को अब तक भू-खंड आवंटित नहीं किए उसका क्या कारण है और क्या अब भू-खंड आवंटन किए जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी की नगरपालिकाओं ने निम्न भू-खन्ड आवंटित किये हैं।

1-बूंदी	कोई नहीं
2-केशोरायपाटन	228
3-लाखेरी	36
4-नैनवां	160

(2) नगरपालिका अनुसार सूचना निम्न प्रकार है।

1-बूंदी	कोई नहीं
2-केशोरायपाटन	29
3-लाखेरी	7
4-नैनवां	150

(3) केवल नगरपालिका बूंदी को छोड़ कर सबने भूखन्ड आवंटित किये हैं। नगरपालिका बूंदी को पहिले भू-खन्ड आवंटित करने के अधिकार नहीं थे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

1. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के भिनाय कस्बे में 14 मार्च को पुलिस की हिरासत में चन्द्र नामक चमार की मृत्यु के विषय में....।

आर्डर प्लीज

2. सर्व श्री केसरीमल, गुमानमल लोढ़ा और अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटपूतली तहसील के ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

परामपुरा में गत 9 मार्च को सवर्णों द्वारा धोबियों की बारात लूट लिये जाने के सम्बन्ध में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

3. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्व-विद्यालय द्वारा 18 मार्च को दीक्षान्त समारोह में जोबनेर में श्री भरतराम चरतराम को डाक्टोरेट की उपाधि दिये जाने के विषय में।

यह उदयपुर विश्वविद्यालय का आन्तरिक मामला है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से कुछ दिन पूर्व भरतपुर जिले में जिलाधीश द्वारा बुलाई गई एक प्रेस कान्फ्रेंस में एस. पी. भरतपुर के कतिपय शब्दों को लेकर वहां के पत्रकारों में असन्तोष होने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव में घटना की तिथि नहीं दी गई है जिससे यह पता नहीं चलता कि यह कब की घटना है तथा यह प्रस्ताव अस्पष्ट भी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से :

(1) राजस्थान की 6 आटा मिलों को गेहूं का कोटा आवंटित न होने के सम्बन्ध में,

(2) जयपुर शहर में इस माह राशन की दुकानों में दिये जाने वाले गेहूं में मिट्टी, कंकड़ मिले हुए हैं, इस विषय में,

(3) राजस्थान के बेकरी व्यवसाइयों को मैदा न दिये जाने के विषय में।

इन्हीं प्रश्नों पर सदन में इसी सत्र में अनेक बार चर्चा हो चुकी है और ये अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

6. सर्व श्री निरन्जननाथ आचार्य, योगेन्द्र नाथ हांडा, रामकिशन और मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से रिपब्लिकन पार्टी के श्री जगराज सिंह द्वारा हरिजनों की समस्याओं को लेकर करीब 10 रोज से भूख हड़ताल के विषय में।

मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस विषय में एक वक्तव्य दे। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक धोबी वर और वधु को विवाह कार्यक्रम से इसलिये वंचित रहना पड़ा.....

श्री अध्यक्ष : Is it based on any personal information or only on newspaper report? पर्सनल इन्फार्मेशन नहीं है, न्यूज पेपर रिपोर्ट पर नहीं चलना चाहिये।

Page No 38

(38

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जानकारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन धोबी जाति का एक आदमी घोड़ी पर बैठ कर शादी करने नहीं जा सका, और इस कारण शादी रोकी जाये क्योंकि धोबी जाति का आदमी घोड़ी पर बैठा, और बारात को पीटा जाये······

श्री निरन्जननाथ आचार्य : धोबी का वाहन घोड़ा थोड़े ही होता है ? उसका वाहन तो गधा होता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गधा किसी युग मे रहा होगा। आपने सुना होगा कि धोबी और धोबन के वार्तालाप के कारण सीताजी को बनवास जाना पड़ा था। आज जीवन के मूल्य बदल चुके हैं, अस्पर्शता निवारण कानून बन चुका है, रीति व रिवाज बदल चुके हैं। आज के युग में, आजादी के 27 साल बाद में उस धोबी की बरात रोक दी जाये, जयपुर से ही 63 मील की दूरी दर परागपुरा गांव में यह घटना घटी है और वह वर और वधु जयपुर में चक्कर लगा रहे हैं कि शादी करने से क्यों उनको वंचित रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इनके लिये कुछ व्यवस्था की जाये। यह दम्पति का सवाल है, वे भी हनीमून करना चाहते हैं, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ में शादी करा दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने जानकारी जानने के लिये तो कहा है, लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि उनकी रक्षा की जाये। यह बहुत गम्भीर बात है और इसमें जल्द ही जानकारी लेकर व्यवस्था की जाये।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, चन्द्र नामक व्यक्ति, जिसकी जाति चमार थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कसूर क्या था वह तो जब उस पर मुकद्दमा चलता तब पता लगता, लेकिन कहा जाता है कि उसने खाने के लिये अनाज की चोरी की। आज देश में समाज की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं मिलता। बेकारी ऐसी फैली हुई है कि हर आदमी को···

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही कहिये। काफी वक्त निकल चुका है।

श्री केशरीमल : उस आदमी को गिरफ्तार कर के ले जाया जा रहा था, उसको रास्ते में ही पुलिस ने इतना मारा कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, और पुलिस यह कहती है कि वह भाग कर कुएं में गिर गया और उसके शरीर पर जो चोटें आई वह भी कुएं में गिरने के कारण आई है। क्या झूठ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के साथ अत्याचार, गरीब लोगों और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अत्याचार रोज हम सुनते हैं। अगर पुलिस इस तरह से हत्याएं करेगी तो लोग सरकार की इन बातों को कब तक बर्दाश्त करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले की जांच करवाये।

दूसरा यह जो धोबी जाति के एक आदमी की बरात पर हमला किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहूंगा। आजादी के 25 साल बाद ऐसा वाकया हो यह बड़े दुख की बात है। पहले के जमाने में यह प्रथा थी कि इन लोगों को सवारी करने की मना

(श्री केशरीमल)

थी, अगर वह लोग शादी करते तो जेवर नहीं पहन सकते थे, कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। लेकिन आजादी के 25 वर्ष बाद भी धोबी की बरात की पिटाई की जाये और शादी नहीं होने दी जाये, और वह लोग पुलिस में शिकायत करने जायें तो पुलिस शिकायत नहीं सुने, कोई कार्यवाही न करे, इससे मालूम पड़ता है कि पुलिस और सवर्ण लोगों ने मिलकर यह परिस्थिति पैदा की है। वह चाहते हैं कि छोटी जाति के लोगों को उत्थान का मौका नहीं मिले और उनको तेज किया जाये। पुलिस की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला दबना नहीं चाहिये और सरकार इस बारे में अपना बयान दे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटीज के द्वारा डिग्रीज़ देने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव है। मैं मानता हूं कि युनिवर्सिटी की आटोनामी में दखल नहीं देना चाहिये, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि युनिवर्सिटी की आटोनामी भी कुछ डाइरेक्टिव प्रिन्सीपिल्स को लेकर चलती है। जिन व्यक्तियों के खिलाफ आज सारा देश है, सारी पब्लिक जिनके खिलाफ है, उन लोगों को डिग्रीज़ देकर हम आम छात्रों पर क्या असर डालना चाहते हैं ? एक तरफ तो इन लोगों के खिलाफ वातावरण बन रहा है, जिन लोगों ने पैरलल ब्लैक मनी चला रखी है, जो पूंजीवाद के प्रतीक हैं, उन लोगों के खिलाफ वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में हम स्टूडेंट्स के सामने उद्योगपति को डिग्री दें, तो अध्यक्ष महोदय, यह तो पुरानी लीग सी को फालो करने की बात होती है। युनिवर्सिटी, जो कि टेम्पल आफ लर्निंग है, उसके कुछ प्रिन्सीपिल्स होने चाहिये। वहां पर आज इन्डस्ट्रिलिस्ट भरत राम भरत राम को डिग्री दी जाये, उसके खिलाफ सारी उदयपुर युनिवर्सिटी में वातावरण बन रहा है। श्री के. सी. पंत को आप डिग्री दें, इसमें कोई ऐतराज नहीं, उनका पोलीटीकल लाइफ में योगदान रहा है, मोहनलालजी सुखाड़िया, हालांकि आज वह कर्नाटक के राज्यपाल हैं, लेकिन उनका राजस्थान की पोलिटिकल लाइफ में काफी कान्ट्रीब्युशन रहा है और आज भी असर है। तीसरा आदमी, जिसको डिग्री दी गई, वह पंजाब युनिवर्सिटी का उप कुलपति है। पंजाब ऐग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी ने उनके समय में ऐग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत बड़ी रीसर्च की है और ऐसे आदमी को डिग्री दी जाये तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है।

चौथे हैं यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के भूतपूर्व चेअरमेन श्री दौलतसिंह कोठारी। इनको यूनिवर्सिटी अगर सम्मानित करती है तो मैं मान लेता हूं क्योंकि इन्होंने भी यूनिवर्सिटीज के अन्दर काफी अच्छा काम किया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिये नेशनल लेवल में सुधार किये। लेकिन यह पांचवे व्यक्ति को किस आधार पर उदयपुर यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। उन्होंने कौनसा काम यूनिवर्सिटीज के लिये किया ? आज जब कि इनके खिलाफ में लोगों में भारी असन्तोष है। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इसके बारे में यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर से आप पूरी इन्फोरमेशन प्राप्त करके यहां हाउस में स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है और तीन स्थगन प्रस्ताव दिये हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उदयपुर यूनिवर्सिटी में जो डिग्रीज दी गयी है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेन्ट मोशन इस पर है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आज यह परीक्षा हो जाय कि यह दो मिनट में समाप्त करते हैं या नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन यह लोग बीच में बोल कर पांच मिनट, दो मिनट के यह करवाते हैं। मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : I never doubted it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी ने अभी जोबनेर में श्री भरतराम चरतराम को डाक्टरेट की पदवी देकर सम्मानित किया है। आप देखें अध्यक्ष महोदय, यह लोग जो बड़े मोनोपोलिस्ट हैं, इजारेदार हैं इनको डाक्टरेट किस बात के लिये दी गयी है। वैसे तो भारत सरकार समाजवाद की बाते करती है इन्हें किस बात के लिये बढावा दे रही है। हम तो खैर इन्हें समाप्त ही करना चाहते हैं। यह पूरे हिन्दुस्तान में कुल 75 परिवार हैं। आप इन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय में किस प्रकार से सम्मानित कर रहें हैं। यह व्यापारी वर्ग के हैं इन्हें सम्मानित करना कितना लज्जा जनक मामला है। यह पूरे हिन्दुस्तान की विश्वविद्यालय और जनता के लिये लज्जाजनक बात है। फिर तो आप बिरला से शुरू करो और फिर टाटा को डिग्रियां देकर सम्मानित करो। इस प्रकार आप लगातार 75 परिवारों को सम्मानित करते रहो। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर बात है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री से और मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में उदयपुर विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त करें। तथा इसके साथ यह भी निवेदन करूंगा कि उनको जो डिग्री दी गयी है उसको कैन्सिल किया जाय। क्योंकि उनको डिग्री देना उदयपुर युनिवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर के लिये कलंक है।

श्री अध्यक्ष : आपने आज तो पूरी पाबन्दी निभायी है। आज तो रिकार्ड तोड़ दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आदमी भला ही हूं लेकिन यह लोग मुझे भला नहीं रहने देते हैं।

श्री रामकिशन : यह उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : I leave it to his judicious discretion.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने गेहूं के बारे में समय समय पर नियमों में जो ढिलाई की है, जिसमें कभी तो आप व्योपारी के पास 5 क्विन्टल गेहूं की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

छूट करते हैं बाद में 25 क्विन्टल गेहूं तक की छूट की है और बाद में आपने अब 150 क्विन्टल की छूट दे दी। उसके साथ साथ आपने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जिलों में भी गेहूं को लाने ले जाने की छूट देदी है। तो मैं यह कहूंगा कि अब आपने जो गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया है वह तो अब मृत-प्राय: सा हो गया है। समाप्त हो चुका है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान में 6 आटे की मिलें हैं। आज पिछले छ महीने से वह मिलें बन्द पड़ी हुई हैं। आप उन्हें गेहूं दे नहीं रहे हैं और न आप उनको, व्यापारियों को जिस तरह से 150 क्विन्टल रखने की छूट दी, उस तरह से छूट दे रहे हैं तो अब बेचारे वह आटे मिल वाले क्या करें? इन मिलों पर 30 लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है वैसे आप राजस्थान में उद्योगों को पनपाने की बात करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह काम किस प्रकार से चलेगा? आज मिलें बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। इसके लिए जब वह सेठों के खिलाफ में आन्दोलन करेंगे मिल चलाने के लिए तो आप उसे कोई कान्ड के लिये कह देंगे। इन मिल वालों से जो पुलिस लाइन जयपुर और जेल पर आटा जाता था अब उन्हें भी बड़ी दिक्कत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, उनके पास आटा नहीं है। आज पुलिस लाइन के लोगों को आटे के लिए भटकना पड़ रहा है, आज पुलिस की चौकियों पर आटा हाथ नहीं आ रहा है। जेल पर भी आटा नहीं मिलने की वजह से कैदियों को गेहूं के आटे के बदले में चने दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार होस्पीटल में लोगों को आटा मिल नहीं रहा है। तो इन मिलों को गेहूं दिलाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : Please speak on the subject matter.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार बेकरी वालों को मैदा नहीं दिया जा रहा है, उनकी बेकरीज बन्द पड़ी हैं। तो आपका यह राष्ट्रीयकरण अब एक प्रकार से मृत-प्राय: है। अगर आप इस राष्ट्रीयकरण को जिन्दा नहीं रखना चाहते हैं तो इसे समाप्त कर दो। अन्यथा आप इन बेकरी वालों को तो कम से कम मैदा दो। अध्यक्ष महोदय, यह बेकरी वाले बेचारे अपनी अपनी दुकानें बन्द किये हुए बैठे हैं। इस संबंध में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि वह लोग मेरे साथ में खाद्य मन्त्री जी से भी मिले और बाद में मुख्य मन्त्री जी से भी मिले उन्होंने कहा कि मैं खाद्य मन्त्री जी से कह दूंगा पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। आज निरन्तर वह लोग मैदा के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार उन्हें मैदा दिलाने के लिए असफल रही है। इसके बाद उनका एक शिष्टमण्डल दिल्ली में भारत सरकार के खाद्य मन्त्री श्री फकरुद्दीन अहमद से मिले उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान सरकार इन बेकरी वालों को मैदा क्यों नहीं दे रही है? बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जयपुर जाइये हम आपके लिए जयपुर में आदेश भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज तक उन लोगों को मैदा नहीं मिला है। अध्यक्ष

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

महोदय, वह लोग आज ब्लेक में 300 रु० मैदा की बोरी के देकर डबल रोटी बना रहे हैं और कुछ लोगों ने तो बनाना ही बन्द कर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर स्थिति बनी हुई है। न तो आप आटे मिलों के मालिकों को गेहूं दे रहे हैं, न ही आप मैदा वालों को मैदा ही दे रहे हैं, तो इस तरह वह लोग अपना पेट कैसे पालेंगे ? और जनता को बहुत भारी तकलीफ हो रही है। तो आपके मारफत बड़ी नम्रतापूर्वक खाद्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को, आटे मिल के मालिकों को गेहूं दिलावें और इन बेकरी वालों को आप मैदा दिलाने की व्यवस्था करावें।

तीसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर में गेहूं की वितरण व्यवस्था के बारे में था। आपने कहने को तो यहां पर सदन मे घोषणा कर दी कि जयपुर में 6 किलो गेहूं दिया जायेगा। उसमें आपने गेहूं के साथ ढाई किलो ज्वार और आधा किलो चना देने की बात की है। अध्यक्ष महोदय, गेहूं इतना खराब है कि उसमें कंकर, पत्थर, कांटा वगैरह है। वह खाने के काबिल नहीं है। दूसरी जो ज्वार आपने दी है वह लाल ज्वार है। वह बिल्कुल निकम्मी है, उसे तो जानवर भी नहीं खा सकता। यह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सदन की मेज पर तो रख नहीं सकता क्योंकि आपने व्यवस्था देदी कि सदन की मेज पर रख नहीं सकते। इसलिए मैं अपनी सीट पर से सभी माननीय सदस्यों को दिखा रहा हूं। इसे इन्सान तो क्या जानवर भी नहीं खायेगा। अब स्थिति यह है कि दुकानदार कह रहा है कि आप ज्वार लो तो गेहूं दूंगा अन्यथा नहीं दूंगा, लाल ज्वार लोगे तो ही चीनी दी जायेगी। इतना है ही अगर आस-पास में कोई मिट्टी के तेल की दुकान हो तो वह भी कह देगा कि अगर आप लाल ज्वार लेंगे तो ही आपको मिट्टी का तेल दिया जायेगा। तो यह आपकी क्या घोषणा है 6 किलो अनाज देने की। इससे तो अच्छा था आप कह देते कि सिर्फ तीन किलो गेहूं और चना ही दे रहे है और आप देना चाहते हैं तो आप ज्वार के बदले बाजरी दे देते। वह भी तो आपके पास है। तो मैं खाद्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में तुरंत आदेश दिये जायें कि लोगों को तीन किलो दिया जाय। आधा किलो चना लेना चाहें उन्हें वे और लाल ज्वार कोई जरूरी लेना नहीं रखा है। दुकानदार तो बगैर आपके आदेश के मानेगा नहीं क्योंकि उसकी तो रकम फंस गई है। वह तो बेचना चाहेगा ही।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम मे बड़ी नम्रता से, बड़े आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप मन्त्री महोदय को यह विशेष आदेश दें कि वे जयपुर की जनता को छः किलो अनाज दें। उसमें लाल ज्वार के बदले चाहे बाजरी दे दें चाहे चना अधिक दे दें पर इस लाल ज्वार को देना बन्द करवा दें। यही मैं नम्रतापूर्वक आपके मारफत मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें। बेकरी वालों को मैदा दें। खराब गेहूं का वितरण, निकम्मी ज्वार का वितरण बंद करने के बारे में विचार करें।

आज उद्योग विभाग पर भी विचार करने जा रहे हैं। हम राजस्थान में उद्योगों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को पनपाना चाहते हैं। लेकिन जो पनपे हुए हैं उनको ही आप तो बन्द करने जा रहे हो। डिमान्ड पर उत्तर देंगे मन्त्रीजी। आप भी बैठे हैं। वे भी बैठे हैं।

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैं सभापति तालिका के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों के नामों की घोषणा करता हूं।

1. श्री फूलचन्द जैन
2. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
3. श्री भानुकुमार शास्त्री
4. प्रोफेसर केदारनाथ

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व एवं उपनिवेशन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) राज/उप/73 दिनांक 15 मार्च, 1974 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

सूरतगढ़ के पत्रकार श्री करनीदानसिंह पर किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्यमंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय……

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपसे यह सम्हलने वाला नहीं है। आप मुख्य मंत्रीजी को बुला लें, मैं विषय से दूर नहीं जाना चाहता राजकीय कर्मचारियों के आन्दोलन के समय में जो केसेज चल रहे हैं उनको भी विथड्रो करने के लिये इस वक्तव्य में शामिल कर लीजिये और फरमा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री गुमानमल लोढ़ा ने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इस सम्बन्धी घटना इस प्रकार है :

दिनांक 3–3–74 को एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर ने थाना सूरतगढ़ में सूचना करीब दिन को 12.1 बजे जरिये टेलीफोन दी कि उसने कोई गेहूं की बोरियां पकड़ी हैं एक कान्स्टेबल मदद को भेजा जावे। इस पर एक कान्स्टेबल मदनसिंह मदद को भेज दिया गया। एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर ने उस सिपाही को यह बोरियां कब्जे में लेने को कहा जिस पर सिपाही ने थाने पर जाकर बात करने को कहा। इस पर एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर थाने में गया जहां एस. एच. ओ. मौजूद नहीं था क्योंकि वह तफतीश में बाहर गया था। तब एच० सी० से बातचीत की। दोनों में कानून के बारे में बातचीत होने में तथा व्हीट कन्ट्रोल ऑर्डर की तलाश करने में देरी हो गई इस पर वह कान्स्टेबल भी बोरियां छोड़ कर थाने में वापस चला आया। जब एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर करीब 3, 4 बजे वहां पहुंचा तब तक बोरियां गायब हो चुकी थीं।

Page No 44

(५५)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

एन्फोर्समेन्ट इन्स्पेटर ने इस बारे में उस रोज कोई अन्य शिकायत नहीं की। सर्वप्रथम एन्फोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर ने एक शिकायत इस बारे में नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ को दिनांक 7-3-74 को पत्रवाहक द्वारा भेजी तथा होली के अवकाश की दरख्वास्त देकर एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर अवकाश पर बिना पूर्व स्वीकृति रवाना हो गये जो अभी तक वापिस नहीं लौटे हैं।

श्री करनीदान, जो भारतजन के एडीटर हैं, उन्होंने इस घटना का समाचार अपने अखबार दिनांक 5-3-74 के अंक में, जो दिनांक 12-3-74 को रीलीज हुआ था, छापा। दिनांक 16-3-74 को जिलाधीश ने यह खबर देखी और तुरन्त डी. एम. ओ. को सूरतगढ़ में जांच हेतु भेजा क्योंकि इन्फोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर वहां नहीं था इसलिये यह जांच पूरी नहीं हो सकी तथा जब दिनांक 18-3-74 को एस. डी. एम. सूरतगढ़ गये तब उन्होंने श्री करनीदान को बुला कर इस समाचार के बारे में बातचीत की। एस. डी. एम. के सामने करनीदान ने यह बताया कि उसे इस बारे में ख्यालीराम व रामचन्द्र नाम के 2 व्यक्तियों से खतरा है जिस पर उसकी लिखित रिपोर्ट पर एस. डी. एम. ने धारा 107/117 सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही इनिशियेट कर इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिये तथा वारंट अरेस्ट भी जारी किये। इस पर पुलिस ने उसी रोज इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हनुमानगढ़ एस. डी. एम. के समक्ष सायंकाल पेश कर दिये। एस.डी.एम. ने 23-3-74 की तारीख इसमें नियुक्त की थी। अतः उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को 23-3-74 पेश करने को कहा बताया। इस पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को सूरतगढ़ वापिस लेजा कर छोड़ दिया। चूंकि एस.डी.एम. उसी रोज से अपने करीबी रिश्तेदार की मौत के कारण से अवकाश पर हैं अतः उनसे इस बारे में अभी पूछताछ हो नहीं सकी है।

दिनांक 19-3-74 को श्री करनीदान ने एक रिपोर्ट थाने में की कि उसे कुछ व्यक्तियों ने इस गेहूं की बोरियों को पकड़वाने से नाराज होकर मारपीट की है। इस रिपोर्ट में उसने पांच व्यक्तियों को नामजद किया है व 10-15 व्यक्ति साथ में मारपीट करने वालों को लिखाया। इस पर थाना सूरतगढ़ में मामला दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ कर दी गई। श्री करनीदान का डाक्टरी मुआयना कराया गया जिसमें सिम्पल इन्जुरी आना दर्ज है। एक्सरे कराने पर भी कोई ग्रीवियस चोट आना नहीं पाया गया। करनीदान अभी अस्पताल में दाखिल है।

इसके विपरीत अन्य जानकारी से ऐसा पाया गया कि यह मारपीट की घटना गेहूं की बोरी के मामले से सम्बन्धित नहीं है। श्री करनीदान ने अपने अखबार में, जो इन गेहूं की बोरियों की घटना के बारे में छापा उसी के साथ साथ उन्होंने अपने अखबार में वार्ड नं. 4 में व्यभिचार के अड्डे के बारे में भी समाचार छापे जिसमें उन्होंने लिखा कि वार्ड नम्बर चार में व्यभिचार का अड्डा चलता है। इस समाचार पर वार्ड के नागरिकों ने एक मीटिंग 19-3-74 को की और श्री करनीदान से इस बारे में पूछा। जिस पर उस मोहल्ले के नागरिकों में तथा श्री करनीदान में आपस में गरमागरमी हो गई। श्री करनीदान ने इस बीच यह कह दिया कि वह

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

प्रत्येक जवान क्वांरी लड़की का डाक्टरी मुआयना करा कर यह साबित कर देगा। इस पर वहां उपस्थित मोहल्ले वालों ने करनीदान को मारा। मारने वालों के जो पांच नाम करनीदान ने एफ. आइ. आर. में लिखाये हैं वे सभी वार्ड नम्बर चार के रहने वाले हैं।

जब करनीदान को लोगों ने मारपीट की तब उसके भाई तथा अन्य कुछ लोगों ने उसे बचाया। यह घटना जगदीशराय की चक्की के सामने हुई थी। झगड़े की सूचना मिलते ही एस. एच. ओ. मौके पर पहुंचे जिन्होंने प्रिवेन्टिव सैक्शन्स में कार्यवाही प्रारम्भ की तथा करनीदान की रिपोर्ट पर अभियोग मुकद्मा नम्बर 35 कायम किया गया। वार्ड नम्बर चार के व्यक्तियों ने एक इस्तगासा न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट के वहां दायर किया जहां से पुलिस थाना को वास्ते कार्यवाही भेजा जिस पर करनीदान व उसके साथियों के खिलाफ मुकद्मा नम्बर 36 कायम किया जाकर पेंडिंग तफतीश है।

रामप्रकाश हीरा की घटना के सम्बन्ध में रामप्रकाश से जिलाधिकारियों ने 21-3-74 को पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उसे जीप से कुचलने का कोई प्रयास नहीं किया गया है बल्कि उसे ऐसा लगता है क्योंकि उसे मारने की धमकी दी गई है। इस बारे में श्री रामप्रकाश ने कोई रिपोर्ट थाने में या मजिस्ट्रेट को नहीं की है।

एस. पी. ने प्रारम्भ जांच से एच. सी. हरिसिंह व एच. सी. जंगसिंह को गेहूं की बोरियों के मामले में लापरवाह पाते हुए निलम्बित के आदेश जारी कर दिये हैं तथा गेहूं की बोरियां गायब करने व उस मामले में अभियोग 21-3-74 को पंजीबद्ध कर दिया है। जिलाधीश एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर के विरुद्ध भी जांच प्रारम्भ कर दी है कि उन्होंने उसी समय बोरियों का स्वयं ने सीज मीमो क्यों नहीं बनाया व बोरियों को कब्जे में क्यों नहीं ली।

जहां तक एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर को मारपीट करने या थाने में बन्द रखने की शिकायत है यह गलत लगती है। निरीक्षक ने जो रिपोर्ट नायब तहसीलदार को भेजी उसमें उन्होंने पुलिस द्वारा मारपीट का कोई हवाला नहीं दिया परन्तु लिखा है कि जो परची उसने थाने में दी उसकी रसीद मुंशी ने उन्हें नहीं दी व बुरा सलूक किया।

दोनों पार्टियों के विरुद्ध 20-3-74 को ही पुलिस द्वारा भविष्य में शान्ति बनाये रखने हेतु 107/117 जाब्ता फौजदारी में इस्तगासे कर दिये गये हैं।

एस. पी. साहब व डी. एम. ने अपनी रिपोर्ट मय कागजातों के आज प्रातः जरिये बस रवाना कर दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसके विरुद्ध?

श्री केदारनाथ : दोनों पार्टियों के विरुद्ध।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, एक-दो सवाल मैं पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : दुबारा स्पीच होती नहीं है। प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं थोड़ा निवेदन कर लूं। फिर आप पूछ लें।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गृह मन्त्रीजी का वक्तव्य सुना। मैं इसे अति साहसी कहूंगा। इसके लिये बधाई देना चाहूंगा मन्त्रीजी को कि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर, जिसके लिये यह सारा मामला उठाया गया था, वह गेहूं की बोरियां को पकड़ने के लिये वहां गया और इसलिये गया कि एसेंशियल गुड्स कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये पुलिस के माध्यम से वह यह प्रयास कर रहा था। पुलिस की मदद चाही पर उन्होंने वह मदद नहीं दी। एक सिपाही, जो मुश्किल से उनके साथ आया, वह भी घटनास्थल से गायब हो गया यह ऐतिहासिक तथ्य आपके इस स्टेटमेंट से हमारे सामने आया। जो आज दिन तक कभी नहीं आया था। एन्फोर्समेंट के सारे प्रयासों के बावजूद सूरतगढ़ जैसे स्थान पर जहां पुलिस की बहुत बड़ी तादाद में फोर्स रहती है, वहां पर एक ब्लेक मार्केटियर चोर-बाजारियों ने कानून को ताक में रखकर सत्ता को चुनौती देकर आपकी नीतियों को चुनौती देकर गेहूं की बोरियों को एन्फोर्समेंट अफसर की नाक के सामने पुलिस के संरक्षण में वहां से उठा कर ले गया और आप आज स्टेटमेंट में उस भ्रष्ट पुलिस को संरक्षण देते हुए कह रहे हैं कि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर ने कार्यवाही करने में ढील की। कागज तैयार नहीं किये जब्ती के।

यह तथ्य इतना भयंकर और गम्भीर है जिसकी आशा कम से कम मैं तो नहीं कर सकता था इस सरकार से कि उस एन्फोर्समेंट अफसर को उसकी हिम्मत की दाद देने के स्थान पर उसको प्रोमोशन और इन्क्रीमेंट देने के स्थान पर उसके विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया कि उसने जब्ती के कागजात क्यों नहीं बनाये। ऐसा मुझे मालूम होता कि यह सरकार भी उन भ्रष्ट पुलिस को जो उस चोर बाजारियें से मिली हुई लगती है, जिसने एन्फोर्समेंट अफसर के बार बार कहने पर भी पुलिस फोर्स उसके साथ नहीं भेजी, भेजा भी एक सिपाही तो वह भी वहां से भाग गया और इस वजह के कारण वह काला बाजारिया वहां से बोरियों को गायब करने में सफल हो गया। ऐसा अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस मामले को यहां नहीं लाता चुपचाप सब्र करके बैठ जाता। जहां पुलिस को पकड़ना था वहां आप उसी एन्फोर्समेंट अफसर को पकड़ रहे हैं और उसे ही कह रहे हैं कि तुमने जब्ती के कागज क्यों नहीं तैयार किये? मैं कहता हूं माथुर साहब भी अगर वहां उस माहौल में होते तो जब्तीनामा बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसको अपना सिर नहीं फुड़ाना था जब पुलिस वाले कई बार कहने पर भी नहीं आये और जो आया वह भी भाग गया तो स्थिति तो स्पष्ट थी कि उस कालेबाजारियें को पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त था। उस हालत में उस एन्फोर्समेंट अफसर की खैर नहीं थी अगर वह कुछ भी फोर्स काम में लेता। फिर फोर्स काम में लेना उसका काम भी नहीं था। अगर यही स्थिति रही तो आगे आपने जितने होडिंग और नफाखोरों के खिलाफ कानून बनाये हैं उसकी भी यही दुर्गति होने वाली है। कोई भी एन्फोर्समेंट अधिकारी इनमें हाथ नहीं डालेगा और उस स्थिति में कोई सदस्य आपके इन कानूनों को नियमों को आपके सामने लाकर फाड़कर फेंक देगा तो आप यह मत समझियेगा कि सदन की मर्यादा भंग हो गई। आखिर मर्यादा किसकी रहेगी अगर इस तरह से पुलिस इन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अपराधियों को भी संरक्षण देने लग गई और आप भी उस पुलिस को बचा कर उस अधिकारी के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की सोचने लगे तो। आपने एन्फोर्समेंट अफसर के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुकद्दमा दर्ज कर लिया। यह अगर गलती से आपको इम्प्रेशन बन गया हो तो क्लीयर कर लीजिये। मैंने तो यह कहा कि कानून के तहत उसे सीजनामा बनाना चाहिये था। वह वक्त पर उसने क्यों नहीं बनाया ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके लिये मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, कि अगर उस जगह माथुर साहब भी होते तो सीजनामा बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती। वह बेचारा थाने में जाता है, कहता है मेरे साथ फोर्स भेजो। जो आदमी आवे वह भी होर्डर को गिरफ्त में आता देखकर नौ दो ग्यारह हो जावे। आखिर इसे एन्फोर्स करने का माध्यम तो पुलिस ही है न। एन्फोर्समेंट अफसर फिजिकल फोर्स कैसे यूज कर सकता है। यह सब बातें मेरे दिमाग में आना मुश्किल है आपकी। आप पुलिस को संरक्षण देने की बात करते हैं और उसकी आड़ में उस कालाबाजारिये को बचाना चाहते हैं। इसके दो पहलू हैं अध्यक्ष महोदय, इन दो पहलुओं पर अलग से विचार करना चाहूंगा। इसमें समय अगर कुछ लग जावे तो मुझे आशा है आप मुझे इसकी अनुमति देंगे।

श्री अध्यक्ष : अत्यन्त संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वे गेहूं की बोरियां तो एन्फोर्समेंट अफसर के वहां जाने के बाद गायब हो गई। पुलिस मदद पर उसके आई नहीं। पुलिस को सूचना किसी पोलिटिकल पार्टी ने या राह चलते आदमी ने नहीं दी। स्वयं एन्फोर्समेंट अधिकारी ने दी। तो उस बेचारे को सजा किस बात की अब आप दे रहे हैं ? सिर पर बोरियां लेकर तो वह ले जाने से रहा। पुलिस वालों ने उत्साह नहीं बताया और एन्फोर्समेंट अफसर को कानून एनफोर्स करने में मदद नहीं दी। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि इधर विधान सभा का सेशन चल रहा है, वह एन्फोर्समेंट अधिकारी पुलिस थाने में गया मदद लेने। यहां सदन में घोषणा हो रही है कि हम काला बाजारिये होर्डरों को सख्ती से पकड़ेंगे, सजा देंगे। पुलिस अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद उनके वहां रहते वे बोरियां वहां से गायब हो जावें, उनको यह भी भय नहीं कि सेशन चल रहा है, वहां सवाल पूछा जा सकता है। इससे बढ़कर शर्मनाक बात इस सरकार के लिये और नहीं हो सकती कि पुलिस का रोल बड़ा गन्दा रहा। वह इन चोर बाजारियों को शह दे रही है। उनको संरक्षण दे रही है। इससे बिलकुल स्पष्ट है और इसके बाद सरकार भी उस एन्फोर्समेंट अफसर को ही पकड़ रही है। उसे ही कह रही है कि जब्तीनामा क्यों नहीं बनाया तो सरकार का यह रवैया भी देखकर लगता है सरकार अपनी पुलिस के मार्फत इन कालाबाजारियों को ही वास्तव में संरक्षण देना चाहती है। मुझे अगर यह मालूम होता तो मैं यह प्रश्न यहां उठाता ही नहीं। सरे बाजार यह सब हो रहा था और गंगानगर में पुलिस के सारे उच्चाधिकारी बैठे सो रहे थे। एम०पी० कलेक्टर,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सी० आइ० जी० सब कुछ नहीं कर पाये। सरे बाजार चोर बाजारी हो रही थी। कृपया आप इन बातों का स्पष्टीकरण करें कि क्या कारण था कि पुलिस का कोई दूसरा व्यक्ति या अधिकारी वहां शाम तक नहीं पहुंचा और गेहूं की बोरियों को इस तरह से गायब हो जाने दीं। तो मैं समझता हूं यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और एवीडेन्स में आपके पुलिस के हैड कान्स्टेबिल, कान्स्टेबिल थे। उनके खिलाफ इन्डियन पिनल कोड को करवाने के लिये मुकदमा किया गया है। मैं जानना चाहूंगा हैड कान्स्टेबिल और कान्स्टेबिल को सस्पेन्सन कर देना केवल सामने लाकर एक छोटे एम्प्लाइ के मामले को रफा दफा करने का प्रयास करना है। अध्यक्ष महोदय, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद और फिरंगियों के जमाने गुजर गये। हाइएस्ट आफिसर को लाकर खड़ा करना चाहिये था। सूरतगढ़ कोई ढाणी नहीं है बहुत बड़ा कस्बा है, नगर है, इलाका है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है 14 तारीख को जिलाधीश को पता लगा जब सारा मामला हो गया।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं ये बोरियां गायब हो हो गईं, हाउस की मंशा हो तो इसको टैस्ट केस बना कर सी० बी० आइ० के थ्रू एन्क्वायरी करवानी चाहिये और अगर सी० बी० आइ० से जांच करवायेंगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ फसे हुये मिलेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कोई मन्त्री हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई कलेक्टर हो सकता है लेकिन यह स्पष्ट है सूरतगढ़ का बहुत बड़ा स्केन्डल है और साजिश के बिना नहीं हो सकता है वरना क्या कारण कि कलेक्टर यह कहें अखबार में पढ़ने के बाद 12 तारीख को पता लगा। विधान सभा में हंगामा हो रहा है। आप के यहां से एस० ओ० एस० जा रहे हैं कि कुछ केसेज पकड़ लिये जायं ताकि बता सकें जनता को, क्योंकि आपकी इस प्रकार की बहुत घोषणायें हो चुकी हैं। नाम के लिये किसी एक आदमी को हथकड़ी डाल कर घुमा दिया जाय, यह योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। क्या आपके अधिकारी ऐसी कुंभकरणी नींद ले कर सो गये? सी० बी० आइ से, इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट से इसकी एन्क्वायरी कराई जाय। तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाये जायं तो अध्यक्ष महोदय, आपको पता लग जायगा कि यह गेहूं के गायब होने की कहानी बनाई गई है। प्राइमा फेसी आन दी फेस आफ इट लगता है यह एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर ने अपनी कम्प्लेंट में लिखा कि हाइएस्ट आफिसरों ने यह सारा का सारा मामला थाने में इस प्रकार का स्वरूप किया गया जिसमें मुझे बताया था हाउस में वरना आपका...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : समाप्त करूं तो बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : कुछ तो नियमों का ध्यान रखें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, नियमों का ध्यान रखा होता तो यह गेहूं की बोरियां गायब नहीं होतीं। सूरतगढ़ में उस समय रात नहीं थी दिन का समय था सूरज भगवान ऊपर आ चुके थे और यहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हा हाकार मच रहा था उस समय में बोरियां गायब नहीं होती। एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर की इन्वेस्टीगेशन नहीं करते, मुझे आश्चर्य हो रहा है इस घोषणा करने का दुस्साहस मन्त्री महोदय ने किया और कहा कि जांच की और बताया कि तुमने सीज क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ दूसरा पहलू और लगा हुआ है कि जिलाधीश का यह कहना कि 12 तारीख को समाचार मिला। यह It is a very serious scandal. मेरे ख्याल से दखल नहीं देंगे लेकिन यदि आपके पास गर्दन नापने का यंत्र होता तो जिलाधीश प्रमुख होते हैं। सारी घटना की जिम्मेदारी उन पर आती और वे यह कहें मुझे मालूम नहीं है, लीपापोती है, बिलकुल लीपापोती है, जिलाधीश मिला हुआ है। इसके बारे में मैं निवेदन नहीं करना चाहता और सन्देश का बहुत अच्छा प्राइमा फेसी ग्राऊन्ड्स है। पुलिस जान-बूझ कर इस मामले में चुप रही – Police is responsible for this. पुलिस इस के लिये जिम्मेदार है और दोनों हालत में अंजाम एक ही होता है कि उनके खिलाफ हारडेस्ट कार्यवाही करनी चाहिये। यदि जनता में आपका मूल्य रखना है तो एन-फोर्समेंट इन्स्पेक्टर का यह पहला काण्ड हुआ 3-3-74 को और 5-3-74 को करनीदान ने समाचार पत्र में समाचार छाप दिया। अब मन्त्री महोदय कहते हैं 5-3-74 को छपा था समाचार जबकि आज के युग में 5-3-74 का छपा हुआ समाचार एक आदमी इस धरातल से लेकर चन्द्रलोक में रख कर वापिस आ सकता है। उस समय सूरतगढ़ के महामहिम जिलाधीश महोदय के कार्यालय में पहुंचने के लिये सात दिन लग गये। समाचार पत्र को पढ़ने से पहले अध्यक्ष महोदय, कम से कम मन्त्री जी को अपने हृदय पर हाथ रख कर विचार करना चाहिये था। यहां कोई होली के महामूर्ख सम्मेलन में वक्तव्य नहीं रहे हैं या विधायकों के सामने ऐसी बात हो। हो सकता है माननीय मन्त्री महोदय को वहां के अधिकारियों ने गुमराह किया हो। मैं यह तो नहीं कहता उनको कि कोलम्बो या वास्कोडिगामा की तरह चल कर आये। 5 तारीख को निकला हुआ समाचार उसी जिले के समाचार और उसी जिले के जिला-धीश महोदय को 12 तारीख को आये। अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल कनकोक्टेड स्टोरी है। वे कहते हैं 16-3-74 को डी० एस० ओ० को भेजा था। मैं निवे-दन करूं डी० एस० ओ० 16-3-74 को क्यों गया ? मान लीजिए 12-3-74 को ध्यान में आया तो चार दिन तो उसको देखना पड़ा, चार दिन तक लोगों को कन्सल्ट किया गया, चार दिन तक कानून के पोथे इधर उधर करते रहे, चार दिन तक लोगों से बातचीत करते रहे और अध्यक्ष महोदय, डी० एस० ओ० जाकर क्या कहता है एनफोर्समेंट इन्स्पेक्टर नहीं था इसलिये जांच नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है और मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा यह ऐसी घटना है नहीं जिसको लीपापोती करके कह दिया यह आइटम ओवर हो गया, इस पर विचार करना पड़ेगा। आज करें विचार या कल करें विचार अवश्य करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पड़ेगा। यह आपके और माननीय सदस्यों के सोचने की बात है और अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दुखन्त घटना है कानून को जला कर न्याय प्रशासन को आग लगा दी गई है। 18-3-74 को एस० डी० एम० के सामने करनीदान ने यह कहा ख्यालीराम और रामचन्द्र नाम के व्यक्ति मेरी जान लेने को उतारू हैं। सी० आर० पी० सी० की धारा 117 और 151 क्या राजनैतिक कार्यकर्ताओं के दमन चक्र के लिये ही बनाई गई है। यह बताया कि ख्यालीराम और रामचन्द्र को ले जाया गया हनुमानगढ़ एस० डी० एम० के पास और अध्यक्ष महोदय 117 में जमानत ले उसको बाऊन्ड डाऊन नहीं किया गया। 18 को यह कर दिया गया होता तो यह घटना नहीं होती। एक समाचार पत्र वाले ने इस समाचार को छाप कर समाचार पत्र के माध्यम से उजागर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा इस कानून के नीचे इनको सूरतगढ़ ले जाकर छोड़ दिया गया। क्या अर्थ है, इनको छोड़ने का? पुलिस ने 107 की कार्यवाही की और फिर मजिस्ट्रेट के पास कार्यवाही चल रही है। जान का खतरा है, डेन्जर है, imminent danger to the life of Karni Dan was there, even then no action was taken. This is murder and massacre of press for all time to come.

मैं यह जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि या तो मन्त्री महोदय इसको समझे नहीं हैं या उन्होंने पूरी तरह से बात को बताने में गफलत बरती है। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ ले जाकर इन लोगों को छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ दिया गया ? किस कारण से छोड़ दिया गया ? जब वह कह रहा है करणीदान कि मेरी जान के और खून के प्यासे बने हुए हैं, यह लोग मुझे मारेंगे और पुलिस कहती हैं कि सूरतगढ़ ले जाकर छोड़ दिया गया। जाओ, हथियार ले जाओ, मार पीट करो कहीं दुबारा अखबार वाले अपने अखबार में लिख नहीं सके।..........

श्री अध्यक्ष : 20 मिनिट आप बोल चुके हैं। कहीं तो न्याय करना पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं संक्षेप में दो मिनट में समाप्त कर देता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि समय के अभाव में मेरे दूसरे मित्रों को बोलने में कष्ट हो। क्योंकि यह मामला ऐसा है जिसके ऊपर मैं तो यह जानना चाहता हूं कि सूरतगढ़ ले जाकर उसको कैसे छोड़ दिया गया ? और क्यों नहीं उसको 151 और 117 के अन्दर जब जान का खतरा इमीनेन्ट था तो जेल के सींखचों में ख्यालीराम और रामचन्द्र को बन्द किया ? एस० डी० एम० ने कहा 23-3-74 को पेश करना। यह क्या है ? अध्यक्ष महोदय, आप तो प्रामीनेन्ट लाइयर रह चुके हैं। 107 और 117 के अन्दर मुलिजम को एस० डी० एम० के पास यदि ले जायें तो एस० डी० एम० क्या कहेगा ? क्या वह कहेगा कि मैं सुनता नहीं वापिस 23 तारीख को आना ? 117 के अन्दर बाउन्ड डाउन करेगा, इमीनेन्ट डेंजर है या 151 के अन्दर जेल के अन्दर डालकर पहुंचा देगा। यह जेल में क्यों नहीं बन्द किया ? अध्यक्ष महोदय, यह स्केण्डल हाईएस्ट आर्डर का है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कैसे रिलीज कर दिये गए ? किस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कानून में रिलीज कर दिये गए और 117 के अन्दर मुचलके जमानत लिये गए या नहीं और 151 के अन्दर क्यों नहीं जेल में डाला गया जब कि करणीदान कह रहा था कि यह मेरी जान लेंगे।

तीसरी बात यह कह कर समाप्त करता हूं। एक बात और दुखद है और वह सबसे दुखद लगती है। मंत्री महोदय ने जैसे ही जानने का प्रयास किया कि यह घटना कैसे घटी तो डिफेन्स वर्शन बहुत जोर शोरों से लिया गया कि उसने अपने अखबार में वार्ड नं० 4 के बारे में खबर छाप दी है कि वह व्यभिचार का अड्डा है। इसके कारण सारी घटना घटी। इसका गेहूं से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं चाहूंगा कि वह सदन में बतायें कि यह जो वार्ड नं० 4 के लोगों ने कम्पलेन्ट रजिस्टर करवाई हैं अध्यक्ष महोदय, और जिसके ऊपर मालूम था कि यह मुलजिम जिनके लिए 107 और 117 की कार्यवाही की जा रही थी वह वार्ड नं० 4 के थे पहले से ही तो उन्होंने कब यह मुकदमा दायर कराया ? वह तारीख आपके पास प्रमाणित हो तो बतायें। अगर नहीं है तो बताने का कष्ट नहीं करें और हमारा आरोप सही मान लें कि यह एन्टीथाट है, यह आफटर थाट है और यह आफटर थाट डिफेन्स है क्योंकि वह जानते हैं कि हाउस के अन्दर इस सम्बन्ध में हंगामा हो रहा है इसलिए कोई न कोई कहानी बनाकर ले जाना होगा झूठी या सच्ची।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसके मामले में, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। दो बातें केवल निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : इरादा क्या है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मुझे बताया गया है कि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर आज जयपुर के अन्दर अपनी फरियाद लेकर आया है, अपने आफिसर्स के पास और वह कह रहा है कि करणीदान जी के साथ जो कुछ हुआ उससे सौ गुना मेरे साथ होगा यदि मैं सूरतगढ़ चला गया तो। उसकी जान की सुरक्षा कीजिये और जान की सुरक्षा उसकी नहीं कर सकते तो एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को स्क्रेप कर दीजिये एसेन्शल कमोडिटीज एक्ट को, जो यहां लागू किया गया, उसको स्क्रेप कर दीजिये और होरडरर्स, ब्लेक मार्केटियर्स और गुण्डे लोग जो कि कानून की मखौल करते हैं उनको खुली छूट दे दीजिये। अन्यथा वह हाउस के आसपास में यहीं पर ही फिर रहे होंगे। मैं कहूंगा कि तकाजा न्याय का यह है, सदन की मर्यादा का तकाजा यह है कि यह मामला आपके सामने आ चुका है और एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर यहीं है और आप उसको हाउस में उपस्थित होने की इजाजत दीजिये ताकि वह अपनी फरियाद रखे। और आपको और मेरे को बताये कि किस प्रकार से उसके साथ में एन्सफोर्समेंट के कानून को, एन्टी-होर्डिंग कानून को जिन्दा करने के लिए, जो प्रयास उसने किया उसका क्या ईनाम हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में दिया। उसने कहा कि मेरे [redacted] में दुर्व्यवहार किया और ऐसा किया [redacted] का मैं वर्णन नहीं कर सकता [redacted] एस० पी०, डी० एस० पी० [redacted] एम० के खिलाफ किसी [redacted] वाही नहीं की गई। [redacted] टेबिल को लेकर [redacted]

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हाउस की प्रापर्टी है और हमारी रीति और नीति के एनफोर्समेंट का ही नहीं एक एसिड टेस्ट है। It is an acid test of the Government whether they want to enforce it or not. तो मेरा निवेदन है कि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है भगवान के लिए उसको विथ्ड्रा करने की घोषणा कीजिये। उसके खिलाफ जांच करने की घोषणा की है, it is adding insult to injury.

यह जले हुए पर नमक छिड़कने का काम आप तो शक्तावत साहब कम से कम मत कीजिए और यहां पर बुलाकर अपने सामने इत्मिनान कर लीजिए और यदि आपको लगे कि यह बहुत बड़ा षड़यंत्र है तो ठीक है। एक बात और कह दूं कि किसको भेजा जांच करने के लिए? टेकचन्द को। यह कौन है?....

श्री अध्यक्ष: बोला तो बहुत जा हुआ। मंत्री महोदय उसको प्रोटेक्शन देंगे? यह फूड मिनिस्टर का भी सवाल है और चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस्टिज और इज्जत का भी सवाल है। तो मेरा निवेदन है कि सारे मामले को सी० बी० आई० को सौंप दिया जाये और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बड़े बड़े हैड हैं उनको हटा दिया जाये और उचित कार्यवाही की जाये अन्यथा अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन देश के अन्दर होने वाली घटनायें जो आज दीवारों के ऊपर लिखी हुई हैं वह भी हमारी मार्गदर्शन नहीं कर सकतीं तो जो मृत्युघंट गुजरात, और पटना में बज रहा है और उत्तर प्रदेश में तैयारी है, जिन घटनाओं की हम भर्त्सना करते हैं वह बजेगा और मैं चाहूंगा कि इतिहास नहीं दोहराया जाये। लोग मरते क्या नहीं करते ......

श्री दीपंकर: इसके लिए आपका दल ही जिम्मेदार है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: इसको दल की बात कहने की कोशिश मत करो। आपको जो गालियां देनी हैं वह दे दो मैं उनका जबाब दे दूंगा।

श्री दीपंकर: मृत्युघंट आपके लिए कहीं न बज जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा: सी०बी०आई० से जांच करवाई जाये और एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर के खिलाफ जो जांच के आदेश दिये हैं उन्हें अविलम्ब विथ्ड्रा किये जायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं भी इसमें दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसमें तो श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा और गुमानमल लोढ़ा के ही हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो दो ही प्रश्न पूछ कर समाप्त करता हूं। आपने जैसा कहा ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्लेरिफिकेशन के तौर पर जानकारी चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : दो ही आदमी बोलने के एण्टाईटल हैं गुमानमल लोढ़ा और योगेन्द्र-नाथ हाण्डा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सिर्फ यह रखना चाहता हूं कि आपने कहा कि बोरियां उठा कर ले गए, आपने इसको बहुत लाइटली डील कर लिया है। एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर ने जहां रिपोर्ट की, पुलिस वाले तवज्जोह नहीं दे रहे हैं उनकी एब्सेन्स में या प्रजेंस में बोरियां उठा कर ले गये तो यह केस बनता है रोबरी का। आपके यहां कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की तो क्या इन्वेस्टीगेशन हुआ और इन्वेस्टीगेशन में प्रजम्प्शन किनके खिलाफ है। स्पष्ट है कि प्रजम्प्शन उनके खिलाफ है जो ब्लैक मार्केटियर हैं, होर्डर हैं, उनको क्या आपने गिरफ्तार किया और बोरियों को रिक्वर करने का प्रयास किया या नहीं किया, नम्बर एक।

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि एस० एच० ओ० बाहर थे आपने कहा। पुलिस स्टेशन पर एक सब इन्स्पेक्टर है, असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर है, हैड कांस्टेबल है, मुंशी है, कांस्टेबल है। एस० एच० ओ० चले गए थे बाहर तो बाकी तो वहां पर थे। एक एस० एच० ओ० के बाहर चले जाने से सारा ठप्प हो गया आपका पुलिस स्टेशन। कौन बाकी रहे जिन्होंने तवज्जोह नहीं दी।

तीसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर आपके यहां पुलिस स्टेशन आया। आपके यहां आकर रोजनामचा लिखवाता है। यह भी कहा जाता है कि इन्स्पेक्टर को रोका गया रात भर और उसको टोरचर किया गया। क्या आपने रोजनामचे का परीक्षण कराया? क्या आपने मुलाहिजा किया? कागजों को अपने पजेशन में लिया और इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश की?

चौथा, वार्ड नं० 4 का किस्सा बहुत सुन्दर बनाया गया है इस नियत से कि यह पत्रकार हमेशा के लिए गायब हो जाय अपने सम्मान की परिस्थिति से। यह ख्यालीराम और रामचन्द्र को छोड़ दिया गया है, गिरफ्तारी करने के बाद छोड़ दिया गया तो क्या बाउण्ड डाउन किया, क्या बेल लेकर छोड़ा?

इसके साथ एस० डी० एम० 23 तारीख को चले गये किसी शादी में या गमी में। लेकिन यह क्या इन्फरेन्स नहीं निकलता कि ख्याली राम और रामचन्द्र ब्लैक मार्केटियर और होर्डर, जिनको छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद तारीख 23 की पेशी में बाउण्ड डाउन करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया?

पांचवां, वार्ड नम्बर 4 का जो मामला है, ख्यालीराम और रामचन्द्र इतने प्रभावशाली हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केटियर और होर्डर्स हुआ करते हैं, उनको बचाने के लिए यह वार्ड नम्बर 4 की स्टोरी का निर्माण किया गया तो क्या इसके पीछे कोई मिसचिव है? क्या ये लोग ख्यालीराम रामचन्द्र के सहयोगी हैं, उनकी गैंग के हैं? इस सम्बन्ध में वार्ड नं० 4 की कहानी का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आपने एनेलेसिस किया या पुलिस की कहानी को ही सत्य मान लिया।

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है मान्यवर, कि वार्ड नम्बर 4 के बारे में आपने अपने स्टेटमेंट में कई बार मेंशन किया है, तो क्या यह मेंशन पहली बार हुआ या इससे पहले भी वह तीन चार महीने पहले ही इसको मेंशन कर चुका था और इस हिस्ट्री को आपने जोड़ दिया ब्लैक मार्केटियर्स के साथ, होर्डर्स के साथ स्मग्लिंग करने वालों के साथ। आपका स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, मान्यवर, एक चीज लागू होती है कि जो होर्ड करते हैं, जो स्मग्लिंग करते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसको इक्वेट कर दिया उन लोगों के साथ जो वातावरण बनाते हैं डी-होर्डिंग के बारे में। इस स्टेटमेंट से हमारे दिमाग पर असर हुआ है और पब्लिक के दिमाग पर तो और भी बुरा असर पड़ेगा।

दूसरा मेन क्वेश्चन यह है कि 42-43 बोरी कहां गई, इसका इस स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है। आपके डी० एस० ओ०, कलेक्टर, एस० पी०, थानेदार, इन सब ने क्या कार्यवाही की उस आदमी के खिलाफ। कहां ले गये बोरियां, आपने उनको जब्त किया, किसी को गिरफ्तार किया, इसका स्टेटमेंट में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

तीसरा और अन्तिम मैं यह जानना चाहता हूं कि एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर को टारचर किया। हैड कांस्टेबल का फर्ज यह है कि जब भी स्मग्लिंग केस का वह पर्चा देगा फौरन एण्ट्री कर लेता, तफतीश शुरू कर देता, फौरन हैड कान्स्टेबल के साथ जाता और सीज कर लेता। वह कहानी भी आपने छोड़ दी जो सारी एवीडेंस को स्मेश करता है करणीदान की पिटाई को और फिर आपने डेप्यूट किसको कर दिया टेकचन्द को। आप यहां से किसी स्पेशल आफिसर को नियुक्त कराकर जांच कराइये तभी मालूम होगा कि हिस्ट्री क्या है?

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हांडा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं एक दो लीगल···

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हांडा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं दो चार क्वश्चन लीगल पोइन्ट आफ व्यू से पूछना चाहता हूं क्लेरिफिकेसन के तौर पर। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो वायलेस इन्स्पेक्टर के विरुद्ध किया गया, जो उसको टारचर किया गया है, उसका डाक्टरी मुआयना इस वक्त तक कराया गया या नहीं, एक सवाल।

दूसरा सवाल यह कि इतनी बड़ी घटना घटी और वह सात दिन तक कहां रहा? जिलाधीश को पता नहीं हुआ कि उसके यहां क्या हो गया? क्या यह काफी वजह नहीं है उसको निलम्बित करने की? जो जिलाधीश इतना बेखबर हो अपने इलाके के बारे में, यह कोई ज्यादा दूर का भी वाकया नहीं है, तीस चालीस मील से ज्यादा दूरी नहीं है। तो क्या ऐसे बेखबर, ऐसे नाकारा कलेक्टर को ऐसी जिम्मेदार जगह पर रखा जा सकता है? कोई वजह नहीं है उसको निलम्बित ना करने की। जो स्थितियां बताई हैं, जिसका एनेलेसिस किया है लोढ़ा साहब ने उससे यह साबित हो जाता है कि यह तमाम चीजें बाद में बनाई गई हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चौथा सवाल यह है कि जो इन्क्वायरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ की वह कौनसी तारीख है। जब यह सवाल भेज दिया गया तो उस जमाखोर को प्रोटेक्शन देने के लिए यह सब कार्यवाही जिलाधीश ने की और यह फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पांचवां, मेरा सवाल यह है कि जो बोरियां गायब हुई उसकी इस वक्त तक रिकवरी के सिलसिले में क्या क्या कार्यवाही की गई और उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई और अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इसका क्या कारण है ? वह स्मगलिंग कर दी गई, बाहर निकाल दी गई या कलेक्टर साहब के घर पहुंचा दी गई, कहां गई वे बोरियां ?

श्री अध्यक्ष : मिस्टर हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास करणीदानसिंह का पत्र है जो उसने 18-3-74 को लिखा है और जो मुझे आज ही मिला है सदन में, वह मेरे पास मौजूद है। इसमें जो तथ्य हैं वे लिखे गए हैं। वह जितनी भी बातें माननीय मन्त्री महोदय ने रखी हैं उनको झुठलाता है। तीन तारीख को छापा पड़ा। करणीदान, रामप्रकाश, हीरा और मालचन्द उसके गवाह हैं। इन्स्पेक्टर की एफ.आई.आर. को फाड़ दी जाती है, दूसरी एफ०आई०आर० देकर रसीद लेता है, इस दौरान में बोरियां गायब हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, एस० पी० मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद है, नागपाल की चक्की सूरतगढ़ बाजार के बीच में है और सड़क है और उसके चारों तरफ दस हजार की आबादी है, सूरतगढ़ फार्म है और एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, इतना बिजी प्लेस है, आदमियों की बहुत बड़ी संख्या है और 42 बोरियां गायब हो जाती हैं और कलेक्टर साहब को 12 तारीख के अखबारों की कटिंग से इत्तला मिलती है। सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेरेलाइज्ड है यह इस स्थिति से क्लियर हो जाता है। दिन दहाड़े बाजार के बीच में से बोरियां गायब हो जावें। मदनसिंह थानेदार उस रोज बाहर रहा होगा लेकिन दूसरे दिन तो आया होगा। हैड कान्स्टेबल हैं, ए. एस. आई. है, दूसरे हैड कान्स्टेबल हैं, फोर्स है, आखिर उसके बाद क्या कार्यवाही की ? क्या वह खुला डाका नहीं था ? जब हैड कान्स्टेबल बैठा दिया गया, पजेशन में ले रखी हैं बोरियां और उसके बाद भी गायब हो जाती हैं। कोई कार्यवाही की गई ? डी० एस० ओ० मूवमेंट करता है कई दिनों के बाद, मूमेंट करता है एस० पी० कई दिनों के बाद। नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, जहां तक वार्ड नम्बर चार का प्रश्न है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 'भारतजन्य' में वार्ड नम्बर चार की घटनाएं पहली बार प्रकाशित नहीं हुई है। वार्ड नम्बर चार की जो घटना है, एक मार्डन स्कूल, एक मैके-निकल फार्म के जनरल मैनेजर नरेन्द्रसिंह जी की, जो कि तीन हजार रुपये की तनख्वाह लेते हैं, उनकी लड़की के साथ इस वार्ड नं. चार के अन्दर, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसको वहां पर अपमानित करने की कोशिश की गई जिसकी खबर 'भारतजन्य' ने छापी है। परन्तु यह मूल बात नहीं है। वार्ड नम्बर 4 की और भी घटनाएं हैं और वार्ड नम्बर चार के बारे में 'भारतजन्य' ने कुछ लिख दिया इसलिए लोग उत्तेजित

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

होकर ऐसा किया, गलत है। इससे गन्दी स्टोरी, डरटी स्टोरी और झूठी रिपोर्ट एस. पी. गंगानगर को, एडमिनिस्ट्रेशन गंगानगर को इस काण्ड को दबाने के लिए नहीं मिली ? दूसरी बात, इन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर दो दिन बीमार रहा और तीसरे दिन छुट्टी लेकर चला गया। वहां वह क्या करता ? गुण्डों की जीप घूम रही थी। मालचन्द जी गवाह है, जिसका बड़ा भाई ए. एस. पी. एन्टी करप्शन है, जो कि माना हुआ आनेस्ट आदमी है और जो आज जोधपुर में है, मालचन्द उसका छोटा भाई है, उसका एक और छोटा भाई, उसका सारा परिवार, बुड्ढे चाचा जो कि उस ए. एस. पी. के मकान में रहते हैं, उसके मकान के अन्दर गुन्डे घुस जाते हैं। सात दिन तक उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं। आज मालचन्द और उसका छोटा भाई लुक छिप कर, वायरलेस हो जाने के बाद भी जयपुर में आये हुए हैं। यह स्थिति है। तब इन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर वहां रह कर क्या करता ? उसके लिए इसके सिवाय चारा ही क्या था ? रामप्रकाश हीरा ने स्टेटमेंट दे दिया ? उसको भी जीप के नीचे कुचलने की कोशिश की गई। 19 तारीख को करनीदान को मारा, रामप्रकाश हीरा को कुचलने की कोशिश की। रामप्रकाश हीरा गंगानगर चला गया। अभी तक गंगानगर में बैठा हुआ है। मैं चैलेन्ज करके कह सकता हूं एस. पी. साहब ने रामप्रकाश हीरा को फेस नहीं किया है। आज दिन तक वह गंगानगर में है। सूरतगढ़ में रामप्रकाश है ही नहीं। आज रामप्रकाश हीरा के घर के सामने क्या हो रहा है। गुन्डे मौजूद हैं। बन्दूकें लेकर घूम रहे हैं। बच्चों को टेरेराइज कर रहे हैं। इसके भयकर तम केस आज तक इस विधान सभा में नहीं आया है। कितनी निर्लज्जता की बात है। यह कैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। यह फूड डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। आज शेखावत इन्स्पेक्टर वहां पर नहीं है। उसने आकर अपने डाइरेक्टर को रिपोर्ट दे दी कि वह वहां पर नहीं रह सकता, वहां पर नहीं जा सकता। सूरतगढ़ नहीं रह सकता। सूरतगढ़ की स्थितियां इस प्रकार की रही हैं। टेकचन्द हैड इन्स्पेक्टर को भेजा गया। वह 12 साल तक लगातार सूरतगढ़ के अन्दर थानेदार रहा है। बारह साल तक सूरतगढ़ के लोगों के साथ कनाइविंग करता रहा, जिस पर करप्शन के हजारों चार्जेज लगे, एस. एच. ओ. के तौर पर चार्जेज दर्ज हुए, और वह वहां पर 12 साल तक एस. एच. ओ. रहा, सारे लोगों के साथ उसके ताल्लुक हैं, रिलेशन हैं, एस. पी. साहब उसको भेजें इन्वेस्टीगेशन के लिए तो एस. पी. साहब के खुद के बोनाफाइड क्या है ? क्या कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं मिला।...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या और कोई नहीं जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्य मन्त्री ने जिम्मेदारी के साथ बड़ी घोषणा की है। पूरी होगी या नहीं होगी, इस सम्बन्ध में जनता सचेष्ट है पूरी करने के लिए। वह है–डि-होर्डिंग की घोषणा, जखीरेबाजों को हथकड़ियां डालने की घोषणा आज इस जखीरेबाजी के मामले के अन्दर एक पत्रकार, एक राजनैतिक पार्टी के वर्कर और एक सोशल वर्कर को ओपनली बाजार के अन्दर पिटा गया और ओपनली डि-होर्डिंग के बाद, केस सीज होने के बाद, डि-होर्डिंग का माल वहां से गायब हो गया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बजाय इसके कि उस ब्लेक मार्केटियर को, जिन्होंने डकायटी की, ब्लेक मार्केटिंग किया, जिसने फूड-ग्रेन एक्ट का वाइलेशन किया, उसके बाद डेकायटी की, बजाय इसके कि उनके हथकड़ियां लगाई जाती, सूरतगढ़ के बाजार में उनको घुमाया जाता, पकड़ने और पकड़ाने वाले को पीट दिया जाता है और आज वे अपनी जान को लेकर इधर उधर फिर रहे हैं, उनके गवाह करनीदान अस्पताल में पड़ा हुआ है। दूसरा गवाह रामप्रकाश हीरा भाग कर गंगानगर के अन्दर बैठा हुआ है। अपने बच्चों को छोड़ कर वहां पर बैठा हुआ है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। इस हाउस के अन्दर उनको बुलाया जा सकता है, उनके स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं। इनको इस सदन के अन्दर बुला कर पूछिये। मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ ले जाएं और पता लगावें। क्या इसी बल-बूते पर आप डिहोर्डिंग करेंगे। क्या इसी बलबूते के ऊपर आप जनता को अनाज का वितरण करेंगे। जनता के आगे क्या मोरल रह जाएगा आपका। ईमानदारी से काम करने वालों का क्या मखौल रह जाएगा। वे लोग जो आपकी मदद के लिए बाहर आते हैं-उनके लिए क्या मोरल आप पेश कर रहे हैं। एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर का अगर आप प्रेस्टिज क्यूश्चन बना कर नहीं चल रहे हैं। कोई एक्शन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो होर्डिंग को कोई नहीं रोक सकता गंगानगर में। राजस्थान के लोगों को अगर आपको अनाज देना है, तो गंगानगर के अनाज को डि-होर्ड करना पड़ेगा। राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिले और अकेला गंगानगर का स्टाक। इसको आप डि होर्ड कर सकते हैं तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव रखा गया मैंने स्थगन प्रस्ताव में कह दिया था कि करनीदान पर हमला होगा, रामप्रकाश हीरा पर हमला होगा और हमला हुआ और यह शासन पेरालाइज होकर बैठा रहा। 18 तारीख के इस पत्र में करनीदान ने लिखा है कि उसने एस. एच. ओ. को इन्फोरमेशन दे दी इसके बावजूद भी, 5 दिन तक, 23 तारीख तक छुट्टी लेकर एस. एच. ओ. बुलन्दशहर तशरीफ ले गये। 5 दिन तक गुन्डों को छूट दे दी। क्या उनको गुन्डों का कोई पता नहीं था। मेरे स्थगन प्रस्ताव के दस दिन के बाद यह घटना हुई है। क्या दस दिन के दौरान कोई पता नहीं चला। जिस आदमी के साथ घटना हुई उसका कोई इन्तजाम नहीं किया गया। जबकि यहां पर कह दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा सदन का अपमान और क्या हो सकता है। सदन में कह दिया जाए कि इन इन आदमियों पर अटेक होगा और उन आदमियों पर अटेक हो गया। वार्ड नं. 4 की घटना को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इतने दिन एस. पी., कलक्टर क्यों बैठे रहे? लेकिन जिस रोज यह बात कही थी उस रोज वार्ड नम्बर चार की कोई बात नहीं थी। यह क्लीयरली आफ्टरथाट है। मैं कहता हूं, यह हमला और होगा। हम पर भी यह हमला होगा, हमारी पसलियां तोड़ी जायगी क्योंकि यहां पर तो गंगानगर के भूपति बैठे हुए हैं। जिनके पास बड़े-बड़े जखीरे हैं। हमने प्रकाशसिंह बादल के जखीरे को पकड़वाया है तो राजस्थान के इन जखीरेबाजों की बात ही क्या है? राजस्थान की जनता को तोलना है तो डि होर्ड करना पड़ेगा। गंगानगर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं। इसको प्रेस्टिज इश्यु लेना चाहिए वरना

Page No 58

(58)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आपके सारे भाषण थोथे हैं, बेकार हैं, बेईमान है और झूठे हैं।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड्स ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री का उत्तर होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई प्रोवीजन नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गवर्नमेंट को कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या गृह मंत्री यहां पर सुनने के लिए ही बैठे हैं। एक स्टेटमेंट देकर ही समाप्त कर दें इस इश्यु को। यह गम्भीर विषय है इस प्रकार के काण्ड के अन्दर वे क्या कर रहे हैं जांच के लिए, यह बताना चाहिए। किसी बड़े अधिकारी को वहां पर भेजें। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : Let this take Logical conclusion otherwise it will be a drama लोग यह कहेंगे यह ड्रामा हुआ। कम से कम जवाब तो दें और यह बतावें क्या करने वाले हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गंभीर विषय है मुख्यमन्त्री महोदय को बुलाया जाये। एक मिनिस्टर कलक्टर के खिलाफ इन्क्वायरी की बात कैसे कह सकता है। मुख्यमन्त्री को यहां आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुख्य मन्त्री जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं। सदन से।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमें हाईकोर्ट के द्वारा जांच राहत मिलना चाहिए····

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के बाद में जो शंकाएं व्यक्त की गयी हैं और जो क्वेश्चन पूछे गये हैं उनके मुताल्लिक मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर के खिलाफ मुकद्दमा रजिस्टर करने का सवाल है कोई मुकद्दमा रजिस्टर करने के गवर्नमेंट ने आदेश नहीं दिये हैं। कलेक्टर ने चूंकि उन्होंने उस वक्त में सीज मेमो नहीं बनाया था तो उसकी एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की है। उसको एक्ट के तहत सीज मेमो बनाना चाहिए था, और सीज मेमो बनाकर····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहां पर ?···

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : Please hear me एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर ने जब बोरियां पकड़ीं तो पुलिस अधिकारी थाने पर एवेलेबल थे उन्होंने इस केस को लाइटली लिया, उन्होंने केयर नहीं की। उसमें जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर जो लोग थाने पर मौजूद थे उनको सस्पेण्ड कर दिया गया है····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एस० पी० को क्यों नहीं किया जो कि जिम्मेदार है।

श्री गुमानमल लोढा : Every time a constable or Head constable ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को सुनिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बात तो पहले ही कह चुके हैं। उसके बाद में जो शंकाएं उठी हैं उनका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : कोई आदमी जबाब देना चाहता है और आप सुनते नहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गरीब कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल ही पर आप डाका डालते हैं। यह तो हो चुका है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिस रोज की घटना है उस रोज सब-इन्सपेक्टर बाहर गया हुआ था और वहां पर नहीं थे। सूरतगढ़ में किसी डी० वाई० एस० पी० का हैडक्वार्टर नहीं है, एस० पी० या कलेक्टर का हैडक्वार्टर नहीं है जिससे सीनियर आफिसर वहां पर पहुंच जाते....

श्री केसरीमल : सूरतगढ़ में वायरलैस है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मुकदमे की तरह से क्रास एक्जामिनेशन की जरूरत नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप फर्मा रहे थे कि जबाब दें और अब आप सुनते नहीं है। जो बोरियां गायब हुई तो सीज मेमो नहीं बना हुआ था। लेकिन यह महसूस किया गया कि बोरियां गायब हुई हैं तो वह एच०सी० की नेग्लीजेन्स से गायब हुई हैं इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है और बोरियां गायब हुई हैं तो एसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के तहत उसका केस रजिस्टर करके इन्वेस्टीगेशन शुरू कर दिया है। मैंने शुरू में ही कहा है कि पुलिस की डायरी और उसकी तफतीश की रिपोर्ट मैंने मंगवाई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आई०पी०सी० कहां सो रही है। बोरियां उठाने के बाद वहां वेहर वाज दी आई० पी० सी० स्लिपिंग और सी० आर० पी० सी० स्लिपिंग ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने डायरी और सारे कागजात मंगवाये हैं लेकिन वहां पर भूख हड़ताल होने के कारण कागज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। सारी घटना के कागजात और एफ०आई०आर० को देखने के बाद मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। माननीय सदस्य ने कहा कि एस० पी० और कलेक्टर से इन्क्वायरी नहीं होनी चाहिए तो मैं पुलिस के उच्चाधिकारी को यह जांच सौंप दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : That is right.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : That is right.

अनुदान की मांग

अनुदान की मांग संख्या 41 व 43

श्री अध्यक्ष : मांगें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,20,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,88,76,000 तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई। कटौती के प्रस्ताव।

मांग संख्या 41 व 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने हेतु निगमों को आर्थिक सहायता में भेदभाव बर्ते जाने पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

4. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में बड़े उद्योग लगाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

5. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ऊन की बाहुल्यता होते हुये भी वहां राजकीय ऊनी मिल स्थापित करने में राज्य सरकार की उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में खात्रियों की रंगाई छपाई का धंधा प्राय: नष्ट हो रहा है विभाग द्वारा उनके प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर के औद्योगिक विकास के बारे में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

9. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राकफासफेट की बाहुल्यता होते हुये भी उसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिये नये सिरे से सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज पदार्थों के एक्सप्लोरेशन करने में राज्य सरकार की उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राकफोसफट का बाहुल्य होते हुए भी उसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) :

13. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में उद्योग लगाने हेतु सुविधा प्रदान किये जाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में विभाग द्वारा हर माह का कोटा चद्दर लोहा आदि का न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में चलने वाली पत्थर की खानों में पूरी रायल्टी वसूल न होने से राज कोष में होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा) :

16. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिकरण की प्रगति में शिथिलता आने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर डिवीजन को औद्योगिक ऋण, स्टील, कोयला इत्यादि के आवंटन में विभाग द्वारा भेदभाव बरतने के संबंध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 528 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में अपर्याप्त एवं टूटी हुई सड़कों के निर्माण, सुधार एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार की अत्यन्त उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

Page No 62

(62)

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) :

19. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक प्रगति की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खनिज उत्पादन और सर्वेक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

21. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजित औद्योगिक विकास की असफलता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

23. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के लिए विभिन्न कोटा देने में भ्रष्टाचार होने पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चा माईका, चीनी मिट्टी व बहुमूल्य डिपोजिट्स की खुदाई पर चर्चा के लिए।

25. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पट्टा देने तथा डेडरेन्ट की वसूली पर चर्चा के लिये)।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) :

26. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना न होने व उचित सर्वे न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

27. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की औद्योगिक नीति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राज समन्द) :

28. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

29. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण एवं खानों के ठेके देने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री माणक चन्द सोगानी (अजमेर पूर्व):

31. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में उद्योगों की स्थापना में विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्मन सिंह (राजा खेड़ा) :

32. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने व धौलपुर को टायर ट्यूब फैक्ट्री उदयपुर जाने पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत सरकार द्वारा राक फासफेट की खानों को अपने अधीन लेने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

34. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले को उद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में कास्टिक सोढ़ा व उन पर आधारित उद्योग जैसे काम्बिग प्लांट आदि लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले से प्राप्त खनिजों पर आधारित उद्योग लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर खनिज दफ्तर को ए० ई० एन० आफिस से एक्स० ई० एन० के स्तर का आफिस बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना लिग्नाइट खान को पुनः प्रारम्भ करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

39. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कराने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में नमक के प्लाटस देकर नमक उत्पादन शुरू करने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में कास्टिक सोढ़ा प्लान्ट लगाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

42. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में जिप्सम पर आधारित खाद्य का कारखाना लगाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना लिग्नाइट के समन्वेषन एवं उपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा):

44. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना व अन्य उद्योगों के लिये प्रास्पेक्टिंग कराने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दक्षिण राजस्थान में खनिज उद्योगों के निमित्त कुशल कामगरों की उपलब्धि हेतु स्थानीय लोगों के लिये खानों में एप्रिंटसशिप कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

46. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांभर झील में सोढ़ा फैक्ट्री लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शलारीपुरा में खाद्य का कारखाना खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर):

48. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग की प्रगति में सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज पदार्थ का भली प्रकार मालुम न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

50. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य की मंद गति के बारे में चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में एसबेस्ट्स सीमेन्ठ पाइप उद्योग को सरकार द्वारा पूर्ण सहायता न दिये जाने बावत चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में पावरलूम उद्योग के विस्तार में सरकार की मन्द गति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल :

53. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में ऊनी कताई मिल तथा गलीचा उद्योग की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में सिरेमिक उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में सीमेन्ट फैक्ट्री का कार्य शुरू नहीं हुआ राज्य सरकार ने इस उद्योग को लगवाने में ढिलाई बरती इस पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर तहसील के खनिज सम्पदा का पता लगाने में सरकार के कार्य की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

57. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर तहसील में उपलब्ध चूने के पत्थर के उपयोग पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला पाली में मारबल माइन को चालू करवाने में सरकार की ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरवर ग्राम की मारबल माइन जो किशनगढ़ के पास जिला अजमेर में है उसको चालू कराने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिला ब्यावर तहसील में मिल रहे फार्म पर और कार्टज आदि का और पता लगाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चागची तार ग्राम जिला पाली के पास ताम्बे का पता लगाने में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर):

62. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को समय पर कच्चा माल नहीं उपलब्ध कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

63. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में मध्यम उद्योग स्थापित करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशन लाल :

64. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आज उद्योग धंधे स्थापित तो किये जाते हैं किन्तु उनके ऊपर पूर्ण ध्यान नहीं रखे जाने से राज्य का औद्योगिक विकास नहीं हो पाता इस पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में अबरक का सर्वे कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में खनिज सर्वेक्षण पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिमी) :

67. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चे माल के आवंटन में विभाग द्वारा पंजीकरण में व अन्य अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

68. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में बड़े उद्योगों की स्थापना करने एवं बेरोजगारों को उद्योग द्वारा रोजगार देने पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के लाइसेन्स देते समय बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा मुद्दत से चले आ रहे पट्टों को निरस्त करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

71. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर के औद्योगीकरण की दिशा में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)

72. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में मनोहर पत्थर के उद्योग के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर का औद्योगिक सर्वेक्षण शीघ्र कराने हेतु चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में लगी औद्योगिक इकाइयों को वापस क्रियाशील कराने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कम कर दिया जाय (फालना औद्योगिक क्षेत्र में लगी राज पेन फैक्ट्री को चलाने के लिए पर्याप्त मैटीरियल दिलाने की चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सीमेंट उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खनिज सर्वेक्षण करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में ग्रेनाइट रंगीन पत्थर खानों को विकसित कर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा) :

79. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा क्षेत्र की कुम्हार उद्योग योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऋण की व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा क्षेत्र में आइल मील उद्योग स्थापित करने वाले उम्मीदवारों को ऋण दिलाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा क्षेत्र में इमारती पत्थर की बहुतायत होने के उपरांत भी सरकार की ओर से इसके खनन पर व्यापक ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील क्षेत्रान्तर्गत मनोहरथाना क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम में अभ्रक हेतु सर्वे कराने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील क्षेत्रान्तर्गत मनोहरथाना के समीपवर्ती टटोकरी पहाड़ी पर ताम्बे का सर्वे कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :

84. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े उद्योगों के लाइसेन्स देने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या, 43 मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के पट्टे दिये जाने में होने वाली अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :

86. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा, मनोहरपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने तथा कोटपूतली में सीमेंट फक्ट्री स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

87. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराटनगर तहसील में खनिज उद्योग के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

88. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव (1) चक 15 एच० एम० एच०, (2) चक 4 आर० आर० डब्ल्यू०,(3) एक–एस० एन० एम० (आइ० एम० एच० एम०) तहसील हनुमानगढ़ में सन् 1972 में मन्जूर किये गये तीन ईंट भट्टों के लिये कोयले का भारी कोटा लेने के बावजूद भी भट्टे न चलाकर कोटा ब्लैक में बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

89. श्री बनवारी लाल (धौलपुर):

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

90. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लवण क्षेत्रों में प्लाटों के भू-मापन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता के स्थान पर रोजगार उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

92. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 304 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माप व तोल विभाग के निरीक्षकों की उचित देखभाल के अभाव पर जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 720 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऋण सचिव उद्योग विभाग के माध्यम से देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 500 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवीन व्यय के नाम पर आयोजना शीर्षक व्यय की जाने वाली राशि के विस्तृत लेखों को स्पष्ट करने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 520 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवीन व्यय के नाम से आयोजना शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोदेवाला :

96. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े उद्योगों में विनियोजित राशि का उचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में नये बड़े उद्योग लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत विशेष कल्याण योजना औद्योगिक (अधातु) खनिज साधन के उचित विदोहन पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की खनिज सम्पदा का उचित सर्वेक्षण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज सम्पदा के उचित विदोहन के अभाव पर चर्चा के लिये।

101. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 728 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु खान ठेकेदारों को दिये गये ऋण की वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के खनिजों का उचित सर्वेक्षण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

प्रो० श्री केदार नाथ (गंगानगर) :

श्री राम किशन (भरतपुर) :

103. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक आधार बनाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक, 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा आमदनी नहीं बढ़ने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (पाली) :

105. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित न करने से उत्पन्न कठिनाइयों एवं असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) :

106. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में अतिरिक्त पावरलूम लगाने, स्कोअरिंग (धुलाई) प्लाण्ट, ऊन की रंगाई आदि की व्यवस्था में असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना):

107. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 520 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग के उच्च कर्मचारियों की प्रेक्टिकल ज्ञान के अभाव एवं विभाग में गति लाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 528 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना सब-डिवीजन के खनिज क्षेत्र में खान सुधार परियोजना लागू कर उक्त खनिज क्षेत्र के विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) :

109. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (चिड़ावा) :

111. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में उद्योगों की कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में खनिज पदार्थों के पर्याप्त मात्रा में होने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

113. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक दृष्टि से जिला सवाई-माधोपुर को पिछड़ा हुआ घोषित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर जिला सवाई-माधोपुर में बड़े उद्योग लगाने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

115. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में कच्चे माल की पर्याप्तता होने पर भी चित्तौड़गढ़ को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ेपन पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

116. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले व खासकर दौसा सब डिवीजन में बेरोजगारी की समस्या हल करने हेतु इस सब डिवीजन के औद्योगीकरण करने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जाकर औद्योगिक विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

118. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 720 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में नये उद्योगों को कर्जा देने के नियमों में सरलीकरण व शीघ्र कर्जा देने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 720 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में नये उद्योग धन्धों को आर्थिक सहायता देने में देरी के कारणों पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शीघ्र खाद्य का कारखाना स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट व दौसा (जयपुर) में नये उद्योग धन्धे स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्लाट आवंटन करने में रिजर्वेशन रखने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के लालसोट व दौसा कस्बों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर को छोड़कर बाहरी जयपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि में पिछड़ा घोषित करने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में अधिकाधिक उद्योग धंधों का विकास करने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीमला में लोहे की खानों में खनन कार्य चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाकरी की खानों को चालू

Page No 72

(72)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)

श्री रावतराम आर्य (छापर) :

128. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छापरताल जिला चूरू के लाइन एरिया के आवंटन के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (झालावाड़):

129. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगीकरण का तेजी से विकास कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन के औद्योगीकरण पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में उद्योगों को उचित प्रोत्साहन देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में उद्योग खोले जाने हेतु विभाग द्वारा प्रोत्साहन देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा)

133. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये सुविधायें प्रदान नहीं करने पर एवं घोषित सुविधाओं को भी व्यवहार में नहीं लाने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में खनिजों का वांछनीय विकास नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़):

135. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में बड़े उद्योग को बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

136. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में बड़े उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को दिये जाने वाले कर्ज की व्यवस्था व दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खान खनन करने वालों

(श्री लूणाराम)

की सहकारी समितियां बानकर लीज पर देने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत द्वारा चलाए गए घोधड़ा पत्थर की खान रोंही सातसेरा पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

140. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में वूलन मिल बन्द पड़ी है उसमें मशीनरी नष्ट हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) :

141. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगीकरण के विकास पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज सम्पदा का पूर्ण उपभोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

143. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 329 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील में मारबल उद्योग व पावरलूम उद्योगों के विकास में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर व मकराना क्षेत्र में मारबल खानों का विकास तथा नये क्षेत्र में मिले मारबल की खानों के विकास व स्वीकृति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र पटेल (हनुमानगढ़) :

145. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा उपखण्ड में उद्योगों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीना (लालसोट)।

146. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के गंगापुरसिटी स्थित उद्योग धंधे को समय पर कोयला व कच्चा माल, चद्दर तथा सीमेन्ट देने पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट (जयपुर) में विभिन्न खनिजों का सर्वेक्षण करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

148. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में खानों के ठेके

(श्री मूलचन्द सामरिया)

देने के नियमों में सरलीकरण करने पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के खनिज सम्पदा के विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

150. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर की रंगाई व छपाई के हैन्ड प्रोशेस लघु उद्योगों पर टैक्स की चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले को उद्योग क्षेत्र में पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

153. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में उपलब्ध खनिज सम्पदाओं से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना की सम्भावना पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) :

154. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के सलेदीपुरा में निकले पाइराइट्स पर आधारित खाद्य कारखाने की स्थापना में देरी पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

155. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शहर में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी पदमपुर में बड़े और मध्यम उद्योग न लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उद्योग निगम के सहयोग से पदमपुर में ट्रैक्टर यांत्रिक खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल)

158. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों का औद्योगिक विकास पंचायत समितियों के माध्यम से कराने पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त उद्योगों के

(श्री विजय सिंह राठौड़)

राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभ पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा लाखों रुपया डेडरेन्ट के वसूल न करने पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के पट्टे देने में पक्षपात एवं रिश्वत खोरी पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से राज्य को होने वाले लाभ पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

163. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की औद्योगीकरण करने में सरकार ने उपेक्षा की है इस पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राजस्थान में खनिज उत्पादन की बाहुल्यता तथा उनके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

165. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में उद्योग स्थापित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में स्थापित सीमेन्ट फेक्ट्री का कार्य चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी सीमेन्ट फेक्ट्री को काफी लम्बी लीज दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में खनिज सम्पदा का सर्वे किया गया लेकिन उसका उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

169. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास कार्यक्रम में क्षेत्रीय असन्तुलन पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार के पक्षपात के कारण राज्य के खनिज विकास में उ[illegible] रुकावट पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) :

171. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक विकास की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योग के सम्बन्ध में राज्य की नीति के दोषों पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में केवल खनिज विकास ही अर्थ विकास के लिए आवश्यक है इस पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खनिज विकास के लिए किए गए प्रयत्नों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (सांचोर):

175. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना को संगमरमर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना टंगस्टन खनिज का विकास करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

177. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के औद्योगीकरण प्रणाली में खामियों पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

178. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता निश्चित करने हेतु चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग को गति देने एवं सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) :

180. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में अभ्रक, गारनेट, तामड़ा आदि खनिज पदार्थ के सर्वेक्षण में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

181. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झामर कोटरा का समुचितरूप से विदोहनन होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री

182. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिलीका सैण्ड की खानों के ठेके देने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइलेक्स मिनरल की बकाया वसूली समय पर नहीं होने से राजकोष में हानि पर चर्चा के लिये)

श्री करणसिंह (डीग):

183. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों का उचित विकास नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डोन):

184. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन क्षेत्र की पट्टी खान पर जबरन कब्जा करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 41 व 43 पर विचार

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारी लाल भार्गव।

एक माननीय सदस्य: वैरी गुड। सबसे पहला नम्बर इनका तैयार है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में विधान सभा है इसलिए उसका एडवान्टेज लेता हूं। विधान सभा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है और आप मेरे अतिथि हैं।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास की स्थिति निराशाजनक है।

(1.26 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसके कई वजूहात हैं। राजस्थान में सड़क, पानी, बिजली और यातायात की सुविधाएं, एक दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यहां का राजनैतिक ढांचा। जो हमारे सत्तारूढ दल के लोग बैठे हुए हैं उनमें फूट, उनमें संगठन का अभाव, उनमें राजस्थान के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के सामने लड़ने की तत्परता का अभाव। आज उसके कारण ही राजस्थान का विकास भली प्रकार से नहीं हो सका है और जब सरकार ही अपने पक्ष को केन्द्र के सामने मजबूती के साथ नहीं रख सके तो मां भी दूध उस बच्चे को पिलाती है जो कि रोता है। जो बच्चा रोता नहीं है, जो राजस्थान की सरकार प्रान्त के विकास के बारे में केन्द्र के सामने चिन्ता प्रकट नहीं करती है, लड़ती नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार भी उसकी उपेक्षा करती है।

तेलशोधक कारखाना, जो राजस्थान में प्रस्तावित हो रहा था और भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी धौलपुर में होगा, कभी अलवर में होगा, कभी जोधपुर में होगा और राजनैतिक आधार पर दाव-पेंच लड़ाकर प्रान्त की जनता को भूलभुलैया में डाला गया कि यहां की जनता मुझे वोट दे, तो इस प्रकार के विभिन्न नारे लगाकर राजस्थान की जनता को धोखा दिया। केन्द्रीय सरकार ने देखा कि मुख्य मंत्री को स्वयं की चिन्ता नहीं है कि कहां पर तेलशोधक कारखाना लगना चाहिए। जब केन्द्रीय सरकार ने देखा कि राजस्थान मुख्य मंत्री का दिमाग स्थिर नहीं है,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और अव्यवस्था के कारण, उस सारी भूल-भुलैया के कारण उस धोखे के कारण, और राजस्थान सरकार की कमजोरी के कारण, केन्द्रीय सरकार ने तेलशोधक कारखाना मथुरा में लेजा कर लगा दिया, और राजस्थान के विधायक, राजस्थान की जनता और राजस्थान के पहले के मुख्य मंत्री और आज के मुख्य मंत्री देखते रहे और बैठे रहे। जिस समय निर्णय हुआ उस समय से वे वहां बैठे थे। मेरी प्रमाणिकता के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री वहां पर बैठे रहे और उनके सामने निर्णय हुआ और इन्होंने विरोध नहीं किया कि तेलशोधक कारखाना मथुरा में मत लगाओ और यह तेलशोधक कारखाना राजस्थान में लगना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई कारखाने खुले हुए हैं वे निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे उदयपुर का जस्ते का कारखाना, खेतड़ी में तांबा प्रोजेक्ट यह जो कारखाने खुले हुए हैं तो इनकी भी उपलब्धियां भी उतनी नहीं हैं जितनी उपलब्धियां होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में चम्बल के पास में कोटा में पानी की बहुतायत के कारण, बिजली की बहुतायत के कारण, यातायात की सुविधा के कारण, यदि कोई कारखाने खुले हैं निजी क्षेत्र में तो वह खुले हैं कोटा में। दूसरी प्रकार के कारखाने वहीं खुले हैं जहां पर सत्ताधीश लोगों का वोट पक्का हो गया। लड़ाई झगड़ा करके वहां पर कारखाने खोल दिये हैं। इसका मतलब है कि ये कारखाने निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और कुछ इधर-उधर के क्षेत्र में हैं। कोई राजस्थान में संतुलित योजना कि किस आधार पर कारखाने खुलने चाहिएं और कहां पर कारखाने खुलने चाहिएं यह राजस्थान सरकार की कोई संतुलित औद्योगीकरण के लिए नीति, स्थाई नीति नहीं है। यदि यही बात होती तो, माननीय उपाध्यक्षजी, अकाल के नाम पर, बाढ़ के नाम पर, एक अरब रुपया अकाल के नाम पर खर्च हो गया, और वह कहते हैं कि खर्च हुआ तो किस तरह से हुआ कि इधर पक्की सड़क पर कच्ची मिट्टी डालकर उसको ढक दिया और फिर अकाल के नाम पर पैसा मांगेंगे और इस सड़क की मिट्टी उठाकर खड्डे में डाल देंगे। कोई स्थाई काम नहीं और उसके कारण यह डेढ़ अरब रुपया मिट्टी में मिल गया, और लोगों को पूरा वेतन मिला नहीं, और कई कांग्रेसी नेताओं ने बड़े बड़े मंत्रियों ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी जेबें भरीं। यह डेढ़ अरब रुपया यदि ठीक ढंग से खर्च हुआ होता तो जो मरुभूमि है, जो टीले हैं वह लहराती हुई भूमि में परिवर्तित हो जाती। यह लहराती हुई भूमि भारत माता की हो जाती, राजस्थान की भूमि लहराती हुई हो जाती। राजस्थान नहर का विकास होता। राजस्थान नहर का विकास नहीं हुआ, पश्चिमी राजस्थान का विकास नहीं हुआ। वहां पर टीले पड़े हुए हैं और बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जेबें भर रहे हैं। उनकी जेब तो भर गईं पर राजस्थान का विकास नहीं हुआ। भारतमाता का विकास नहीं हुआ है। अब कांग्रेस के लोग सोचते हैं, फिर अकाल पड़े। उनकी जेब फिर खाली हो गई है। ये क्या देशभक्त लोग हैं? ये हिन्दुस्तान की अन्तरात्मा अकाल पड़वाना चाहते हैं। मैं निवेदन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करना चाहता हूं कि अकाल मिटा है। अकाल मिटा है मन्त्रियों के भाषणों से। भाषण के लिए ले आयेंगे राज्यपाल महोदय को। उस वृद्ध महामहिम राज्यपाल को एक बढ़िया सी किताब छापकर दे देंगे, उसमें घोषणाएं करा देंगे। पिछले भाषणों को पढ़ लीजिये। भाषण पढ़ा जायेगा तो हमारे कांग्रेस के बन्धु टेबिल कूट कूट कर विधान सभा का फरनीचर खराब कर देंगे। फिर पी. डब्ल्यू. डी. को कहा जायेगा। रात के 10-10,11-11 और 12-12 बजे तक भाषण होंगे। प्रहरी खड़े रहेंगे। रात को भाषण कौन देगा। इसलिए कि अखबार में हमारा नाम छपे। छपा या नहीं छपा यह देखने के लिए प्रेस में चले जायेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : यह तो अपनी बात बताने लग गये आप।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान के प्राकृतिक साधनों को जगाओ। उद्योग लगाने वालों को सुविधा दो। आप जमीन की सहायता देते हैं, कच्चे माल की सहायता देते हैं। जो सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या उनका उपयोग भी हो रहा है या नहीं? आपने यह नहीं देखा है। राजस्थान में लोग उद्योग लगा रहे हैं या नहीं। आज आपकी स्थिति यह है कि लोग राजस्थान छोड़कर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। वहां पर उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। यहां पर एप्लीकेशन देंगे तो उस पर विचार होगा। हर जगह पैसा खिलाइये। मन्त्री महोदय की चमचागिरी करो। मन्त्री जी को फोन कराओ। तब उनसे कहेंगे क्या तुम चुनाव में चन्दा दोगे? मैं आगामी बार मन्त्री बनूंगा। मेरी फियेट कार आयेगी या नहीं। मेरी लड़की की शादी में तुम कितना पैसा दोगे। इस आधार पर राजस्थान का विकास तो होने वाला नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान के उद्योग मन्त्री बैठें। उद्योगपति बाहर खड़े हों। उनको कहो कि तुमको पानी बिजली की सुविधा दी जायेगी। उनके बारे में एक साथ निर्णय करो। भेदभाव क्यों किया जाता है? कोटा में डी. सी. एम. से 3 पैसा बिजली का लिया जाता है। किसानों से कितना ज्यादा पैसा लिया जाता है। आप का नारा है, "जय जवान-जय किसान", आज आप की नीतियों से किसान भी रो रहा है और सेनानी भी रो रहा है। राजस्थान सरकार के लिए दोनों ही रो रहे हैं। यह भेदभाव के आधार पर नहीं होना चाहिए। एक ही दिन में बैठकर तय करना पड़ेगा। नहीं तो राजस्थान के उद्योग का विकास नहीं होगा।

बिक्री कर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के आसपास बिक्रीकर की प्रणाली आसान है। इसीलिए वह लोग अपने कारखाने तो यहां पर रखेंगे लेकिन अपने हैडक्वार्टर बाहर रखेंगे। कारखाना तो राजस्थान में है, हैडआफिस कलकत्ता में है। फिर वह कारखाना भी यहां क्यों रखेंगे। जहां उनको अपने माल पर लाभ होगा या फिर हैड आफिस यहां पर होंगे। हैड आफिस को क्या चाटो। हैड आफिस बने हुये हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में गिनाने की बात है। टेबिल कूटने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की बात है। लेकिन इससे राजस्थान की आय बढ़ने वाली नहीं है। आज हालत यह है कि आज राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार है। जिस अनुपात में इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा या इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा किये हुये नौजवान बेकार हैं। आपने उनसे काम नहीं लिया है। अगर किसी को टेम्परेरी लगाया है तो उसके दिमाग में यह भय बना हुआ है कि 3 महीने के बाद हमारा क्या होगा? नौकरी का क्या होगा? उनका भविष्य अन्धकार में है किसी ने डिप्लोमा लिया है, किसी ने इन्जीनियरिंग की है। उनके पिता ने जो पैसे लगाये हैं, उनका उपयोग नहीं हुआ है। उसका परिणाम आज यह है कि आज लोग मारे मारे फिर रहे हैं।

मैं खनिज विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय का इस विभाग में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। आपका हस्तक्षेप इतना बढ़ा हुआ है कि एक केस 9 मार्च, 1973 को लहरसिंह मेहता, के. पी. जैन राजस्थान सरकार वरसेज रघुनाथसिंह में पेज 3 पर यह कहा गया है-

"Before parting with this case, we take it to be our duty to observe that the State has not given an account of fair play and justice in the present case. The Director of Mines and Geology had absolute power under Rule 43 of the Minor Mineral Concession Rules and he granted the mining lease to the plaintiff. The sanction was communicate to him and he was also ordered to commence his work of the Mines on 9th October, 1957.

समझ गये होंगे आप अंग्रेजी—

The Deputy Minister for no reason stepped in and the plaintiff was stopped to work the mines. The matter was kept pending for an year and then he was informed in 1969 that the lease granted to him has been cancelled. Under the circumstances the plaintiff could not have done more than what he did. The only thing left to make the lease vaild was for the Director of mines and Geology to sign the document which he did not, obviously on account of the intervention of the Deputy Minister.

स्पष्ट लिखा हुआ है—

All this must have caused a great loss to the plaintiff. On this account State also suffered loss. Though for the reasons stated hereinbefore, we are unable to hold that there was any enforceable contract and that the plaintiff was entitled to damages but we must say that the action of the State Government in this case was

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

very much arbitrary and it goes a long way to shake the confidence of the people in the State Government.

इसलिए मिनिस्टर लोग और डिप्टी मिनिस्टर लोग इस प्रकार के काम करें। यह कौन होंगे ? यह आप देख लें। 9 मार्च, 1973 का फैसला है। वह आप श्रीमानजी ही होंगे जो सामने बैठे हैं। फिर लिखा है—

The Director of Mines and Geology also failed to do his duty inspite of the fact that he had had the power to sign the indenture, submitted by the plaintiff. He did not sign it and shirked his responsibility as an officer. We view this whole affair with great displeasure.

यह इस प्रकार का फैसला हमारे सामने मोजूद है।

श्री झुंझारसिंह : केस क्या है, वह तो बताइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान वर्सेज रघुनाथसिंह, फैसला करने वाले हैं, लहरसिंह मेहता, और जे. पी. जैन। आप कॉपी चाहेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, वह दे दी जायेगी।

श्री झुंझारसिंह : केस तो सुना दिया है लेकिन उसका बैक ग्राउण्ड क्या है।

श्री गुमानमल लोढा : बैक ग्राउण्ड क्या करेगा। हाई कोर्ट का फैसला है।

High Court has passed such structures and the Dy. Minister should resign. He should resign atonce.

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह हाई-कोर्ट का फैसला है। आप चाहें तो कॉपी ले लें। आपने डायरेक्टर को प्रभावित किया है। राज्य सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस प्रकार के राजस्थान के मन्त्री महोदय हैं। मन्त्री महोदय को जनता के खजाने लुटवाने का अधिकार नहीं है। सीधा साधा मतलब यह है कि आप को पैसा मिला नहीं है, इसलिये आपने इस तरह का बदल दिया है। यह तो एक केस है। दूसरा केस और है। मैं नहीं चाहता हूं कहना। वह इस सदन के विधायक हैं। उनके बहुत से कारनामे हैं। उनके फोटो भी छपे हैं। कारनामे भी छपे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हाऊस में मामला उलझ जायेगा। माननीय मन्त्री महोदय, उस समय के माननीय मन्त्री महोदय ने अपने चहेते को किस प्रकार से खानों के पट्टे दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से उद्योग यहां पर पनप नहीं सकते हैं। चन्दे के नाम पर रुपये लेते हैं। सवाई माधोपुर के सीमेन्ट की बोरी 50 किलो होनी चाहिए लेकिन वह 40 किलो होती है। उसकी जांच की गई। सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे नहीं। क्या हुआ? आज तक चालान हुआ ? नहीं। चालान होगा नहीं। और मंत्रीजी, अगर चालान

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

हो गया तो ऐसा होगा कि वह उससे बरी हो जायगा। यह क्या हालत है ? अभी का 1974 का केस है। इसी प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपये चन्दे में लिये। जीपें यहां भेजीं। सीमेंट की आपने किसी कम्पनी से पैसा लिया है, चीनी मिल मालिकों से पैसा लिया है, कपड़े वालों से पैसा लिया है। होगा कैसे विकास ? यह आपके खनिज विभाग के दो उदाहरण मैंने पेश किये हैं।

आपका उद्योग विभाग है। इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसका विकास कैसे होगा ? राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन। इसके चेयरमैन के लिए कौन मिले ? काटजू। काटजू मिले। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं जानना चाहूंगा, क्या वह इस्तीफा मंजूर हो गया है ? क्या आप उनका इस्तीफा मंजूर करने जा रहे हैं ? क्या राजस्थान में इस पद पर नियुक्ति करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं है ? आपको एक वृद्ध आदमी मिला। क्या यह गऊशाला है ? आपने राजस्थान में गऊशालाएं बना रखी हैं। बूढ़े-बूढ़े लोगों को, अपने अपने लोगों को आपने इन गऊशाला में पालने के लिए, इन गऊशाला में चारा चरने के लिए लगा दिया है। राजस्थान में आपने यह गऊशाला बना रखी हैं। आपने ऐसे लोगों को पेन्शन देने के लिए यहां बिठा दिया है। शारीरिक दृष्टि से उनमें बिल्कुल क्षमता नहीं है। मानसिक दृष्टि से भी उनमें क्षमता नहीं है.......

श्री दीपंकर : एक्सपर्ट हैं, योग्यता है, इसलिए राजस्थान के विकास के लिए लगाया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शारीरिक क्षमता इनकी नहीं है, न इनकी मानसिक क्षमता है। आखिरकार इनको रखा क्यों गया था ? एक पांव इनका कब्र में लटका हुआ है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं।

तो क्या उन्हें जो प्रधान मंत्री के रिश्तेदार हैं, प्रधान मंत्री के मौसाजी होते हैं, इसलिए रखा ? यह नई क्वालिफिकेशन है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने इनका इस्तीफा मन्जूर कर लिया है ? आप इनका इस्तीफा मन्जूर करेंगे या नहीं ? आपको इनका दुबारा अपाइन्टमेंट करना पड़ेगा, वह इसलिए करना पड़ेगा कि मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री के बढ़िया सम्बन्ध नहीं है। बढ़िया सम्बन्ध नहीं होने के कारण वह कहेंगे, क्या करूं, दिल्ली से फोन आ गया है, प्रधान मन्त्री के मौसाजी का दुबारा अपाइन्टमेंट करना पड़ेगा तो फिर औद्योगिक विकास क्या होगा ?

गंगानगर शुगर मिल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रबन्ध सलाह के नाम पर दस लाख रुपये राजकीय संस्थाओं के आयुक्त, दिल्ली की संस्था को दे दिये गये हैं। काहे के लिए ? सलाह करने के लिए। सलाह करने के लिए दस लाख रुपये दे दिये गये जबकि गंगानगर शुगर मिल की वार्षिक बिक्री एक करोड़ की हुई। यह आपने किस आधार पर उनको दे दिया ? यह दिल्ली की उस फार्म को दे दिया गया जो समाजवादी मन्च का स्तम्भ बनती है और उसमें भूतपूर्व संसद सदस्य हैं, उनकी उस पर कृपा है, इसलिए सांठ-गांठ करके यह जो फार्म है

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

दिल्ली की, राजकीय संस्थानों के आयुक्त थे, उनका उससे मेल मिलाप है, इसलिए सलाह देने के लिए दिल्ली की इस फर्म को दस लाख रुपये सालाना दे दिये गये। मुझे बतायें, यह कहां का समाजवाद है ? मुख्य सचिव ने नोट लगाया कि यह नहीं देना चाहिए। लेकिन मुख्य सचिव भी प्रभाव में आ गये, दब गये। ऊपर से फोन आ गया, दिल्ली से फोन आ गया और दस लाख रुपये दे दिये गये। बड़ी बड़ी कम्पनी हैं, उनके सलाहकार कायम करने के लिए आधा प्रतिशत या एक प्रतिशत दिया जाता है, जबकि अरबों की कम्पनी है, अरबों का कारोबार करने वाली संस्था हो तब दस लाख रुपये सलाह के लिए दिये जाते हैं। आपका क्या यह समाजवाद है ? इस प्रकार सलाह देने के लिए दस लाख रुपये देते हैं। फिर यह क्या समाजवादी फोरम है, प्रगतिशील फोरम है। इसका एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है।

आपने घोषणा की थी, भरतपुर में मथुरा रोड पर 26 लाख की लागत से निजी क्षेत्र में आक्सीजन का कारखाना लगाया जायेगा जिसमें 2लाख टन मोटर आक्सीजन का उत्पादन होगा और 50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वह कारखाना, क्या जो आपकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1800 करोड़ रुपये की है, उसमें लगेगा। आपने इस योजना में कोटा के पास 410 मेगावाट का ताप बिजली घर की स्थापित करने का प्रावधान रखा है। आप पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या काम करेंगे ? इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को आप सदन के सामने लाते। आपके मन्त्री मण्डल ने यह तय कर लिया है कि कहां कहां पर कौनसा कारखाना आप खोलना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को, 1800 करोड़ की योजना को इस सदन के सामने पेश करना चाहिये।

मछली पालन के विकास पर 1 करोड़ के व्यय की योजना है। वह क्या योजना है ?

पांच वर्ष बाद भी तीस लाख टन खाद की कमी रहेगी। यहां जैसा चन्दनमलजी कह रहे थे कि पर-कैपिटा नहीं निकालते हैं, वही हालत है, गणना के अभाव में गलत अनुमानों का परिणाम है कि देश में खाद की कमी रहेगी ? पंचवर्षीय योजना बनाते समय लगाये गये गलत अनुमानों का भी यह परिणाम है कि देश में खाद की भारी कमी रहेगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 1979 तक देश में 30 लाख टन खाद की कमी रहेगी। राजस्थान में खाद का कारखाना कहां कायम होगा– यह बात तय नहीं हुई है ? राजस्थान में खाद कारखाने के बारे में उच्चस्तर पर विचार करना चाहिए।

उदयपुर के निकट राक फॉस्फेट के भण्डारों के बारे में आपने क्या निर्णय लिया ? उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया जायगा–– यह अभी तक तय नहीं है। मथुरा में तेल शोधक कारखाना लग गया जब कि वह धौलपुर में लगने का था। आपने क्या किया ? स्कूटर व ट्रेक्टर का कारखाना जोधपुर के विकास के लिए लगा रहे थे, उसका क्या हुआ ? ट्रेक्टर कारखाना कहां लगेगा ? मोरीजा प्लांट में लोहा निकलता है, उसके लिए मिनी प्लांट लगाया जाना चाहिए। लोहे की बहुत आवश्यकता है– उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी ने उदयपुर में 31 मार्च 1971 को कहा था, उदयपुर में 8 करोड़ की लागत से टायर व ट्यूब का कारखाना लगेगा ? अब वह कारखाना कहां लगेगा आपकी थोथी घोषणा रह गई है। यह कारखाना खोलने का कार्य बहुत जरूरी है।

7 जनवरी को कहा कि खेतड़ी ताम्र परियोजना में खेतड़ी में 3 माह बाद शुद्ध तांबा बनने लगेगा। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपकी शेखचिल्ली की सी योजनायें है। यह सब टेबल पिटवाने के लिए योजनायें है, वाहवाही लूटने के लिए योजना है, रेडियो और अखबारों में प्रचार हो जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इस प्रकार की योजनायें बनाते हैं।

दो मिनिट और।

निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों को अधिक वित्तीय सुविधाएं देने के लिए आपने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है मैं निवेदन करूंगा कि इन थोथी घोषणाओं के चक्कर में आप न पड़ें। जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, उनके आधार पर लघु उद्योगों के लिए सहायता का कार्यक्रम अपने हाथ में लेना चाहिए, उसके विकास के लिए सोचना चाहिए। जयपुर के अन्दर मूर्तियां बनती हैं, चूड़ी बनती हैं, खिलौने बनते हैं, छपाई होती सांगानेरी कागज बनाया जाता है, हाथी दांत का काम होता है। यह सब जो व्यवसाय हैं, इनके लिए बाजार बनाए जाय, सुन्दर बाजार बनायें, लोगों को सामग्री उपलब्ध करायें, आसानी से। यह काम होने चाहिए। आप लघु उद्योगों को मदद देंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान के लघु उद्योगों को उन्नति करने के लिए मदद देनी चाहिए, और बाजार बनाने का प्रयत्न करना, और उनका प्रचार करना आपका कर्त्तव्य है। आपको प्रत्येक चरण में उनको सहायता देनी चाहिए। उद्योगों के विकास के लिए गुंजाइश रखनी चाहिए। ऐसे उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक बस्तियां बनी हैं, आप देख लीजिये जयपुर में, न सड़कों की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। आपने वहां दादागिरी की सुविधा दे रखी है। लाल झण्डे के लोग हैं, वह वहां जायेंगे और जबर्दस्ती चन्दा वसूल करेंगे, जो चन्दा नहीं देगा, उसको मारेंगे। डरायेंगे, धमकायेंगे इससे औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। लाल झण्डे से अपनी सुरक्षा करने के लिए आप उनको सहायता नहीं देते हैं। मेरा निवेदन है कि औद्योगिक बस्तियों की उन्नति के लिए आपको वित्तीय सहायता देनी चाहिए। जमीन देनी चाहिए, सामान देना चाहिए, आसान किश्तों पर कर्जा देना चाहिए। लोगों को लघु उद्योगों के लिए कर्जा देना चाहिए, राज्य वित्त निगम से उनको सहायता देनी चाहिए। मै निवेदन करूंगा, जयपुर में डेयरी के विकास के लिए आपने साढ़े तेरह करोड़ की योजना बनाई, कहा कि सस्ता दूध देंगे। लेकिन आज सस्ता दूध नहीं है, खराब दूध है, पतला दूध है। पनीर इस प्रकार की है जो खराब है। छाछ के दुगने भाव हो गये हैं; जो भाव पह

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

50 पैसे थे, वह बढ़ाकर 70 पैसे कर दिये हैं। दस पैसे लिटर दूध के भाव बढ़ा दिये हैं। कूपन मिलते नहीं है। ऐसी योजना बनाने से क्या लाभ है ?

आपने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया, तो कहा कि रिक्शा वालों को, ठेला चलाने वालों को, मोची को, धोबी को, आटो रिक्शा चलाने वालों को लाभ हो जायगा। लेकिन इनमें से किसी को लाभ नहीं हुआ है। वह तो केवल आपका चुनाव स्टन्ट था। लोगों को किराये की ट्रक में बिठा-बिठा कर इन्दिराजी के दरबार में ले गये। कहा कि रिक्शा वालों को कर्ज देंगे, ठेला चलाने वालों को कर्ज देंगे, मोची को देंगे, धोबी को देंगे, आटो रिक्शा वालों को देंगे। आज वह सब रो रहे हैं और गाली दे रहे हैं। आपको गाली दे रहे हैं, इन्दिराजी को गाली दे रहे हैं। आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण फेल हो गया। मैनेजर को कहते हैं लोन दो, तो वह कहता है कि पर्सनल जिम्मेदारी कौन देगा? मैं दूंगा नहीं। और जिनको दिया था, उनसे वह वसूल कर रहा है। आपका यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण फेल हो गया है (समय समाप्ति सूचक घन्टी) यह आपकी थोथी घोषणायें हैं। आप अब कहते हैं कि वकीलों को किताबों के लिए सहायता देंगे। आपने रिक्शा वाले को, ठेला वाले को, मोची को, धोबी को, आटो रिक्शा वाले को तो दिया नहीं अब आप वकीलों को देंगे, डाक्टरों को देंगे।

मैं निवेदन करूंगा मैंने ठोस सुझाव पेश किये हैं, खनिज विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, मैं समझता हूं कि इनको आप आलोचना स्वरूप में न लें, और आलोचना स्वरूप में भी लें तो लें, मेरा यह काम था, प्रजातन्त्र में मेरा यह पवित्र कर्त्तव्य था, उसको वहन करते हुए मैंने ठोस सुझाव रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जब उत्तर देंगे तो मेरी बात को सामने रख कर उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगिक विकास का जहां तक सम्बन्ध है, हम राजस्थान को एक दृष्टि से निहारें तो बड़ी निराशा होती है। राजस्थान के लोग एक तरफ हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में जाकर वहां के उद्योग को बढ़ाने में हिस्सा लेते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान से एक तरह से उदासीन हैं। इस उदासीनता को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े बड़े शहरों में जाकर, कलकत्ता बम्बई में जाकर भारत सरकार के या उनके इन्फार्मेशन सेन्टर हैं, उनमें घोषणायें साथ में ले जाकर बांटी हैं, और यह कहा है कि आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, कोटा देंगे, जमीन देंगे, आप आइये और राजस्थान के अन्दर उद्योग बढ़ाइये। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग यहां आये, परन्तु उनको इस बात से निराश होकर लौटना पड़ा कि जो आश्वासन उन्हें वहां दिये गये, उनकी पूर्ति स्वरूप न उन्हें किसी शैड की मुकम्मिल स्वीकृति मिली, न उन्हें सुख-सुविधायें मिलीं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ओर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों में यह भावना पैदा हो गई है कि पढ़ लिख कर वह सरकारी नौकरी

(श्री दीपंकर)

करे और सरकार इतनी नौकरी दे नहीं सकती है तो इन उद्योगों में उनको नियोजित करना चाहिए लेकिन इस प्रकार के उद्योग स्थापित करवाने चाहिए जिनमें कि वे लग सकें। जिलेवार योजना बननी चाहिए कि कहां पर कौन सा रायेटिरियल अवेलबुल है, कहां पर कौनसे उद्योग लग सकते हैं। मैं आपका ध्यान जोधपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जोधपुर वर्कशाप में काम करने वाले और कारखानों में काम करने वाले कारीगरों की क्षमता बहुत अच्छी इंकित की गई थी और निश्चय किया गया था कि एक ट्रैक्टर का कारखाना लगाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पैसा भी खर्च किया, विदेशों की कोलैबोरेशन से, उनके स्थापित करने की चेष्टा भी की गई परन्तु अफसोस है कि वह कार्य रूप में नहीं आ सका और न लोगों को काम दिला सकें। अभी भी अगर किसी भी देश से कोलैबरेशन करके कारखाने को लगा सकें तो बहुत बड़ा काम होगा और कारीगरों की योग्यता का उपयोग होगा और बढ़ते हुए उद्योग के विचार से यह कारखाना अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा।

जहां तक सरकार की तरफ से कुछ जिलों को पिछड़ा घोषित करने का सवाल था, कई जिलों को इस दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया, वहां कोई उद्योग नहीं था तो जरूरी था कि उन जिलों में सर्वे होता और क्या उद्योग लगाए जा सकते हैं इसके लिए अलग से विभाग कायम होता परन्तु वह व्यवस्था न होने से केवल वे घोषित जिले ही रह गए और उनमें कोई काम नहीं हो सका।

नागौर जिले में औद्योगिक प्रोजेक्ट जरूर खुली हुई हैं। यह जब खुली तो लोगों को आशायें थीं कि गांव के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले इसकी व्यवस्था चूरू और नागौर जिलों में गैर सरकारी हाथों में थी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसकी व्यवस्था को देखते थे तो अच्छा काम चलता था और प्राइवेट उद्योग धंधे चलाने वालों को कुछ साधन मुहैया भी कराए गए। अब 4 स्थानों पर इस व्यवस्था की देखरेख सम्पूर्ण जिलाधीशों को दी गई है। जिलाधीश को ला एण्ड आर्डर, लेवी, रेवेन्यू केसेज इत्यादि कामों में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है इसलिए उद्योग जैसी चीज अगर वहां भी किसी अधिकारी या बाबू कागज उनके पास ले आए और उस आधार पर किसी को कुछ दिया जाय तो वह एक अलग बात है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो भारत सरकार का इरादा था, वह पूरा नहीं हो सकेगा। आशा है मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे और लोगों में किसी तरह से आस्था बढ़ सके इसलिए गैर सरकारी लोगों की कमेटी कायम करेंगे तो इसका ज्यादा उपयोग हो सकेगा।

नागौर जिले में लाइम स्टोन का काफी भंडार है। यहां से श्रीराम फर्टीलाइजर के लिए कोटा में भेजा जाता है और भी बहुत सी फैक्ट्रीज में भेजा जाय परन्तु सरकार की तरफ से अगर यह व्यवस्था कर दी जाए कि यहां पर कोई कारखाना लगे या सीमेंट फैक्ट्री लगे तो बहुत से बेकार लोगों को काम मिल सकता है और बहुत बड़ा भंडार, जो दूसरी जगहों के लिए काम में आ रहा है, वह

(श्री दीपंकर)

हमारे काम में आ सके। लाइम स्टोन के बदले में यहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसलिए इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयत्न किये जाने चाहिए। अगर छोटे मोटे रूप में किसी तरह से इसका उपयोग एक खड़ी बनाकर लोगों को देने के लिए यहां के लोग काम में लेते रहे तो यह उसका सही उपयोग नहीं है।

नागौर में लोहारपुरी बस्ती है। वहां ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि उनको किसी पूर्जे का नमूना दिया जाय तो उसी के अनुरूप वह पुर्जा ढालते हैं चाहे डिफेंस का चाहे और किसी का काम। आज वहां पर बंबई की बहुत फर्म्स बैठी हैं और मजदूरों को एडवांस में पैसे देकर वहां जो पुर्जे बनवाती है उन पर "मेड इन जर्मनी, मेड इन यू० एस० ए०" की छाप लगवाते हैं और 5 रुपए से बना हुआ बम्बई में 50 रुपए में बेचते हैं। इस तरह का शोषण वहां के कारीगरों का हो रहा है। इस तरह जो इतने एक्सपर्ट्स हैं उनको मुकम्मिल तौर पर उनके लिए मार्केट की व्यवस्था हो, उनको धंधा दिया जाए और पूरा उनको माल दिया जाए जिससे वे अपना विकास कर सकते हैं और नागौर जिले का नाम ऊंचा कर सकते हैं।

जहां तक लघु उद्योग बस्तियां बनाने का संबंध है, बड़े बड़े शहरों में अगर हमने कुछ बस्तियां कायम कर दी और कुछ लोगों ने उद्योग लगा दिए तो इससे राजस्थान का उद्योग बढ़ा है, यह नहीं माना जाएगा। हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके के उद्योग किस जिले में लगने चाहिए, किस तरह से रा-मेटीरियल किस जिले में अवलेबुल है, उसका उपयोग होना चाहिये।

नागौर जिले में मकराना है वहां पर बहुत प्रसिद्ध मकराना की पत्थर की खान है, वह मकराना कई दिनों तक एक तरह से शोषण का बाइस बना क्योंकि दूसरे देश नहीं आए मकराना के मुकाबले में, उनको कम तवजोह दी गई परन्तु अब वह तो नहीं है लेकिन जो लोग आकर मनमाने ढंग से वहां पर बड़ी बड़ी कम्पनियां या फार्म्स खोली और लोकल आदमी साधनों के अभाव में, कुछ जगहों को घेर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि उनको साधन, पैसा और मशीन मिले, उनका माल मार्केट में जाए, तो इसके लिए बाकायदा इण्डस्ट्रीयल एस्टेट कायम करनी चाहिए। बीमारी की हालत में मजदूरों के लिए चिकित्सा का इन्तजाम होना चाहिए। खान तक पहुंचने के लिए सड़कों का इंतजाम होना चाहिये। यह व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक मकराना जैसे एक स्थान पर जहां दूसरी जगहों से मकराना में पत्थर आते हैं और चोरे जाते हैं इसलिए उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो रहा है।

राजस्थान में ऊन का विकास हो सकता है, राजस्थान की ऊन प्रसिद्ध है और इसके लिए जो ग्रेडिंग सेन्टर्स खुले हैं उनसे काम चलने वाला नहीं। बीकानेर, चूरू और लाडनू में ऊन का काम तरीके से लेने के लिए कुछ मिलें भी हैं। परन्तु उन मिलों का जिस तरह से प्रचार किया गया था कि हर जगह हम भेड़ पालकों से ऊन लेंगे, कांटे निकलवायेंगे, उसको कातेंगे और बुनेंगे और वहीं व्यवस्था होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वह न करके मनमाने ढंग से उनके लिए व्यवस्था

(श्री दीपंकर)

की गई है जिससे इस उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला है। इसलिए केवल एक जगह पर आप धागा बनाने के लिए बाहर से मशीनें ऊन लाकर और धागा बना कर वापस भेजें तो इस तरह से, जो लोकल मशीनों के समान अच्छी ब्रीड है उसको बचाने की कोशिश नहीं कर पाए, लोकल आदमियों को धन्धा नहीं दे पायेंगे तो यह उद्योग किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम पंजाब के मुकाबले में एक उद्योग में होड़ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सकते हैं, हम पैसा पैदा कर सकते हैं और आमदनी हो सकती है तो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हम केवल खादी और ग्रामोद्योग पर जोर दें केवल कम्बल बनायें और उनकी फिनिशिंग के लिए हमारा सामान बाहर जाता है, हमारे साधन नहीं है तो यह कमी हैं। गांवों में जिस भी तरीके के उद्योग रहे हैं। लेकिन एक जमाना था जब यह कहा जाता था कि हमारे हिन्दुस्तान के ग्रामीण उद्योग बहुत ही बढ़े चढ़े हुए थे। उस जमाने में अंग्रेजों की मेनचेस्टर में जो कपड़े की मिलस थी उसके कपड़े को चलाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के कपड़े बनाने वालों के हाथ और उनकी अंगुलियां काट डाली थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी उन लोगों के वंशज के लोग मौजूद हैं और वह कपड़ा बनाने काम करते हैं। वह लोग धावले और ओढ़ने बनाते हैं। वह मोटी रोजी का धन्धा करते हैं। उनमें कई लोगों ने तो इस धन्धे को इसलिए छोड़ दिया था कि उन लोगों को इस काम करने के लिए समाज में छोटा समझते थे लेकिन कुछ लोगों ने अपना अलग धन्धा करके अपने आपको सूत्रकार कहने लग गये हैं। आज भी हर गांव में आपको 10-15 घर सूत्रकारों के मिलेंगे। आज भी वे सूत की बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। और अपनी रोजी कमाते है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिए धागा दिलाने की व्यवस्था की जावे। इसके अलावा आज के टेक्नोलोजी के युग में, जहां कि आपने हरिजन बस्तियों में, बिजली पहुंचाने की बात है अगर आप वहां पर बिजली पहुंचाते हैं तो वह लोग लेटेस्ट टेक्नोलोजी से इलेक्ट्रिकफाइड पावर लूम लगा सकते हैं इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पावर लूम ग्रामीण क्षेत्रों में लगावें। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे भारतवर्ष में करीब 80 परसेन्ट लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अगर आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा पावर लूम लगाते हैं तो आपको कपड़े की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इसकी ओर तवजोह देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कई ऐसी कलायें हैं जो कि बिना प्रोत्साहन मिले हमारे भारतवर्ष में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज हमारे जो भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें किस प्रकार लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि जो लोग दस कक्षा पास हो जाते हैं उन्हें औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे लोग अपना काम धन्धा खोल कर अपना जीवन यापन कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जनसंघ वालों ने कहा था कि आज पढ़े लिखे इन्जीनियर्स बेकार घूम रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि अगर इन्जीनियरिंग पास कर ली तो यही कोई बात नहीं है उन्हें भी प्रेक्टिकल

(श्री दीपंकर)

ट्रेनिंग देना चाहिये। ऐसा करने से काफी उपयोग उनका हो सकेगा। इसके लिए एक बात मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने उद्योग वालों को बैंकों से लोन दिलाने की सुविधा के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया

(घन्टी)

लेकिन आज इन छोटे उद्योग धन्धे वालों को लोन मिलने में काफी दिक्कत होती है। आज जो लोग एक हजार और दो हजार रुपये के लोन के लिये एप्लीकेशन्स देते हैं उन्हें लोन मिलने की जो प्रक्रिया है उससे बहुत ही दिक्कत हो रही है इससे जो गरीब लोगों को बैंकों से फायदा हो, हमारा लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका है। आज यह स्थिति हो रही है कि लोन दिलाने के लिये इसमें एक बीच में एजेन्सी काम कर रही है उसको जब तक आप परसेन्टेज नहीं देंगे तब तक उनको लोन नहीं मिल सकता है। आज यही कारण है कि विरोधी दल वाले इस राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध बोल रहे हैं। वैसे राष्ट्रीयकरण की नीति अच्छी है गरीबों को फायदा होने वाला है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि छोटे उद्योग लगाने वालों को बैंकों से बिना दिक्कत से लोन मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाई जावे। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (छालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में उद्योग की मांग पर बहस चल रही है। पिछले साल भी जब सदन में उद्योग के बारे में बहस चल रही थी तो मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। आज देश की उद्योग स्थिति में राजस्थान का कहां स्थान है। औद्योगिक उन्नति करने में राजस्थान कहां तक सक्षम रहा है। राज्य सरकार कहने को तो उद्योगों को बढ़ाने की बातें करती है लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल असफल रही है और हमारी सरकार भारत सरकार से औद्योगिक सहायता लेने में फेल रही है जिस तरह की गेहूं के राष्ट्रीयकरण की नीति में फेल हुई है। आज हमारी राज्य सरकार को भारत सरकार जिस तरह छोटे बच्चों को बहलाया जाता है उस तरह बहला रही है। हमारी भारत सरकार भी कई प्रकार के ढोंग करती है और हमारी राज्य सरकार बहलाती जैसा कि पहले उन्होंने कहा था कि तेल शोधक कारखाना सवाई माधोपुर में लगेगा बाद में बरकत साहब ने कहा कि अलवर में लगेगा इसके बाद में यह कहा गया कि वह राजस्थान के भरतपुर में लगेगा इसके बाद में वह भरतपुर से उठकर यू० पी० में चला गया और कहा गया कि मथुरा में लगेगा। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति बिलकुल फेल होगयी है और सरकार इस मामले में बिलकुल अकर्मण्य सी है। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह कहा जा रहा है कि तेल शोधक कारखाना तो मथुरा में खुलेगा लेकिन सहायक धन्धे राजस्थान में खुलेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक तो कोई सहायक धन्धा नहीं खुल सका है। और अगर खुला होगा तो आपने अपने कागजों में ही खोला होगा। इसके अलावा आपने सलादीपुर में खाद के

(श्री भीटालाल)

कारखाने को खोलने की बात कही। उसके बारे में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। आपने यह कह दिया है कि हमने इसको केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है लेकिन भारत सरकार ने इसे मन्जूर नहीं किया है। इसके अलावा आपने आंकड़ों के बेसिस पर तो कह दिया कि हम अलवर में स्कूटर का कारखाना खोल रहे हैं या जोधपुर में स्कूटर का कारखाना खोल रहे हैं आप कहीं भी खोलें, खोलें तो सही। हम तो उसको जब सही मानेंगे जब आप उसका उत्पादन शुरू कर दें। हां इसके बाद में कोटा में प्राइवेट सेक्टर में कारखाने खोलने की बात है वह मैं मान सकता हूं कि प्राइवेट कारखाना तो शायद खुल जायेगा क्योंकि प्राइवेट उद्योगपति तो अपना उद्योग लगा देंगे। लेकिन मुझे एक बात खेद के साथ कहनी पड़ती है कि जब राजस्थान सरकार यह घोषणायें करती है कि हम उद्योग लगाने वालों को सुविधायें देंगे। पर वह सुविधायें नहीं मिलने के कारण राजस्थान के उद्योगपति दूसरे प्रान्तों में जाकर उद्योग लगाते हैं। आज वेस्ट बंगाल में हमारे राजस्थान के कई उद्योगपति है जो कि अपना उद्योग लगाये हुए है हालांकि बीच में ऐसा भी समय आया था जब वहां पर उनको काफी खतरा हो गया था फिर भी वे लोग, चूंकि उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा सुविधायें नहीं देने से वह राजस्थान के बाहर जाते हैं। जब आपकी नीति है उद्योगों को बढ़ावा देने की फिर क्या कारण है कि हमारे यहां पर उद्योग नहीं लग रहे हैं ? क्या कमी हम में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के उद्योगपति बंगाल, बिहार, बोम्बे में जाकर अपना उद्योग लगाते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके मारफत निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें। आज आपने यहां पर कई जिलों में इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम किये हैं उनमें लोगों ने उद्योग धन्धे लगाने के लिये जमीन के लिये एप्लिकेशन्स दी थी लेकिन यहां पर यह स्थिति है कि जब तक वह इन्डस्ट्री वहां पर शुरू होती है पहले ही प्लाट कट जाते हैं और बाद में उन प्लाटों को या दूसरे व्यक्तियों को दे दिये जाते हैं या उन पर जो इन्डस्ट्री लगाने के लिये लोगों ने अर्जियां दी थीं वह नहीं लगती हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कहूंगा वे चाहे तो इसके लिये जांच कर सकते हैं कि पहले जो प्लाट अलॉट हुए थे उनमें से 90 प्रतिशत प्लाट लोगों के केन्सल करके दूसरे लोगों ने ले लिये हैं या अलाट कर दिये गये हैं दूसरी बात यह है कि कच्चे माल के बारे में आज कई लोगों ने फर्जी इन्डस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वह लोग कच्चा माल लेकर उसका ब्लैक करते हैं। और नाम-मात्र के लिये वहां पर एक मशीन लगा रखी है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज उस औद्योगिक क्षेत्र में बनाली हैं और नीचे दुकानें बनाली हैं वहां बाजार बन गये हैं। इसमें तो बहुत ही धान्धली हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज कई उद्योग तो है ही नहीं। नाम-मात्र ही रजिस्ट्रेशन हो गये हैं। बाकी वहां कोई फेक्ट्री नहीं है। अभी जैसा कि सदन में भार्गव साहब ने कहा कि उद्योगपति जो उद्योग लगाना चाहते हैं या जिन्होंने उद्योग लगा लिये हैं उन्हें कोई सुविधायें नहीं मिल रही हैं। जैसे कि यहां की आटे की मिल लगी हुई है लेकिन राज्य सरकार उनको गेहूं नहीं दे रही है जबकि आज गेहूं का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब आज यह मिल

(श्री मीठालाल)

वाले इसलिये दुखी हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार तो उन्हें गेहूं देती नहीं हैं और बाजार से वह गेहूं खरीद सकते नहीं तो क्या करें? उद्योग धन्धे सरकार से गेहूं न मिलने से तो बन्द हैं और खुले बाजार में भी सरकार गेहूं नहीं खरीदने देती इसलिये भी बन्द हैं। कुछ कारखाने ऐसे हैं कि उनके पास कच्चा माल रखने की पाबन्दी लगा दी हैं। जितना कच्चा माल दैनिक आवश्यकता के लिये उन उद्योगों को चाहिये उस पर भी पाबन्दी लगा दी हैं। फिर कहते हैं कि उत्पादन करवायेंगे। जब कच्चे माल पर पाबन्दी लगा दी तो उत्पादन कहां होगा जो उत्पादन होता था स्थिति यह हो गयी है कि उन कारखानों में उत्पादन गिर गया है। पक्का माल कारखानों से निकल नहीं रहा है सारा राजस्थान तरस रहा है डालडा घी के लिये। कारखाने वालों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है। न आप दे रहे हैं। आपको तलाश करना चाहिये और उनको छूट देनी चाहिये।

असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के विभाग में कोयला, सीमेन्ट आदि देने में भी धांधली होती हैं। सवाई माधोपुर जिले में गंगानगर सिटी में वहां पर बड़े बड़े बोयलर हैं उनको कोयले की क्या स्थिति है यह आपनें देखा ही नहीं होगा। आपने कभी कुछ नहीं किया उनके लिये। डाइरेक्टर साहब को मालूम भी न हो नीचे के बाबुओं ने इतना घपला कर रखा है कि कारखाने वालों को कोयला नहीं मिल रहा है। यदि आपने दिया तो जनवरी माह में देना चाहिये था वह आज एक भी नहीं मिल रहा है। विभाग की भयंकर गलती के कारण यह स्थिति हो रही है। परमिट दे दिया तो मार्च, अप्रैल तक भी नहीं मिलता और कलकत्ता भेजने पर तो वह परमिट ही लेप्स हो जाता हैं। सारे के सारे परमिटों की यह स्थिति हैं। फिर क्या विकास करायेंगे? कोयला जैसी चीज जो कि प्रथम बिन्दू में ही देनी चाहिये वह भी नहीं दे पाते तो क्या बिना कोयला लोग चलायेंगे कारखाना।

चद्दर, सीमेन्ट का भी हाल देखिये। सीमेन्ट का एक कट्टा भी इन कारखानों को नहीं दिया। जिलाधीश के पास कारखाने को लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे काम के लिये आये हैं। कोटा जाता हैं कारखानों और आम जनता के लिये। नये कारखानों वालों को या तो चद्दर देते नही और देते हैं तो इतनी कम तादाद में कि उससे कोई उनको फायदा नहीं होता। सरकारी कमेटी बनी हुई है। उसने जितनी रिपोर्ट की उसका दसवांश भी जिले में कारखाने के लोगों को कच्चा माल नहीं भेजा जाता है।

आपने यह भी घोषणा की थी कि कृषि की जमीन उद्योग क्षेत्र के लिये बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध करा देंगे। कितनी भूमि कन्वर्ट की और कितना अनुदान दिया?

भार्गव साहब ने सीमेंट के लिये बहुत कुछ बताया। जयपुर उद्योग लिमिटेड को कहां तक छूट दे रखी है? गर्मी के दिनों में सीमेंट की भयंकर कमी आयी उस वक्त 35-40 किलो की भर्ती आती हैं कट्टों में उसकी जगह कम तौल निकलता है। मैंने स्वयं ने लालसोट तहसील में कट्टा लिया। जब 30 किलो वह उतरने लगा तो मैंने उसको विकास अधिकारी के सामने तुलवाया।

(श्री मीठालाल)

उसने जिला अधिकारी के पास रिपोर्ट भेज दी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई कमती वजन उतरने के बारे में। न एजेन्ट को लिखा गया। दूसरों का तो उदाहरण क्या दूं। मैं मेरे खुद का उदाहरण ही दे रहा हूं। मैंने खुद ने कट्टों को तुलवाया। कारखानेदार, एजेन्ट सब धोखाधड़ी कर रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं लेकिन आप उसके लिये चुप हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट अलाटमेंट करती है वह अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और गबन घोटालों के कारण भी राज्य सरकार को कोटा नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में वितरण करते हैं वे भारी तादाद में पैसा लेते हैं। हमारे कर्मचारी लापरवाह होते हैं। या तो अधिक पैसा न दे पाते हों इसमें राज्य सरकार को कोटा उठाने में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिये।

पावर लूम के बारे में विचार हुआ। माननीय मंत्री महोदय ने जबाब दिया कि हमने केन्द्रीय सरकार से मांग की है और जैसे ही केन्द्रीय सरकार हमारी मांग को मंजूर कर लेगी, पावर लूम का मामला निपटा देंगे। माननीय मंत्रीजी जबाव देंगे। गत साल से अब तक क्या प्रगति की है और क्या क्या पेन्डिंग मामले हैं।

राजस्थान में छपाई का बहुत पुराना उद्योग है। आपके प्रचार के बिना ही जो पार्टीज इसकी जानकार हैं वे अच्छी छपाई के कारखाने लगा कर देश में ही नहीं विदेशों को निर्यात का भी अच्छा साधन बैठा लिया है। इसमें विशेष तकनीक का प्रयोग करके, प्रचार गांवों में छपाई आदि की व्यवस्था करके अधिक छपाई करायें जिससे अधिक से अधिक विदेशों को निर्यात हो सके।

गांवों में छोटे 2 उद्योगों के लिये गांव वालों को ट्रेनिंग के लिये आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है। यह असंभव है कि शहरों में आकर वे ट्रेनिंग लें। युवा लोग और पढ़े लिखे लोग ही यह ले सकते हैं। गांव वाले इस तरह से नहीं ले सकते। इसलिये मेरा सुझाव है कि चलते फिरते ऐसे ट्रेनिंग सेन्टर रख दिये जायं जो दस दस दिन गांवों में रह कर कैम्प लगा कर उनको ट्रेनिंग दे सके तो उपयोगी होगा। कुटीर उद्योग हमारे गांवों में अधिक विकास कर सकेंगे। लोगों को भी काफी काम धन्धा मिल जायगा।

इसके अलावा छोटे 2 कस्बों में उद्योग धन्धों के लिये औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात आयी। लालसोट में काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही है। विभाग से लिखा पढ़ी की जा रही है। पता नहीं निर्णय लिया या नहीं। लालसोट ही नहीं छोटे 2 कस्बों में जहां भी औद्योगिक क्षेत्र की मांग है वहां पर कायम किये जायं और विकास किया जाय जिससे अधिक से अधिक राजस्थान में उद्योग धन्धे पनपाये जा सकें।

दो मिनिट खनिज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। खनिजों का भी यदि सही रूप से और अच्छे तरीके से सर्वे कराया जाय तो करोड़ों अरबों रुपयों की धन सम्पदा राजस्थान की इस धरती में छिपी हुई है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी तरह सुधर सकती है। खनिजों का सर्वे हो नहीं रहा है। लालसोट में दस वर्ष पूर्व सर्वे हुआ था। लेकिन दुबारा सर्वे नहीं

(श्री मीठालाल)

कराया। खनिजों के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं लीज आदि के लिये वे पेन्डिग पड़े रहते हैं वर्षों तक इसलिये शीघ्र से शीघ्र डिस्पोजल होना चाहिए। इसमें देरी होने से बहुत नुकसान होता है। अतः अधिक सर्वे करवा कर इस ओर शीघ्रता से कदम उठाये जायं।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे भी उद्योग एवं खानों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव हैं।

झालावाड़ जिला वैसे भी सबसे पिछड़ा जिला है। औद्योगिक दृष्टि से भी वहां कोई प्रगति नहीं है। केवल भवानीमण्डी में सूत की मिल है। खानों का काम थोड़ा बहुत चलता है। पत्थर की खानें काफी हैं। झालरापाटन, इकलेरा, खानपुर, भवानी मण्डी आदि में कई खानें हैं। ये खाने कुछ तो व्यवस्थित नियमानुसार चल रही हैं पर अधिकांश बिना किसी तरह के नियम के ही चल रही हैं। इसका परिणाम यह है कि जितनी रायल्टी इन खानों से सरकार को मिलनी चाहिये उसका चौथाई भी मुश्किल से मिल पाता है। डिमार्केशन के बाद एक ठेकेदार होता है और उसके नीचे बीस खानें अलग अलग चलती हैं। एरिया के बाहर भी चलती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बीस आदमी, जो खानें चलाते हैं, उन सब के माल के लिये ठेकेदार एक ही किताब जारी करता है। इसी बिल बुक के सहारे बाकी के बीसों ठेकेदार माल वहां से निकाल देते हैं। रायल्टी का असेसमेंट उस एक ही बिलबुक के आधार पर होता है। एक बिल बुक में सौ या दो सौ पन्ने होते हैं और उनके सहारे लाखों का पत्थर भेज देते है। बीस सालों से यही तरीका में देखता आ रहा हूं। मेरे गांव के आस पास पच्चीसों खानें हैं। सेलटैक्स का ही यही हाल है। आखिर सेलटैक्स भी तो रायल्टी का हिसाब देंगे तभी सेलटैक्स बनेगा। एक नाकेदार हैं। वह नाकाफी है। एक फोरमैन रामगंज मन्डी में रहता है वह कभी कदास वहां जाता है केवल अपना बन्धा हुआ पैसा वसूल करने के लिये इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहां की खनिज सम्पदा को भी लोग बिगाड़ रहे हैं। मलवा निकाल कर वहीं पटकते रहते हैं जिसके नीचे पत्थर दब जाते हैं। उस मलबे के ढेर को बाद में उठाना बड़ा कठिन काम है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टाफ बढ़ाया जाय। असिस्टेण्ट इन्जीनियर का दफ्तर कम से कम वहां खोला जाय ताकि इस पर कुछ अंकुश लग सके और सरकार की रायल्टी की आमदनी बराबर मिले।

इसके अलावा छः महीने तक नये लीज लेने वालों की डिमार्केशन नहीं होती। रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कई बाते लिखा पढ़ी में आ चुकी हैं।

इसी तरह से उद्योगों के बारे में निवेदन करूं कि झालावाड़ जिले में केश क्राप्स बहुत होती हैं उन पर आधारित तेल मिलें या और कारखाने लगाये जा सकते हैं।

तेंदू पत्ते बहुत होते हैं। इसके द्वारा बीड़ी उद्योग वहां स्थापित किया जा सकता है।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

यहां ताम्बा भी निकला करता था। पर सस्ताई के कारण बन्द हो गया था। अब महंगाई के युग में उस ओर भी ध्यान दिया जाय तो इसकी सम्भावना भी वहां है।

सीमेंट के पत्थरों के लिये शायद सर्वे कराया है। सीमेंट का पत्थर भी बहुत है, सीमेंट के कई कारखाने वहां लग सकते हैं या एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया जा सकता है।

मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों आदि काफी पैदा होती है। आइल के एक्सपेलर वहां लगाये जा सकते हैं।

मेरा निवेदन करना यह है कि उद्योग के लिये लोगों को वहां प्रोत्साहन मिलना चाहिये। बिजली, पानी, जमीन, ऋण आदि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अगर यह व्यवस्था हो तो वहां लोग कई उद्योग लगाने को तैयार हैं।

राष्ट्रीयकरण के कारण प्राइवेट बसों का धन्धा वहां बन्द हो गया है। 100 के करीब मोटर मालिक बेकार हो गये हैं। वे उद्योग में आ सकते हैं अगर सरकार उनको सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दे तो। वहां डाइरेक्टर, उद्योग विभाग का आफिस तो खुल गया है पर स्टाफ में सिर्फ एक डाइरेक्टर साहब रहते है पर वे शायद ही मिलते हैं। लगता है वे रहते भी हैं या नहीं। ऐसा मालूम हुआ है कि वह कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। कई बार लोग गये। पर निराश ही लौटे। एक क्लर्क बैठा रहता है वहां। वहां लोगों को जानकारी नहीं है कि किस तरह से ऋण मिलता है, कौन विभाग देता है, कहां से मशीनरी मिलती है। सरकार और क्या क्या सुविधाएं देती है। इन सब मामलों में सलाह देने वाला कोई नहीं मिलता। इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसके लिये कम से कम उस अधिकारी को पाबन्द कर दिया जाय कि वे बराबर आफिस के समय में आफिस में मिलें।

झालावाड़ जिले को स्टील चद्दरों का कोटा मिलता आ रहा था वह झालरापाटन में भी मिलता रहा था। बाद में कोटा से मिलता रहा अब पता नहीं कहां से मिलता है। वह भी तीन चार महीने से दिलाया जाता है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। लोगों को तंग किया जाता है। छोटे छोटे लुहार आदि अपने धन्धे में इसके बिना बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। किसान के औजारों के लिये भी कठिनाई हो रही है। वाजिब कोटा झालावाड़ जिले का आज तक कभी बराबर नहीं मिला। वहां लोग गरीब हैं, भागदौड़ करना जानते नहीं। यह कोटा झालावाड़ जिले का कहां जाता है, पता नहीं। गरीब लोग जयपुर तक भागते रहते हैं। इसमें परेशान भी होते हैं और व्यर्थ के खर्चे के नीचे भी आते हैं। सारा ब्लैक में बिक जाता है ऊपर का ऊपर ही। उद्योग मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कम से कम इस सब की जांच करें और इस पर एक्शन लें जिन्होंने गलत नाम और गलत लाइसेन्स ले रखे हैं और जो ब्लैक करते हैं इसका। उस कोटा को ऊपर ऊपर ही खा जाते हैं। आगे से यह व्यवस्था भी करें कि जिस तरह से पहले कोटा से यह कोटा मिलता था वैसा ही मिलता रहे।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

मैं इतना ही निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और इसमें भी पश्चिमी राजस्थान और भी पिछड़ा हुआ है। जब हम आजाद हुए तब भी 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित थी। आज भी वही स्थिति है। प्रदेश की जनता के मापदण्ड के लिए चाहे कोई भी मापदण्ड अपनावें हम पिछड़े हुए हैं यह साफ है। जहां देश में प्रति व्यक्ति 120 प्रतिवर्ष किलोवाट घंटा बिजली खपत होती है या मिलती है वहां राजस्थान में केवल 60 किलोवाट का रेशो आता है। महाराष्ट्र में यही 200 किलोवाट है।

पिछले वर्ष राजस्थान खनिज उत्पादन में और औद्योगिक उत्पादन में भी पिछड़ गया था। इसका कारण भयंकर सूखा और बिजली एवं कोयले की कमी का रहना है। पिछले वर्ष राजस्थान का उत्पादन 72/73 में 1600 करोड़ हुआ था। इस वर्ष अनुमान लगाया गया है कि 2060 करोड़ होगा। परन्तु जब इसमें देखा कि इण्डस्ट्री और माइन्स का कितना कन्ट्रीब्युशन है तो आंकड़े मिले हैं वे बताता हूं 72/73 में 16 परसेन्ट और 73/74 में 14 परसेन्ट ही रहा। अर्थात् इस वर्ष में औद्योगिक और खनिज उत्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा। उद्योग के मामले में कुछ आइटम्स भी दिये गये हैं। सीमेन्ट का उत्पादन गिरा हैं, सूती धागे का उत्पादन गिरा है, नमक का उत्पादन गिरा है, शक्कर का उत्पादन गिरा है, इलेक्ट्रिक मीटर का उत्पादन गिरा हैं, सूती कपड़े का मामूली सा उत्पादन बढ़ा है। खनिज उत्पादन की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें माइनर मिनरल्स बताया नहीं। कापर, जिन्क, लेड इन तीनों के अलावा सबका उत्पादन गिरा है। आखिरकार यह उत्पादन क्यों गिरा। इस समस्या को गहराई से सोचा जाय तो कई कारण हो सकते हैं। सूखे का कारण हो सकता है, बिजली की कमी का कारण हो सकता है, ईंधन की कमी का कारण हो सकता है, कच्चे माल की कमी का कारण हो सकता है।

अब बिजली की कमी के दो कारण हो सकते हैं। वैसे इन्स्टाल्ड कैपेसिटि 800 मेगावाट है परन्तु जो फर्म कैपेसिटि है वह 450 के लगभग है। यह जो कैपेसिटी है इसमें अधिकतर भार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है। जब इन्द्र भगवान की कृपा होती है और बरसात अच्छी हो जाती है तो वह पीक लेवल पर चला जाता है। वर्षा न हुई, बान्ध में पानी नहीं आया तो बिजली का उत्पादन गिर जाता है। हमें उम्मीद थी जब राजस्थान आटोमिक पावर प्लान्ट थर्मल का शुरू हुआ तो उसकी क्षमता बराबर मिलती रहेगी। लेकिन जो 250 मेगावाट की कैपेसिटि का थर्मल प्लान्ट था वह अभी तक 120 पर भी नहीं चल पाया है और वह भी बार बार बन्द हो जाता है। चलने के बाद 20-30 बार बन्द हो गया है। कब चालू हो जाता और कब बन्द हो जाता है इसका कुछ पता नहीं है।

सतपुड़ा का जो प्लान्ट है वह भी थर्मल प्लान्ट है। पिछले वर्ष जब मैं खुद राणा

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

प्रताप सागर गया था तो पांच में से दो इकाई चल रही थी। यानि हमारे यहां का बिजली का आटोमिक पावर प्रोजेक्ट डिपेन्डेबल नहीं है। इन्द्र भगवान की अच्छी कृपा हुई तो हाड़ो पावर प्लान्ट साल भर अच्छी तरह काम करेगा। भविष्य में बिजली न चलेगी तो कारखाने क्या उत्पादन करेंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है.......

कोटा में 440 मेगावाट पावर प्लान्ट बनाने का सोच रहे हैं। वहां एक आफिसर को डेपूटेशन पर नियुक्त किया जाय और उसके काम को बढ़ाया जाय। उसमें भी ईंधन की कमी-ईंधन के दो प्रकार के साधन हैं। एक तो कोयला और दूसरा पेट्रोलियम। हमारे देश में कोयला बहुत तादाद में जमीन में छिपा हुआ है लेकिन ढोने के हमारे पास अच्छे साधन नहीं है यदि एक लाइन खींचें तो सारा कोयला धनबाद, झरिया, उड़ीसा, बिहार और कुछ एम० पी० में मिलता है। आज कोयले की कमी से स्टील के प्लान्ट बन्द हो रहे हैं। रेलें बन्द हो रही हैं, पश्चिमी राजस्थान में रेलें अभी भी बन्द पड़ी हैं। कोयले की कमी को दूर करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर हर कार्यवाही की जाय। जो इसकी संस्थायें हैं राजस्थान सरकार यदि इसके लिये बहुत कुछ स्तर पर कार्यवाही नहीं करेगी तो न उद्योगों को कोयला मिलेगा और न घरेलू कामों के लिये ही कोयला मिलेगा। सारे कोयले का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में है, रेलें भी सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

कोयले को निदेशक महोदय अलाट करते हैं। मगर मुझे कोई सोर्स से मालूम पड़ता है उद्योगों को कोयला नहीं मिलता है। कल मैंने अखबार में पढ़ा है चित्तौड़ की सीमेन्ट फेक्टरी बन्द होने वाली है। हमारे राजस्थान में 4 सीमेन्ट के कारखाने हैं चार और लगने वाले हैं। पेट्रोल की स्थिति सारे संसार में सोचनीय हो गई है....

(अश्रव्य)

पहले से बहुत ज्यादा कीमत अब हमें पेट्रोल के लिए देनी पड़ रही है...

......दिसम्बर, 1973 में पेट्रोल के भावों में काफी गुणा वृद्धि हुई है। और वह भी कन्सेसनल रेट पर देने की बात कही जा रही है इसलिए कोयले का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मैं सचमुच कहता हूं अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे सारे उद्योग अस्त-व्यस्त हो जायेंगे ...

..... तीसरा कच्चा माल के न मिलने से भी कई कारखाने बन्द हो गये हैं। ...स्टील के, प्लास्टिक के सारे कारखानों पर असर पड़ रहा है। 1400 रुपये में आने वाली गर्डर वह 5000 हजार प्रतिटन का भाव हो चुका है।....गेलेनाइज्ड सीट्स के भाव दुगने, चौगुने हो गये हैं। फायदा जनता को नहीं मिल रहा है।...जो उद्योगपतियों को कोटा अलाट होता है स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज से हो या अन्य किसी इन्डस्ट्री से हो और जो उसका प्रोडक्शन बनता है उन सब के भाव दुगने, चौगुने हो गये हैं। यह जो व्यवस्था है गरीब को गरीब बना रही है और अमीर को और ज्यादा अमीर बना रही है और जो बिचौलिये खत्म करने जा रहे थे उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। इस समाजवादी सरकार में परमिट,

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

लाइसेन्स, कोटा होल्डरों को सस्ते भाव पर सप्लाई हो रही है और महंगे भाव पर ये जनता में दे रहे हैं। यह अत्यन्त खेद की बात है···इस प्रकार की व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी···

मेरे खुद की नगर की बात करता हूं, पश्चिमी क्षेत्र की बात करता हूं। मैं साफ शब्दों में कह दूं मंत्री महोदय की औद्योगीकरण को जो नीति है उसमें वे पश्चिमी क्षेत्र के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। हो सकता है 15 प्रतिशत, सबसिडि मिले ···(अश्रव्य)··· आजादी के बाद एक छोटा कारखाना जोधपुर में नहीं लगाया गया। एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन सेट-अप करने जा रहे थे लेकिन वह भी नहीं हुआ फिर सारा···

अब यह कहते हैं जमीन पड़ी हुई है··· 10-12 आ चुके हैं। सोडा एश फैक्टरी, स्कूटर फैक्टरी, थ्री व्हिलर स्कूटर फैक्टरी, ग्लास फैक्टरी, एक भी छोटा मोटा उद्योग जोधपुर नगर में नहीं लगाया गया है। यह अन्याय बर्दाश्त लायक नहीं है। क्या फैक्टरी एस्टाब्लिश करने के लिये जोधपुर उपयुक्त स्थान नहीं है···सारे कारखाने जयपुर में लगे और पूर्वी राजस्थान में लगे। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस असन्तुलन को दूर करेंगे। विकास होना चाहिये और सन्तुलित विकास होना चाहिये नहीं तो एक पर्टीक्यूलर रीजन के साथ घोर अन्याय किया है।

अब मैं खनिज के बारे में निवेदन करूंगा। मैं आपके मारफत मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं···झामरकोटडा का राक फास्फेट जो साढ़े चार करोड़ का देने का था वह अभी ढ़ाई, पौने तीन करोड़ पर आ पाया है···दो लाख के विकास का सोचा था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। हम 70 सड़कें 700 किलोमीटर की बनायेंगे और बनाई है कितनी केवल 27 किलोमीटर का निर्माण किया पूरी पंचवर्षीय योजना में और प्लान बनाते हैं···

एक लाख रुपये के ऋण दिये और खनिज के उद्योग में आप इस पैसे को लगायें तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। एक लाख रुपये में तो कोई मशीन नहीं आती है तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय, अपना राइट असर्ट नहीं करते। पिछली बार स्वर्गीय मुख्य मंत्री बरकतुल्ला साहब ने लिखित में आर्डर दिया कि 3 लाख रुपया इस क्षेत्र की सड़कों के ऊपर लगाया जाये लेकिन कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जोर नहीं लगाते हैं। मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि राजस्थान खनिज सम्पदा में बहुत धनी है और हमारे यहां पर सात मिनरल्स पाये जाते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा माइक सामने करके बोलें आपकी आवाज रिपोर्टर्स को सुनाई नहीं दे रही है। You are not audible to the Reporters.

श्री अमृतलाल गहलोत : हमारे यहां मेटेलिक मिनरल्स में हैं लोहा, मेंगनीज, कापर, जिंक, सिल्वर और लैंड आदि। यह सात मैटेलिक मिनरल्स हम ही पैदा करने वाले हैं और कुछ तो ऐसी हैं कि जो केवल हमारे यहां ही है और दूसरे राज्यों में नहीं है। हमारी मानोपाली है और हम पर भगवान ने काफी कृपा की है। इसके अलावा

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कुछ और मिनरल्स हम हाइएस्ट करते हैं जैसे सिल्वर है, फेल्सपार है और इसके अलावा और ऐसे कई मिनरल्स हैं कि जिनके लिए हम कई उद्योग स्थापित कर सकते हैं। परन्तु इतना होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि हमने अपने मिनरल्स का पूरा उपयोग नहीं किया।

राक फास्फेट के बारे में मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि राक फास्फेट के सारे विकास के काम बी. जी. एल. को दे दिये। उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है और यह अच्छा सुझाव है। एक कारपोरेशन और स्थापित किया जा रहा है मैं आशा करता हूं कि यह कारपोरेशन अपने आप इसका विकास करेगा और जो राक फास्फेट की कमी अपने देश में आ गयी है क्योंकि फास्फेटिक फर्टीलाइजर अपने यहां इम्पोर्ट होता है और करोड़ों रुपयों का फारेन एक्सचेंज हमारा जा रहा है इसको हम वापिस कवर ही नहीं कर पायेंगे बल्कि हम इस मिनरल का विकास भी कर पायेंगे। 4½ करोड़ रुपया बजट में राक फास्फेट से आना बताया है और यह केवल इसी से पूरा हो रहा है। भविष्य में इससे भी ज्यादा हमको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि यदि आप मिनरल्स का विकास करना चाहते हैं तो सड़कें बनाइये। अगर सड़कें नहीं बनेंगी तो मिनरल्स का विकास नहीं होगा। ज्यों ज्यों आप गहरे जायेंगे, दूर जायेंगे सबसे पहले मिनरल्स की कास्ट आफ प्राडक्शन माइनिंग पर नहीं बल्कि ट्रान्सपोर्ट पर है। इसमें आपको भारी से भारी गाड़ी को लगाना पड़ेगा। भारत की नेशनल प्राडक्टिविटी कौंसिल ने कहा है कि यातायात में केपेसिटी का क्या संबंध है तो उन्होंने कहा कि 7 टन की गाड़ी और 25 टन की गाड़ी हो और 25 टन वाली गाड़ी से ट्रान्सपोर्टेशन किया जाता है तो वह 75 परसेंट कम में हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपके पास अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो कास्ट आफ प्राडक्शन कम नहीं जा सकता।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप अगले वित्तीय वर्ष से नया सेस लगाइये और 25 परसेंट रायल्टी को अपग्रेड कर दें और वह सारा पैसा खनिज की सड़कों के विकास पर लगायें। यह आप कर पायेंगे तो अगले वर्ष 4।। करोड़ नहीं 10 करोड़ के आप राजस्थान में साधन जुटा सकेंगे। खनिज क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व की चीज सड़क है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आप कभी 40 हजार रुपया सड़कों के लिए देते हैं और कभी 50 हजार रुपया तो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला साहब ने 3 लाख का वायदा किया था वह वादा पूरा करवाइये। इस साल में उद्योग ने तो सौतेली मां का व्यवहार कर दिया लेकिन आप कम से कम सड़कों को पूरा कराइये। अगले वर्ष से 25 परसेंट आप रायल्टी बढ़ा दें और जो पैसा आये वह आप खनिज की सड़कों के विकास पर लगा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन.

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खनिज सम्पदा का

(श्री रामकिशन)

विकास कैसे हो यह एक समस्या नहीं है। इसीलिए स्थिति यह है कि खनिज और उद्योग राजस्थान के लिए आगे जाकर वरदान सिद्ध हो सकते हैं लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को दूरगामी योजनायें बनानी होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि हम लोगों के दिमाग में हिन्दुस्तान की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, कभी हम बड़े उद्योगों की तरफ चल देते हैं और जब दबाव पड़ता है तो छोटे उद्योगों की तरफ चल देते हैं। कभी उत्पादन की किसी प्रणाली को अपनाते हैं तो कभी किसी दूसरी प्रणाली को अपनाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि राजस्थान में और सारे देश में खेती के अन्दर जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा है कि अगर हमें कोई स्तर पैदा करना है, कोई स्तर रखना है तो कम से कम सारे देश में से 15 करोड़ लोगों को खेती से हटाकर दूसरे धन्धों में लगाना होगा। आज जो जमीन की पैदा है और उससे जितना उत्पादन हम कर सकते हैं उस दृष्टि से आज की आबादी में से 15 करोड़ लोगों को हटाना है। इसी दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान में भी हमें आगामी दस पन्द्रह सालों में ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिएं कि जो आबादी बढ़ने वाली है और जो मौजूदा आबादी है इसमें कम से कम 60-70 लाख लोगों को दूसरे धन्धों में लगाना है। अगर इसके लिए हमारा दृष्टिकोण साफ नहीं हुआ और केवल पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमने अधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाली बात रखी और वास्तविक लक्ष्य की तरफ नजर नहीं रखी तो आगे जाकर कई प्रकार की समस्यायें पैदा हो सकती हैं। तो मैं उद्योग मन्त्री जी और खनिज मन्त्री जी से कहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार के सामने चाहे हिन्दुस्तान के निर्माण की कोई भी तस्वीर हो राजस्थान सरकार के सामने स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिये निर्माण की। हमारे यहां पर अतुल खनिज सम्पदा है और कुछ मामलों में तो ऐसी स्थिति है कि जो राजस्थान में ही चीजें पैदा होती हैं और देश के दूसरे हिस्सों में पैदा नहीं होतीं तो अब हम उनका उपयोग कैसे करें इसके लिए हमें कोई योजना बनानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम खानों की चर्चा बहुत करते हैं लेकिन जैसी हमारी स्थिति है वह स्पष्ट है कि खानों से हमारे राज्य की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आज 61-62 में जितनी हमारे राज्य की आमदनी थी, जो शेयर था करीब 2 हमारे राज्य की आमदनी आज की तारीख में वही बनी हुई है। हमारे कुल राज्य की खनन से केवल एक प्रतिशत आमदनी है, राज्य के कोष में शेयर है। अब यह स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है। इस स्थिति को कैसे सुधारा जायेगा यह एक सवाल हमारे सामने है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के सम्बन्ध में भी हमें एक दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। हम एक समाजवादी समाज के निर्माण की कल्पना करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी अपने आपको समाजवादी कह रही है। समाजवादी व्यवस्था में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो इस पर नए ढंग से चिन्तन करना होगा। उत्पादन बढ़ाने में कम्युनिस्ट कण्ट्रीज और केपिटलिस्ट्स कण्ट्रीज का एक ही अप्रोच है कि किसी तरह से लार्जस्केल प्रोडक्शन बढ़े,

(श्री रामकिशन)

बड़े बड़े उद्योग हों और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो और जो समाज में समस्यायें आयेंगी उनका मुकाबला करने में उनका समीकरण हो। लेकिन जब हम समाजवादी समाज की कल्पना लेकर चलते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि स्माल स्केल यूनिट में टेक्नोलोजी डवलप हो। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने जापान का है। जापान में जमीन कम है लेकिन उद्योग के क्षेत्र में अगले दो तीन साल जापान ऐसी स्थिति में आने वाला है कि रूस और अमेरिका भी उसके पीछे रहने वाले हैं। फिर हमें 25 साल हो गये उसके मुकाबले, हमारे राज्य की क्या स्थिति है, हमारे देश की क्या स्थिति है, हमारे खनिज और उद्योग के मामले में हमने कितनी तरक्की की है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह पता लगाइये कि 25 साल पहले हम कहां खड़े थे और आज हम कहां पहुंच गये हैं ? आपके प्रगति विवरण में यह बता दिया गया है कि 16-17 योजनाएं विचाराधीन हैं, इतनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इतनों का यह हो रहा है और इसके लिए इतना पैसा चाहिये, मामला खत्म। इसी तरह से उद्योग विभाग की रिपोर्ट पढ़ें, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमें इससे कोई पता नहीं चलता कि उद्योगों के विकास के लिए हमारा उद्योग विभाग क्या कर रहा है, कुछ नहीं। विभाग का कार्य तो यह होना चाहिये कि कोई भी नया उद्योगपति आता है तो यह देखे कि उसकी पूंजी की क्षमता क्या है ? कोई भी पूंजीपति दफ्तर में पहुंच गया और उसने कहा कि मेरे पास पचास हजार रुपये की पूंजी है, भरतपुर के इलाके के अन्दर उद्योग लगाना चाहता हूं तो इण्डस्ट्रीज आफिसर का यह फर्ज होना चाहिए, उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि पचास हजार रुपये में कौन सा उद्योग लगाना उपयोगी होगा, यह जानकारी दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस काम को नहीं करता, केवल एक काम करता है, कोयला किसको देना, टीन की चद्दरें किसको देना, अब उनको वह ब्लेक में बेचे चाहे उनका निर्माण कार्यों में उपयोग करे यह देखना उद्योग विभाग का काम नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह जो उद्योग विभाग है उसका डायरेक्टर बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। मैं किसी एक डायरेक्टर का पक्षपाती नहीं हूं, मुझे किसी से ज्यादा लेना देना भी नहीं है। जब हम दीर्घकालीन योजना के आधार पर उद्योगों का विकास करना चाहते हैं तो सरकार को एक बात का फैसला कर लेना चाहिए कि उद्योग विभाग का जो संचालक होगा, डायरेक्टर कौन होगा और उसे कम से कम दस साल तक इस विभाग का संचालन करना चाहिए। उसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए और जिम्मेदारी डाल कर देखना चाहिए कि उद्योगों का कितना विकास होता है। लेकिन साल साल, दो साल में डायरेक्टर बदलता रहता है, महीना, दो महीना, उसको काम को समझने में लग जाता है, महीना, दो महीने जाने में लग जाता है और इस तरह से वह काम को समझ नहीं पाता है। जब तक वह समझ कर काम करना शुरू करता है, उसका तबादला हो जाता है। इसलिए मेरा निवे-

(श्री रामकिशन)

दन है कि जो ऐसे महकमे हैं, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे खनिज विभाग हो, इनके सचालन की जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष पर होनी चाहिए जिसकी टेक्निकल नोलेज हो और एडमिनिस्ट्रेटिव नोलेज भी हो। अगर यह स्थिति होती है तो हम अपने क्षेत्र में उद्योगों का विकास कर सकते हैं, खनिज सम्पदा का विकास कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य गहलोत साहब ने सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कहा है खनिजों के सम्बन्ध में। मेरी समझ में नहीं आता, बहुत छोटा सवाल है। हमारे राज्य की जो खानें हैं, आप बड़ी 2 योजनाओं को छोड़ दें लेकिन जो बहुत आवश्यक सवाल है वह यही है कि मुख्य सड़कों को खान तक जोड़ने का राज्य सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रबन्ध करना चाहिए। मुझे और इलाकों के बारे में तो विशेष जानकारी नहीं है लेकिन मैं भरतपुर के बारे में कह सकता हूं कि भरतपुर में सेंड स्टोन का बहुत बड़ा डिपोजिट है। वहां अगर कोई कम आमदनी होती है तो उसका कारण एक तो सड़कों की कमी ही है जिसके लिए आपको प्रावधान करना चाहिए। वैसे माननीय खनिज मंत्रीजी ने यह बताया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 700 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का सरकार ने प्रावधान किया था। हम भी चाहते थे कि सात सौ किलोमीटर सड़क इन खानों को जोड़ने के लिए बने, लेकिन हुआ क्या? केवल 41 किलोमीटर सड़क बनी। सरकार खुद यह महसूस कर सकती है कि इनके बगैर हमारी आमदनी गिर रही है। बारबार इस बात को कहा जाता है और फिर कहते हैं कि चाहे आपको और टैक्स लगाने की जरूरत हो तो और टैक्स लगा दें लेकिन खानों को सड़कों से जोड़ना जरूरी है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इस तरह के खनिज हैं जैसे संगमरमर। पिछले साल मुझे मकराना जाने का मौका मिला। संगमरमर कितना कीमती धातु है यह सरकार और माननीय सदस्यों को जानकारी में है। लेकिन यह किस तरीके से निकालने की प्रणाली है कि बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बर्बाद हो जाता है। इस तरह के कीमती पत्थर को, इस कीमती धातु की बर्बादी होती है तो आज के वैज्ञानिक युग में इस बात को क्षम्य नहीं कहा जा सकता, इसको हम क्षमा नहीं कर सकते। वहां पर संगमरमर को निकालने के लिए हमें कोई नयी प्रणाली अपनानी होगी। अब सवाल यह आता है कि नई प्रणाली के लिए ज्यादा रुपया चाहिए और जब ज्यादा रुपये का सवाल आता है तो बड़े 2 उद्योगपति बीच में आ जावेंगे और उस समय सरकार के सामने समस्या होगी कि इन छोटे लोगों की, जो वहां पर काम करने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या हो। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करूंगा कि आप केवल छोटे बड़े के दृष्टिकोण से ही हर मामले को नहीं देखें। इसमें हमें दो तीन बातों का मुख्यरूप से खयाल रखना चाहिए जैसे कि राज्य की आमदनी बढ़ानी है और इसके साथ साथ हमारी धातुओं का विनाश न हो यह भी ख्याल रखना है। अब इसमें बड़े छोटे आदमी का सवाल आए

(श्री रामकिशन)

तो सरकार खुद आकर इसका संचालन कर सकती है। दूसरे लोग जो पुराने इस धन्धे में लगे हुए है उनको हम किसी दूसरे तरीके से काम धन्धे पर लगा सकते हैं, उनको काम धन्धा दे सकते हैं। इस प्रकार से उद्योगों के विकास के लिए हमें तीव्र-गति से काम करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मै कुछ खनिज मामलों के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा। मैंने पिछली बार बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए भी कुछ मामलों का जिक्र किया था और अभी भी एक दो बातों का इनके सम्बन्ध में जिक्र करूंगा। इन खानों के सम्बन्ध में राजस्थान में चर्चा तो बहुत है लेकिन उनकी हालत क्या है, मैं समझता हूं कि खनिज मंत्रीजी इस बात से जानकार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग की जो आमदनी है, यहां के डायरेक्टर और मंत्रिमण्डल थोड़ा भी सतर्क हो जाय तो वह काफी बढ़ सकती है। आज जो खनिज सम्पदा से आमदनी हो रही है वह अगर रॉकफास्फेट हटा दें तो केवल 2 करोड़ 51 लाख की रह जाती है। केवल 2 करोड़ 51 लाख। रॉक फोस्फेट की आमदनी को छोड़ दें तो कोई राज्य की खनिज से आमदनी ही नहीं है। अब यह आमदनी बढ़ाने के लिए रायल्टी की दर या डेड रेट बढाने की जरूरत नहीं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो चोरियां होती है उन चोरियों को रोकने में क्या विभाग सक्षम है? मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी इस बात का इच्छुक होगा कि उनके विभाग में चोरी हो, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि सारे विभागों में तो आमतौर पर ऐसे मामले चलते रहते हैं। जब किसी एक मामले को किसी मंत्री महोदय के नोटिस में ले आए या किसी अधिकारी के नोटिस में लाए जाते हैं तो उसमें सरकार की ओर से कार्यवाही कर देते है, बाकी मामलों में चुप रहेंगे। विभाग अपनी तरफ से क्या करता है इसका जवाब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटे से मामले का जिक्र करूं। एक भोजपुर में लाइम स्टोन की खान का पट्टा देने का सवाल था करौली क्षेत्र में। वहां पर और पार्टीज ने भी प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं और इस पट्टे को बीस हजार रुपये सालाना में लेने को तैयार है और जो इस काम को करने वाला वहां का एक मजदूर है कोहराम, वह खुद पैसा देने को तैयार है। इस खान के लिए कई फाइनेंशियर पैसा देने को तैयार है और एक लाख तक की आमदनी सरकार को हो सकती है लेकिन उसी को पन्द्रह सौ रुपये साल में सरकार ने एक दूसरे आदमी को दे दिया है। इस प्रकार से सरकार अगर अपनी आमदनी को नष्ट करेगी तो आमदनी की स्थिति सुधरेगी कैसे। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई तरह के प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री महोदय और सचिवालय को दे रखे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तो जो सचिवालय को प्रार्थना-पत्र दिए गए थे भोजपुर की खान के सम्बन्ध में, वे कागज ही गायब कर दिए गए हैं। उस पार्टी का अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उस पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से सरकार ने अपनी एक लाख रुपये साल की आमदनी को बर्बाद कर दिया छोटे से मामले में तो फिर बड़े मामलों के

(श्री रामकिशन)

अन्दर हम कहां जायेंगे ? हमारी खानों की आमदनी गिरने का मुख्य कारण यही है कि विभाग की ओर से कोई देखभाल नहीं है। जब कोई शिकायत आती है, कभी मंत्री महोदय को दरख्वास्त देते हैं, तो चैकिंग पार्टी चली जाती है और बाद में कुछ नहीं। इस विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं वे तो एक नवाब की तरह व्यवहार करते हैं। उनके दफ्तर में खान का पट्टा लेने जाओ तो कुछ दे ले के पट्टा ले जाओ, विभागीय तौर पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इन बातों की जानकारी होगी।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, एक और दूसरा निवेदन करूंगा। मैंने पिछली बार नीमकाथाना के सम्बन्ध में जिक्र किया था। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जरा देखना पड़ेगा कि स्टेट में राज्य की आमदनी को बर्बाद क्यों किया जा रहा है।

नीमकाथाना में, इस क्षेत्र में खिरोड़ नाम की सोपस्टोन की एक क्वेरी है। पार्टी विशेष को दस हजार रुपये साल में दे रखी है और उस खिरोड़ की खान को 80 हजार रुपये में उसने दूसरे को उठा रखी है। जब कि राज्य के नियमों के अन्तर्गत दूसरे को नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह हो रहा है और ऐसा कर के वह पार्टी फायदा उठा रही है। इसके पीछे कौनसा कारण है ? इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। नीमकेथाने में कई कम्पनियां हैं और उनमें एक ही आदमी है। नई नई कम्पनियां बनती जाती हैं। पिछली कम्पनियों में बकाया रह जाता है तो उनको डिजोल्व कर दिया जाता है। इस तरह से राज्य की आमदनी की चोरी होती है। सेलसटैक्स की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है, रायल्टी की चोरी होती है। गवर्नमेंट के नोटिस में ये सारी बातें हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में सचेत नहीं हुई तो वह राज्य की आमदनी का विकास कैसे कर पाएगी ? यह तो करोड़ों की ही बात है। वहां पर एक लाइम इन्डस्ट्री है। चूना पकाने की। यह कम्पनी केन्द्र से करीब चार लाख का कोयला ऐलाट करा लेती है। अब इस कोयले से चूना पकाया जाता है। कितना चूना पकना चाहिये। तीन लाख, चार लाख के कोयले से 30/40 लाख का चूना पकाया जाना चाहिये। इस कम्पनी का बिक्री रजिस्टर देखेंगे तो डेढ़ लाख से ज्यादा बिक्री नहीं दिखाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कोयले का ब्लेक कर दिया जाता है। हाथोहाथ बेच दिया जाता है। क्या इस तरह से राज्य की आमदनी बढ़ सकती है ? बिक्री कर से जो आमदनी होती है वह गई। इसकी चोरी होती है। इनकम टैक्स की आमदनी की चोरी होती है। सरकार के नोटिस में यह सारे मामले हैं। बिना सरकारी मदद के यह कैसे हो सकता है ? आप वहां जाकर देखिये। उस इलाके में लूट मचा रखी है।

हमारे यहां डकैतियों का जोर है परन्तु यह तो उससे भी ज्यादा डकैत हैं। वहां के यह डकैत किस तरह से राज्य के खजाने पर डाका डालते हैं यह आप नीमकाथाना में देखें। वहां हर प्रकार की चोरी हो रही है और दूसरी बातों को छोड़ दें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी प्राइवेट कम्पनी लिमिटेड है, मोदी लिमिटेड। इस कम्पनी को

(श्री रामकिशन)

चाइना क्ले का परमिट ले रखा है। इसको दूर डालने का नियम बना हुआ है। नीमकाथाना में आप जाकर देखें इसकी कितनी गंदगी है, वेस्ट हुआ मटीरियल वहीं पर डाल दिया जाता है। इससे वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, गन्दगी हो रही है इसको दूर डालने का ठेका था परन्तु उसको बचाया जा रहा है। विभाग से डिजल लिया जाता है, पैट्रोल लिया जाता है दूर डालने के लिए परन्तु वह नहीं डाला जाता है। डीजल, पैट्रोल को ब्लेक में बेच दिया जाता है।

मोदी मिनरल्स ग्राइन्डिंग के नाम से एक मिल लगा रखी है। रायल्टी की चोरी कर ले यही काफी नहीं है। सेल्स टैक्स की चोरी कर ले, यह काफी नहीं है। इस कम्पनी ने चोरी करने के लिए मीटर खराब कर के डाल रखा है। जब पिछले साल चैक हुआ तो दो हजार रुपये से ज्यादा रोजाना का डिफरेन्स आया। इस तरह से 20 लाख से ऊपर की चोरी हो गयी। क्या सरकार इस तरह से सचेत है ? कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिजली की चोरी हो रही है, सेल्स टैक्स की चोरी की जा रही है, रायल्टी की चोरी हो रही है। अलग अलग नाम से ठेके ले रखे हैं। जिस मामले को खत्म करना हो, दूसरी कम्पनी बना लें। तो यह सारा काम बिना सरकार की मदद से और उसकी जानकारी के नहीं हो सकता। इन सब के पीछे किसका हाथ है ? मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं इससे कांग्रेस के सदस्यों को तकलीफ होगी, वे समझदार हैं और उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है ? ये श्रीकिशन मोदी है, जो लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं। उनकी और ज्यादा चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता। जुझारसिंह जी आप हिम्मत करके इस क्षेत्र का एक बार दौरा करें……

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोकसभा के सदस्य हैं, उनके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या इसका नोटिस आपने पूर्व में दिया है ? इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं तो नाम नहीं लेना चाहता था। आप इसको मोदी परिवार समझ लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके चुनाव में वे आपके खिलाफ रहे हैं इसलिए आपकी उनसे नाराजगी है। एक महीने तक वे आप के क्षेत्र में रहे थे इसलिए ……

श्री रामकिशन : मेरे चुनाव में तो आप भी रहे। आपसे हमेशा प्यार करता हूं मैं कभी किसी से नफरत नहीं करता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आज मालूम हुआ कि आप प्यार भी करते हैं।

श्री रामकिशन : आपको प्यार की क्या जानकारी है। प्यार किसे कहते हैं ?

इसी सम्बन्ध में एक निवेदन है कि एक रामपुरा क्षेत्र है। हमेशा मिनरल डिपार्टमेंट की जो प्रगति रिपोर्ट निकलती है उसमें यह बताया जाता है कि यहां पर सीमेन्ट का कारखाना लगेगा। हमने सोचा कि नीमकाथाना में सीमेंट का कारखाना लगेगा, लोगों को मजदूरी मिलेगी। परन्तु यह कारखाना क्यों नहीं लग पा रहा है ? आज से दस साल पहले केसूराम नाम की पार्टी को यहां पर सीमेन्ट का कारखाना लगाने के लिये ठेका

(श्री रामकिशन)

दे दिया गया था। उनके लिये तय किया गया कि कारखाना लगेगा। इसी बीच दूसरी मिनरल का रामपुरा के क्षेत्र में, इस परिवार के लिए, मोदी परिवार के लिए जमीन का लीज दे दिया गया। उस लाइम को निकाल लिया गया और मामले को कोर्ट में डाल दिया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि वहां कोई दूसरी पार्टी आकर सीमेन्ट का कारखाना नहीं डाल सके। अगर राज्य सरकार इन मामलों की तरफ तवोज्जह देगी तो संभव है कि राज्य की आमदनी बढ़ेगी। यह दुर्भाग्य की बात है राज्य की आमदनी को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ऐसे मामलों में सचेत नहीं हुई तो वह आगे कुछ नहीं कर पाएगी।

इन सारी परिस्थितियों के बाद यह समझ में नहीं आता कि माइन्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के रूप में क्या काम रह जाता है जो कभी पूरा काम करने की स्थिति में नहीं रहा है। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि हमारी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत अगर है तो वह माइन्स है। इनका अगर डवलपमेंट नहीं किया गया और इनमें जो चोरियां हो रही हैं, उनको नहीं रोका गया तो राज्य की आमदनी में हम इजाफा नहीं कर पायेंगे। हम इस दृष्टि से और राज्यों से मुकाबला करें तो काफी फर्क पायेंगे। मैं उन राज्यों की स्थिति का जिक्र यहां पर करने की स्थिति में नहीं हूं। इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करता हूं कि इन मामलों की तरफ आप तवोज्जह दें जिन पर कि नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से भरतपुर में एक पत्थर की खान है। उसके कुछ मामले आपके नोटिस में लाए गये थे। डिप्टी सेक्रेटरी यहां से गया। पता नहीं आगे क्या हुआ और उस मामले पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं हुई। इस प्रकार से उच्चाधिकारी अगर समय पर जाते रहे तो राज्य की आमदनी में सुधार होगा।

एक सुझाव और देना चाहूंगा। वैसे तो राज्य की सेवाओं में सब जगह ईमानदार और अच्छे अफसर रहने चाहिए और उनकी ईमानदारी की रक्षा नहीं होगी तो यह दुर्भाग्य का दिन होगा इस राज्य के लिए। जहां तक इन्डस्ट्रीज और माइन्स से राज्य की आमदनी का सवाल जुड़ा हुआ है। राज्य को ऐसे विभागों के लिए ईमानदार अधिकारी रखने चाहिये वरना हमारी आमदनी नहीं बढ़ पाएगी।

उद्योगों के सम्बन्ध में मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र किया है। उद्योग मंत्री और खनिज मंत्री कौन हों, मंत्री-मंडल का गठन कैसा हो, यह मुख्य मंत्री का कार्य है। वे किस को मंत्री रखें और किसको न रखें यह उनका काम है। परन्तु विभाग देते समय मंत्रियों को भी देखें। यह विभाग व्यापारियों के लिए हैं। अधिकतर इस विभाग में व्यापारी वर्ग आता है। वे अधिकतर कमजोर तबियत के होते हैं और यह विभाग आपने दे दिया है ठाकुर साहब को। वे उनसे किस प्रकार डील कर पायेंगे। और कहीं डर कर भाग जायेंगे तो इसका असर राज्य की आमदनी पर पड़ेगा। परन्तु इस बारे में सोचना मुख्य मंत्री का काम है, उनका दृष्टिकोण है कि किसको रखें। मुझे यह निवेदन करना है, जहां तक औद्योगिक विकास का सवाल है, हमारा राज्य इसमें बहुत ही पीछे है। अन्य प्रान्तों के आंकड़े देखें, उनकी आमदनी के हिस्से के रूप में देखें तो हम

(श्री रामकिशन)

देखेंगे कि हम बहुत पीछे है । 60 से लेकर 74 तक का मुकाबला करें तो पायेंगे कि राज्य की आमदनी में वर्ष 60 में 1.42 उद्योगों से शेयर आता था और अब 73-74 में यह शेयर राज्य की आमदनी में 4.21 के करीब है। दूसरे प्रान्तों में उद्योगों का राज्य की आमदनी में शेयर 12 से 15 प्रतिशत तक है । नेशनल इनकम में उद्योगों का हिस्सा भी शामिल होना चाहिये । इस हिस्से को बढ़ाने के लिए हमें हमारे यहां पर उद्योगों के विकास के लिए भरपूर कोशिश करना चाहिये थी। वह नहीं हुई । जहां तक यह प्रतिशत बढ़ने का सवाल हैं यह तो आज की मंहगाई के कारण है । राज्य को इस शेयर को बढ़ाने के लिये जिस तरह का आचरण करना चाहिये था, जैसे हालात पैदा करने चाहिये थे, वह नहीं हुए हैं। हम कहते हैं, हमारे यहां पर बिजली है, पानी है, मिनरल्स हैं, जमीन है तब फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है । यहां क्यों अच्छे उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में भरतपुर की एक बात ध्यान में आती है । भरतपुर की राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास में कितनी मदद की है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, और उद्योगपतियों से मेरा सम्बन्ध बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि वहां पर पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से उसका औद्योगिक विकास नहीं हो सका है । भरतपुर की सिचुएशन ऐसी है, भरतपुर उस जगह पर बसा हुआ है कि वहां पर बड़ी लाइन भी है और छोटी लाइन भी है । उत्तर प्रदेश उसके पास में है और दिल्ली पास में है इसलिये अपने आप बड़े उद्योग वहां पर स्थापित हों, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की । यह राज्य सरकार लगातार 10-15 सालों के प्रयत्न के बावजूद भी उद्योगों को पानी देने की स्थिति तो दूर रही वहां पर पीने के पानी का भी प्रबन्ध नहीं कर सकी । तो पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की बात में सबसे पहले उस क्षेत्र में दिक्कत पूंजी की कमी है। तो कम पूंजी में अधिक लाभ हो इस प्रकार के प्रयत्न वहां के लिए किये जाने चाहिए । मैंने एक बात शुरू में ही कही थी कि हमारे प्रदेश में और हमारे देश में हमें छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा । उससे रोजगार भी ज्यादा मिलता है और पूंजी भी कम लगती है । उसमें टैक्निकल नालेज की भी कम जरूरत पड़ती है । हम इस दृष्टि से देखें तो राजस्थान बनने के बाद छोटे छोटे उद्योग राजस्थान में पनपने के बजाय नष्ट होते जारहे हैं, कागजों पर कुछ भी नाम हो और कुछ लोग कहीं पर बैठकर कुछ करें, लेकिन राज्य की आमदनी में उनका शेयर गिरता जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि 60-61 में वह 14.07 पर्सेन्ट छोटे उद्योगों से राज्य को आमदनी प्राप्त होती थी। 70-71 में वह 9.85 रह गई और 73-74 में वह 9.03 ही रह गई । इसका साफ मतलब यह है कि छोटे उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने कोशिश करने के बजाय उसमें उनका निरंतर पतन होता जा रहा है । इसकी देखभाल के लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं ? हमारे देश में जब छोटे उद्योगों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गांधीजी वाला चर्खा घूम जाता है और बड़े उद्योगों की बात करते हैं तो बड़े बड़े केपिटेलिस्ट आते हैं । छोटे-

(श्री रामकिशन)

छोटे उद्योगों की बात हमारे दिमाग की कल्पना में नहीं आती है। इस स्थिति में हम हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं कर पायेंगे और राजस्थान में बड़े उद्योग भी नहीं लगा पायेंगे। छोटे उद्योगों के जानकार जो दस्तकार हैं, जैसे हमारे यहां पर कोली जाति है उसके पास बुनाई का अच्छा धन्धा चल रहा था। आज वह इस दयनीय स्थिति में आगये हैं। कोली खेती करने से तो रहे। उनको जमीन मिलने की सम्भावना नहीं है। पुराना धंधा चौपट होता जा रहा है। उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उनको सूत दिलाने का प्रबन्ध नहीं, उनके कपड़ा बेचने की व्यवस्था नहीं है। सरकार को कम से कम ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बगैर उद्योग नहीं पनपेंगे और न नई आबादी के लिए काम धन्धा मिल पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना है सरकार से खासतौर से यह जो हमारे वित्त निगम हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं वे बड़े बड़े लोगों को आसानी से कर्जा देती है। यह सरकार की नीति है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बड़े उद्योगों के लिए तो पैसा दिया जाता है लेकिन उन वित्तीय संस्थाओं से छोटे उद्योगों की तरक्की के लिए पैसा नहीं मिल पाता है, और उसका नतीजा यह हो रहा है कि धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग धन्धे समाप्त हो रहे हैं और बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सारे उद्योग चले जा रहे हैं। एक तरफ तो इस सदन में और बाहर यह चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि देश की पूंजी 76 घरानों में सीमित हो गई है। वास्तव में यह चिन्ता का कारण भी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि उसको कैसे रोका जाय। पूंजी को उनके हाथ में न पड़ने से रोका जाय। इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार सोचती नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो निगम हैं उनके नियम ऐसे बनायें कि कम पूंजी वाले उद्योग हैं उनको पैसा मिल जाय जिससे उद्योग खड़े किये जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे मामलों पर सरकार ने ध्यान दिया होता तो हम समझते कि राजस्थान में उद्योगों और खनिजों की स्थिति काफी अच्छी होती। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में एक खाद का कारखाना लगाने की चर्चा की। हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा तो करते हैं लेकिन आज तक इस सदन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप नहीं रखा गया है। आपके पास खाद का कारखाना खोलने के लिए पूंजी तो है नहीं और केन्द्रीय सरकार आपको पैसा देने वाली हैं नहीं। आपको कोई दबाव नहीं है। आपका अगर कोई दबाव केन्द्रीय सरकार पर हो तो केन्द्रीय सरकार के उद्योग यहां पर स्थापित हो सकते हैं और हमारे यहां की बेरोजगारी मिट सकती है। इस दृष्टि से हम यदि देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान की केंद्र में निरन्तर अवहेलना हो रही है, लेकिन राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने इन सारे सवालों को लेकर खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तेलशोधक कारखाने की बात को कि वह कारखाना राजस्थान में नहीं लगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में

(श्री रामकिशन)

केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उद्योगों में पूंजी नियोजन करने वाली है। उसकी सूची आ सकती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, अभी से वह प्रयत्न करे। वह प्रयत्न खुशामद का नहीं होगा। वह प्रयत्न अगर दबाव का नहीं हुआ तो आपको हिस्सा नहीं मिलने वाला है।

हम इस तरह से देखते हैं कि विकास के लिए राजस्थान सरकार के डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज का विभाग है या डाइरेक्टर आफ माइन्स का विभाग है। अगर इन विभागों के पास कोई नौजवान पहुंचता है तो उसको कोई योजना दें। योजना देने की उनको फुरसत नहीं है इस विभाग को सहयोग के रूप में। लोग जो जिलों में बैठे हुए हैं वह अफसर, लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं वह भी अफसर। इस देश में सारे के सारे अफसर। किसी को जानकारी दे सकें, सहायता दे सकें, उनकी कठिनाई को दूर कर सकें, सहानुभूति के दो शब्द कह सकें, ऐसी स्थिति नहीं है।

एक सवाल उठता है कि राजस्थान के उद्योगपति बाहर तो उद्योग लगाते हैं लेकिन राजस्थान में उद्योग क्यों नहीं लगाते हैं? माननीया गौरी पूनियाजी पिछली दफा बंबई गई थीं तो ऐसे ही एक मेरे पुराने मित्र मुझे मिल गये। वह तो गये थे जर्मनी लेकिन उनकी पत्नी मिली। हम उनके घर खाना खाने गये। उन्होंने कहा कि साहब तो जर्मनी गये हैं। वे बम्बई में उद्योग लगाने वाले हैं इसलिए गये हैं। मैंने कहा कि राजस्थान में क्यों नहीं लगाते हैं। वह एक साधारण औरत थी और उद्योगपति की पत्नि होते हुए भी उद्योगों के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। उसने कहा कि राजस्थान में उद्योग नहीं चलने वाले हैं। मैंने पूछा कि क्यों नहीं चलेंगे? उसने कहा कि चन्दा तो सब जगह देना पड़ता है यहां बम्बई में भी देना पड़ता है। हरियाणा में बन्शीलालजी भी कुछ तय करते हैं, लेकिन राजस्थान में दरख्वास्त दी तो चन्दे का फैसला पहले करना होगा। वह चन्दा शांतिप्रसाद भी देता है और चरतराम भरतराम भी देता है, लेकिन साल दो साल चलने के बाद लें तो हर्ज नहीं क्योंकि तब तो वह आपके कब्जे में पड़ जायगा। उद्योगपति इस इलाके में इसलिए नहीं आते हैं कि यहां पर दरख्वास्त के साथ पैसा, मन्जूरी के साथ पैसा, पंचायतों के चुनावों के लिए पैसा, म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव के लिए पैसा, कार्यकर्ता की शादी के नाम पर पैसा। अब आप बताइये कि इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास कैसे हो, खनिज का विकास कैसे हो? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी आप दोनों नये बने हैं और उत्साही भी हैं। मैं समझता हूं कि आप इस प्रणाली को जरा बदलिये। कांग्रेस का राज्य 25-30 साल रह गया देश में और शायद 5-10 साल और चलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वह है यह कि आज देश की क्या हालत हो रही है? बिहार में झगड़ा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विधान मंडल को नहीं चलने दिया। अगर आपने इस को रोकने की कोशिश नहीं की कि राजस्थान में छोटे मोटे उद्योग पनपें, और 25 साल के पिछड़ेपन के बाद भी कोई शुरूआत नहीं की तो कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है।

(श्री रामकिशन)

बड़े सेठों से तो इस सरकार की हमेशा ही अच्छी जान-पहचान रही है। वह हमेशा बड़े सेठों से जान-पहचान रखती है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि संगमरमर की खान का पट्टा दिया जाता है माइनर मिनरल रूल्स के तहत 5 साल के लिए, लेकिन 72 में जो पट्टे दिये गये हैं उनकी सूची मुझे देखने को मिली है। उनमें 100 के करीब ठेके हैं तो उन ठेकों में दो ठेके ऐसे हैं जिनको 10 साल का ठेका दिया गया है। आम तौर पर 5-5 साल का ठेका दिया जाता है लेकिन इन दो खानों का शांतिप्रसाद जैन, जयपुर उद्योग को ठेका दिया गया। उनको 10 साल के लिए ठेका दिया गया है जबकि छोटे लोगों को 5 साल के लिए ठेका दिया गया है। इस प्रकार का व्यवहार होगा तो नये उद्योग-पतियों की निष्ठा कैसे रहेगी और राज्य कर्मचारी भी किस तरह से मन लगाकर काम करेंगे। मंत्री महोदय के सामने अफसर जाते हैं तो यस सर कहते हैं लेकिन बाद में जब वहां से जाते हैं तो गाली देते हैं। अभी तो यस सर कहते हैं लेकिन जब मंत्री महोदय सड़क पर आ जायेंगे तो मुंह फेर कर चलेंगे·····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यस सर और बाद में गाली निकालते हुए कितने दफा सुना है ?

श्री रामकिशन : मुझे भी, जब ट्रेन में जाता हूं तो कांग्रेसी समझ कर 50 गालियां देते हैं। जब उनको मालूम होता है कि यह रामकिशनजी सोशियेलिस्ट पार्टी के हैं तो गालियां बन्द हो जाती हैं। कुछ लोग तो 20-25 गालियां पहले ही दे देते हैं काम करने से पहले। आप नाहर साहब इस चक्कर में मत आ जाना। वह आपको गालियां देते है और इसलिए देते हैं कि गलत काम करते हैं। मैं सरकारी कर्मचारियों को डिफेन्ड नहीं कर रहा हूं। सबके सब ईमानदार हों यह बात नहीं है। लेकिन जब ईमानदार लोगों से गलत काम करवाते हैं तो उनकी निष्ठा प्रशासन पर नहीं जम पाती है। वह खुद यह महसूस करते हैं कि मुझसे गलत काम कराते हैं। शाहू शान्ति प्रसाद जैन को इन्होंने मदद की, वह मैंने बताया। दूसरा मामला और है जो आज से कुछ साल पहले, मास पावडर की पिसाई और ढुलाई के लिए टेण्डर मांगे जाते हैं। 31-12-70 को टेण्डर मांगे जाते हैं। उसमें एक गोलछा भी हैं। भारती डीलर है। गोलछा ने टेण्डर दिया 31 रु० मैट्रिक टन। भारती ने दिया 33 रुपया मैट्रिक टन। और एक तीसरे ने दिया 34 रुपया 98 पैसे मैट्रिक टन का दिया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह तो तीनों ही एक हैं।

श्री रामकिशन : होगा। यह तो आपको ही पता होगा। आपका काम पड़ता रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इण्डस्ट्री मिनिस्टर एक टेण्डर स्वीकार कर लेते हैं। वह इस समय डिप्टी मिनिस्टर हैं। वह लिख देते हैं कि डायरेक्टर साहब ने इसकी सिफारिश की हैं। डायरेक्टर साहब लिखते हैं कि मैंने कोई सिफारिश नहीं की है। दो साल ढाई साल चले जाते हैं। 30-9-72 को

(श्री रामकिशन)

दुबारा टेण्डर लिया जाता है। तो वह टेण्डर की रेट, हिन्दुस्तान में हर चीज का रेट बढ़ रहा है। लेकिन वह टेण्डर 26 रु० 85 पैसे का आता है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार को 1 लाख रुपये का नुकसान होता है। इस प्रकार से मन्त्री करते हैं। करौली में अपने चाहने वालों को ठेका देते है, 228 रुपये में। इस प्रकार से जब कभी कांग्रेस का इतिहास लिखा जायेगा तो इतिहास में आप का नाम आयेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनिट। कांग्रेस इतिहास में तो क्या नाम होगा। जिस तरह से मुगलों के साथ में लोदियों का भी जिक्र कर दिया जाता है। आपकी कहानी इसी प्रकार से लिखी जायेगी। राजस्थान के खनिज विभाग को और राजस्थान के मन्त्रिमण्डल को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेगा तो यह मामला बिगड़ जायेगा। हमारे उद्योग अगर बढ़ जायेंगे तभी हम बढ़ती हुई आबादी को धन्धा दे सकते हैं। हमने जो प्राप्त कर लिया है और अब के साल और प्राप्त कर लेंगे यह स्थिति बढ़ती हुई आबादी के लिये काफी नहीं है। माननीय खनिज इण्डस्ट्री मन्त्री जब जवाब देंगे तो वह इन बातों का भी जवाब देंगे। इनका उत्तर देने के लिये वह जोशी जी से दबेंगे नहीं। नाहर साहब आप तो उदयपुर वाले हैं। राज तो उदयपुर वाले ही करेंगे। वोट जयपुर वाले देंगे। जय जोधपुर वाले बोलेंगे। इसके अलावा कुछ है नहीं। जोशी जी से चेम्बर में आप जाकर चर्चा कर लें। आपने जवाब नहीं दिया तो मैं यह मानूंगा आप भी मामलों के साथ हैं और आपका भी इन मामलों में हाथ है।

श्री रामकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के सम्बन्ध में या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रामकिशन : क्या सदन की व्यवस्था ?

श्री रामकुमार : मैं सदन की व्यवस्था के बारे में निवेदन करूंगा। सदन की डिमाण्ड चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास लिखा जायेगा।

श्री रामकिशन : हमें तो उसकी आवश्यकता है नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपने जितने आरोप लगाये हैं। जितनी बातें कही हैं, आज के 50 वर्ष के बाद जब इतिहास लिखा जायेगा तो उस समय लोग यह कहेंगे कि उस समय के विरोधी पक्ष के लोग कितने गलत और मनगढ़न्त आरोप लगा कर बदनाम करते हैं। एक ऐसी गवर्नमेन्ट को बदनाम करते रहे है कि जिसने हिन्दुस्तान की काया पलट कर दी। यह जो रिपोर्ट आप

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

को और हमको दी जाती है। ये रिपोर्ट ही इतिहास है। हमारी और आपकी बात तो गलत हो जायगी। लेकिन यह इतिहास रहेगा। कोई बात हम भी कहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो काम रजिस्टर हुये हैं, वह आज कितने हो रहे हैं। 20 वर्ष के बाद क्या हुआ है, इसका लेखा जोखा करने के लिये न हम होंगे और न आप होंगे।

श्री रामकिशन : यह तो नाहर साहब बढ़िया बात बोले।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह प्रोसीडिंग ही सरकारी कागजात होंगे। जो गलत आरोप आप लगाते हैं, गलत बातें कहते हैं, वह आपके लिये सरदर्द नहीं है। यह एक खूबसूरत कारण है।

श्री रामकिशन : इसमें नहीं हो तो अच्छा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : गये साल, इस साल तो बीच में आप भूल गये। मैं उसकी याद दिला देता हूं। आपने यह कहा है कि विदेशी शराब का प्रोडक्शन बढ़ा है। विदेशी शराब के बारे में आपने कहा था कि वह बढ़ी है। मदहोशी आई है तो देशी पीना शुरू कर दें। भरतपुर में बैंगन बनते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप क्या पीते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : छोड़ दीजिये कि मैं क्या पीता हूं।

श्री केदारनाथ : वह तो बढ़ेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह रिपोर्ट माइनिंग कमेटी की है। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर ऐसे मिनरल हैं जो हण्ड्रेड परसेण्ट और कहीं नहीं मिलते हैं। भीलवाड़े में मुझे मालूम है, सन् 50 में 30 हजार मजदूर काम करते थे। धरती का वह धन है।

मैं नहीं मानता कि राजस्थान भर में 1100 भी लेबर होंगे। मैं चुनौती देता हूं कि इसमें 1100 लेबर भी नहीं हैं। इसको आप वेस्ट माईन मानिये, लेकिन इस पर बेस्ड इन्डस्ट्री के लिए कोई भी अधिकारी किसी को भी राय देते नहीं हैं। मुझे लगता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी रायल्टी की वसूली करने के अन्दर तहसीलदार के जैसे हो गये हैं, वैसे शायद तहसीलदार ही इनसे बैटर होंगे। इन्होंने माइनिंग इन्जिनियर की परीक्षा पास की है, किसी ने बनारस से की होगी किसी ने रांची से पास की होगी, किसी ने जोधपुर से पास की होगी। लेकिन सारा ज्ञान गायब हो गया है। मुझे मौका मिला था, एक डाक्टर को क्रोस करने का। हमारे शरीर में स्पीलिन और लिवर होता है। वह वर्षों पुराने डॉक्टर हैं, वर्षों पहले मेडिकल की परीक्षा पास की होगी। लेकिन गांव में रहते रहते सारा ज्ञान गायब हो गया। उनको क्रोस करने का मौका आ गया। मैंने पूछा, स्पिलिन को कोर्ट से जोइन करने वाले हैं। उनको आश्चर्य हुआ। इसी तरह माइनिंग के अधिकारी हैं. यह रायल्टी की वसूली करते करते माइनिंग का सारा ज्ञान भूल गये हैं।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

यही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1961-62 में जिन बातों के लिए आपने तय किया था कि हम राजस्थान में माइनिंग का कल्याण करेंगे, इतनी इतनी बातें करेंगे, भीलवाड़ा में माइका ग्राइंडिंग मशीन लगाने का तय किया था। यह 1961 में तय किया था और हर पंचवर्षीय योजना में उसको रिपीट कर रहे हैं। आखिर कब लगायेंगे ? क्या पन्द्रह वर्ष के पश्चात् राजस्थान में माइनिंग का कल्याण होगा ? या आप केवल कागजों में कल्याण करना चाहते हैं। अब कब लगाना चाहती है सरकार ? हमारे पास जो फिफ्थ फाइव ईअर प्लान का नक्शा आया है, उसमें देखने का मौका मिला है कि अब कागज फाइनल हो गये हैं ··

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था जरूरी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के सारे डाकूमेंट और योजना रखी नहीं गई है सदन की मेज पर। वह सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह आयेगी।

श्री रामकिशन : इस सन्दर्भ में नहीं है। सब के लिए कह रहा हूं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी मान्यता है कि आप केवल रिपीट कर रहे हैं। इससे बचिये।

इस सदन के सारे माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकानामी मत रखिये। आप देश को गरीब मत बनाइये। 70 पर्सेन्ट पापूलेशन एग्रीकल्चर पर आश्रित बतायी गहलोत साहब ने। मेरी मान्यता है कि 80 प्रतिशत पापूलेशन आश्रित है खेती पर, खेती पर राजस्थान की दो करोड़ पापूलेशन एग्रीकल्चर पर आश्रित है, उसमें से केवल 30 लाख ही खेती पर डिपेण्ड होंगे, बाकी के पौने दो करोड़, जिनको खेती पर निर्भर बताते हैं, न उनके पास खाने के लिए अन्न है, न रहने के लिए मकान है और न पहनने के लिए कपड़ा है। ऐसे गरीब लोग 80 प्रतिशत हैं, कुछ भूले भटके लोग हैं जो खेती पर निर्भर करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आपके और हमारे साथ नहीं हैं, वह अधिकारियों की मानते हैं, अधिकारी कहते हैं कि हमारी 70-80 पर्सेन्ट पापूलेशन खेती पर निर्भर करती है। हमारी और आपकी बात गलत है। हम कहना चाहते हैं कि हमारी असली गलती यह हो गई है कि फिफ्थ फाइव ईअर प्लान में 71 पर्सेन्ट इरिगेशन और खेती पर रखा है, और 4.5 केवल इन्डस्ट्री के ऊपर और खनिज पर रखा है। रत्न गर्भा वसुन्धरा। लेकिन उद्योगों विकास के लिए देश में फर्स्ट फाइव ईअर प्लान में एक पैसा नहीं रखा। माइनिंग के लिए सेकिंड फाइव ईअर प्लान में जो पैसा रखा, वह गायब हो गया, अन्त में खर्च नहीं हुआ। थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो रखा, उसका वन फोर्थ भी खर्च नहीं हुआ। फोर्थ फाइव ईअर प्लान में कहते हैं कि कुछ खर्च किया है। खर्च किया है तो आप जानें, कहां खर्च किया है। आप कहेंगे कि हमारे फिफ्थ प्लान में इसका चैप्टर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माइनिंग पर फिफ्थ फाइव ईअर प्लान में एक सारा का सारा चेप्टर दिया है, उसमें यह कहा गया है कि फिफ्थ प्लान के अन्दर माइनिंग के सम्बन्ध में आप क्या

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

करने जा रहे हैं । बेनीफिकेशन प्लान्ट प्रासेसिंग लेबोरेट्री । इनके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता । यही आपने 1961 में कहा था । फिर आप पन्द्रह वर्ष क्यों बैठे रहे । अब बेनीफिकेशन प्लान्ट क्या है, भगवान जाने । मैं समझ नहीं पाया जब कि मैंने एलएल. बी. पास किया है। तो गांव बैठा आदमी बेनीफिकेशन प्लान्ट को क्या समझेगा । अजीब कोई चीज होगी, वह समझेगा ।

मैं मानता हूं कि भीलवाड़ा की जो माइका है, वह जो पूरे देश में संसार का 99 पर्सेन्ट माइका पैदा होता है, सोरी, 95 पर्सेन्ट हमारे देश में पैदा होता है, इतना संसार में कहीं नहीं होता, हमारे पूरे देश की कुल पैदा में राजस्थान के अन्दर 20, 22 पर्सेन्ट पैदा होता है। इस माइका बेस्ड इन्डस्ट्री के लिए भोपाल माइका ने जरूर यह किया कि दिल्ली में जाकर वहां से वह पेटेन्ट खरीद लाया और ईंट बनाई। उसने गलती की, बेवकूफी की । नहीं तो कोई माइका बेस्ड इन्डस्ट्री नहीं बनती और करोड़ रुपये का सारा माइका इंगलैंड, अमेरिका और रूस जाता रहता । अब आप प्लान्ट लगाने की बात कह रहे हैं। भीलवाड़ा में माइका ग्राइंडिंग का प्लान्ट लगाना चाहते हैं। मुझे नहीं दिखता कि फिफ्थ प्लान में यह लग जायगा । आप और हम जिन्दा रहे और इस सदन में रहे तो जब फिफ्थ प्लान का अन्तिम वर्ष होगा तो यह आश्वासन हमें दिया जायगा, अब हम सोच रहे हैं, अभी लगाने की स्कीम आयी नहीं है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता लेकिन राजस्थान के एक व्यक्ति बम्बई में मुझे मिल गये, उनकी पत्नी से बात की, उद्योगपति नहीं, उद्योग पत्नी ने कहा, भगवान जाने.......

श्री रामकिशन : वैसे बुढ़ापे के संदर्भ में मत लीजिये । वैसे ही इस बात को समझ लीजिये । बुढापे के संदर्भ की बात दूसरी है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपका यह कहना गलत है कि राजस्थान सरकार रियायतें दे रही है। वह केवल कागजों में रियायत देती है। कागजों की रियायतों को देखें तो आंखें फट जायं, आंखें चकाचौंध हो जायं कि राजस्थान सरकार जो रियायतें दे रही है वह विश्व में कोई सरकार नहीं दे पायी है। कोई उद्योगपति भूले भटके राजस्थान में आ जाते हैं, उनमें से बिड़ला यह रियायतें ले लें, या चरत राम भरतराम ले लें, उनको मिल जाती हैं लेकिन छोटे उद्योगपति हैं, उनको जमीन दो साल तक नहीं मिलती है, बिजली का कनेक्शन चार साल तक नहीं मिलता है, पैसा मिलने वाला है, भले ही उनकी हड्डियां शेष रह जायं, उनको नहीं मिलता है । इसलिए वह उद्योग नहीं लगा सकते हैं । मेरी यह मान्यता है. सहकारी मंत्री ने एक बार कहा था, उनके गांव का रहने वाला कोई कलकत्ता का सेठ आया । उसने इण्डस्ट्रियल शैड मांगा । वह पकड़ लाये, जयपुर लाये, सोचा राजस्थान का कल्याण करें, यह दस बारह लाख लगाना चाहता है । लेकिन उसको एक वर्ष तक जमीन नहीं मिली । कागजों का पता नहीं। जब वह थक गया तो यहां से दिल्ली जाने लगा । बंशीलालजी से वह टकरा गया और हरियाणा पहुंच गया । आपका यह

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

गलत कहना है कि हम चन्दा मांग कर देते हैं। चन्दा मांग कर कौन देता है, हमने देना सीखा ही नहीं है। इसमें चन्दा देने की बात नहीं है। उद्योग लगाने की बात है, वह कागजों में रखते हैं, देना तो दूसरी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योग का महकमा है, इन्होंने कितनी ही बातें बताई हैं। इण्डस्ट्री की, लेकिन हालत यह है।

एक बहुत बड़ी खान है, बनेड़ा के पास। वहां ड्रिलिंग हुआ, उसमें तय हो गया कि कोपर भी है, जिंक भी है, लोहा भी है। सब भरा पड़ा है। दो सौ वर्ष तक काम आयेगा। वर्षों तक ड्रिलिंग चलता रहेगा, उसकी इतनी स्ट्रेन्थ है, इतनी केपेसिटी है। सौ वर्ष तक चलेगा, दो सौ वर्ष तक चलेगा, चलता रहेगा, तब जाकर बाहर निकल पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो टोटल फिगर आपने दिया है, उसमें सबसे ज्यादा किसी इन्डस्ट्री और खान में नोकर हैं तो वह केवल इमारती पत्थर की खान है, उसमें 30 हजार, 40 हजार, 60 हजार आदमी काम करते हैं……

श्री रामकिशन : 66 हजार!

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बाकी किसी में दस हैं, किसी में बीस हैं, किसी में चालीस हैं और दुर्भाग्य यह है कि हमारी मजबूरी है। राजस्थान विधान सभा में जब से मैं आया हूं, मैं एक बात की शिकायत कर रहा हूं, भगवान के नाम पर रिसर्च डिपार्टमेंट खोलिये, हमें अध्ययन करने का मौका दीजिये। कहीं कुछ नहीं साहब, 1967 में एक किताब यू. पी. से निकला, वह सोशलिस्ट हैं……

श्री रामकिशन : सोशलिस्ट ही लिख सकते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह किताब मैं लाइब्रेरी में ढूंढने गया तो किताब नहीं मिली। इन्डस्ट्री पर कोई किताब नहीं है, लेबर पर किताब नहीं है, माइनिंग पर किताब नहीं है। कहें तो किसको कहें। गाली निकालने के बजाय कोई रास्ता नहीं है। डिपार्टमेंट में जैसे नोक झोंक करते हैं, जो उत्तर होता है कि प्राडक्शन कम हुआ है, कीमतें बढ़ गई हैं, वही होता है। अरे साहब, जमीन हमने जो चार आने गज ली थी, उसकी कीमत भी तो बढ़ गई है। वह कीमत आपने और हमने तो बढ़ाई नहीं है, इनफ्लेशन ने बढ़ाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में राजस्थान का कल्याण करना है तो इस एग्रीकल्चर बेस्ड इकानामी को हटायें। माइनिंग बेस्ड इकानामी के आधार पर काम करें।

दूसरे आपके जितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं जंगल, इनका सर्वे करवायें, शोध करवायें। इन पेड़ पौधों से बहुत बड़ी चीजें मिल सकती हैं। भरतपुर अलवर में ग्लास फाइबर है उसमें केवल दो चीजें चाहियें मिट्टी व सैंड। बहुत बड़ा उद्योग है। हमारे यहां राजस्थान में उद्योग विभाग या खनिज विभाग ने पता लगाया कि क्या हो रहा है? सर्वे करवाने की बात करते हैं। मैं खनिज मंत्री से निवेदन करूंगा कि डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज या डाइरेक्टर आफ माइन्स एण्ड ज्योलोजी इसके जानकार हैं? मैं पूछता हूं डाइरेक्टर आफ

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

इन्डस्ट्रीज एक आइ. ए. एस. क्यों ? हमारा दिमाग तो काम नहीं करता। मैं अपने आपको भी अनजान फील कर रहा हूं, सिवा इसके कि गप्पें हांकूं, इनके सिवा सदन में कुछ नहीं कर सकता। यह मामला मेरे दिमाग में नहीं बैठा। आपका डाइरेक्टर आफ प्राइमरी एजूकेशन आइ० ए० एस०। डर गए कालेज के प्रोफेसरों से तो आपको नक्शा बदलना पड़ेगा और आगे होकर रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब केसेज कागजों में ही पड़े रह जायेंगे।

हमारे खनिज मंत्री ने बड़े अभिमान से एक बात कही कि भारतवर्ष में माइनर मिनरल्स बनाने वाले सबसे पहले हम हैं। एक एक दो दो साल का ठेका दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में डिस्क्रेशन है। आप किसी से नाराज हो जायं तो दो साल। डेमोक्रेसी रूल आफ लॉ है। अगर माइनर मिनरल आपका सही है तो 50-10 साल के लिए देना गलत है। हमारे खनिज मंत्री ने कहा कि माइनर मिनरल इस देश में हमारे यहां सबसे पहले बना है। लेकिन एक बात का आपको पता हो कि माइनर मिनरल, उसमें इतनी बड़ी पोल खोल दी, उसको 2 साल या 5 साल के लिए रख सकते हो इसमें रूल आफ लॉ नहीं रहा। कहीं 6 महीने, कहीं 5 वर्ष कहीं 10 वर्ष। कोई करोड़पति आ गया तो 20 साल का ठेका दे रहे हैं। इसलिए आपको माइनर मिनरल्स की ओर ध्यान देना चाहिए। बिजली लगने में तीन तीन साल हो गए। आप माइनर मिनरल्स को ठीक करें। अगर देश का कल्याण करना है तो आपको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनोमी से हट कर खनिज व उद्योग का अधिक से अधिक संख्या में विकास करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज व उद्योग पर कटौती प्रस्ताव पर आपके माध्यम से अपने विचार क्रमशः व्यक्त करना चाहूंगी। यह एक सुखद आश्चर्य है कि राजस्थान की वह भूमि जो बंजर, रेतीली और अनुपजाऊ दिखाई देती है उसके गर्भ में बहुमूल्य चीजें हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण के कार्य बहुत कम मात्रा में हुए। इस प्रकार की खनिज संपदा जो हमारे देश में है, इस बारे में विस्तृत जानकारी करनी होगी।

(3.44 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

राजस्थान में खनिज विस्तार निगम की स्थापना करनी चाहिए जिस निगम का काम यह हो कि किस किस स्थान पर कौन कौन से बहुमूल्य धातु विद्यमान हैं और उस आधार पर हम किस प्रकार विकास कर सकते हैं। आज राजस्थान में कई प्रकार की खनिज सम्पदा जैसे शीशा, जस्ता, चांदी यहां तक जो रेगिस्तान की भूमि है उसमें पेट्रोल जसे तरल पदार्थ की सम्भावनायें व्यक्त की जा रही हैं परन्तु इस ओर आज हमारा ध्यान नहीं गया है या बहुत कम गया है। उस

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

और भी क्रमिकरूप से बढ़ना होगा। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास बिजली बहुत है परन्तु बिजली पहुंचाने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं, उसके लिए उपकरण नहीं हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आज हमारे यहां पर काफी अधिक मात्रा में तांबा मिलता है झुंझुनूं के पास में, अलवर में काली घाटी, जयपुर में अचरोल, सीकर आदि में भी पाया जाता है लेकिन इस ओर हमारा ध्यान बहुत कम गया है और हम संगठित तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इस ओर नहीं बढ़ रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में जावर पर्वत शृंखलायें हैं। वहाँ जस्ता और शीशे के भण्डार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उस दिशा में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जो कार्य कर रहा है वह सराहनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत जस्ता इस पर्वत शृंखला में विद्यमान है जिसे पूर्णरूप से निकालने की व्यवस्था नहीं। ऐसा अनुमान है कि यहां पर 25 वर्ष तक 40 हजार टन जस्ता प्रति वर्ष निकाला जा सकता है।

उदयपुर के अतिरिक्त फतेहनगर जो उदयपुर जिले में ही है, चित्तौड़गढ़ की सीमा से लगता है वहां राजपुरा में बहुत अधिक मात्रा में जस्ता पाया जाता है ऐसी हालत में हमारे देश में दो लाख टन जस्ता की आवश्यकता होती है जबकि केवल 25 हजार टन हमारे यहां मिलता है। अगर हम इस उद्योग की ओर ध्यान दें तो इससे केवल हम राजस्थान की समृद्धि ही नहीं देश की समृद्धि बढ़ा पायेंगे।

जहां तक राक-फासफेट का सवाल है, सौभाग्यवश हम इस ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि सारे देश का 99 प्रतिशत राक फास्फेट केवल राजस्थान में ही पाया जाएगा।

झामरकोटड़ा में जो खनन कार्य आजकल सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं उसके लिए मैं उसकी पूरी प्रशंसा करूंगी परन्तु राक फास्फेट केवल झामरकोटड़ा में ही नहीं जैसलमेर में फतेहगढ़ के पास भी है, इस ओर खोजबीन करके इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा बाड़मेर में पाइराइट के खुदाई का कार्य मंदगति से चल रहा है और संभव है कि कई वर्षों तक विकास के मार्ग पर नहीं पहुंच पायेंगे। आज खनिज संपदा की ऐसी ही एक और संपदा दिखाई देती है वह है इमारती पत्थर। जैसे नाहर साहब ने फरमाया, इस में बहुत से व्यक्ति लगे हुए हैं। आज मकराना का संगमरमर इसका उदाहरण है। इसकी इटली के संगमरमर से तुलना की जा सकती है। परन्तु अभी भी आधुनिक तरीके से इसको नहीं लिया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाना है खासतौर से जहां खाने हैं वहां विकास करना है। संगमरमर केवल मकराना में ही नहीं, पाली, सूरतगढ, अजमेर तथा बूंदी में भी विद्यमान है। परन्तु इस ओर हम लोगों को सोचना होगा कि इस खनिज संपदा को किस तरह से आगे बढा सकते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में काले पत्थर की खानें हैं जिसे काला संगमरमर कहा जाता है। परन्तु आश्चर्य का विषय है कि उन खानों में काम करने वाले मजदूर अभी भी कोई विकास का कार्य नहीं कर पाए हैं। खासतौर से मालपुरा तथा सावा की जो खाने हैं वहां आवागमन की सुविधा नहीं है।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

सड़कों की वहां सुविधायें करनी होंगी जिससे एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह माल ले जा सकता है और वहां से माल ला भी सकता है। इसलिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विकास हो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। मान्यवर, सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर खनिज को अधिक मात्रा में उपलब्धि है जिससे कि हम औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं। हम बहुत अधिक आगे बढ सकते हैं। हमें इस ओर विकास करने की जरूरत है। उद्योगों के विकास के लिये मेरा यह सुझाव है कि चूंकि उद्योगों की सम्भावना पर सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया जाय जो एक बहुत ही गहन विषय है और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सभापति महोदय, आज हमारे देश की जनता जिस रफ्तार से बढ रही है उसके मुकाबले में औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति अति मंद है। हम खेती के काम से हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। यदि सभी को खेती के काम में लगाये रखते हैं तो वह अनआर्थिक व्यवस्था होगी। लेकिन अगर हम उद्योग धन्धों के विकास की ओर ध्यान दें, हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने उद्योग धन्धों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया है। हालांकि हमारे यहां पर उद्योगों का विकास हुआ है लेकिन वह अभी तक अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। वह क्यों नहीं हो पाया है उसके बारे में मैं सोचती हूं और मेरे दिमाग में यह आता है कि हमारे उद्योग विभाग का प्रचार और प्रसार कार्य का ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में उद्योग के क्षेत्र में क्या सम्भावनायें हैं और यहां पर किस किस प्रकार की पूंजी किस किस में लगायी जा सकती है। इस ओर लोगों का देश में और हमारे प्रान्त में ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। लेकिन मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता हैं कि हमारे यहां का जो जनसम्पर्क विभाग है बहुत अधिक सुस्त है। हमारे यहां के जन सम्पर्क विभाग को चाहिये कि स्थान स्थान पर प्रचार प्रसार करें कि राजस्थान में किन किन उद्योगों की सम्भावनायें हैं और राज्य सरकार किस किस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। क्या क्या सुविधायें दे रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान के तथा बाहर के साहसी लोग प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये जरूर आगे आयेंगे। लेकिन मैं समझती हूं कि इस बारे में पूरा एडवरटाइजमेंट नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है तो वह धीमी गति से या सिर्फ कागजों में ही कार्यवाही हो रही है। सभापति महोदय, अभी राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से विकास करने के लिये थोड़ी सम्भावनायें बढी हैं राजस्थान में जो कि पिछड़े क्षेत्र में आते हैं उनके लिये औद्योगिक दृष्टि से विकास की दृष्टि से 16 जिले औद्योगिक दृष्टि से, पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं। सभापति महोदय, आपने दूसरे पिछड़े क्षेत्रों को घोषित किये हैं वह तो ठीक है पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने चित्तौड़गढ़ को पिछड़े क्षेत्र में नहीं माना है। सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये था। इसको भी जिस तरह आपने यह 16 जिले औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े हुए घोषित किए हैं उसे भी इसमें रखते। सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र ऐसा है जहां पर उद्योगों के लगने की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति औद्योगिक विकास के लिये काफी

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

फेवरबेल है। उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, उद्योग वहां खोले जाने चाहियें जहां पर कोस्ट ग्राफ प्रोडक्शन बहुत कम आये। सभापति महोदय, हमारे यहां पर सदन में कई बार यह प्रश्न आया है कि खाद का कारखाना कहां लगाया जाय। इसके बारे में भारत सरकार भी कई दिनों से सोच रही है। मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगी की तकनीकी दृष्टि से देखा जाय तो चित्तौड़गढ़ ही इसके लिये उपयुक्त स्थान होगा। कारण यह है कि एक तो खाद का कारखाना वहां लग सकता है जहां पर पानी अधिक हो। तो पानी की जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे चित्तौड़गढ़ में कोई कमी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वहां क्यों लगे ग्रोर जगह क्यों नहीं ....

श्रीमती निर्मलाकुमारी : मैं तो सुझाव दे रही हूं बाकी राज्य सरकार को जहां ठीक लगे वहीं लगावे। सभापति महोदय, हमारे चित्तौड़गढ़ में पानी के लिये कैचमेन्ट एरिया अच्छा है। इस गोगुन्डा नामक स्थान पर बांध बनाकर पानी एकत्रित किया जा सकता है। सभापति महोदय, दूसरा खाद बनाने के लिए कच्चा माल है राकफास्फेट भी चित्तौड़गढ़ के पास ही झामरकोटड़ा से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात नहरी एरिया है जिससे कि ग्राप खाद की खपत बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश का इलाका भी चित्तौड़गढ़ के बिलकुल लगता हुग्रा है जिससे कि ग्रापकी खाद मध्यप्रदेश में भी जा सकती है। इसके अलावा यातायात का जहां तक सवाल है चित्तौड़गढ़ एक जंकशन है वहां से आप दूसरी जगह खाद भी बाहर भेज सकते हैं। इसके अलावा विद्युत की भी वहां पर कमी नहीं है क्योंकि चम्बल से विद्युत हमारे चित्तौड़गढ़ में ग्रापको उस कारखाने के लिए बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि खाद का कारखाना चित्तौड़गढ़ में खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए मान्यवर कृषि संबंधी उपकरणों के उद्योगों की स्थापना हमारे यहां होनी चाहिये। सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार ने कृषि संबंधी उद्योग खोलने की ग्रोर बिलकुल ही ध्यान अभी तक नहीं दिया है। हमारे यहां पर ट्रैक्टर के कारखाने खुलने चाहियें। मान्यवर ग्रमृतलालजी गहलोत ने जैसा कहा कि जोधपुर में ट्रैक्टर का कारखाना लगने की बात थी वह ग्रब तक पूरी नहीं हुई सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सभी ग्रौद्योगिक विकास के कार्य मन्दगति से चल रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां पर इलेक्ट्रोनिक उद्योगों के खुलने की बहुत ही अधिक सम्भावनायें हैं। लेकिन इसके बारे में हमने विशेष ध्यान ही नहीं दिया है। ग्राज हम इलेक्ट्रोनिक उद्योगों के जरिये हमारे यहां पर जो बेकार इन्जीनियर्स हैं ग्रौर जो डिप्लोमा प्राप्त युवक हैं उन्हें रोजगार पर लगा सकते है। इसके ग्रलावा मान्यवर, हमारे यहां पर राजस्थान में वन सम्पदा से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के लिये ग्रभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ग्राज हमारे राजस्थान में वन सम्पदा भरी पड़ी है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है ग्रौर हो रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में। सभापति महोदय, मैं ग्रापके मारफत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

कि इन वन सम्पदाओं को उपयोग किया जाना चाहिये। आज हमारे यहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में का सारा इलाका वन सम्पदा से भरा पड़ा है। वहां पर आप चाहें तो दियासलाई और कागज के कारखाने खोल सकते हैं। इसके अलावा अन्य उद्योग भी आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं। मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर लाइमस्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है। आप अगर सीमेन्ट फैक्टरी और खोलें तो उनकी काफी अधिक सम्भावनायें हैं। इससे आपको जो प्रोडक्शन होगा उससे हम भवन निर्माण की समस्या को काफी मात्रा में हल कर पायेंगे। सभापति महोदय, दक्षिण में ऐलोर में सीमेन्ट कंकरीट का कारखाना है वहां पर छोटे-छोटे मकान के पार्ट्स जैसे भिति पिन्ड, छत और फर्श के शिला खण्ड, पार्टीशन आदि बनाये जाते हैं। उन्हें जोड़ कर भवन का निर्माण किया जाता है ऐसा कारखाना आप राजस्थान में लगायें तो आज जो हमारे यहां पर कई लोगों को सर छुपाने के लिये झोंपड़ा भी नहीं है वह समस्या हल हो जायेगी। और इसके अलावा लोगों को रोजगार भी दिया जा सकेगा। इसलिये इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

इसके अलावा सभापति महोदय, हमारे यहां पर राजस्थान वित्त निगम और लघु उद्योग निगम भी हैं। इन दोनों ही निगमों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। उन्होंने कई उद्योगों को आर्थिक सहायता दी है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिये कि अब संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगायें। सरकार और प्राइवेट पार्टीज दोनों ही मिल कर पून्जी लगायें और जो संयुक्त उद्योग खोले जायेंगे उसमें उनका प्रबन्ध भी दोनों के हाथ में रहेगा। इससे दो फायदा होंगे। पहला यह कि इससे समाजवादी व्यवस्था कायम हो सकेगी। जिससे कि एकाधिकार की प्रवृत्ति कम होगी। दूसरे जो आज प्राइवेट सेक्टर्स में उनका प्रबन्ध जो कुशलता से चलता है उसका फायदा हमारे संयुक्त सेक्टर्स को भी होगा और प्रोडक्शन अधिक होगा। लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके अलावा सभापति महोदय,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं अभी दो मिनट में समाप्त कर रही हूं सभापति महोदय। सिर्फ एक दो बात ही कहना चाहती हूं। मान्यवर, आज हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है उसका एक कारण यह है कि आज हमारे यहां पर औद्योगिक संस्थानों में आये दिन हड़तालें, तालेबन्दी और घेराव वगैरह होते रहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति के लिये सभापति महोदय, यह बड़े उद्योगपति हैं वह जिम्मेवार हैं। यह पून्जीपति लोग हड़तालों और तालेबन्दी करवाते हैं और बाद में प्रोडक्शन कम बता कर कहते हैं कि साहब प्रोडक्शन कम हुआ हम क्या करें और बाद में उस छुपे हुए प्रोडक्शन का ब्लेक कर दिया जाता है।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में सीमेन्ट का कारखाना है। वहां पर आये दिन हड़ताल होती है। गुन्डों को भेज कर हड़ताल करवाई जाती है। भोले-भाले मजदूरों को उकसाया जाता है कि तुम हड़ताल

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

करो। जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो यह मालिकों की ओर से बताया जाता है कि प्रोडक्शन कम हुआ इसलिये हम सीमेन्ट नहीं दे सकते। फिर वह सीमेन्ट ब्लैक में जाता है। यदि संयुक्त उद्योग लगायेंगे तो इससे छुटकारा मिल जावेगा।

बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की जो समस्या दिखाई देती हैं उसको दूर करने के लिये हमको कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षितिज पर वे एक आशा की किरण दिखायी दे रहे हैं।

इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट्स के लिए जिला मुख्यालयों पर कार्यालय बनाये हैं। कई कर्मचारियों की उनमें नियुक्तियां की हैं। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि वे कुटीर उद्योगों की सम्भावनाओं के लिए प्रचार और प्रसार करें इस कार्य में तीव्र गति लायी जा सकती है। ताकि ग्रामीणों को पता लगे कि कितनी पूंजी से कौनसा उद्योग चलाया जा सकता है और सरकार की ओर से उनके लिये ये सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए हमको जिला मुख्यालयों पर ट्रेनिंग केन्द्र खोलने की भी आवश्यकता है। विदेशों में आप देख लीजिये इतनी बेरोजगारी नहीं है। शॉर्ट ट्रेनिंग सेन्टर से प्रशिक्षण दिया जाता है उनको रोजगार के साधन इस प्रकार से उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे यहां पर इस प्रकार के ट्रेनिंग सेन्टर्स की कमी है। हर एक जिला मुख्यालयों पर ट्रेनिंग सेन्टर लगाना चाहिए और उनको वैसे ही निःशुल्क रूप से चलाया जा सकता है जिस प्रकार कि स्कूल चलाये जाते हैं। इससे हम आगे आने वाली पीढ़ी को उद्योगों के प्रोत्साहन दे सकते हैं।

कच्चे माल की बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। कच्चा माल समय पर नहीं मिलता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में चूंदड़ी बनाने का काम होता है। इनको गांव की स्त्रियां पहनती हैं। इसलिये सस्ती दर पर प्राप्त होती हैं। लेकिन कपड़े की कीमत इतनी बढ़ गई हैं कि वह व्यवसाय मृतप्रायः पड़ा हुआ है। उद्योग मंत्रीजी से भी निवेदन किया था यदि इस कुटीर उद्योग को पनपाना है तो उनको कच्चा माल आपको देना होगा सस्ती दर पर कपड़ा देना होगा। मैं आशा करती हूं कि इस ओर समुचितरूप से ध्यान दिया जावेगा।

जिन गांवों में उद्योग लगे हुए हैं अथवा लग रहे हैं उनको सड़कों से जोड़ना तो बहुत आवश्यक है। इसके लिये हमने सोचा ही नहीं। विद्युत के लिये पहले ही निवेदन किया था इन गांवों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि हम कोटेज इन्डस्ट्रीज काम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो हमको इन उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। मान्यवर, इस प्रकार की सुविधायें हमें प्रदान कर देंगे तो संभव है हमारे राजस्थान में विकास के काम मे गतिशीलता आवेगी और विकास तीव्रगति से संभव हो सकेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लकड़ी के खिलौनों का कुटीर उद्योग के रूप में काम होता हैं। बस्सी गांव है वहां पर पट्टे बनाये जाते हैं। जिनको वहां की भाषा में बाजोट बोलते हैं। उन पर सुन्दर चित्रकारी होती है। इस उद्योग की तरक्की के लिये आर्थिक सहायता

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

देकर वैज्ञानिक रूप भी इसको देना होगा क्योंकि काफी पुराना तरीका है।

मान्यवर मैं यही कह कर अपना कथन समाप्त करती हूं कि हम राजस्थान में खनिज की दृष्टि से धनी हैं और खनिज सम्बन्धी उद्योगों में विकेन्द्रीकरण करके हम हमारे प्रान्त की गरीबी और बेकारी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनका नाम तो हमेशा ही बुलाया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा नम्बर पहले ही था।

श्री सभापति : मैं यह निवेदन करूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके नाम पुकारे जा रहे हैं। आपको बोलना है तो उचित समय पर आपको भी हक दिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : सभापति।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

एक माननीय सदस्य : पाईन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है। मेरी समझ में नहीं आया।

सभापति महोदय, आज की मांगे सदन के सामने प्रस्तुत की गई हैं उनका बहुत ही महत्व है। और मैं सिर्फ दो डिपार्टमेंट के बारे में अपना तजकरा सीमित रखूंगा। एक इन्डस्ट्री और दूसरा खनिज।

सभापति महोदय, जैसा कि आपको यह विदित है कि हिन्दुस्तान की 80 फीसदी आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। लेकिन हम यह देखते हैं कि 80 फीसदी आबादी 20 फीसदी आबादी को फीड नहीं कर सकती है। उसका पेट नहीं भर सकती है और आज यह स्थिति पैदा हो रही है कि हिन्दुस्तान के हर हिस्से में खुराक की कमी हो रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा अगर हम 80 फीसदी आबादी को इस तरह से युटिलाइज करें कि जिसकी पैदावार 20 फीसदी आदमी को भी फायदा नहीं पहुंचा सके तो हमको गहराई से यह सोचना होगा कि इस लेबर पावर का तो दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या हम लाइन से भटक गये हैं? फूड की बात पर नहीं जाना चाहता। खेती पर इतना भार आलरेडी मौजूद है कि हम उस पर लोगों को नहीं ले जा सकते हैं। दूसरी राह हमको तलाश करनी पड़ेगी। हमारा आर्थिक ढांचा है उसके अन्दर हम उस वक्त तरक्की ला सकते हैं जब हम औद्योगीकरण करें और खनिज के जो साधन हैं उनको विकसित करें और उनको बढ़ायें।

आज राजस्थान के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने केन्द्र की हुकूमत ने यह कह दिया है कि राजस्थान है वह एक बेकवर्ड स्टेट है।

श्री मूलचन्द सामरिया : उनकी पार्टी की नीति के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री सभापति : डिस्टर्ब न करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके लिये कहा गया है कि ये बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहला सवाल उठाना चाहता हूं कि जो इम्बेलेन्सेज हैं राजस्थान के अन्दर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फर्क है और कुछ जिले ~~ऐसे हैं जो इन्डस्ट्रीज से भरे हुए हैं और कुछ~~ ऐसे जिले हैं जिनमें किसी किस्म की इन्डस्ट्री नहीं है। वे जिले मरुस्थल एरिया में वाकये हैं। वहां इन्डस्ट्रीज नहीं हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाई इस बात के लिये तो लड़ते है, हाईकोर्ट की बेंच यहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिये क्या इस विषय पर भी सोचा है कि मरुस्थल के एरिया में कितनी इन्डस्ट्रीज हैं ?

वहां कितनी एम्पलोयमेंट की पोटेन्शियेलिटी है। दस्तकारी सिखाई जा सकती है। क्या क्या इण्डस्ट्रीज कायम की जा सकती हैं इसका निर्णय किया जा सकता है। अगर एक प्लान दी जाय तो उसके मुताबिक जोधपुर में इण्डस्ट्री कायम हो सकती है। ट्रैक्टर की और दूसरी इण्डस्ट्री की सम्भावना वहां हैं।

पहले बजट में भी इनका जिक्र आया था। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह एरिया चाहे जोधपुर का हो, बकिानेर का हो, जैसलमेर का हो वे सब एरिया आज नीग्लेक्टेड हैं इसलिए यह इम्बेलेन्स है। यहां एक जिले से दूसरे जिले में तो इम्बेलेन्स है ही सारे राजस्थान को देखते हुए देश के दूसरे प्रदेशों में भी इम्बेलेन्सेज है। जो पिछड़े हैं वे पिछड़े हैं अब तक। आपकी नीतियों में फर्क नहीं आया।

आज कोटा और गंगानगर में कन्सेन्ट्रेशन है। कुछ अजमेर में है लेकिन ऐसे एरिया जहां इण्डस्ट्रीज कायम हो सकती हैं वहां होनी चाहिये। बीकानेर में ऊन इण्डस्ट्री कायम की जानी चाहिए। बीकानेर में जो वूल पैदा होता है कसरत के साथ हिन्दुस्तान में सबसे अधिक वहां पैदा होती है। इसके लिए इण्डस्ट्री वहां लगे इस बारे में प्रोत्साहन ~~दिया जाना चाहिए। इस बारे में आपको~~ संजीदगी से फैसले करने होंगे। इन इम्बेलेन्सेज को मिटाना चाहिये। नहीं तो इससे बड़ा खराब वातावरण पैदा होता है। तमाम इलाके के समान विकास का हमें लक्ष्य रखना चाहिए।

1918 में केन्द्र की हुकूमत ने कुछ इन्डस्ट्रीयल पालिसी का ऐलान किया और इसके बाद एक दत्त कमेटी कायम की फरवरी 70 में यह पता लगाने के लिए कि पूंजी का कन्सेन्ट्रेशन आज जो कुछ थोड़े से देश के पूंजीपतियों के आसपास हो रहा है वह किस तरह से रुके। हमारी उस पालिसी से मोनोपोली हाउसेज का विकास हुआ। उस पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। सोचा गया कि अगर यह गति नहीं रुकेगी तो छोटे व्यापारी कभी नहीं पनप सकेंगे। और हमारे यहां का लघु उद्योग समाप्त हो जावेगा।

इसके बाद 17 मई 72 में एक मेमोरेण्डम टाटा हाउस की तरफ से दिया गया हमारे प्रधानमन्त्री महोदया को और उसमें यह कहा गया कि यह जो रोक लगाई गई है मोनोपोली हाउसेज पर इससे देश तबाह हो जावेगा। इण्डस्ट्रीज ठप्प हो जावेंगी। अगर आप यह चाहते हैं कि इन्डस्ट्रीज का विकास हो तो आपको अपना पैसा लगा देना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चाहिये। काम हम सब करेंगे क्योंकि हम जानते हैं काम करना। सरकार ने न काम कभी किया है और न सफल हुई है, न होगी।

पर सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर भी ईमानदारी से काम करने वाले हैं। दयानतदारी वाले भी हैं। और जहां ऐसे आदमी होते हैं चाहे वे सरकारी उद्योगों में ही हों जहां होते हैं वहां नफा होता है। कोटा में इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड है जिसमें पहले ही कुछ सालों में बहुत बड़ा न कहिये दस करोड़ की रकम का लाभ हुआ और ऐसा यह पहला मसला है। मैं यह मानता हूं कि जहां मैनेजमेंट सही कदम उठावेगा जहां ईमानदारी से काम होगा। वहां पर इस किस्म की कठिनाइयां नहीं होंगी और वहां भी लाभ कमाया जा सकता है। मैं वैसे हिसाब के मामलों में कमजोर हूं। पर यह कह सकता हूं कि ईमानदार और मेहनत जहां होगी वहां सरकारी कारखानों में भी मुनाफा लिया जा सकता है।

मुझे अफसोस है कि हम इण्डस्ट्रियली इतने पीछे हैं कि हमारी कुल आमदनी का 1/4 परसेन्ट ओर्गेनाइज्ड इण्डस्ट्री से होता है और 11 परसेन्ट अनओर्गेनाइज्ड से मिलता है। तो आज राजस्थान में फाइनेन्सियल रिसोर्सेज हैं उसका आप मुलाहिजा फरमाइये कि हमने इण्डस्ट्रीज से कितनी रकम वसूल की है।

हम मांग करते हैं कि छोटी जमीनों वालों से कोई लगान नहीं लिया जावे। इसके लिये हमें दूसरी तरफ ध्यान देना होगा। आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारी माइन्स की है। इससे हमारी आमदनी अन्य आमदनियां का 12 परसेन्ट ही है। जब कि हमारे यहां इमरल्ड होता है, गारनेट होता है, संगमरमर होता है लाइम स्टोन की अच्छी से अच्छी खानें हैं, पत्थर बहुत दूर दूर तक जाता है। राक फास्फेट हमारे यहां पर हैं। कई मिनरल्स हैं हमारे यहां। आखिर हम करते क्या हैं यह हमारी समझ में नहीं आता।

एक्सपोर्ट में हमारे यहां के जौहरियों ने सबसे पहला इनाम लिया और फॉरिन एक्सचेन्ज कमाया। इसकी तो मैं तारीफ करूंगा। पर इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि यह दौलत कहां से आई? इसमें बहुत बड़ा लीकेज है। इसमें मिस-मैनेजमेन्ट है। लाखों लोग इसमें लखपति करोड़पति हो गये। प्राइवेट लोग लखपति हो गये इन खानों से जबकि हमारे खजाने में एक परसेन्ट भी आमदनी इनसे नहीं होती। स्पष्ट है कि हमारी निगरानी रखने वाली मशीनरी भ्रष्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्ट है। इसको ठीक तरह से सुधारा जाय और इस खनिज के व्यापार को ठीक तरह से कन्ट्रोल किया जाय।

आज सुपरवाइजरी स्टाफ से मिलकर अच्छा माल पार कर दिया जाता है और कूड़े के ढेर को उत्पादन समझकर उस पर रायल्टी कायम की जाती है। क्या यह सम्भव नहीं कि हम कुछ ऐसे तरीके अपनावें कि जिससे हमारी खनिज की आमदनी का भाग एक परसेन्ट से बढ़कर कम से कम दस-बीस परसेन्ट तक पहुंच सके। इस के लिये इस विभाग में से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

असल चीज क्या है ? हम इस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते हमारे प्रशासन में कोई भी अफसर आई. एस. आर. ए.एस. हो गया तो तो वह समझ बैठा कि दुनिया भर की काबलियत का उसने ठेका ले लिया है। उसे दुनिया भर की मालूमात हो गई है। इसके बदले हमें ईमानदार और मेहनती टेक्नीकल हैण्ड को तरजीह देनी चाहिए। ऐसे आई. ए.एस., आर. ए. एस. एलीमेंट्स से हमें छुटकारा पाना चाहिए। हमारा आज रवैया हो गया है कि हम बड़ी बड़ी जगहों पर इन आर. ए. एस., आई. ए. एस. के लोगों को भरते हैं। आज सबसे अहम प्रश्न भ्रष्टाचार को रोकना है। इन आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों के रहते यह भ्रष्टाचार रुकना कठिन है। इन्होंने आज तक प्रशासन में बैठकर इसे बढ़ाया ही है घटाया नहीं हैं। तो हमें इन लोगों से प्रशासन को स्वच्छ साफ और सुथरा बनाना चाहिए। ईमानदार और मेहनती आदमियों को आगे लाना चाहिए।

मैं बताऊं करौली का लाल पत्थर बड़ा कीमती है अच्छा भी है। हम इसके माध्यम से काफी पैसा कमा सकते हैं। इसके बार-सोत बनते हैं। इनको बेचकर आठ दस रुपया एक छोटा व्यापारी या कारीगर कमाता है। आज ऐसी सैकड़ों माइन्स हैं जिनको टकों के भाव नीलाम कर दिया गया है। मेरे पास ऐसी एक फहरिस्त मौजूद है। इसमें बहुत प्रभावशाली लोग है। ऐसे भी हैं इनमें जो डाकुओं से सांठ-गांठ रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ये खानें देते समय क्या सरकार की आंखें बन्द थी। क्या इनको सही लोगों को नहीं दिया जा सकता था। ये लोग इन करौली माइन्स का शोषण कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मजदूरों के ये लोग डेढ़ रुपया दो रुपया और ढाई रुपया रोज देते हैं। जो मजदूर अपनी सारी जिन्दगी इन खानों में काम करते करते पूरी कर देते है उनको दो वक्त खाना भी मुश्किल से नसीब हो और दूसरी तरफ इन पर बड़े बड़े सेठ, ठेकेदार लोग अय्याशी की जिन्दगी बितावें यह उन गरीबों का और इन माइन्स का भी शोषण है एक तरह से। यह शोषण बन्द होना चाहिए। इस शोषण की जिम्मेदारी उन पर है जो इस तरह के ठेके इन लोगों को दे देते हैं। यह 69 आदमियों की फहरिस्त मेरे पास है। इन लोगों में किसी पर सरकार का 80 हजार रायल्टी का बकाया है तो किसी पर पचास हजार है किसी पर साठ तो किसी पर सत्तर हजार बाकी हैं। लिस्ट आपको बताऊं तो 1½ से दो तीन करोड़ तक यह गिनती पहुंच सकती है। हालांकि हिसाब में मैं कमजोर हूं। और यह बकाया वर्षों से है। 20-30 वर्ष के ठेकेदार मौजूद है। अब इनमें चाहे तिवाड़ी जी हो या कोई हो। पर क्या सरकार इनसे अपना पैसा वसूल करने की स्थिति में नहीं है ? क्या गवर्नमेंट उन तमाम कानूनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उस पैसे को, जो कि पैसा पार्टी में फंसा हुआ है, वह वसूल नहीं कर सकती है ? मैं इसलिए अर्ज किया चाहता हूं कि यह जो लीकेज है यह उस आफिसर को नहीं है बल्कि मैं मानता हूं उस लीकेज की जिम्मेदारी, उस गबन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर भी है और मन्त्रिमण्डल पर भी हैं इसलिए कि आप नाम सुनिये तो आपको पता लग जायगा कोई किसी का भतीजा है, तो कोई

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

किसी का दोस्त है, कोई किसी का भानजा है। क्या कहूं गले में तफतीश मालूम पड़ती है, मैं लिस्ट पेश कर दूंगा।

यह हालत आज केन्द्र की हुकुमत सन् 70 में जो फैसला किया और यह तय किया कि मोनोपोली सिस्टम को खतम किया जाय। वहां मैं राजस्थान सरकार के कुछ-कारनामों को रखना चाहता हूं। आपको मालुम होगा यहां एक उद्योगपति हैं जे. एन. जाजू ब्रदर्स-जगन्नाथ जाजू। इन्होंने एक गोहाटी में छोटी सी रकम से अपना कारोबार शुरू किया और आज इनके 14 कन्सर्न तमाम राजस्थान में है। वह एक छोटी सी पूंजीपति वाला हिन्दुस्तान में सब जगह कन्ट्रोल करता है। आपको यह सुन कर हैरत होगी आसाम फ्लोर मिल, राजस्थान हेवी केमीकल, झोटवाड़ा, जयपुर फुड प्रोडक्ट्स, जयपुर आइल प्रोडक्ट, श्री कृष्णा आइल मिल्स, झोटवाड़ा, एग्रीकल्चरल फार्म, झोटवाड़ा यहां भी 6 कन्सर्न 14 में से मौजूद है। अब मुलाहिजा फरमाये जिसने रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हुए मशीन का एक्सपोर्ट पंजाब से रांची में मुस्तकिल कर दिया। सोने को लोहे पर रख दो तो वह भी मौजू हो जायगा। यह तो आपका कन्सर्न नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं जाया करता लेकिन जयपुर में जो कारखाना आसाम फ्लोर मिल का चल रहा है इसमें 30 टन की केपेसिटी थी। बिना परमिशन लिये यह लगा दी। अब यह फ्लोर मिल आई कहां से, उसका भी इतिहास सुन लीजिये ताकि आपको गलतियों का अहसास हो। यह फ्लोर मिल आसाम में काम कर रही थी। आसाम में रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने इसे यहां लाकर लगा दी। जो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, खराब हो चुकी थी, स्क्रेप में बेचना चाहते हैं तो जो बची हुये पार्ट्स है लाने दिये जायं यह कन्डेम की हुई आसाम की मशीन जयपुर में मुन्तकिल कर दी। मैं नहीं जानता कौन जिम्मेदार है? व्यक्तिगत न मैं इस तफसील में जाना चाहता हूं। वह पुरानी मशीन नई कह कर लगा दी गई और लतीफा यह कि कोई फर्जी मिल कोई भारद्वाज है उनसे हासिल किया गया और उसकी टेक्निकल सेंक्सन ली गई। उसके आधार पर फाइनेन्स कारपोरेशन से पैसा दिया गया। वह जो मेन फोर्जरी की आप मुलाहिजा फरमाये उस फोर्जरी के मामले में हमारी राजस्थान सरकार को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे बेचारे भोले भाले, सीधे साधे ऐडमिनिस्ट्रेटर हमारे यहां मौजूद हैं जिनको जानकारी होती ही नहीं है, उनके पास टेक्निकल आदमी नहीं हैं, उनके पास नो-हाऊ नहीं है। किसकी मशीन आ गई, कैसे आ गई? फाइनेन्स कारपोरेशन ने टेक्निकल सिफारिश पर पैसे दे दिये या फिर उनकी भी साजिश है। मगर यह देखने की कोशिश नहीं की कि यह भारद्वाज कौन है जिससे मशीन ली। क्या इन्होंने इसी से मैदा बनाने वाली मशीन का एक प्लान्ट तैयार किया और उस प्लान्ट में नई मशीन बनती है लेकिन उन्होंने पुरानी खरीदी मुख्तलिफ जगह से और नई करके सब जगह लगा दी और उस पुरानी मशीन का फर्जी बिल बनवा लिया, वह भी उन्हीं की क्रियेशन। फ्राड पर फ्राड करने वाले इन्सान को फाइनेन्स कारपोरेशन पैसा दे और उसको प्रोत्साहन दे और आप कभी यह नहीं देखते हैं, उस पैसे का क्या हो रहा है और फिर लतीफा 30 टन की केपेसिटि

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

वाली मशीन 70 टन की केपेसिटि की हो गई और वही मशीन आगे जाकर 100 टन की केपेसिटि की बन गई। यह किसी ने नहीं सोचा 30 टन से 100 टन की केपेसिटि कैसे उसी मशीन की हो गई। पहले 30 टन का आऊट पुट करती है और फिर 100 टन का आऊट पुट करने लग जाती है। किस तरह हो गया, अचानक कोई चीज पैदा हो गई क्या ? किन साजिशों से किया उसको आप मुलाहिजा फरमायें उसके बाद एक लतीफा और सुनेंगे। एक इन्क्वायरी हुई, सेन्ट्रल मिनिस्टर के पास गुलजारीलाल नन्दा को दरख्वास्त पेश हुई और उस पर इन्क्वायरी हुई। अब मैं उस इन्क्वायरी आफिसर की, जो छोटा सा आदमी था, दाद देता हूं इनके सब कारनामों को लिखा लेकिन उनकी रिपोर्ट को एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आज तक पता नहीं चला। जो उसने इनके बारे में ब्लैक मार्केटिंग की और इन तमाम चीजों की इन्क्वायरी की वह कहां गई ? इससे ज्यादा दिलचस्प बात और सुन लीजिये। इन्होंने एक जयपुर में, झोटवाड़ा में राजस्थान हेवी केमिकल्स के नाम से एक कारखाना खोला और आपको यह जानकारी होकर बड़ी खुशी होगी न वह हेवी है, न केमिकल है और न कोई उसमें चीज बनती है। इस पूरे सिस्टम का कोई भी जुमला उसमें फिट नहीं है। अब क्या किया उसमें मुझे याद है ईसरी प्रसाद यहां तशरीफ लाये तो उन्होंने कहा एक तो यहां के कबूतर और एक कल्चरल सोसाइटी विच इज नाट कल्चरल नार सोसियल। मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ ये राजस्थान हैवी केमिकल, झोटवाड़ा जिसमें राजस्थान तो बैठता है और झोटवाड़ा भी बैठ जाता है बाकी न हैवी बैठता है और न केमिकल बैठता है। ये दोनों ही नहीं बैठते हैं एक फर्जी प्लान्ट बनाकर 10 से 15 लाख एक्सपोर्ट परमिट उस केमिकल का ले रहे हैं और आपके समर्थन से, आपकी सिफारिश से वह हासिल की और हासिल करने के बाद उस 10-15 लाख की कीमत आप मानकर चलिये एक डेढ़ करोड़ यकीनी हो गई। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि जिस केमिकल का मसला उसमें है वह उठाऊं, पर स्टील के बारे में कह सकता हूं जिसकी परमिट आप देते हैं वह 70-80 टाइम मंहगा पड़ता है। उसकी कीमत इतनी मिलती है। आप यह फरमाये कि आपके यहां ये सब चीजें हो रही है। 10-15 लाख का परमिट 10-15 लाख रुपये का इम्पोर्ट परमिट एक आदमी को मिलता है जहां एक एक पैसे की हमको परेशानी हो रही है वहां हमारे फारेन रिटर्न्स घटते चले जाते हैं, हम मार्केट के अन्दर फेस करने की स्थिति में नहीं हैं वहां यह जरायम पेशा इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं वह आपकी छाती पर मूंग दलते हैं और आपके भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं।

यहां जितनी इन्डस्ट्रीज हैं उन सबके ऊपर बिजली की बकाया है उनसे आप वसूल नहीं करना चाहते हैं। वह चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो चाहे कोई और हो आपने बहाना ले रखा है कि क्या करें वह तो हाईकोर्ट में पहुंच गये। उन्हें आप तमाम सहूलियतें देते हैं वह आप वियड्रा कर लें। भरतराम चरतराम को आप 3 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं और जनता को आप 45 पैसे में देते हैं और वह अगर चोरी करता है तो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कहते हैं कि हाईकोर्ट चला गया। मेरी गुजारिश यह है कि यह वह पालिसी है कि जो इन्डीविजुअल व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की है। आपने जो इन्डस्ट्रियल पालिसी फरवरी, 70 में डिक्लेयर की थी केन्द्र की हुकूमत ने उसमें यह साफतौर से था कि हम यह नहीं चाहते कि मोनोपाली हाउसेस बढ़ें, हम नहीं चाहते कि कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ चन्द हाथों में हो। मुझे अफसोस है कि मैंने फाईव इयर प्लान का अध्ययन किया और आप को 10 इन्डस्ट्रीज के लाईसेन्सेस मिले। मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहूंगा कि अलवर में कारखाना हो, श्री व्हीलर्स का कारखाना हो, स्कूटर का कारखाना हो, जोधपुर में कारखाना हो, टोंक में कारखाना हो। बड़ी खुशी की बात है लेकिन आपने एनवीसेज किया है कि हम दो कारखाने तो पब्लिक सेक्टर में खोलेंगे और उनको गवर्नमेंट चलायेगी और बाकी 8 लाईसेन्स मिले हैं इनमें से 3 में हम अपने शेयर रखेंगे और बाकी हम निजी क्षेत्र को दे देंगे। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप क्या आधार बना रहे हैं अपनी इन्डस्ट्रियल पालिसी का। क्या आप यह चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमारे लघु उद्योग के लोग कमाते हैं क्या उनको भी समाप्त कर दिया जाये? मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पालिसी के बारे में दुबारा गौर करें। 10 लाइसेन्सेस मिल चुके हैं और 10 लाईसेन्स और मिलने की संभावना है और आपको मिल जायेंगे। तो उन लाईसेन्सेस के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप निजी उद्योगों को मत प्रोत्साहन दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अकेला बोलने वाला हूं गरीब परवर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने 35 मिनट ले लिया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे 15 मिनट और दे दीजिये।

श्री सभापति : आपकी पार्टी से और कोई बोलने वाला नहीं है?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वैसे ढांडा साहब पांच सात मिनट जरूर बोलेंगे।

श्री सभापति: तो मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। आप 5 मिनट में समाप्त करें

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : "तो यह जो 10 इन्डस्ट्रीज के आपको लाईसेन्स मिल चुके हैं आप री-असेस कीजिये और आप इनको निजी क्षेत्र में लगाने की कोशिश मत कीजिए। निजी क्षेत्र का एक नमूना तो मैंने आपको बताया।

सभापति महोदय, तीन किस्म की इन्डस्ट्रीज आपके पास चल रही हैं और कुछ इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिन इन्डस्ट्रीज को आप आज भी प्रोत्साहन देते हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत जंगल हैं। हम निर्भर करते हैं कृषि के ऊपर वैसे हमारे पास जंगलों के काफी रिसोर्सेस हैं। वो हमें यह देखना है कि हमारे यहां जो लकड़ी पैदा होती है उस लकड़ी के ऊपर बेस की हुई इन्डस्ट्रीज हम कौन कौन सी चला सकते हैं। मेरा अर्ज करना यहां यह है कि हमारे यहां शीशम पैदा होती है, हमारे यहां चीड़ भी होती

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है, और भी बहुत किस्म की लकड़ी पैदा होती हैं और हम ऐसी इन्डस्ट्रीज का उनके आधार पर निर्माण कर सकते हैं जो कि लकड़ी के बेस पर चल सकती हैं। मतलब यह है कि हम सोचें और तय करें कि क्या हम थ्री प्लाई बोर्ड बना सकते हैं, क्या भूसे से बनने वाला बोर्ड बना सकते हैं या इस किस्म की कोई इन्डस्ट्री अपने यहां चला सकते हैं। तो मेरी यह मान्यता है कि यह सब कुछ हम कर सकते हैं और हमको इस तरफ तवज्जोह करनी चाहिए।

अब रहा यह कि बदकिस्मती यह है कि जिस समय स्ट्राइक चल रही थी तांबे की खान खेतड़ी में उस समय दस हजार मजदूर बेकार थे। हम गये और हमने स्थिति का अध्ययन किया कि जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कारखाने हैं वहां भी आपके पूंजीपतियों के एजेंट्स हैं और मैनेज करते हैं। तांबा यहां निकला और गढ्ढा वहां किया जायेगा। मैं आपकी इस तरफ तवज्जोह दिलाऊं और फिर दिलाता हूं कि वह लोग आज नहीं चाहते कि पब्लिक सेक्टर में तरक्की हो। वह पूंजीपति अपने आदमियों को बरखास्त करते है, वह कभी बिड़ला में पाये जाते थे और उनको वहां से हटाकर यहां लाया गया है और जाहिर यह किया जाता है कि उनको बरखास्त कर दिया है। लेकिन उस बदमाश की नीयत यह थी कि वह यहां खानों को फेल करने की स्थिति पैदा करे।

यही हालत गंगानगर में डिफ्यूजिंग प्लान्ट की है। वहां मशीन बिल्कुल नाकारा है वहां जो घोटाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं माननीय सभापति जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया जिसका मिसयूज नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो उद्योग पब्लिक सेक्टर में लगायें उसमें सतर्क रहना होगा कि उसमें कौन सा जज्बा कारबन है और किस जज्बे के मातहत लोग वहां कर रहे हैं। वह चुकन्दर की क्रशिंग का डिफ्यूजिंग प्लान्ट लगाया तो हमारे हांडा साहब कहते हैं कि 70 साल की बुढ़िया का निकाह... ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 150 साल की शुगर क्रशिंग मशीन है और 10 साल का बीट प्लान्ट है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 70 साल बूढ़े का 10 साल की लड़की से शादी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो गोटे वाला साहब के यहां भी रिवाज है। मेरा मतलब यह है कि आप यहां पर डिफ्यूज करते हैं और यहां पर इमेज खराब करते हैं। वह इस किस्म से करते हैं कि लासेस ही लासेस दिखाते हैं। हजारों रुपयों का लास हुआ है। 1 लाख 38 हजार रुपया हमको सूद का देना पड़ा। तो आपको हैरत होगी कि जो पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हैं वहां मैनेजमेंट में ऐसे लोगों को ठूंस देते हैं जो कि पूंजीपतियों से मिले हुए होते हैं, जो सोशियेलिज्म को बदनाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं तो आप यह मत कहिये कि साहब यह तो पब्लिक सेक्टर फेल हो गया, आप यह कहिये कि हमारे कारनामे बहुत खतरनाक हैं। आप यह कहिये कि आपके ऊपर, आपके चेहरे पर बदनुमा दाग बन गए हैं। आप

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अपना चेहरा आयने में देखेंगे तो आपको ही अपने चेहरे से नफरत हो जाएगी। इसलिए आपकी यह शक्ल है कि जो आपको आयने में नजर आती है। आप सहूलियतें किनको देते हैं? आपने कोकाकोला फैक्ट्री को 25-30 एकड़ जमीन दे दी और पांच एकड़ या 2 एकड़ पर भी प्लाण्ट बना हुआ नहीं है। ऐसी कीमती जमीन आपने सुपुर्द कर दी। किसलिए? इसलिए कि कोकाकोला बढ़ी हुई कीमत में मिले? यह नहीं चाहते इसको, हमारी जनता को पीने के पानी की जरूरत है, हमें कोकाकोला की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें आपका मुजाहिता इन्वोल्वड है, आपका इंटरेस्ट इन्वोल्वड है इसलिए आप खामोश हैं। करौली के माइन की चोरी की बात कही गई, कोकाकोला फैक्ट्री को इतनी बड़ी कीमती जमीन दे दी, चेम्बर आफ कामर्स को एक रुपये में आपने दे दी जिसका आमदनी किराये के बीस हजार, 25 हजार रुपये की है। अफसोस है इस हुकूमत पर जो यह नहीं पूछती कि तुम्हें अपने परपज के लिए जमीन दी थी, तुम किराये पर कैसे चला रहे हो? आप हास्पिटल खड़ा कर देंगे, दुर्लभजी का, हजारों रुपयों का आज उसमें दुरुपयोग हो रहा है। आज वह हजारों रुपये कमा रहा है, ब्लेक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है और आप पूंजीपति के हाथ में बिके हुए हैं।

अब मैं थोड़ा सा इण्डस्ट्री की तरफ भी तवज्जोह दिलाऊंगा। मैं यह अर्ज करूंगा बहुत मुख्तसिरतौर से, मैं जानता हूं कि गोटेवाला साहब को परेशानी है दिमागी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : पागलखाना तो आपके इलाके में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसा है कि.......

श्री केदारनाथ : उसमें एरिया आफ एग्रीमेंट भी है क्या?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह किस के निर्वाचन क्षेत्र में है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन क्षेत्र में गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप बहस मुबाहिसे में मत फंसिए। वह तो पागलखाना कमेटी के मेम्बर भी हैं और उसमें जाते हैं उसका जरा सा असर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुख्य बात पर बोलें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इण्डस्ट्री की तरक्की के बारे अर्ज करूं कि हमारे यहां काफी रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने आपसे अर्ज किया। जैसा मैं कह चुका हूं कि एक तो आप, जो लीकेज हैं, उसको समाप्त करने की बात करिये। दूसरा जो अर्ज करना है वह यह है कि एक ऐसा प्लाण्ट, जो आज बन्द है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमारे यहां लिग्नाइट की खान थी और है और उस खान के अन्दर बहुत बड़ा घाटा बताया गया। लिग्नाइट आज जब कि फ्यूअल की प्राब्लम है, पैट्रोल की प्राब्लम हमारी इतनी बड़ी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

माइन बन्द पड़ी है। इसलिए बन्द पड़ी है कि इसका जो काम था वह सुचारुरूप से ईमानदार हाथों से नहीं कराया गया और आपने जो नक्शा खींचा है, मुझे मालूम नहीं कि उस नक्शे के अन्दर राक-फास्फेट और पायराइट का चित्र खींचा गया है। लेकिन लिग्नाइट, जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा, जिसके बड़े भण्डार आज इस राजस्थान के अन्दर हैं, उसका आज यह हुआ है कि उसकी माइन बन्द है। मैंने यह फाइव ईयर प्लान का अप्रोच पेपर पढ़ा उसमें भी यह सजेशन दिया गया है कि हमको वे खानें, जो बन्द करदी गई हैं, उन पर फिर से गौर करना चाहिए और फिर से चलाना चाहिए। इसलिए यह लिग्नाइट की खान जहां कोयला काफी तादाद में पैदा होता है, चलाना चाहिए। आप यह कहेंगे कि यह प्रोफिटेबल बिजनेस नहीं है इसलिए बन्द कर दी गई। आपको यह अन्दाज होना चाहिए कि खानों के मामले में आप कहां खड़े हैं? नेवेली गुजरात में वहां भी लिग्नाइट निकलती है और काफी डेप्थ में होते हुए भी लाखों रुपयों का प्रोफिट है जब कि हमारे यहां उससे कई गुना डिपोजिट है। आज फ्यूग्रल की प्राब्लम काफी कोम्प्लीकेटेड है उस हालत में लाखों रुपयों का प्रोफिट हो सकता है। हमारे यहां भण्डार मौजूद है, हमारे यहां मेटिरियल मौजूद है फिर क्यों उसको बन्द किया गया और क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और जो रिसोर्सेज लाइम स्टोन के हैं, जो कई जगह पैदा होता है लाखों मन लाइम स्टोन ब्यावर के इलाके में हैं, पाली में संगमरमर होता है, इन सब चीजों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा अर्ज कर चुका हूं कि हमारी माश जिन्दगी जमीन पर निर्भर नहीं है। हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए मिनरल कन्सेशन रूल्स में कुछ तब्दीलियां की है मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मंत्रीजी, बड़ा अजीबो गरीब केस मेरे पास आया। बेचारा एक शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी था उसकी दरख्वास्त प्रायोरिटी पर थी लेकिन उसको माइन नहीं देकर दूसरे को दिया और वह ठोकरें खाता फिरा। तो हम मिनरल कन्सेशन रूल्स बनाते हैं, उसमें तरमीम करते हैं, तब्दीलियां करते हैं उन खामियों को दूर करने के लिए और अपने ही हाथ से स्क्रेप कर देते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

हमको इन सब चीजों की तरफ ...

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं। मेरा अब ब्रीफ में यही सुझाव है कि हमको लघु उद्योगों की तरफ ज्यादा तवज्जोह करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पड़ौस में हरियाणा है, पंजाब है। यह सही है कि वहां रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन जिन लोगों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है कम से कम वह उद्योग तो पनपाने चाहिए और उन इलाकों में जरूर पनपाना चाहिए जिन इलाकों में उद्योग नहीं है। इसके अन्दर हमको जल्दी से जल्दी तवज्जोह देनी चाहिए। हमको निजी सम्पत्ति को बढ़ाने की बात छोड़ कर, पूंजीवाद को बढ़ाने की बात के मुकाबले में समझता हूं कि हमको इस ब्रांच के अन्दर और इस तरफ तवज्जोह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

देनी चाहिए। जो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनसे अपनी प्रोडक्टिविटि बढ सकती है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे फोरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद आखिर में यह अर्ज करूंगा कि आप गवर्नमेंट के जो कारखाने हैं या निजी कारखाने हैं उसमें वर्किंग क्लास की जो हालत है उसके बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि जो कारखाने गवर्नमेंट के हाथ में है वहां के वर्कर्स की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां के मजदूरों की हालत बहुत संतोषजनक नहीं है। इसलिए जब आप एम्प्लायर होकर उनको प्रोपर सहूलियतें नहीं दे सकते तो फिर जो प्राइवेट एम्प्लायर हैं जिसका काम ही शोषण करना है उसको कैसे रोक सकते हैं।

आखिर में मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी मासीयात जरूरत से ज्यादा खतरनाक बन रही है। वह इन्फ्लेशन है और वह हमारी ब्लैक मनी है और यह ब्लैक मनी जो है उसका निजी सम्पत्ति से वास्ता है। जब तक आप इस विशस सर्किल को नहीं तोड़ेंगे, इस पूंजीवाद को नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक ब्लैक मनी बढ़ती रहेगी और उसको कन्ट्रोल करने के लिए आप नोट बाजार में डालेंगे और जब नोट डालेंगे तो कीमतें बढती जायेंगी। यह विशस सर्किल बन गया है। आखिर में दलील के तौर पर अर्ज करूंगा कि आपको अपना इकोनोमिक ढांचा ठीक करना है, आप चाहते हैं कि आपका इकोनोमिक ढांचा सही हो, आप चाहते हैं कि यह इन्फ्लेशन खत्म हो, और आपकी यह ब्लैक मनी जो दिनों दिन बढ रही है और तमाम इकोनोमी को पेरेलल कर रखा है, आज गवर्नमेंट मकबूब है, आज इन्द्रा गांधी की हुकूमत नहीं है, जोशीजी की हुकूमत नहीं है, हुकूमत है बिडला की, हुकूमत है टाटा की, डालमिया की है, ये गोटेवाला साहब खुश हो सकते है कि हमारे हाथ में है हुकूमत, कुछ मिनिस्टर साहबान खुश हो सकते हैं, लेकिन ब्लेक मनी ने आज इकोनोमी को कण्ट्रोल किया हुआ है। वह इसलिए किए हुए है कि हम दयानतदारी में निजी सम्पत्ति है, हम निजी सम्पति को कायम रखने पर तुले हुए हैं और वे इस दौलत का दुरुपयोग कर रहे हैं और शोषण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आभार प्रकट करता हूं सभापति महोदय को कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया।

श्री सभापति : श्री विम्मनसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, जो खनिज की डिमाण्ड पर चर्चा चल रही है मैं भी अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान में जो प्रगति हुई है उसको मानना पड़ेगा किन्तु हमें उस बारे में आलोचना नहीं करना है, आलोचना करने वाले तो वैसे ही बैठे हुए हैं ......

मो० गफ्फारअली : आप तारीफ ही कर दीजिए।

श्री नानालाल मैं तो कुछ मांगें रखनी हैं और वह रख रहा हूं। तो माननीय सभापति महोदय, उद्योगों के बारे में राज्य सरकार की तरफ से कई प्रकार की घोषणायें होती हैं कि हम इस ओर प्रगति पर हैं और हम पिछड़े क्षेत्र में पिछड़ी जाति के लोगों को इस क्षेत्र में अधिक बढ़ावा देने की ओर जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात पर बड़ा खेद है। मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर पिछड़ी जातियों को उद्योगों की ओर बढ़ाने में राज्य सरकार ने कितना बढ़ावा दिया है, मैं आपके सामने एक नजीर पेश करना चाहता हूं। सन् 65 के अन्दर एक गणेश वूल इन्डस्ट्री के नाम से शिड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति ने इन्डस्ट्री लगाने के लिए एप्लाइ किया और उसके लिए आपने फाइनेन्शियल कारपोरेशन से कुछ मदद भी दिलायी। सन् 68 में तीन साल की अवधि तक प्रयत्न करने पर उसको एक लाख 35 हजार का लोन सैंक्शन हुआ।

सभापति महोदय, हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों को बढ़ाने में राज्य सरकार ने सहयोग दिया है किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उसको एक किश्त मिलने के बाद, 20 हजार मिलने के बाद उसका लोन केन्सिल कर दिया गया। पता नहीं यह लोन उसका किस कारण से केन्सिल हो गया? पता नहीं क्यों उस बेचारे की झोंपड़ी को कुचल डाला गया? पता नहीं किस मनमुटाव से यह हुआ? आप अन्दाज लगाइये सभापति महोदय, उस गरीब की क्या दशा हो रही होगी? इस लोन को सैंक्शन कराने में करीब 40 हजार रुपया उसने बर्बाद कर दिया। जो लोन सैंक्शन हुआ उसमें कन्डीशन के अनुसार बैंक गारंटी, इन्श्योरेन्स और कई प्रकार की गारन्टी उसने दी और उसमें कितना रुपया उसका खर्च हो गया। माननीय सभापति महोदय, यह तो मन्त्री महोदय अन्दाज लगा रहे होंगे और यह बात उनके नोटिस में आ गई है। मैं समझता हूं कि आप इसी प्रकार से पिछड़ी जातियों के लोगों को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये पिछड़ी जातियां बढ़ने के बजाय एकदम खतम हो सकती है। सभापति महोदय, किश्त की वसूली करने में किस प्रकार से उसको परेशान किया जा रहा है, साढ़े तीन प्रतिशत से उसको लोन सैंक्शन हुआ और एक रुपया सैंकड़ा ब्याज उससे वसूल किया जा रहा है। उसने मशीनरी खरीदने में कम से कम तीस हजार रुपया लगा दिया। आज उसका लोन केन्सिल कर दिया है और फिर उससे पैसा वसूल कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा सभापति महोदय, राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि इस गरीब की हत्या न की जाये। आपने क्यों उसको लोन दिया? लोन सेंक्शन्ड किया तो उसकी सहायता कीजिये। उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। उसकी सहायता कीजिये तब तो आपकी बात सही है कि आप पिछड़े लोगों की प्रगति में मदद करते हैं।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में उद्योग लगाने की सूचना प्राप्त हो गई है।

(श्री नानालाल)

इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किन्तु मेरे क्षेत्र में इतना अधिक भण्डार है पत्थर का, जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है, कितनी ही एप्लीकेशन दी गई और कई प्रकार से लोग प्रयत्न में हैं कि वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री हो क्योंकि रॉ मेटेरियल इतना उपलब्ध है कि हजारों वर्ष तक फैक्ट्री चल सकती है किन्तु अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार से रॉ मेटीरियल की व्यवस्था हो वहां कम से कम फैक्ट्री लग जाय ताकि जनता को सुविधा हो, लोगों को रोजगार मिले और जो आवश्यक वस्तु है वह लोगों को अधिक मात्रा में उपलब्ध हो।

माननीय सभापति महोदय, खनिजों के बारे में भी मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। रेलमगरा तहसील में दरीबापान में ताम्बा, जस्ता और शीशा निकलता है। वहां पर कार्य की प्रगति शिथिल है। कोई कार्य नहीं चल रहा है। राज्य सरकार इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि यह खान भारत सरकार के हाथ में है। फिर भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना भी कार्य है। कम से कम इसके ऊपर प्रयत्न करना चाहिये। राज्य सरकार या तो सेन्ट्रल से कह कर के इस पर कार्य चलवाये या यह कार्य भारत सरकार, राज्य सरकार को सौंप दें। तो मेरा इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाने का विचार है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है जिससे कई प्रकार के उद्योग लग सकते हैं किन्तु सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऊन का कारखाना कोई लगाना चाहता है तो उसको टाल दिया जाता है। शायद राज्य सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जहां पर भारत की पचास प्रतिशत ऊन का उत्पादन होता है उसका उद्योग न लगाने की यह क्या नीति सरकार ने अपनाई है। इसके लिए हमारे यहां पर कोई कारखाना नहीं है। बीकानेर में कम्बल के कारखाने लग रहे हैं। कम्बल के कारखाने में राजस्थान की ऊन काम में नहीं आती है इसके लिए ऊन बाहर से मंगानी पड़ती है। राजस्थान की ऊन से कालीन के कारखाने लगाये जा सकते हैं जैसे कि उत्तर-प्रदेश में लाखों करोड़ों की कालीन बनती है और इसके हजारों कारखाने हैं। वहां पर घर घर में कालीन बनती है। क्यों नहीं राजस्थान सरकार इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न करती है? इस तरह से वह बेरोजगारी को भी मिटा सकती है। इस ऊन को हाथ से काता जाता है। घर घर में यह काती जा सकती है। घर घर में इसकी बुनाई हो सकती है, रंगाई का सारा काम भी हाथ से किया जाता है।

श्री जय नारायण : सभापति महोदय, सदन का समय मांगें पास न हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन का समय मांगें पास हो तब तक के लिए बढ़ाया जावें, सदन की अनुमति है?

(अनुमति प्रदान की गयी)

सदन का समय मांगें पास होने तक बढ़ाया जाता है।

Page No 134

(134)

श्री नानालाल : मेरा निवेदन है कि यदि आप कम से कम इस कालीन के उद्योग की ओर ध्यान देंगे तो आपके जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं और इस तरह से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। मैं इसके लिए निवेदन करता हूं। राजस्थान इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस उद्योग को लगाने में राज्य सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करने में किसी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान राजसमन्द तहसील, जो उदयपुर जिले में है, जो कि कृषि प्रधान है और जहां कपास की पैदावार अधिक होती है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर वहां पर कपड़े की मिल, मीडियम कपड़े की मिल स्थापित करा दी जाये तो वहां के किसान कपड़े की उपलब्धि में सहयोग दे सकते हैं। वहां पर कपास की पैदावार होती है और जहां पैदावार होती है वहां पर कारखाना लगाने में सुविधा होती है।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कम से कम जहां जो चीजें पैदा होती हैं तो वहां पर जरूर कारखानें, उद्योग स्थापित कराये जायं। मैं बस इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप घण्टी बजाने की कोशिश न करें।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सोगानी।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) **:** माननीय सभापति महोदय।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति महोदय, मुझे टाइम दिया जाय।

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा जब आपका समय आयेगा तब।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमारी पार्टी से एक ही सदस्य बोले हैं।

श्री सभापति : जैसी आसन की व्यवस्था है उसके अनुसार आपको समय मिलेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : पार्टी की स्ट्रेन्थ के हिसाब से बहुत कम समय मिला है।

श्री सभापति : आसन अपनी व्यवस्था के अनुसार ठीक करेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं निवेदन करूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले एक घन्टा बोले हैं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सदस्य एक बार बोल चुके हैं उसके बाद समय दूसरों को मिला है।

श्री माणकचन्द सोगानी : सभापति महोदय, आज औद्योगिक विषय के ऊपर चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सूक्ष्म में इतना निवेदन है कि आज जितने भी पढ़े-लिखे विद्यार्थी कालेजेज से निकलते हैं तो सवाल होता है कि उनके लिये क्या साधन हैं? किस काम में उनको लगायें? उन को खेती के काम का तो अनुभव है नहीं, नौकरी इतनी मिलती नहीं है, आखिर उन्हें उद्योग में लगाये जाने का वही एक स्रोत

(श्री माणक चन्द सोगानी)

है। जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'आइडल माइण्ड इज डेविल्स वर्कशाप'। इस मिसाल को देखते हुए प्रेक्टिस में कई ऐसी घटनायें सामने आती हैं। मैं इस विवरण में एक दो मिसालें दे देना चाहता हूं। अभी 10 रोज की बात हुई होगी कि एक विद्यार्थी पढ़ा लिखा, क्योंकि उसके पास कोई काम करने को नहीं था और आवारा फिरता था, अजमेर के अन्दर दिन-दहाड़े घनी आबादी के अन्दर एक छोटी सी बात पर उत्तेजित हो कर उसने एक पान वाले को थोड़ी सी गाली गलोच पर गोली मार दी और वह व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ और दूसरे रोज उसका स्वर्गवास हो गया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो युवावर्ग हैं उसकी शक्ति को हमें काम पर लगाना चाहिए और अगर उसकी शक्ति को संगठित करके काम पर नहीं लगाते हैं तो उससे कितनी दुखःमय घटनायें सामने आती हैं। यह जो मिसाल दी है वह एक ही मिसाल नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं हरदम घटित होती रहती हैं।

जहां तक उद्योग लगाने में हमें जो भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त हुए हैं तो राजस्थान सरकार जहां चाहे वहां उनको लगवाये लेकिन उनके लगाये जाने में किसी प्रकार की देरी न हो। कोई लैप्स न हो। वह काम श्रेयस्कर होगा। यहां डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से मैं आपको फिर से कहूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूं। वैसे जरूरी होता है कि जब मैं अजमेर की याद दिलाऊं यह देख कर दुःख होता है कि उनको आपने बेकवर्ड एरिया से निकाल दिया, मगर क्या उसको बेकवर्ड एरिया से निकालने में राजस्थान सरकार का सहयोग हुआ है। जब से राजस्थान में बी. बी. एण्ड सी. आइ. रेल्वे कायम हुई है तो अजमेर शहर में उसका हैडक्वार्टर रखा। उस वक्त से जो रेल्वे में काम कर रहे हैं, उस वक्त से जो कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं या ब्यावर के अन्दर जो आज से 30 वर्ष पहले लगीं उन मिलों को देख कर उसको बेकवर्ड एरिया से निकाल दिया तो मेरी उसको बेकवर्ड एरिया में लेने की राजस्थान सरकार से प्रार्थना है। वहां के कालेजेज में जितनी अच्छी पढ़ाई होती है और वहां से होशियार युवक जो निकलते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता है, और जब काम नहीं मिलता है और इस ख्याल से कि वह बेकवर्ड एरिया में नहीं है इसलिए सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं तो आखिर में वह कहां जायेगा ? अजमेर में पैदा होना क्या उन पर प्रिमियम लगी हुई है। इस वक्त जब वहां पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो हमारे यहां पर मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं, डाइरेक्टर महोदय बैठे हुए हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो राज्य मंत्री ही हैं।

श्री माणक चन्द सोगानी : मैं उनकी तरक्की की कामना करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप उनको ढहाना चाहते हैं।

श्री माणक चन्द सोगानी : मैं उनकी खुशामद इसलिए कर रहा हूं खासतौर से कि मेरा काम पूरा हो जाय।

किशनगढ़ भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। किशनगढ के विधायक भी यहां बैठे हुए हैं

(श्री माणक चन्द सोगानी)

वह भी इस बात का सपोर्ट करेंगे। वहां पर सभापति महोदय, इस वक्त एक चीज ज्यादा सामने आई है वह है पावरलूम। बड़ी खुशी होती है कि हमारी सरकार ने वहां पर कई लोगों को रोजगार दिलाया, मगर थोड़ा सा यह सुनने में आया है कि आने वाले कोटे में शायद उनको इसलिए वंचित कर दिया जाय कि वह बेकवर्ड एरिया में नहीं हैं। तो यह एक भूल होगी। आदमी को कई चीज प्रेक्टिकल वे में देखनी पड़ती हैं। आज हमारे यहां पर कमलाजी नहीं हैं इस वक्त। मेरी उनसे बातें हुई थीं तो उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र दूदू में पावरलूम लगाना चाहती हैं। बड़ी खुशी है उनको मिले। अगर 300 पावरलूम वहां पर लगेंगे तो दूदू में यह होगा कि 300 पावरलूम स्वावलम्बी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनको वहां पर आना पड़ेगा जहां पर अधिक पावरलूम लगे हुए हैं। इसका उदाहरण मैं भीलवाड़े का दे सकता हूं। भीलवाड़े में हमारे यहां पर राज्य सरकार ने पावरलूम दिये, लेकिन वह पावरलूम खिसक कर किशनगढ़ आगये। इस वक्त मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के उस प्रदेश की ओर जो कि भिवंडी कहलाता है। वहां पर हजारों पावरलूम लगे हुए हैं। वह पावरलूम वहां पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लेबर हैं, उनके पास साइजिंग फैक्ट्रीज हैं। इस प्रकार की सारी सुविधाएं वहां पर प्राप्त हैं। उसको नजरअन्दाज करके और जगह देते हैं तो प्रेक्टिकल दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें किसी प्रकार का पोलिटिकल मोटीवेशन नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है। हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट को भुलावें नहीं। जो बेकवर्ड एरियाज हैं वहां पर जरूर लगें मगर वह वहां पर भली प्रकार से हो सकता है तो जरूर करें, लेकिन यह उद्देश्य इसमें कतई नहीं होना चाहिए कि चूंकि बैकवर्ड एरिया घोषित हो गया है, इसलिए वहां पर देना लाजिमी है। लाजिमी यह हो कि जहां पर काम चल सके उस जगह पर उस काम को लगाया जाय। प्रेक्टिकल दृष्टि से देखकर काम को उन्हें देना चाहिए यह मेरी आपसे विनती है।

अजमेर का जहां तक सवाल आता है तो एक समय वह था जब वहां पर गोटे के कारखानों में हजारों आदमी काम करते थे। आज भी वहां पर गोटे की इन्डस्ट्री है, मगर कुछ तो आज के फेशन में परिवर्तन आने की वजह से उस इन्डस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मगर जहां तक वहां पर कच्चा माल उपलब्ध कराने का सवाल है उसको उपलब्ध कराने में कुछ शिथिलता नहीं आनी चाहिए। सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहां के व्यापारियों की आर्थिक अवस्था गिरती जा रही है। बैंकों के मारफत उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके ऐसे साधन जुटायें। राजस्थान में अजमेर का जो स्थान है जहां पर कि गोटा इन्डस्ट्री पनप रही है उसके बाद में जयपुर और खण्डेला आदि जगहों का नाम आता है। अजमेर की इस इन्डस्ट्री को सूरत के

(श्री माणकचन्द सोगानी)

मुकाबले में, कम्पीटिशन में बड़ा झटका झेलना पड़ता है। इसलिए जब मैं वहां पर रहता हूं और देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि व्यापारियों की स्थिति वहां पर दिन प्रतिदिन दबती जा रही है। वे कारखानों में इतने आदमियों को नहीं रख सकते हैं जितने कि पहले रखते थे। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन दुकानदारों को मदद मिलनी चाहिए जो धनाभाव के कारण उस दिशा की ओर जा रहे हैं।

वहां पर एक इन्डस्ट्री जो चल रही है वह है डीड चेयर्स। अजमेर के मुड्डे दूर दूर जाते हैं। मैंने देखा है कि डेलिकेट क्लबों में भी वह मौजूद हैं और अहमदाबाद से मेरे दोस्त भी लिखते हैं चिट्ठी में कि आपके यहां के मुड्ढे भेजें वह अच्छे बनते हैं। तो वह अहमदाबाद भी जाते हैं। वह एक इन्डस्ट्री के तौर पर बनते हैं। जिनसे शेड्यूल्ड कास्ट के भाई जीविका प्राप्त करते हैं। उनके लिए बैंक की सुविधा की तो इतनी जरूरत नहीं है मगर उनको रा मेटेरियल प्राप्त होता रहे इसके लिए डाइरेक्टर साहब को और हमारे राज्य मंत्री साहब को और हमारी सरकार को मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस चीज की छानबीन करके उन लोगों को वह चीज उपलब्ध कराई जाय ताकि जो 4 हजार आदमी इसमें लगे हुए हैं वह अपने धन्धे में लगे रहें और उनको सन्तान, जिनके लिए और कोई धन्धा नहीं है, वह भी इसी धन्धे में लगे रहें।

मगर सभी व्यक्ति कच्चा माल नहीं मिलने की वजह से वह उस रोजगार में खपाये नहीं जा सकते हैं। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं इस बात पर बहुत खुश हुआ कि अजमेर के पास ब्यावर है और ब्यावर के पास सैंदड़ा है। सैंदड़ा में इतना अच्छा पत्थर है कि वहां के पत्थरों की खुदाई और कटाई होती है। मेरे दिल्ली के एक दोस्त ने वहां के पत्थर होटल बनाने में काम में लिये हैं। मैं वहां पर खुद गया जहां पर पत्थरों की कटाई हो रही थी। अगर इस उद्योग को सरकार प्रोत्साहन दे तो माल बाहर भी भेजा जा सकता है। और, वहां के लोगों को रोज-गार भी मिल सकता है। मगर इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष वहां से पत्थर बहुत कम मात्रा में निकाले जा रहे हैं। इस पर थोड़ी शक्ति लगाने से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा एक बात मैं और निवे-दन करना चाहता हूं। अजमेर कारखाने का जो लेबर है, जब उसका कार्यकाल पूरा होता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। वह बहुत ही कार्यकुशल होता है। बाद में वह या तो ताश खेलता है या पान की दूकान करता है। जो काम उसने वर्षों किया है उसका वह बहुत ही अच्छा कारीगर होता है। ऐसा अच्छा कारीगर नहीं मिलेगा। जिसने 25 साल तक हथौड़ा चलाकर काम किया है वह जिस दिन बैंड बाजे के साथ अपने घर आता है, उसके दूसरे दिन से ही वह विवश होकर बाजारों में घूमता फिरता है। जिन लेबरर्स में काम करने की क्षमता है, हमारी सरकार को उनको उद्योग में लगाना चाहिए। मैंने जैसे मुड्ढों का जिक्र किया है उसमें लगा सकते हैं। उनको धनराशि इतनी मिलती नहीं है

(श्री माणकचन्द सोगानी)

कि जिससे वह कोई वर्कशाप चला सकें। इतना प्राविडेन्ट फण्ड मिलता नहीं है। प्राविडेन्ट फण्ड इतना कम होता है कि या तो वह ब्याज पर दे देते हैं, या यों ही खत्म कर देते हैं। अगर सरकार उनके लिए कुछ कारखाने लगादे तो बड़ी अनुपम बात होगी। यहाँ पर कारखानों की बात आती है। उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि पानी और बिजली की व्यवस्था करें। पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, बिजली की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कारखाना चल नहीं सकता है। कारखाने के लिए पानी की व्यवस्था से पहले पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि गर्मी की मौसम में अजमेर में पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। इसके लिए बनास में बांध बना दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक तो वहां पर जो डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, उनसे जानकारी मंगाकर सरकार व्यवस्था कर दें तो ऐसी व्यवस्था करने से पीने के पानी की बड़ी सुगमता हो जायेगी। किशनगढ़ में जो उद्योग हैं, जैसे साइकिल फैक्टरी काम नहीं कर रही है, उनके लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी। इस बारे में गर्मी से पहले पहले सरकार कदम उठाये तो अच्छा होगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं। एक दो मिनट में।

मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर में कोयले की समस्या है। गाखुरे में जो कलकार आने लगे हुये हैं, कोयला नहीं होने से उनको हानि पहुंची है। अगर कोयले का कोटा पूरा हो जाये तो बहुत सी समस्या हल हो सकती है। धनबाद जहां से कि कोयला जाता है, या कलकत्ता से ऐसी व्यवस्था की जाये। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से यह हो रहा होगा लेकिन कोई ऐसा चुस्त आदमी होना चाहिए कि जो लोग काले धन के आधार पर कोयला ले जाते हैं, वह उनसे पहले अपना कोटा ले लिया करें। इसकी सरकार को वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, सांभर में सोडा ऐश फैक्टरी लगाने का सवाल है। इस पर सरकार 15-20 साल से विचार कर रही है। मुझे याद है सांभर में 57-58 हजार के आस पास फ्रैंच एक्सपर्ट को बुलाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। जहां तक राजस्थान की औद्योगिक प्रगति का सवाल है ..

श्री भीमसेन : ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा ख्याल है, मेरा नम्बर था। फिर माननीय सदस्य को नम्बर कैसे दे दिया गया है। इसका क्या कारण है ?

श्री सभापति : इनको जाना था, इसलिए दे दिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, 15 साल से फैक्टरी का पीरियड चल रहा है। आमतौर से कहा जाता है तो 4-5 साल की बात तो समझ में आती है लेकिन 15-16 साल हो गये हैं। 4-5 साल से हम देख रहे है, राज्यपाल महोदय

(श्री पी० के० चौधरी)

के उद्घाटन भाषण में और वित्तमंत्री के बजट भाषण में इस बात का जिक्र आता है। न तो आशय-पत्र मिला है। न फैक्टरी ऐस्टेब्लिश हुई है। विनय फैक्टरी का चला था। इस सम्बन्ध में बजट भाषण में जिक्र है लेकिन इस साल के अभिभाषण में जिक्र नहीं था। लेकिन प्रगति रिपोर्ट में हमने देखा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू से नयी बन गई है। टाटा इन्स्टीट्यूट के जरिये से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। सभापति महोदय, विनय इन्डस्ट्री को 2 आशय-पत्र मिले थे। स्कूटर फैक्टरी का काम चालू हो गया है, ऐसा सुनने में आया है। सोडा ऐश फैक्टरी को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे है। इसको हम जानते नहीं हैं। यह भी मैं जानता हूं, आज नहीं, पांच साल पहले, चार साल पहले भी तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय सुखाड़ियाजी जब सांभर गये थे, वहां सांभर साल्ट का जो मैनेजिंग डाइरेक्टर था, उससे बात हुई थी, उसने बताया था, उन्होंने भी लाइसेन्स के लिए, सोडा ऐश फैक्ट्री लगाने के लिए दरख्वास्त दी है। सांभर साल्ट, सांभर में सोडा ऐश फैक्ट्री लगाना चाहता था, उस दरख्वास्त पर क्या हुआ, यह पता नहीं। उसके बाद जोइन्ट सेक्टर में लगाने का लाइसेन्स मिला। मैं इस सदन में दो साल से निवेदन कर रहा हूं, जो जोइन्ट सेक्टर में लगाने का विचार है, जब सांभर साल्ट खुद 50 परसेन्ट हिस्सा लेने के लिए तैयार है, वह खुद लगाना चाहता है तो उसके साथ कोलोबोरेशन में यह क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों नहीं उसको पब्लिक सेक्टर में लगाया जाता है? इस सोडा ऐश फैक्ट्री को जोइन्ट सेक्टर में क्यों लगाने की बात आती है? इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जवाब नहीं आता है। सोडा ऐश फैक्ट्री सांभर साल्ट ने खुद अकेले लगाने के लिए दरख्वास्त दी है तो उसके साथ कोलोबोरेशन करके पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं हैं? जोइन्ट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में लगाने की बात क्यों आती है?

एक और बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा राजस्थान में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की प्रगति बहुत धीमी है। यह बात सही है। दो साल से हिन्दुस्तान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टेगनेशन की हालत में है, ग्रोथरेट स्टेगनेन्ट है। राजस्थान में देखते हैं तो ग्रोथरेटी डेक्लाइनिंग है। यह हाल है। हो सकता है कि सारे राजस्थान का यह हाल है, वही राजस्थान का हाल है। लेकिन हम अहसास करते हैं कि पन्द्रह साल में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट में प्रगति आपके कोटा में हुई है, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि कोटा है इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हुआ है पिछले दस साल में। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कहां तक प्रयास रहा है-मैं नहीं कह सकता वहां पानी था, पावर थी इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद ने आकर इन्डस्ट्री लगायी। गवर्नमेंट की तरफ से बाकी के एरिया में इन्डस्ट्री लगाने के लिए और राजस्थान में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी की प्राब्लम को सोल्व करने के लिए किसी प्रकार से अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया हो-ऐसा लगता नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा प्रेसर आफ पापूलेशन है, वह इस भू-भाग में ज्यादा है। जयपुर संभाग में प्रेसर आफ पापूलेशन ज्यादा है। पन्द्रह साल में मैं नहीं बता सकता कि इन संभाग में पब्लिक सेक्टर में, कोई इन्डस्ट्री लगाई है। हम

(श्री पी. के. घोधरी)

पन्द्रह साल से मांग करते आ रहे हैं, जयपुर संभाग में पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्री लगानी चाहिये क्योंकि यहां पर एम्प्लायमेंट की प्राब्लम एक्यूट है और प्रेसर आफ पापूलेशन है, प्रेसर आन लैंड है वह सबसे अधिक है। राजस्थान के बाकी हिस्से हैं उनमें जो प्रेसर आफ पापूलेशन लैंड पर है, उससे अधिक है। इसलिए यहां पर इन्डस्ट्री लगाने की और इन्डस्ट्री लोकेट करने की कोशिश करें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, सरकार का एक तरह से स्टेप मदर्ली एटीट्यूड इस इलाके की तरफ रहा है। किसी प्रकार की बड़ी इन्डस्ट्री यहां पर लगाने की कोशिश नहीं की गई है। जहां तक जयपुर जिले का सवाल है, पिछले 15 वर्षों में देखेंगे कि जयपुर में दो चार वेजिटेबल के कारखानों के अलावा कोई बड़ा कारखाना आजादी के बाद नहीं लगा है। जो लग गये, बाल बेरिंग को ले लीजिये, स्पीनिंग मिल को ले लीजिये, कमानी को ले लीजिये, यह सबके सब कारखाने तो राजस्थान बनने से पहले के लगे हुए हैं। लेकिन हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद जयपुर जिले, जयपुर शहर में कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा है, दो चार साल में दो चार वेजिटेबल फैक्ट्री लगायी है, इनकी एम्प्लायमेंट पोटेंसियलिटि बहुत लिमिटेड है। इस बात की तरफ जब मौका आता है, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। पता नहीं, सरकार इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं देती है ? हम राजस्थान का बेलेन्स्ड डवलपमेंट चाहते हैं, इसके साथ साथ यह ध्यान में रखना चाहिये कि एम्प्लायमेंट प्राब्लम जहां एक्यूट है, और जहां पर सारे फैक्ट्री आफ प्रोडक्शन हैं, उनकी जयपुर में कमी नहीं है, पानी यहां मौजूद है, सड़क मौजूद है, बिजली मौजूद है। इसके बावजूद यहां पर इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट क्यों नहीं होता है ? राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट क्यों नहीं होता है ? इस प्रश्न को कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, राजस्थान के लोग मद्रास में क्यों इण्डस्ट्री लगाते हैं बम्बई में इन्डस्ट्री क्यों लगाते हैं, कलकत्ता में इन्डस्ट्री क्यों लगाते है, हरियाणा में क्यों इंडस्ट्री लगाते हैं, दिल्ली में क्यों लगाते हैं। लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं आते हैं ? यह एक सवाल हमारे सामने आता है। इस बात की तरफ सरकार को और इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट को सोचना चाहिये। आखिर हमारे राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, वह यहां इण्डस्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं, वाट इज रांग ? यहां कमी किस बात की है ? यहां पानी की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, फिर क्यों नहीं लगाते हैं ? अपने घर में इण्डस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बर्मा में जाकर लगाते हैं, मलेशिया में जाकर लगाते हैं तो यहां क्यों नहीं लगाते हैं? व्हाट इज रोंग विद यू ? क्या इस बात के ऊपर सोचती है सरकार ? इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट को इस पर सोचना चाहिये, आखिर में क्या है, किस बात के कारण नहीं लगाते हैं ? लोग कहते हैं, यह नहीं करते हैं, वह नहीं करते हैं। मैं चार्जेज नहीं लगाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आपमें डिस्किशन की कमी है, एटीट्यूड की कमी है, इसलिए लोग दूर रहते हैं और इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं होता है। मैं चाहूंगा, सरकार को इस पर सोचना चाहिये, इतना सब प्रयत्न करते हैं, हर साल इस सदन में यह बात उठाई जाती है, फिर भी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होता है, इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं होता है। सिवाय

(श्री पी० के० चौधरी)

कोटा को छोड़ कर आपका किसी जगह पर इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हुआ नहीं है।

दूसरी बात यह आई कि मिनरल्स में हम काफी रिच हैं लेकिन हम डवलपमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? आज पब्लिक सेक्टर में, जहां दूसरी जगह नेचरल रिसोर्सेज हैं, आप बिहार को ले लीजिये, उड़ीसा को ले लीजिये, दूसरी जगह को ले लीजिये, जहां नेचरल रिसोर्सेज हैं, तो क्यों नहीं डवलपमेंट कर पाये हैं? व्हाट इज रोंग? हम क्यों नहीं कर पाते हैं? दूसरे क्यों कर लेते हैं? हम सोचते हैं कि हम दूसरों को दोष नहीं देना चाहते हैं, हममें कमी है, हममें एप्रोच नहीं हैं, हममें विल नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, Why we have lost the will to develop. इसमें डवलपमेंट करने की विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है यह मानकर चलना चाहिये, जो इच्छा को खो देता है, वह कुछ नहीं कर सकता, one who looses will, he cannot do anything. मैं कहना चाहता हूं, सरकार को, विभाग को सोचना चाहिए, क्यों नहीं होता है डवलपमेंट? हमें डवलप करने के लिए कोशिश करनी चाहिये। मैं खासतौर से यह निवेदन करूंगा कि इस बात का ध्यान रखियेगा कि यह जयपुर संभाग है, यहां पापूलेशन अधिक है, जमीन अधिक है, लैंड के ऊपर प्रेशर अधिक है, इस इलाके में इण्डस्ट्री लगाने के लिए, इण्डस्ट्री लोकेट करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और दूसरी बात कहना चाहता हूं, सोडा ऐश का कारखाना है जिसकी वर्षो से बातचीत चल रही है, उसमें देरी क्यों होती है? क्यों नहीं, फैसला कर पाते हैं। जिस साल से आशय-पत्र मिला है, उसके बाद आज प्रगति रिपोर्ट देखी, जो इस साल सरक्यूलेट की है, उसमें अन्दाज नहीं है कि उसको कहां लोकेट करना चाहते हैं। आपने लिखा है कि पार्टी से बातचीत चल रही है। तो कितने साल तक बातचीत करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप कुछ न कुछ फैसला करें। प्राइवेट सेक्टर में न देकर, मैं निवेदन करूंगा कि सांभर साल्ट से बात करके, जिसकी दरख्वास्त पड़ी हुई है लाइसेन्स के लिए, पब्लिक सेक्टर में सोडा ऐश फैक्ट्री लगायें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा दूसरा कट मोशन है, फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स फिफ्थ प्लान के अन्दर है, आपको मालूम है कि पाइराइट का बहुत बड़ा भण्डार है। फर्टीलाइजर काम्प्लेक्शन है फिफ्थ फाइव इअर प्लान में वह दो करोड़, तीन करोड़ का फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स बनेगा। उसके लिए कई साल से सुन रहे थे। जब कि बार फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स फिफ्थ फाइव इअर प्लान का अनाउन्समेंट हुआ है। उसमें पांच छः जगह का अनाउन्समेंट हुआ है, उसमें हमारा नाम नहीं है, राजस्थान का नाम, पांच छः में से एक में भी नहीं मिला। गवर्नर महोदय का अभिभाषण आया उसमें क्या जोड़ा है उसमें हमने पढ़ा कि पांचवीं योजना में हमारे यहां जो फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स होगा उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए फंड्स का एलोकेशन किया है। इसका मतलब फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स का हम सोच रहे थे कि चौथी योजना में लोकेशन तय हो जाएगा उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए पांचवीं योजना में फंड्स का लोकेशन हुआ। इसका मतलब पांचवीं योजना में यह जो प्रोपोज्ड फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स है, वह हमारे यहां

(श्री पी० के० चौधरी)

लगने की कोई गुंजाइश नजर नहीं ग्राती Allocation for advanced action on fertiliser complex has been made in the Fifth Plan.

ग्रौर उसका एक्चुएल एक्शन छठी योजना में। इसका मतलब फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स जिसकी बात हम चौथी योजना में करते आए हैं, वह पांचवीं में न लगकर, छठी योजना में लगेगा। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार भारत सरकार से बात करके फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स जल्दी से जल्दी राजस्थान में कम से कम पांचवी योजना के बीच में लगाने की कोशिश करें। जहां तक लोकेशन का सवाल है हम लोग काफी ग्राशा लगाकर बैठे हैं कि सलादीपुरा में खोला जाना चाहिए, वहां पाइराइट मौजूद है। दलील दी जाती है कि चित्तौड़गढ़ में इसको ले जायं क्योंकि उस में राक फास्फेट काम में ग्राता है जो वहां अवेलेबल हैं। लेकिन उसमें ग्रापको पाइराइट लेना पड़ता है। इसका ग्रच्छा इम्पेक्ट नहीं होगा, उसका पोलिटिकल इम्पेक्ट ग्रच्छा नहीं होगा। राजस्थान के लिए आब्व्यसली जो फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स हैं उसके लिए सलादीपुरा ज्यादा इकॉनामीकल है। उसको चित्तौड़गढ़ लाने की सोचते हैं सिर्फ पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स से तो इसका इम्पेक्ट ठीक नहीं होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर काम्प्लेक्स पांचवी योजना में लगाया जाए, उसके लिए आप प्रयत्नशील रहें, न कि पांचवीं योजना में केवल ग्राप एडवान्स्ड एक्शन की बात सोचें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राजस्थान में राज्य सरकार की नीति के कारण पिछले वर्षों में उद्योगीकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने नए उद्योगों को कुछ रियायतें देकर, ऋण सुविधाएं देकर, इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करके राज्य में ग्रलग ग्रलग स्थानों पर उद्योगों के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं वे मुहैया करके राजस्थान में ग्रौद्योगीकरण के लिए एक बेस बनाया है। फिर भी आज राजस्थान में ग्रौद्योगीकरण की दिशा में हमें बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान का ग्रार्थिक स्थिति से पिछड़ापन, बेरोजगारी, उपलब्ध खनिज ग्रौर दूसरे रा मेटिरियल को ध्यान में रखते हुए ग्राज हमें इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, ग्रौद्योगीकरण की दृष्टि से बीकानेर जिला ग्रभी भी पिछड़ा हुग्रा घोषित नहीं किया गया है। बीकानेर के लोग बराबर इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि बीकानेर को ग्रौद्योगीकरण की दृष्टि से जब तक पिछड़ा घोषित नहीं किया जाएगा तब तक वहां जो उद्योग लगाने की संभावनाएं हैं, नये उद्योगपति वहां उद्योग लगाने के लिए ग्रागे नहीं ग्रा सकते। ग्राज बीकानेर में मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ऊन देश में सबसे ग्रधिक मात्रा में पैदा की जाती है ग्रौर ऊन की बड़ी मंडी है, वहां ऊन का काम्प्लेक्स डेवलप कर सकते हैं लेकिन बीकानेर को पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया जाता तब तक इस दिशा में नये लोग ग्रागे नहीं ग्राएंगे। इसलिए पुरजोर शब्दों में, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर को तत्काल ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाए।

(श्री भीमसेन)

अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान में पर कैपीटा जो बिजली की खपत है वह कम है और अगर इसी को आधार मानकर हम किसी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करना चाहते हैं तो यह हमारे आंकड़े भ्रामक सिद्ध होंगे। बीकानेर जिला औद्योगिक दृष्टि से इसलिए पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया जा सका क्योंकि वहां प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत ज्यादा आती है। वह औद्योगीकरण की वजह से नहीं है बल्कि वहां की जनता को गहरा पानी बिजली के द्वारा खींचकर निकालने पर बिजली खर्च होती है, इस कारण प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत वहां ज्यादा है। तो आपके आंकड़े भ्रामक हैं और बीकानेर जिले के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

आज राजस्थान में हमारे हिज हाइनेस और प्राइवेट पार्टीज को इन्टेरिम लाइसेंसेज दिए गए हैं। पहले भी राजस्थान में बहुत टेक्सटाइल मिल्स के लाइसेंसेज दिए गए थे लेकिन वे धीरे धीरे ैप्स हो गए। राज्य सरकार को जो राजस्थान में लाइसेंसेज दिए जाते हैं, बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए, उन लाइसेंसेज को परस्यू करने के लिए ऐसा कोई संगठन कायम करना चाहिए मैं समझता हूं पहले तो राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए लोग कम आते है और अगर लाइसेंसेज मिल जाते हैं तो कुछ लोग इस बात की तलाश में रहते हैं कि किसी न किसी बहाने से वे राजस्थान से दूसरी जगह लाइसेंस ट्रांसफर कराने की फिक्र में रहते हैं। तो राज्य सरकार को एक ऐसा सेल या संगठन कायम करना चाहिए जिससे हमारे जो लाइसेंसेज राजस्थान में मिलते हैं, वे समय पर उद्योग लगाए जा सकें। इस बारे में राज्य सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

बीकानेर में कुछ वर्ष पहले जिप्सम पर आधारित खाद का कारखाना लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी कायम की थी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने फैसला किया था कि वह खाद का कारखाना जो जिप्सम पर आधारित हो, वह बीकानेर के बजाय हनुमानगढ़ में लगाना चाहिए। वहां पर बीकानेर डिवीजन में जिप्सम, कोल, बिजली और पानी जो खाद के कारखाने के लिए आवश्यक हैं, वे सारी सुविधायें वहां उपलब्ध हैं। बीकानेर में उस समय खाद का कारखाना लगाए जाने के बारे में इसलिए सिफारिश नहीं की जा सकी क्योंकि वहां जो पानी की मात्रा आवश्यक होती है वह समय पर उपलब्ध नहीं है। पानी की कमी बताई जा रही थी लेकिन लिफ्ट कैनाल की वजह से पानी की भी सुविधा मिल रही है। तो यह कारखाना इकॉनामिक दृष्टि से फीजीबिल है और उसकी स्थापना के लिए भारत सरकार से प्रयास करने की आवश्यकता है।

बीकानेर के पास पलाना कोयले की खान है। आज भारत में कोयले की कमी है और कोयला देश में एक स्थान पर मिलता है और उसका देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। रेलवे वैगन्स की आवश्यकता है लेकिन हमारे यहां जो नेशनल वेल्थ बना हुआ है, उसके लिए सरकार किसी भी तरह से सक्रिय नहीं है।

(श्री भीमसेन)

सभापति महोदय, राज्य सरकार को इसके लिए प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। सभापति महोदय, आज वहां पर पलाना में काफी मात्रा में लिग्नाइट पड़ा हुआ है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि कोयला जब खान से निकाला जाता है तो उसे काफी समय तक एक जगह पर आप पड़ा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने चाहा है कि लिग्नाइट को सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट से पता लगवाया जाना चाहिए उसको कितने समय बाद वहां से ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसमें ऐसा कहा जाता है कि कोयले को निकालने के कुछ समय बाद वहां से हटा लिया जाना चाहिए नहीं तो वहां पर आग लगने का भय रहता है। क्या हमारी राज्य सरकार पलाना के कोयले का जो वहां पड़ा है, उसे काम में नहीं ले सकती? आज वह वहां पर क्यों अधिक पड़ा रहता है? इसके लिए भी मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय, बीकानेर में जो पावर हाउस है वह टरबाइन लिग्नाइट से चलता है। उस पर वह आधारित है अभी जब हमारा राजस्थान ही हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम का प्लान्ट खराब हो जाता है या बरसात कम होती है तब उतनी मात्रा में बिजली उत्पादन नहीं हो सकता जितना होना चाहिए तो हमें बड़ा धक्का लगता है। उस वक्त यह लिग्नाइट का टरबाइन बिजली उत्पादन में काम में आता है। इसलिए सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान में थरमल प्लान्ट की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हमारे पलाना में जो लिग्नाइट है उससे हम करीब 50 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल सक्रिय नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या रुकावट है कि हम उससे बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आता है जब कभी ड्रोट होता है तब उस समय हमारे यहां पर बिजली का प्रोडक्शन कम होता है उस समय हमारे औद्योगिक संस्थानों को बहुत धक्का लगता है। उत्पादन कम होता है तो इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि हमारे यहां पर थरमल पावर प्लान्ट होना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं हमारे बीकानेर में ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सभापति महोदय, यहां पर बार बार बीकानेर की जनता ने मांग की उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना बीकानेर में की जानी चाहिए। हमारे बीकानेर, चूरू, लाडनूं में उन मिलों की स्थापना की जानी चाहिए लेकिन हमारे बीकानेर, चूरू और लाडनूं को इस ऊन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार ने हमारे यहां छोटे छोटे उद्योगों को पनपाया नहीं है। उसका लाभ हमारे यहां राजस्थान को नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, हमारे बीकानेर वालों ने बार बार मांग की। बीकानेर में ऊन के कम्बल काफी अच्छे बुने जा सकते हैं। ऊनी गलीचे बनाये जा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई प्रयास नहीं किये हैं। इसमें लघु उद्योग निगम अच्छी भूमिका निभा सकती है। छोटे छोटे उद्योगों को लघु उद्योग निगम को पनपाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज लघु उद्योग अच्छा लाभ कमाती है। उसे चाहिये कि वह छोटे छोटे उद्योगों को

(श्री भीमसेन

प्रोत्साहन दे। मगर लघु उद्योग निगम की इन छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन देने की नीति अच्छी नहीं है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और लघु उद्योग निगम इन्हें पनपाये ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। आज सभापति महोदय, बीकानेर चुरू, लाडनूं में ऊनी धागा अच्छा तयार होता है उसके प्रोडक्शन को बढाने की ओर ध्यान देना चाहिये। आज बीकानेरी ऊनी धागे की बनी हुई चीजें जो कि राज्य सरकार अपने डिपार्टमेंट्स जैसे मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग और दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम के लिए दिया जा सकता है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर इसका उपयोग यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि बीकानेर की ऊन अच्छी नहीं है। सभापति महोदय, आज बीकानेर की जो ऊन है वह अच्छी से अच्छी ऊन आपको उपलब्ध हो सकती है। और अगर आप कहते हैं कि इसमें कुछ कमी है तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसमें आस्ट्रेलियन फाइबर और दूसरा फाइबर मिलाकर ऊन तैयार किया जाना चाहिये। और मैं तो यह कहूंगा कि राज्य सरकार अपने डिपार्टमेंट्स को बाध्य करे कि वह बीकानेरी ऊन की चीजें ही खरीदे। सभापति महोदय, आज यहां कहा जाता है कि बीकानेरी ऊन को खादी बोर्ड काम में ले सकता है लेकिन खादी बोर्ड भी इस ओर निष्क्रिय है। खादी बोर्ड कम तादाद में इस ओर ध्यान देता है। खादी बोर्ड चाहे तो काफी तादाद में लोगों को काम दे सकता है। लेकिन खादी बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कराया जा रहा है। जितने ऊन कतने के केन्द्र कायम होने चाहिये वह नहीं हुए हैं। लोगों को ऊन कातने को नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि खादी बोर्ड इस व्यवस्था को अधिक बढावा दे बुनकर केन्द्र अधिक से अधिक खोलें जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यह क्या बात है कि आप लोगों को दिखाने के लिए एक महीने में एक बार ऊन देते हैं और फिर बाकी दिन बेचारे बेकार बैठे रहते हैं। सभापति महोदय, उसे पांच रुपये मिल गये तो क्या। इसलिये मेरा निवेदन है कि खादी बोर्ड को राज्य सरकार आदेश दे कि इन बुनकरों को समय समय पर ऊन देते रहें ताकि उन लोगों को काम मिले। सभापति महोदय, बीकानेर वुलेन कारपेट को बहुत ही कम प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज बीकानेर और उसके आसपास के लोग वुलेन कारपेट का काम काफी अच्छी कर सकते हैं। लोग लीव पीरियड में इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिये। इसी तरह सभापति महोदय, कालीन भी बीकानेर ऊन के तैयार होते हैं। ऊन के लिये आज उन छोटे छोटे बुनकरों के पास पैसा नहीं होने से काफी दिक्कत होती है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उन्हें नेशनलाईज्ड बैंक से लोन दिलाये जावें ताकि वह लोग इसके लिए मशीनरी वगैरह खरीद सकें। लेकिन सभापति महोदय, यह नेशनेलाईज्ड बैंक्स की कई बार शिकायत आयी है कि यह नेशनालाईज्ड बैंक इन छोटे छोटे बुनकरों को मशीनें वगैरह खरीदने के लिए सुविधायें नहीं दे रही है। आज आपने नाम तो कर दिया कि हमने छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए नेशनलाईज्ड बैंक्स से छोटे उद्योगों को लोन देते हैं। सिर्फ आज नेशनलाईज्ड बैंक्स के लिये ढोल पीटा जाता है पर मैं समझता हूं कि इस ओर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ

146

(श्री भीमसेन)

है। इसके लिए मैं समझता हूं कि उद्योग विभाग काफी अच्छी भूमिका निभा सकता है। उद्योग विभाग के उद्योग अधिकारियों की यह ड्यूटी कर देनी चाहिये कि वह अपने जिले में ऐसी व्यवस्था करावें कि उन छोटे उद्योगों के मालिकों को नेशनलाईज्ड बैंक्स से समय पर ऋण मिलने की सुविधायें उपलब्ध करावें। आज हमारे चूरू और सीकर जिले में डाई एण्ड टाई का काम बहुत अच्छा होता है। उन जिलों में छोटे छोटे रंगरेज लोग अपना धन्धा करते हैं। मैंने इस बात के लिए प्रयास किया कि काश्मीर सिल्क, जो तैयार करते हैं वह यहां से बुनकर वहां भेजा जावे इसके लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिये लेकिन हमारी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किये गये। इस संबंध में अभी भी समय है आप प्रयास करें। आप उन लोगों को शोषण के शिकार होने से बचायें। उन्हें शोषण से मुक्ति दिलायें। उद्योग विभाग द्वारा इसके लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे लूणकरणसर में लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू हो जाने से वहां पर उद्योगों की स्थापना हो सकती है। लेकिन वहां पर जमीन नहीं है। मैंने उपनिवेशन विभाग वालों से निवेदन किया बीकानेर और लूणकरणसर उद्योगों की स्थापना के लिये आप हमें जमीन सेट अपार्ट करें। इसके लिये उद्योग विभाग को प्रयास करने चाहिये। उद्योग विभाग को चाहिये कि वह जमीन की व्यवस्था करावें। इसके अलावा लूणकरणसर में नमक उद्योग का अच्छा विकास हो सकता है वहां पर बीकानेर जिप्सम को यह काम लीज पर दिया है। मैं समझता हूं कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके उत्पादन बढ़ाने से और वहां पर कम से कम हजार दो हजार लोगों को रोजगार दे सकेंगे। इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा लूणकरणसर में नमक उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। तो मैं समझता हूं राज्य सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

आर. एम. डी. सी. को कास्टिग सोडा प्लांट लगाने का लाइसेन्स मिला हुआ है। कास्टिक सोडा प्लांट एक इकोनोमिक प्लान्ट है। स्टेट एन्टरप्राइजेज डिपार्टमेंट ने फिजिकल रिपोर्ट तैयार करायी है यह रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध है। इस फैक्टरी के लिए 20 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है जो उसको केनाल से प्राप्त हो सकता है। लूणकरणसर, डीडवाना ये केन्द्रीय स्थान हैं इसके आर. एम. डी. सी. की स्टेट एन्टरप्राइज डिपार्टमेंट ने एक स्कीम बना कर दी है। इस बारे में आप विचार करेंगे और उद्योग लगाने की ओर कदम उठायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग के सम्बन्ध में जो समस्यायें हैं उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, बहुत से खनिजों में हमारा राजस्थान समृद्धशाली है और खनिजों में भरा हुआ है। अतः खनिजों पर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिये, और इसके लिये कोई रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये। इस ओर कोई सक्रिय प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। लाइम स्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, माइका हमारे यहां प्रचुर मात्रा में है। इन पर बेस्ड कोई छोटे 2 उद्योग लगाने के लिये प्रयास हमारी ओर से हम करते रहे हैं।

(श्री भीमसेन)

लेकिन अभी तक इस ओर हमने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिये इन्डस्ट्रीज और माइन्स डिपार्टमेंट को ऐसी रिपोर्ट तयार करना चाहिये जिससे लोग आगे आकर इन पर बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगा सकें। राजस्थान में यह हालत है कि मारबल चिप्स; स्टोन चिप्स प्लास्टर आफ पेरिस पाऊडर तैयार करते हैं लेकिन रेल से क्रानचोट होकर बोम्बे चले जाते हैं। 100 वर्ष पहले जो नियम और कानून बनाये थे और जो एग्रीमेंट्स थे वैसे ही इस प्रकार की हालत चलती आ रही है। इन पर बेस्ड उद्योग कलकत्ता और बम्बई में लगा दिये जाते हैं और यहां पर रेलवे फ्रेट का एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि यह सब कच्चा माल बाहर पहुंच जाता है और यहां उद्योग नहीं पनप सकते हैं। रेलवे फ्रेट के कारण ही यहां पर उद्योग नहीं लग पा रहे है। लूणकरणसर में प्लास्टर आफ पेरिस की फेक्टरी के लिये मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग मंत्रीजी ने बताया कि जिप्सम कम्पनी के साथ शर्त्त लगा रखी है कि कच्चा माल बाहर न जाये। लूणकरणसर में पानी उपलब्ध है बिजली है और कच्चा माल है तो यहां पर ही क्यों नहीं प्लास्टर आफ पेरिस की फेक्टरी लगायी जाय ? मेरी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लोगों से बातचीत हुई है। कहने लगे कि यदि हम कोई माल तैयार करके यहां से बाहर भेजेंगे तो हमको रेलवे फ्रेट और ज्यादा पड़ेगा और उस सूरत में ये हमको इकोनोमिक नहीं होगा। इसलिये कच्चे माल को ही बाहर भेजना ठीक रहेगा और रेलवे फ्रेट के कारण ही राजस्थान में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इस ओर आपको गहराई से सोचना चाहिये।

जो माइन्स डिपार्टमेंट है वे खनिजों को ड्रिलिंग करके लोकेट करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विभाग के पास जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

(5.55 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

मशीनें आइडल पड़ी रहती हैं। ड्रिलिंग इन्जीनियर नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ये मशीनें अनयुटिलाइज्ड पड़ी रहने से स्टेट को नुकसान होता है। मशीनों के उपयोग की ओर सतर्कता की आवश्यकता है।

एक बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जगह जगह माइन्स लीजेज दे रखी हैं। होता क्या है कि माइन ओनर्स वहां पर मिनरल निकालते हैं। इकोनोमिक दृष्टि से जो उनको सस्ता पड़ता है वहां से ऊपर से वह मिनरल निकालते हैं, और जो आबर बर्डन होता है उसको वहीं पर डालदेते है। इससे होता क्या है कि जो डिपोजिट्स हैं वे ढक जाते है और इस कारण माइन्स बरबाद हो जाती है। आयन्दा आने वाला उसको इकोनोमिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने से ओपरेट नहीं करता है और इस कारण हमारी सम्पदा अन्दर ही छिपी रह जाती है। इस मामले में हमारे माइन्स विभाग को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि वे यह निरंतर देखते रहें कि माइन्स ओपरेटर्स ठीक प्रकार से मिनरल को निकाल रहे हैं और

(श्री भीमसेन)

वे राष्ट्रीय सम्पदा को बरबाद नहीं कर रहे हैं। राक फास्फेट के लिये यह कहा गया कि वहां पर ओवर बर्डन इकट्ठा हो गया है। पहले से ही सतर्कता की आवश्यकता है। कोई भी माइन ओनर ओपरेट करता है तो उसकी निगरानी रखें कि मिनरल वेस्ट न जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग की मांग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव व्यक्त करना चाहूंगा। उद्योगों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कुछ बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किये हैं। मैं समझता हूं कि रीजनल इम्बेलेन्स की वजह से सरकार ने इस नीति को अपनाया है।

नेशनल डेवलपमेन्ट की दृष्टि से यदि सरकार सोचती तो, मेरी ऐसी मान्यता है, राजस्थान जैसे बेकवर्ड प्रदेश में इन्डस्ट्रीज के लिये केन्द्र में इनसिस्ट करते और सबसिडी का प्रावधान पहले भी किया उसी प्रकार राज्य में सबसिडी के द्वारा अन्य उद्योग लगवाने की दृष्टि से केन्द्र में इस प्रश्न को उठाया जाता और राज्य में अधिक उद्योग स्थापित करने की बात की जाती तो सौभाग्य की बात होती और राज्य उद्योगों में प्रगति करता और उस ओर काफी अधिक अग्रसर हो सकता। वहां पर राज्य सरकार असफल रही है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र पर ऐसी नीति राज्य के हित में अपनाने के लिये दबाव डाला जाय ताकि राजस्थान को अधिक उद्योग मिल सके और अधिक उद्योग स्थापित कर सकें, केन्द्र से अधिक सबसिडी और लोन प्राप्त कर सकें। ऐसी नीति अपनाकर ऐसी कार्यवाही करके केन्द्र से अधिक लाभ मिल सकता है अतः इस ओर अग्रसर हो तो राज्य के लिये फायदे की बात होगी।

इसके साथ रीजनल इम्बेलेन्स का जहां तक सवाल है, ठीक है। पर इसको मिटाने के लिये यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कौनसी इण्डस्ट्री स्थापित हो सकती है। कहीं ऐसा न हो कि एक जगह का इम्बेलेन्स दूर करने के लिये दूसरी जगह जो इण्डस्ट्री लगी हुई है उसको धक्का लगे और वह चौपट हो जाय और वहां इम्बेलेन्स पैदा हो जाय। इण्डस्ट्रीज इस तरह से सेट करनी चाहिए कि जिससे एक दूसरे में कम्पीटीशन अननेसेसरिली पैदा न हो। पहले तो यह ध्यान रखा जाय कि जो इण्डस्ट्री कहीं नहीं लगी हो उसे ही वहां लगाया जाय। फिर अगर दूसरी जगह जो इण्डस्ट्री लगी है अगर उसको एक्सटेंड करने की जरूरत हो तो ही उस इण्डस्ट्री को दूसरी जगह लगाई जाय। अब इसके लिए आप सबसिडी भी देते हैं तो अवश्य दें। इस बात का ध्यान रखें कि उस इण्डस्ट्री के लिए आया वह उपयुक्त जगह है या नहीं या पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पैदा हुए हैं या नहीं। वह वहां उपयोगी हैं या नहीं। इसका पूरा ध्यान रखा जावे।

अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर में टेक्सटाइल इण्डस्ट्री है हेण्ड लूम इण्डस्ट्रीज लगी हैं। अरसे से इस व्यापार ने यहां प्रगति की है। इनका पूरा ध्यान रखा जाय। कहीं ऐसा न हो कि इम्बेलेन्स की फिकर में ये इण्डस्ट्रीज दूसरी जगह आप लगा दें और

(श्री प्रतापसिंह)

यहां चौपट हो जायं। इस तरह का व्यवहार कुछ पहिले किया गया था। तो इनको हतोत्साहित करना अच्छा कदम नहीं होगा। इससे वहां के मजदूर निराश होंगे जिन्होंने काफी मेहनत करके इनकी स्थापना की है और जमाया है। इनको वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाना इम्बेलेन्स के नाम पर तो यह उचित कदम नहीं होगा। इम्बेलेन्स आप इस तरह से मिटावें कि उसके कारण दूसरी जगह इम्बेलेन्स न पैदा हो पावे। हां इसके अलावा आप दूसरी चीजें दूसरी जगह लगावें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है।

इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ ब्यावर अजमेर में जो टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज या हैण्ड लूम हैं उनको और भी ठीक तरह से सेचुरेट करके सबसिडी, लोन आदि देकर बढ़ावें। न कि इनको दूसरी जगह डाइवर्ट करें।

सबसिडी के नाम पर जिन क्षेत्रों को आप लाभ पहुँचाना चाहें वहां इस बात का ध्यान रखा जावे कि यह सबसिडी गरीब मजदूरों को अथवा टैकनिकल हैण्ड को अथवा छोटे व्यापारियों को मिले। न कि सबसिडी के नाम पर करोड़पतियों के मुनाफे में और पूंजी में और अधिक इजाफा आप करें। उनको पहले ही बहुत मुनाफा है। वांछनीय लोगों को आप दें। अवांछनीय लोगों को कतई न दें यह सबसिडी। नहीं तो राज्य के धन का दुरुपयोग ही होगा।

इसके साथ निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन्डस्ट्रीज की स्थापना करना आवश्यक है ताकि प्रेशर वहां कम हो और रोजगार वहां लोगों को मिलता रहे। इसमें आप लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

मैं साथ ही किशनगढ़ के हाथ वस्त्र करघा संघ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसको राज्य ने काफी सबसिडी देकर स्थापित किया। मजदूरों के लिए वहां 50 क्वार्टर भी बने। आज उन क्वार्टरों की यह हालत है कि एक ठेकेदार के चक्कर में आकर न मालूम किस तरह से उस ठेकेदार ने कोर्ट में दावा दायर करके कुर्की हासिल करली और उस डिग्री में धन क्वार्टरों को कुर्क कराना चाहता है। यह सहकारी समिति की फैक्टरी है। यह मामला डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज की जानकारी में अवश्य है। कलक्टर के माध्यम से समझौता कराने का प्रयास किया गया है। पर ठेकेदार डिग्री क्रियान्वित करना चाहता है। वे लोग सहकारी समितियों को फेल कराना चाहते हैं और किसी तरह से इनको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को सजग रहना होगा। मजदूरों को राहत देने के लिये और सहकारी समितियों को इस तरह इन लोगों के हाथों में जाने देने से रोकने के लिये समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जहां तक पीने के पानी की वहां समस्या का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां बनास से पानी लाने की योजना को क्रियान्वित किया जावे, तो इससे वहां इण्डस्ट्रीज को भी प्रोत्साहन मिलेगा। काफी राहत मिलेगी।

(श्री प्रतापसिंह)

इस टेक्सटाइल और हैण्ड लूम, पावर लूम इण्डस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक कालेण्डर प्लान्ट सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जावे तो बहुत उपयुक्त होगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं कर सकें तो सहकारी क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी स्थापना कराने का प्रयत्न किया जावे। इससे वहां के कपड़ा मजदूरों और दूसरों व्यवसाइयों को काफी लाभ मिलेगा। इससे वहां के उत्पादन को भी गति मिलेगी।

खनिज के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि इसे योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में संगठित किया जाय। यह अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। मैंने इस बारे में पिछली बार भी निवेदन किया था। इस बारे में मैंने अपने क्षेत्र के रामगढ़ माइन्स के बारे में भी निवेदन किया था। जिसमें मुझे यही उत्तर मिला था शीघ्र ही एक वर्ष की अवधि में सर्वे करा लिया जायगा। 74-75 के लिये आपने यहां हाऊस में कहा था 74-75 में सर्वे करा लिया जायगा लेकिन केवल सर्वे से ही नहीं मन्त्री महोदय में यह निवेदन करना चाहता हूं एस. डबल्यू. आर. अच्छी संस्था है। अच्छे आधार पर उसने सर्वे करके, मैं समझता हूं आपके डिपार्टमेंट से ज्यादा अच्छा सर्वे किया है, यदि उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है तो खनन के लिये मैं निवेदन करूंगा और यह आशा करूंगा अधिक ध्यान देकर शीघ्र खनन के लिये कार्यवाही करेंगे।

इसके साथ उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जो लाइम स्टोन का स्टाक उपलब्ध है, उस के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर खनन की जो प्रक्रिया है वह ठीक नहीं है, उसको सुधार करके उस लाइम स्टोन को भी ठीक किया जाय और अन्त में यह निवेदन करूंगा खनिज में और अन्य उद्योगों में जो मजदूर है, उनकी सुख सुविधा को दृष्टिगत रखना होगा। मजदूरों की दो प्रकार की समस्यायें हैं: एक तो रोजी-रोटी की और दूसरे रहने की...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

रोटी की समस्या अन्न बढ़ाने से ही हल नहीं होती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय महंगाई जो बढ़ रही है, इस पर आप नियन्त्रण नहीं कर पायेंगे लेकिन समय पर उनको आवश्यक वस्तुयें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करादें, तो काफी दिक्कत हल कर पायेंगे और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मजदूरों की जो बस्तियां हैं, मजदूरों की जो सोसायटियां है उनको हमें खासतौर से ध्यान में रखना होगा और यह प्रबन्ध करना होगा कि उन लोगों को समय पर जो आवश्यक वस्तुयें हैं, उपलब्ध हो जायं...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (जयपुर, किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खनिज और उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं और उन कटौती प्रस्तावों को मैंने बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में जो राजस्थान राज्य के पूंजी विनियोजन में है उसमें कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं केवल इतनी बात

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कहकर समाप्त करूंगा। आज कोटा के अन्दर औद्योगिकरण की बहुत बातें कही जाती हैं और जिसके विकास के लिये बहुत लम्बी बातें कही जाती हैं। सारी सुविधायें प्राप्त करने के बाद मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय कि राजस्थान की आम जनता को उससे क्या लाभ हुआ, कितने आदमी वहां पर नौकरी में है, वहां जो कुछ मेन्यूफेक्चर होता है, जो कुछ वहां पर बनता है, वह राजस्थान से बाहर भेजते हैं, राजस्थान के आदमियों को नौकरी नहीं। केवल मात्र चपरासियों की नौकरी, चौकीदारी की नौकरी, इस प्रकार का सलूक हमारे राजस्थान के साथ किया जाता है। वहां पर उनके लिये रा मेटेरियल देने की व्यवस्था है, उनका हैड आफिस राजस्थान में नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान इस बड़े उद्योग के सम्बन्ध में यह तय नहीं कर सकता है, जबकि हरियाणा यह तय कर सकता है कि यहां जो इन्डस्ट्री लगायेगा उस का हैड आफिस हरियाणा में रहेगा। मैं समझता हूं राजस्थान में उनके लिये क्या तकलीफ है। जितनी बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं राजस्थान में उनका हैड आफिस नहीं, सब का हैड आफिस बाहर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार सूरत गया था, आश्वासन समिति की तरफ से। मैंने वहां के लोगों से बात की। जयपुर के लोग वहां इन्डस्ट्री लगाकर बैठे हैं। रात को जब हम लोग उनसे मिले मैंने कहा राजस्थान में भी इन्डस्ट्री लगावो। उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलिये और देखिए कि यहां कि इन्डस्ट्री कैसी हैं और कैसी पनपी है? उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य करेंगे 11 बजे थे, 400 इन्डस्ट्रियल एस्टेट रात को 11-00 बजे चल रही थी। मैंने जानकारी चाही, भाई रा मेटेरियल कहां से मिलता है? आर्थिक सुविधायें कहां से मिलती हैं? जवाब था सब इस टेबिल पर आकर मिलता है। जे० के० सिन्थेटिक ये वहां पर जो फाइबर मिलता है वहां पर मिलता है। राजस्थान की इन्डस्ट्री और गुजरात के लोग पैसा कमायें, गुजरात में जाकर पैसा कमाये और राजस्थान के लोग छटपटायें। मैं नहीं समझता हूं कि किस प्रकार का उद्योगीकरण कर रहे हैं? कोटा में बहुत इंडस्ट्री लगाने की स्थिति खत्म हो चुकी है किन्तु अभी हमारे ओंकार लाल जी खाद का कारखाना और लगवा रहे हैं। खाद का कारखाना लगेगा, अब किस स्केल पर लगता है यह बात दूसरी है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि जितनी बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं और उनके साथ जो एन्सीलरी का विस्तार होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा राज्य सरकार की क्या नीति है, राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है क्या राज्य सरकार ने कभी सोचा है कि हमने सारी सुविधायें उपलब्ध कराई हैं, क्या राज्य सरकार ने सारे साधन जुटाने की कोशिश की है। मैं यह भी निवेदन करूंगा मैंने प्रश्न के उत्तर में स्व० बरकत साहब से पाया था और उन्होंने इस बात को बताया था कि राजस्थान की इन्डस्ट्री को स्टीम लाइन देने के लिये एक उच्चाधिकारी समिति बनाई है। दूसरे प्रश्न में मैंने पूछा इस उच्चाधिकारी समिति का क्या हुआ और इस उच्चाधिकारी समिति की एक

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बैठक आज तक आयोजित नहीं की गई। चार राज्य मंत्री बैठे हुये हैं। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये राजस्थान की खनिज सम्पदा के लिये चर्चा करें और खेद है मुझे यह कहते हुये कि राजस्थान की केबीनेट का कोई मंत्री, जो ऐसे मसले हैं जिसमें राजस्थान के सारे भाग्य को रूपरेखा देने का मसला है, जिसमें राजस्थान के भाग्य बदलने की बात है, उपेक्षा वे स्वयं करते जिसका दूसरों पर और प्रभाव पड़ता है।

भारत सरकार जो कोटा देती है, भारत सरकार जो भी कोटा राजस्थान की इन्डस्ट्रीज को देती है वह भी समझती है कौन परवाह करता है। यहां पर कोटा की बात मेरे बुजुर्ग मित्र भरतपुर से आने वाले माननीय रामकिशन जी ने बताया कि आज जापान लड़खड़ा गया, तेल के संकट के कारण। राजस्थान की इन्डस्ट्री, हिन्दुस्तान की इन्डस्ट्री 89 परसेन्ट कोयले पर डिपेन्ड करती है। आज जो मंत्री बन गये श्री मोहन लाल जी छंगाणी दोनों ने मिलकर एक कोटा का प्रश्न उठाया था। हमने उस अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया। बहुत बढ़िया पनिसमेंट दे दिया। आज आप महसूस नहीं करते है। राजस्थान की इन्डस्ट्री जिसका सबसे बड़ा आधार मिल नहीं पा रहा हैं। अगस्त 1970 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा था हम बिक्री कर में छूट देंगे, बिक्री कर में रिआयत देने की बात कही थी। आज 31 मार्च 74 को हम उस छूट को वापिस ले रहे हैं। क्या उस सम्बन्ध के नियम भी अपने बनाये ? केवल मात्र यह कहकर हम इन्डस्ट्रीज का विकास करना चाहते है, औद्योगिकरण की नीति अपना ली हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरत की घटना की बात निवेदन कर रहा था उन्होंने मुझे सारी बातों की जानकारी दी। आज आपका मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन, फाइनेन्स कारपोरेशन, एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, आज आपका डाईरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज जो बिजली की सुविधा देने की घोषणा करते हो, जो जमीन की भी देने की घोषणा करते हों और आपके इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के जलसे में बैठकर प्रस्ताव पास करते हैं और हम यह कहते है हमारे मुल्क का औद्योगिकरण करेंगे, हम उनको सारी सुविधायें देंगे, हम सारे इन्डस्ट्रीज के साधन जुटाकर देंगे और वे सब प्रभावित होकर यहां आते है तो यहां आकर कुछ और ही बातें देखते हैं। दूसरों के यहां का पैटर्न बताकर कहता हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा हैं ? इतना सब कुछ होने के बाद बार बार 6 महीने इसलिये चक्कर लगावें कि आपका मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन उद्योग के लिये लोन नहीं दे और वह चक्कर खाता फिरे बिजली लगवाने के लिये। 6-6 महीने लोन नहीं मिले, 6-6 महीने बिजली नहीं मिले। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं सरकार का जो कार्यक्रम है उसको स्टीम लाइन देने की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं मानता हूं कि गुलाबसिहजी जिनके जिम्मे इन्डस्ट्रीज का महकमा है और जिनके अन्दर जोश भी है और मेरे साथ सदन के अन्दर माननीय सदस्य के रूप में बैठे हैं और बहुत बुजुर्ग हैं और मैं नहीं भूलता हूं तो आप पिछले 15 सालों से सदस्य हैं। प्रश्न इस बात का है कि जितनी हमने घोषणायें की और कार्यक्रम बनाये उनको क्रियान्वित करने के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लिए राजस्थान की सरकार उनको किस प्रकार से क्रियान्वित करती है ? जैसा मैंने अनुरोध किया महाराष्ट्र के अन्दर डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर को इस बात की हिदायत दी गई है कि अगर कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहती है या कोई 50 हजार रुपये इनवेस्ट कराना चाहते हैं तो उसके बारे में वह सारी रिपोर्ट दे और कितनी सहायता मिल सकती है उसके बारे में सारी व्यवस्था करके दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम गए थे तो मैंने बम्बई के अन्दर टेलीफोन किया और उनका अधिकारी आ गया और उसने दस स्कीमें मेरे सामने लाकर डाल दीं। इसके विपरीत जब यहां देखते हैं तो मुझे बड़ी भारी निराशा होती है। हम क्रियान्वित करने में आज एक एजेन्सी बनायें और वहीं टेबल के ऊपर जमीन, वहीं टेबल पर पानी, वहीं टेबल पर बिजली की व्यवस्था, वहीं कर्ज की व्यवस्था, वहीं रा-मेटेरियल की व्यवस्था और वहीं पर इस बात के लिए भी आश्वस्त किया जाना कि जो मेटेरियल तैयार होगा उसकी बिक्री की भी व्यवस्था वह करा देंगे। आपने सरकुलर निकाला आपने कहा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की तरफ से सामान बने उसको खरीदने में पहले प्राथमिकता दी जाये। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह प्राथमिकता दी जाती है ? क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी या दूसरा महकमा उन सारे कामों में प्राथमिकता देता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जितनी घोषणायें की और जितने निगम बनायें हैं उन बूढे बैलों को जिनको पेन्शन देना चाहते हैं, पेन्शन देने के लिए और भी रास्ते हो सकते हैं लेकिन जब आप राजस्थान का औद्योगीकरण करना चाहते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार की बात करके चलते हैं और यह कहते हैं कि राजस्थान को सेन्ट्रल एड केवल मात्र 2 परसेन्ट मिलती है सारे देश के मुकाबले में तो आप मान कर चलें कि उन मनों में वह तड़प नहीं हो सकती। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है आप डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के पद को हटायें और सारी चीजें एक जगह करें, एक ही एजेन्सी के जिम्मे यह सारी चीजें सौंपें जिससे सारी बातें हो सके और यहां पर जो औद्योगीकरण के लिए और इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए कहना चाहते हैं उसके लिए सारी सुविधायें ठीक तरह से और ठीक ढंग से जुटा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मार्च, 72 से जब से इस सदन का सदस्य हुआ हूं मैं बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं और जब कि उद्योग विभाग की मांग आई है सदा इस बात के लिए निवेदन किया है लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार की तरफ से बराबर जब हम व्यक्तिगत रूप से बातों में मिलते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे यहां सुविधाओं का अभाव है, हरियाणा के सामने हम औद्योगिकरण में पिछड़ गए। नाहर साहब कह रहे थे और स्वायत्त शासन मंत्री कह रहे थे कि शेखावाटी का एक सेठ आया और वह यहां इन्डस्ट्री लगाना चाहता था लेकिन उसका सौदा नहीं पटा और आखिर वह हरियाणा में चला गया और वहां उसने यह इन्डस्ट्रीज लगाई।

यह बहुत बड़ा सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं, राजस्थान के साधनों को विकसित करना चाहते हैं और जब उन साधनों को

(श्री राम गोटेवाला)

हम देखते हैं कि हमारी कमजोरियों की वजह से और हमारे इस प्रकार के कामों की वजह से जो सारे साधन देने की बात कर रखी है और फिर काम रुकता है तो मन में बड़ी तकलीफ होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन के अन्दर फाइनेन्स एडवाइजर की पोस्ट पिछले 1½ वर्ष से खाली पड़ी है और वहां पर सेक्रेटरी का काम एक यू० डी० सी० कर रहा है। समझ में नहीं आता कि आप किस ढंग से सारे काम को आगे ले जाना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर, जैसा बताया गया कि सुविधाओं की घोषणायें की हैं और वह सारी सुविधायें हम लोगों के लिए जुटा पायें हम हमारे अधिकारियों में मनोवैज्ञानिक चेन्ज ला पायें, जो भी बाहर से आते हैं उनके रोजगार की व्यवस्था करके देंगे और जितने प्राजेक्ट रिपोर्ट्स हैं सारी गवर्नमेन्ट की तरफ से बनवाकर देंगे तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करके चलता हूं कि जो राजस्थान की स्थिति उद्योगों के मामले में है कि देश के एक दो राज्यों को छोड़कर हम सब से नीचे हैं, हम और आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम हमारी नीतियों को किस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे?

कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में भी हमने वादा किया है और हम कहकर आये हैं कि हम राजस्थान का औद्योगीकरण करेंगे और लोगों के लिए रोजगार के साधन जुटायेंगे आज जब प्रोग्राम की बात है उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं और अनुरोध करके चलना चाहता हूं कि कभी मंत्री महोदय व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर सारे काम को देखें। आप देखें कि विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एस्टेट में क्या दिक्कत है? क्या वहां पर लाइट मिलती है? क्या वहां सड़कों पर और उस एस्टेट में लाईट है? क्या वहां पानी की सप्लाई ठीक है, क्या इन्डस्ट्रीज को रॉ मेटेरियल ठीक मात्रा में और पूरी मात्रा में मिल रहा है? कोयला मिल रहा है या नहीं? मैं जानना चाहता हूं मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यहां कहा गया था कि 2200 के करीब प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए नये उद्योग धंधे लगाने के लिये और लगे सिर्फ 210 ही। याने 10 परसेन्ट भी नहीं लग पाये। 210 के बारे में भी मैंने पूछा था कि आप रॉ मेटेरियल कितनों को देने के लिए साधन जुटा पाये हैं तो उत्तर मिला था कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जिस प्रकार की स्थिति है, जैसा हमारे अधिकारियों का मानस है और यही मानस रहा और मन में तड़प नहीं रही तो आप मानकर चलें कि यह देश भगवान के भरोसे ही चल रहा है। राजस्थान के के बारे में बात कही जाती रही है कि किसी के मन में तड़फ नहीं है कि हमारा काम आगे बढ़े और आगे बढ़कर स्कीमों के बारे में बात करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कॉटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में भी चर्चा हुई। मैं विशेषतौर से जवाहरात के उद्योग के बारे में कहूंगा जिसमें 25 हजार लेबर लगी हुई

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हैं, उसके बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उसी जवाहरात के उद्योग के साथ में मूर्तिकला का उद्योग है, ठठेरों का उद्योग भी कॉटेज इन्डस्ट्री के रूप में माना जाता है, चूंदड़ी की रंगाई और बंधाई का काम करने वाले भी हमारे यहां बहुत हैं और माननीय उद्योग मंत्री जी भी जानते हैं टूरिज्म के मिनिस्टर होने के नाते कि जयपुर से $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये साल की आमदनी भारत सरकार को फॉरेन एक्सचेन्ज के रूप में मिलती हैं ....

श्री भीमसेन : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन सर। एक गोटे का उद्योग भी तो है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि भीमसेन जी जब उद्योग के उप-मंत्री थे तो खन्डेला पधारे थे और उनके दिमाग में गोटे की बात आई थी और वह इसको पनपाना चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य है कि वह इन्डस्ट्री राज्य के सहयोग के अभाव में समाप्ति पर है और जब वह समाप्ति की सांस ले रही है तो उसकी क्यों बात करूं मैं तो चलने वाली इन्डस्ट्रीज की बात कर रहा था.......

श्री प्रतापसिंह : गोटेवाले समाप्त हो गए क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : गोटे वाले तो समाप्त नहीं हुए, मैं तो आपकी खिदमत कर रहा हूं, आपके दिन समाप्त हो गए हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था और शुरू में निवेदन किया था कि जवाहरात उद्योग में 25 हजार लोग लगे हुए हैं और जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको बीस पच्चीस रुपये प्रतिदिन की इन्कम होती है। आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं ? आज 70 करोड़ रुपये साल की भारत सरकार को जवाहरात उद्योग से आमदनी हो रही है उसमें राजस्थान का हिस्सा सबसे ऊंचा आ रहा है। जब कि इतने आदमी इस धंधे में लगे हुए हैं, आप इस बात का सर्वे कराइये कि अपने यहां की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है ? आपने इन लोगों के लिए क्या किया है ? आपने एक प्रशिक्षण केन्द्र जरूर खोला है लेकिन आप पता लगाइये कि इसके मार्ग में आने वाली क्या कठिनाइयां हैं और किस बीमारी की वजह से यह यहां का उद्योग नहीं पनप रहा है और आज सूरत, नौसारी और गुजरात के मुकाबले इसको लाने की व्यवस्था करने की बात करें।

मैं आपसे एक बात हमारे लघु उद्योग के बारे में और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां के लगभग एक लाख 40 हजार बुनकर बुनाई का धन्धा करते हैं। जब सूत का कन्ट्रोल हुआ तो सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाने की बात भी तय हुई थी लेकिन पता नहीं वह कमेटी कहां गई ? आज लाखों रुपयों का घपला इस सूत के वितरण में हुआ है। लेकिन वह तो हो चुका सो हो चुका। अब एक लाख 40 हजार आदमियों की व्यवस्था करने के लिए वह बहुत जरूरी है कि आप इन बुनकरों को सूत दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके साथ ही मिनरल्स के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने किसी खाद

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कारखाने की बात की थी। इस खाद कारखाने के बारे में बीस साल से हम इसकी चर्चा सुन रहे हैं। कभी भीमसेन जी कहते हैं कि हनुमानगढ़ या बीकानेर में होना चाहिए। कभी कोटा वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि कोटा में होना चाहिए और कभी चित्तौड़गढ़ के माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पर खाद का कारखाना होना चाहिए और अभी सीकर के माननीय सदस्य और हमारे जयपुर सम्भाग के माननीय सदस्य पी. के. चौधरी भी चर्चा कर रहे थे। अब तथ्य क्या है? एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उस कमेटी ने ओपिनियन दी कि जो पायराइट बेस्ड खाद है, सिंदरी का कारखाना पायराइट बेस्ड है और सिंदरी के बारे में पार्लियामेंट की अण्डरटेकिंग कमेटी वहां पर गई और उस अण्डरटेकिंग कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि सिंदरी से डेढ़ सौ माईल दूर से पायराइट लाने से 34 लाख रुपये का सिंदरी कारखाने में नुकसान हुआ है पायराइट नष्ट हो जाने के कारण। आज चित्तौड़गढ़ में कारखाने लगाने की बात करते हैं। झामरकोटला में रॉक फास्फेट की खान को लें। रॉक फासफेट हमारे लिए कामधेनु है। लगभग चार करोड़ रुपये साल की इन्कम उससे होती है और वह इन्कम और भी बढ़ सकती है। और राक फास्फेट और पायराइट बेस्ड खाद का कारखाना केवल मात्र आपस में लड़ते रहें और योजना का अभी कोई पता ही नहीं है। अभी तो फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में एडवांस एक्शन की बात कही गई है। चौथी योजना के अन्दर भी लगभग 80 लाख रुपया रखा गया था और हमारे क्षेत्र के कई माननीय सदस्य, संसद सदस्य नवलकिशोरजी और हम दिल्ली में बरुवा साहब से मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि आप फैसला तो करें कि यह खाद का कारखाना भी लेना चाहते हैं या नहीं। जगह की बात आप छोड़ दें एक्सपर्ट्स पर। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन अगर यह है कि यह कारखाना बीकानेर में लगना चाहिए तो बीकानेर में लगावें। एक्सपर्ट यह कहते हैं कि यह खाद का कारखाना चित्तौड़गढ़ में लगना चाहिए तो चित्तौडगढ़ में लगा दें लेकिन आप राजनैतिक पक्षपात करके केवल मात्र इसलिए झगड़ते रहें तो कुछ होने वाला नहीं है। पहले अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की जाली रिपोर्ट तैयार करा दी गई। ज्योग्रालोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने रिपोर्ट दी कि यहां सलादीसर में इतना पानी है कि केवल मात्र एक सीर से काम चल सकता है, वहाँ आपके राजस्थान अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने यह रिपोर्ट दे दी कि यहां पानी नहीं है, इसलिए उस पानी के आधार पर यहां पर कारखाना नहीं लगाना और उस रगड़े के अन्दर भारत सरकार का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान में नहीं होना, इससे बढ़ कर शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमको इन सारी बातों को, प्रारम्भिक धन्धों के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं माननीय खनिज राज्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं। श्री टी. टी. कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में एक अवार्ड हुआ। उन्होंने अवार्ड दिया और 17 लाख रुपया साल का राजस्थान के साम्भर साल्ट को देने की बात तय हुई। दस साल तक वह मिला और अब सोडा ऐश फैक्ट्री लगती है। जैसा चौधरी सहब ने कहा था, मिनरल

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

डवलपमेंट कारपोरेशन की ओर से यहां पर कोई कारखाना लगाने की बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की इन्कम के जो सोर्सेज हैं, यहां का नमक सारे हिन्दुस्तान में साम्भर के नमक के नाम से जाना जाता है, अपनी क्वालिटी रखता है, उस नमक के विकास के लिए, उस नमक से आमदनी करने के लिए अगर आप कुछ नहीं करें तो थोड़ा मन में तकलीफ होती है।

अब मैं इन बड़े उद्योगों के बारे में जिनके बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव भी है

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात निवेदन करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर में सीमेंट उद्योग है जिसमें लगभग पौने दो करोड़ रुपये की इस सीमेंट उद्योग में बकाया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में भी मुझे बताया गया था इस बकाया के बारे में कि पौने दो करोड़ रुपये राज्य सरकार के बकाया हैं और फिर इस उद्योग की बैलेंस शीट उठा कर देखें तो लाखों रुपये साल का इसमें घाटा है और घाटे के साथ में मुझे वहां के मजदूर यूनियन के नेता लोग मिले थे। वे कह रहे थे कि हमारे यहां की तनख्वाह के, प्रोविडेन्ट फण्ड के, हमारी इन्श्योरेन्स के, हमारी यहां के को-आपरेटिव सोसायटी के, को-आपरेटिव स्टोर के लगभग आठ लाख रुपये बकाया हैं। जिस पानी के टैंक की बात थी और जिस खराब पानी की वजह से वहां के 70 प्रतिशत लोगों को पीलिया की बीमारी हो गई, उसके बारे में यह कहा गया था कि जून 73 तक वहां पर फिल्टर प्लान्ट लगा दिया जायगा लेकिन आज तक, सन् 74 की जून आने वाली है, वहां अभी तक उसकी कहीं शुरूआत भी नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सारे बड़े कारखानों की राजस्थान के प्रति जो ममत्व होना चाहिए, जो उनका दृष्टिकोण होना चाहिए, जो उनका विकास होना चाहिए, जो उनके दिल में तड़फ होनी चाहिए वह तड़फ नहीं है। तड़फ है तो आम आदमी की पूंजी को अपने अन्दर समेट लेने की। हमारे यहां के फाइनेंशियल कारपोरेशन ने राजस्थान की सीमा के बाहर बीस लाख रुपया दिया डालमिया की किसी इण्डस्ट्री को। मैं दावे के साथ कहता हूं राज्य मंत्री जी, आप जानकारी कर लीजिए, बीस लाख रुपया राजस्थान के बाहर की एक इण्डस्ट्री को दिया गया है। क्या वह रुपया वसूल कर लिया गया, यह मैं जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ब्यावर के पास जो सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात थी और जिस सीमेंट फैक्ट्री की बात हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और जिसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि साहू जैन उद्योग को जो यह फैक्ट्री लगाने की बात थी, मुझे लगता है शायद उन्होंने मना कर दिया है और दूसरी पार्टीज इस उद्योग को लेने को तैयार हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको कैंसिल कर और किसी ऐसी दूसरी पार्टी को उस इण्डस्ट्री को देने की बात करें जो वहां पर उस इण्डस्ट्री को लगा सकें।

इसके साथ ही मैं एक स्कीम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत सरकार की एक योजना है। राजस्थान के 16 जिले बैकवर्ड जिलों में घोषित किए गए हैं और उन 16 जिलों के अन्दर छः जिले वे हैं जहां और सुविधाएं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

देने की बात कही गई है। आपने अलवर और जोधपुर को बैकवर्ड एरिया घोषित कर दिया लेकिन इसके बाद वहाँ पर कितने उद्योग लगे ? अगर वहां पर उद्योग नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा ? मैं जानता हूं कि जब तक आप इन्हें सारी फैसेलिटीज नहीं देंगे, आप चाहे 15 परसेंट की रिबेट दें, चाहे कुछ दें, उद्योग लगने वाले नहीं है। उद्योग लगाने वाला पहले सारी बातों को देखना चाहता है। आज उसके रॉ मेटिरियल की क्या स्थिति है, उसका जो प्रोडक्शन होगा उसकी बिक्री की क्या स्थिति है। अगर इन सारी व्यवस्थाओं की आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो कोई उद्योग वहां लगने वाला नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि केपिटल दिल्ली के सौ मील एरिया में डेवलपमेंट करने की भारत सरकार की योजना है बदरपुर में। कोटपूतली में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात कही गई, वहां लाईम स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटि का लोग बताते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को, आप कोशिश करें। इस बात की कि इस सौ मील वाली स्कीम अगर वहां पर आती है, पानी बिजली और कर्ज की सुविधा भारत सरकार देती है तो निश्चित रूप से कोटपूतली में यह उद्योग पनप सकता है।

इसी प्रकार मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लगभग 90 लाख टन के करीब बस्सी और दौसा में सिलिका सैंड उपलब्ध है। जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने यह आंका था कि लगभग आठ हजार करोड़ का मिनिरल राजस्थान की धरती में मौजूद है। मैंने राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के भाषण के समय में था निवेदन किया था और उसको आज फिर दोहराना चाहता हूं कि उस खनिज विकास के लिए एक अलग से बोर्ड की व्यवस्था की जाय। मैं यह मानकर चलता हूं, मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कहता हूं कि हमारे जो खनिज राज्य मंत्री, श्री जुझार सिंहजी हैं वे बहुत व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा काम है, जिस ढंग से इस काम को किया जाना चाहिए। अकेला एक काम राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, जो सौ करोड़ रुपया राजस्थान को चाहिए, वह अकेला खनिज विभाग सौ करोड़ आपको इकट्ठा करके दे सकता है चाहे वह रॉक फास्फेट के माध्यम से हो, चाहे वह पाइराइट्स के माध्यम से हो और जो आपके मिनरल्स हैं, चाहे वह मारबल हो, उन सब के माध्यम से (समय समाप्ति सूचक घंटी)······समाप्त कर रहा हूं। दो मिनिट में। यह अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के औद्योगीकरण के लिए, उसके विकास के लिए कदम उठाये जाएं ताकि निश्चित रूप से राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार मिले और जो बाहर से आदमी उद्योगों को लगाने के लिये आते हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिये। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हम यह कह कर नहीं टाल सकते कि अधिकारियों के माया-जाल में फंस गये। दिल्ली और कलकत्ता में आपके स्पेशल रिप्रिजेंन्टेटिव बिठायें वहां से कोटा प्राप्त करने के लिये, रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिये, कोयला प्राप्त करने के लिये।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आप नहीं बैठायेंगे तो यह काम नहीं होगा। ये सारी भावनाएं आपके मनमें है। मैं आपकी भावनाओं को ही रिपीट कर रहा हूं। यह रिपीटिशन बार बार हो रहा है। यह तीसरी बार रिपीटिशन कर रहा हूं। बराबर करता रहा हूं। मैं यह मानकर चलता हूं कि गुलाबसिहजी शक्तावत सक्षम व्यक्ति हैं। वे इस काम को कर सकते हैं। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एक व्यापक व्यावसायिक दृष्टिकोण ला सकते है। जो अफसरशाही दृष्टिकोण है, उसको बदलना होगा। जो उद्योग धंधा लगाने के लिये आते हैं, वे इज्जत लेकर आते हैं। उनको इज्जत के साथ सुविधाएं दीजिये तो निश्चित रूप से राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। राजस्थान के लोगों ने हिन्दुस्तान के औद्योगिक विकास के अन्दर मदद दी है (घंटी), अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि इन सारे कामों को आप उच्च प्राथमिकता देंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र कुमार।

श्री महेन्द्रकुमार (पिड़ावा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में खनिजों का अपार भंडार पड़ा है। जब तक इन भंडारों का सही सर्वे नहीं होगा तब तक इसका उपयोग नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका खनिज विभाग को सर्वे कराना चाहिये। डूंगरपुर जिले के अन्दर फ्लोराइट, सोप स्टोन, ताम्बा, एसबेसटस आदि आदि मिलते हैं। इस तरह से उदयपुर में ताम्बा, शीशा, सोप स्टोन आदि मिलते हैं। इसलिये उद्योग विभाग को इन भंडारों का सही पता लगाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिला एक पहाड़ी और पिछड़ा हुआ जिला है। आदिवासी एरिया है। वहां के लोगों को धंधा नहीं मिलने के कारण अहमदाबाद मजदूरी करने को जाते हैं। अगर हमारी सरकार ने वहां पर कोई ऐसा उद्योग डूंगरपुर जिले में या बांसवाड़ा जिले में या उदयपुर जिले में खोल दिया होता तो ये मजदूर अहमदाबाद नहीं जाते। कम से कम 15/20 हजार मजदूर डूंगरपुर और बांसवाड़ से अहमदाबाद जाकर काम करते हैं। अभी जो घटनाएं अहमदाबाद में हुई तो कई मजदूर भागकर वापस आगये। अगर हमारी सरकार ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में कोई न कोई उद्योग लगा देती तो मजदूरों को अपना घर छोड़कर दूसरे प्रान्त में नहीं जाना पड़ता। हमारे यहां पर मांडव की पाल पर जो फ्लोराइट्स की खान है, उस पर करीब एक हजार मजदूर काम करते हैं। उनको वहां पर काम करते हुए करीब 15 साल होने जा रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय उनको राजस्थान की दूसरी खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके मुकाबले में कोई मजदूरी ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है जबकि दूसरी और खानों पर हर प्रकार की सुविधा मिलती है। वहां पर मेडिकल की सुविधा होनी चाहिये और प्राविडेन्ट फंड कटना चाहिये, वह मिलना चाहिये। आज सरकार कई बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं के अन्दर कई प्रकार की सुविधाएं हैं, जो कि मजदूरों को मिली हुई है। आदिवासी एरिया के अन्दर जो काम चल रहा है, वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है—दूसरी खानों के मुकाबले में उनको पूरी सुविधा दी जाए। 15 साल से वहां पर काम

(श्री महेन्द्रकुमार)

होरहा है वह उस तरह से चल रहा है, उसी प्रकार की मजदूरी दी जारही है। वहां पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। वहां पर एक प्लान्ट लगाने की योजना चल रही थी। पता नहीं क्या वहां पर फ्लोराइट काफी मात्रा में नहीं है इस तरह का सर्वे से मालूम हुआ, इसलिये कारखाना नहीं लगा रहे हैं। परन्तु कारपोरेशन ने भी इस दिशा में कारखाना लगाने की कोशिश नहीं की। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि वहां पर शीघ्र ही प्लांट लगाना चाहिये ताकि जो मजदूर खानों के अन्दर काम कर रहे हैं उनको और अच्छी मजदूरी मिले, और नये मजदूरों को भी उसके अन्दर मजदूरी मिले।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा के अन्दर कपास पैदा होती है। अतः वहां पर कपड़े की मिल लगनी चाहिये। इससे भी काफी मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है। वहां पर गन्ना भी होता है। इसलिये चीनी का कारखाना भी वहां पर लग सकता है।

व्यवस्था का प्रश्न जगरामसिंह का अनशन

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह एक स्थगन प्रस्ताव मैंने और दो अन्य माननीय सदस्यों प्रोफेसर केदारनाथ और माननीय निरंजन नाथ आचार्य ने यहां पर रखा था। जगराम सिंह एडवोकेट भूख हड़ताल पर चल रहे हैं, 7/8 दिन से उनकी स्थिति सोचनीय है। काफी गंभीर स्थिति है और प्राण संकट में हैं। इस संबंध में आसन ने फरमाया था कि मंत्रिमंडल की ओर से मुख्यमंत्री कोई स्टेटमेन्ट देंगे। हम इस स्टेटमेंट की प्रतीक्षा में हैं। अभी यह जानकारी और प्राप्त हुई है कि उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। मैं प्रार्थना करूंगा आसन से कि इस संबंध में स्टेटमेंट हो और वह पहले हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : दफ्तर से जानकारी लेकर इस सम्बन्ध में क्या आदेश दिये गये हैं, अभी बताऊंगा।

श्री महेन्द्रकुमार : गन्ने का कारखाना वहां पर लगा सकते है, मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है। राजस्थान के अन्दर उद्योग विभाग उस जगह लगाता है जहां कि लोग सक्षम हैं, जहां कि पूंजीपति लोग हैं और लोगों की अच्छी हालत है। तो उससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक पिछड़े हुए क्षेत्र में, इन आदिवासी एरिया के अन्दर उद्योग नहीं लगाएंगे, वहां का उत्थान होना मुश्किल है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इन तीनों जिलों के अन्दर मेरे ख्याल से 90 प्रतिशत आदिवासी रहते है। इन आदिवासियों का कोई भला नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बीस वर्ष कांग्रेसी राज्य के हो गये, इन वर्षों में कोई उत्थान आदिवासियों का नहीं हो सका है तो आने वाली सरकार भविष्य में पता नहीं कैसे इनका उत्थान करेगी ···(घंटी)···· यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अन्दर उद्योग लगाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पिछड़े हुए लोगों को धंधा मिल सके। डूंगरपुर-उदयपुर के बीच में चूने का पत्थर मिलता है जिससे सीमेंट का कारखाना वहां लग

(श्री महेन्द्रकुमार)

सकता है। अगर यह कारखाना वहां पर लग जाए तो काफी मजदूरी आदिवासियों को मिल सकती है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर आज कागज की कमी है। हमारे राजस्थान के अन्दर भी कागज की कमी है और विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिये स्टेशनरी नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल से राजस्थान में भी कागज का कोई कारखाना नहीं है। इसलिये राज्य सरकार को कागज का कारखाना लगाना चाहिये। और यह कारखाना उदयपुर जिले में लग सकता है। वहां पर कच्चा माल है। पानी की भी व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग लगाने के लिये पानी की गहरी आवश्यकता होती है। उदयपुर के अन्दर एक पेय जल की योजना है जिसमें उदयपुर शहर के लिये भी पीने के पानी की व्यवस्था है और उद्योगों को पानी देने की भी योजना उसमें है, लेकिन धन के अभाव में यह योजना अधूरी चल रही है और पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिक से अधिक उद्योग लगाने की व्यवस्था करें ताकि वहां के आदिवासियों को अधिक और स्थायी मजदूरी मिल सके। उनको गुजरात नहीं जाना पड़े और उनको अपने ही जिले के अन्दर मजदूरी मिल जाए तब तो आदिवासियों का भला हो सकता है, उनको ऊंचा उठा सकते हैं। इसके सिवाय और कोई दूसरा जरिया नहीं है जिससे कि आदिवासियों को ऊंचा उठा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करूंगा। हमारे वहां पर खादी बोर्ड की तरफ से कुछ काम चल रहा है लेकिन वह अपर्याप्त मात्रा में चल रहा है। तो मैं खादी बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे आदिवासियों के लिए उद्योग डालने की व्यवस्था करें। आप यहां पर गृह उद्योग चला सकते हैं और उनसे आदिवासियों का उत्थान हो सकता है। अगर यह नहीं तो मैं यह कहूंगा कि आदिवासी पिछड़े हुए रहेंगे। उनका तो भगवान ही मालिक है, और कोई उपाय नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड ज्यादा से ज्यादा उद्योग डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में खोलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज माइन्स और इन्डस्ट्रीज की मांग के सम्बन्ध में मेरे पास बहुत अधिक समय तो नहीं है इसलिए इसकी सारी आर्थिक विवेचना में न जाते हुए मैं कुछ सिद्धान्त के प्रश्न ही उठाना चाहता हूं।

मुख्य रूप से आज रॉक फास्फेट की खान का भंडार हमारे यहां निकला और 6 करोड़ टन के स्टाक की बात हुई तो उसके साथ साथ रॉक फास्फेट पर टैक्स भी घोषित कर दिया गया, और उस टैक्स से हमारे घाटे की एक भारी मद को पूरा करने की बात कही गई।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान से जहां तक खनिज पदार्थों का प्रश्न है हम इस बात का गौरव लेते हैं कि विशिष्ट स्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। यूरेनियम के स्टाक भी राजस्थान में हैं। इस तरह की भी चर्चा हुई है। सारा विवेचन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की इकोनामी को जेनेरेट करने में राजस्थान की माइन्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और हमारे यहां की इकोनामीज को सेल्फ-जेनेरेटिंग बनाने की दिशा के अन्दर यहां के जो मिनरल्स हैं वह अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, अगर हम उस सम्बन्ध में कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय लें। आज हमने वनों के राष्ट्रीयकरण की बात की है, और इस दिशा के अन्दर कदम भी उठाये हैं, लेकिन उन कदमों से कुछ संकट भी पैदा हो गये है। हमारी कुछ को-आपरेटिव सोसाइटीज को समाप्त कर दिया गया जो कि माणिक्यलाल वर्मा के समय से बनी हुई थीं। रायल्टीज के अन्दर एक बहुत बड़ा डिफरेन्स आया है।

स्टोन्स की बात को लेकर इस सदन के अन्दर बहुत गम्भीर प्रश्न उठाये गये हैं। कोटा माइन्स है जहां सुरजीतसिंह की मोनोपोली है। उनका अपना एरोप्लेन है, जिन्होंने करोड़ों रुपयों की राशि यहां से इकट्ठी की है। आपकी करोली की माइन्स हैं, लेकिन या सारी माइन्स उसी प्रोसेस के अन्दर ईअर टू ईअर लीज के अन्दर और रायल्टीज के नाम से पेमेन्ट के चक्कर, और सेल्स टैक्स के पेमेन्ट के चक्कर, डेड रेन्ट्स के ड्यूज के चक्कर, इस प्रकार के हिसाब किताब चल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कारण है ? कम से कम आज यह नीति सम्बन्धी घोषणा हो जायगी कि जितनी भी स्टोन्स की माइन्स है उनका हम राष्ट्रीयकरण करते हैं।

कोल का भी एक बड़ा अहम प्रश्न है, चाहे वह लिगनाइट का कोल हो, चाहे वह बाहर से आने वाला साफ्ट कोक हो। आज कोल हमारी इकोनामी का बहुत प्रमुख अंग हो गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अर्ज करूं कि लिगनाइट के सम्बन्ध में राज्य की जो दुर्लक्षपूर्ण नीति रही है उसकी राज्य की इकोनोमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इस लिगनाइट के अन्दर केवल यह कहकर- इसके गबन और घोटालों के अन्दर मैं नहीं जाना चाहता, उनको तो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी ने एक्जामिन किया है। उसकी रिपोर्ट आई है वह बहुत गम्भीर है-आप इसको फर्स्ट प्लान से सेकण्ड प्लान में शटल आउट करते चले जा रहे हैं और राजस्थान केनाल के पानी की बात कहकर उसको टालते चले जा रहे हैं जब कि नेवेली के कोल सोर्स से एक इकोनामी का जेनेरेशन हुआ है गुजरात की इकोनामी में, लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप से अर्ज करूंगा कि मुझे जी. डी. आर. जाने का इतिफाक हुआ तो जी. डी. आर. में सबसे बड़ा इकोनामिक इम्पेक्ट क्रियेट करने के लिए वह लिगनाइट की माइन्स थीं जो कि लिपजिग के पास में है। वहां पर और कोई मिनरल्स नहीं हैं थोड़ा सा मेंगेनीज, थोड़ा सा कापर, बाकी सारे का सारा जी. डी. आर. बाहर से इम्पोर्ट करता है, लेकिन लिगनाइट से वहां के सारे पावरहाउसेज चलते हैं, मैंने वहां के लिगनाइट को एक्जामिन किया तो हमारा लिगनाइट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उससे इन्फीरियर लिगनाइट नहीं है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर हाइडल पावर हाउस बहुत कम है, सारे थर्मल पावर हाउसेज हैं और सारे के सारे जी. डी. आर. के अन्दर 50 के बाद से 3 बार ब्रेकडाउन्स हुए हैं जो कि सारे पावर हाउस लिगनाइट पर रन करते हैं और फिर उनका फेब्रिकेटेड मेटेरियल हैं और सारे हाउसिंग मेटेरियल्स और ब्रिक वर्क्स। तो लिगनाइट अपने आपके अन्दर एक अहमियत है। हमारी मिनोलाजी के इन्जीनियर्स ने इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीरता से नहीं सोचा है।

जो कोल हमें बाहर से प्राप्त हो रहा है अब उसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट है साफ्ट कोक का। जो नई पालिसी हमने एज्यूम की है साफ्ट कोक के बारे में तो 5 रेक साफ्ट कोक के हमें प्राप्त होते हैं। सारे राजस्थान में हजारों लोग इस साफ्ट कोक के धन्धे पर चलते हैं, लेकिन आपने जो मोनोपोली सिस्टम साफ्ट कोक के लिए बना दिया है यह अपने आप में ऐसा है कि इसमें साफ्ट कोक का धन्धा करने वाले सारे समाप्त हो गये हैं। उसके लिए यह जरूरी है कि 10 हजार तो एडवान्स में डिपाजिट कराये। उसको अपना बैंक एकाउन्ट दिखाना पड़ता है। एक रैक से कम नहीं ले सकता है जो कि 20 हजार टन का होता है और जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपया होती है। तो 10 मोनोपोली फर्मों में इस धन्धे को बांटा गया है जिसमें करमचन्द थापर, एस. एन. पी., भारत कोल कम्पनी, प्रेमसिंह और दूसरी 5 मोनोपोली फर्में और हैं।

इसी कोल के धन्धे में हमारे यहां ब्रिक्स का रोजगार चलता है और गंगानगर में 25 हजार लोग इस ब्रिक्स के रोजगार से चलते हैं। यह बात दूसरी है कि कुछ प्रिविलेज्ड लोग गलत तरीके से भट्टे मन्जूर कराकर उनका उपयोग कर लें। अभी एक बहुत आश्चर्य की बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन क्लिन्स हमारे यहां पर मन्जूर हुई। एक क्लीन तो मन्जूर हुई 4-12-72 को और एक क्लीन मन्जूर हुई 22-11-72 को और श्री सुरजाराम को एक क्लीन चक 4 आर. आर. डबल्यू. जो मुरब्बा 121/241 के अन्दर है सुरजाराम सन आफ प्रेमाराम जाट, हनुमानगढ़। उपाध्यक्ष महोदय, यह 4 आर. आर. डबल्यू. का वह स्थान है जहां पर किसी जमाने खाद का कारखाना लगाने के लिए यह एरिया चुना गया था, और बाद में इसके अन्दर यहां पर एक सिन्धी आउस्टी बैठा हुआ था शरणार्थी बैठा हुआ था उसको आल्टरनेट एरिया देकर इसको राजस्थान सरकार ने इन्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया लेकिन फिर यह एरिया कैन्सिल हो गया सारे का सारा इन्डस्ट्रियल एरिया। जब वहां पर खाद के कारखाने की बात समाप्त हो गई तो उसके साथ साथ यह बात भी समाप्त हो गई और उनको गवर्नमेंट लैण्ड के अन्दर कन्वर्ट कर दिया। एक हरिजन को यह लैण्ड अलाट हो गई बाकायदा। तहसीलदार मंगलसिंह ने पट्टा काट दिया तो उसके बाद पट्टा कैन्सिल हो गया और यह एरिया क्लिन के लिए सेंक्शन हो गया सुरजा राम के लिए। बोर्ड लाइसेन्स इस धन्धे का प्राप्त नहीं किया गया उपाध्यक्ष महोदय, और इन्हीं क्लिनस के लिए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उन्होंने बाकायदा कोल आवंटन कर लिया 17-1-73 को। केवल एक दो महीने बाद ही सारा मामला देखिए कितना आश्चर्यजनक है और आवंटन किया बिल्टी नं० 6754 दिनांक 31-12-72 को, वैगन नं० 1001788 दिनांक 17-1-73 को। तो इतना बड़ा कोल मिल गया बिना भट्टे के। दूसरा भट्टा वह एस० डी० ओ० जो नोहर के अंदर है, उसको मन्जूर हुआ। इस तरह से एक सरकारी अधिकारी, जो आफिस आफ प्राफिट नहीं होल्ड कर सकता, अपना धंधा नहीं चला सकता लेकिन एग्रीकल्चरल के अंदर उस प्रद्युम्नसिंह को 29-11-72 को कोल एलाट हो गया, 28-1-73 को वैगन रिसीव हो गया, भट्टा सैंक्शन होने से पहले ही कोल एलाट हो गया, पहले ही कोल वैगेन्स आ गए।

तीसरा किल्न आश्चर्यजनक है। 4-12-72 को सैंक्शन हुआ है और 15 एच.एम.एच के अंदर सैंक्शन हुई किला नं० 1 से लेकर 3 तक, 8 से 14 तक, 10 बीघा के अन्दर यह किल्न इसके लिए दो बिल्टयां प्राप्त हुई हैं 31-12-72 व 15-3-73, बिल्टी नं० 607542 व 607968 दिनांक 17-1-73 व 30-3-73 हनुमानगढ़ की बिल्टयां हैं। ये बिल्टियां चौधरी रामचन्द्र की हैं। इस इस प्रकार से अगर कोल का बटवारा हो, सारा मोनोपोलीज को दे दें, छोटे मोटों का धंधा समाप्त कर देंगे फिर लाइसेंसेज के बिना कोल सैंक्शन दे दी। रेक्स दे दी, आफिस आफ प्राफिट है, गवर्नमेंट आफिसर है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, वह सारा फ्रास हो जाए तो राजस्थान की गरीब जनता को कोल मिलना कठिन है।

अब उद्योगों का हाल बताऊं। एक काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया के सामने समस्या पैदा हुई, वह गंगानगर बाजार में कपास खरीदने के लिए आया कि जिनिंग और प्रेसिंग किस तरह से कराया जाए लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हनुमानगढ़ में डाईरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के आदेश हैं कि 3 मील के अंदर प्रेसिंग नहीं—हो सकती, एक कंपनी सिर्फ प्रेसिंग करती है वह है चौधरी इंडस्ट्रीज दूसरी कोई नहीं कर सकता। फिर कोई जमीन के अंदर भी प्रेस लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता। चाचाओं ने कोशिश की लेकिन सिवा चौधरी एण्ड कम्पनी के कोई दूसरा प्रेसिंग नहीं कर सकता। मुकुल इंडस्ट्रीज ने प्रेसिंग के लिए इजाजत चाही लेकिन इजाजत नहीं दी गई सिर्फ कहा गया कि कताई कर सकते हो चर्खे पर, प्रेसिंग नहीं कर सकते। फिर चाचाओं को रजिस्ट्रेशन नम्बर बम्बई से लाना पड़ा, बेलस का रजि॰स्ट्रेशन नंबर, प्रेसिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर। राजस्थान से प्रेसिंग नंबर भी नहीं मिला और प्लाट जो एलाट हुआ चौधरी एण्ड कम्पनी को जो 15 लाख की लागत करता है और जिसके मालिक हैं नरेन्द्र और पृथ्वी सिंह। प्लाट जो एलाट हुआ है वह आक्शन हो चुका था। 48 हजार रुपए के अन्दर और 60 प्रतिशत मनी डिपोजिट हो चुकी थी, 40 प्रतिशत डिपोजिट होना बाकी था, आक्शन को कैंसिल किया और 1600) रु० के अन्दर 200) रु० प्रति बीघा के हिसाब से एलाट हुआ। यदि उद्योगों में ऐसी बातें रही तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे।

अंत में मैं खाद के कारखाने के बारे में जो समाजवादी व पूंजीवादी ट्रेड वर्ल्ड के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्दर बहुत बड़ी काम्पटीशन है उस बारे में निवेदन करूंगा। समाजवादी दुनियां में आज पूंजीवादी दुनिया के मुकाबले में ट्रेड के अन्दर बड़ी मजबूती के साथ आगे आ रही है। जब मैं यूरोप गया तो मैंने महसूस किया बहुत से आइटम्स हैं जिनमें पूंजीवादी वर्ल्ड की जो आज मोनोपाली है उनकी शिपिंग कंपनीज की, ट्रांसपोर्ट की, इन्टरनेशनल कार्गोज का नेट है जो समाजवादी इकोनामी को रेक करना चाहते हैं, वहां फर्टीलाइजर अपने आप में एक यूनिक महत्व रखता है। जो. डी. आर. के अन्दर मैंने पूछा, उन्होंने कहा फर्टीलाइजर इम्पोर्ट करते हैं, और सैंकड़ों कन्ज्यूमर्स गुड्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। कैपिटलिस्ट मार्केट के मुकाबले में काम्पीटीशन में हम आगे जा रहे हैं इसलिए बड़ा महत्व हो गया नाइट्रोजन का। इन्टरनेशनली आज कैपीटलिस्ट वर्ल्ड नाइट्रोजन के मामले में, प्रोटीन्स के मामले में समाजवादी वर्ल्ड को चोक डाउन करना चाहती है। एक जमाने में यहां नाप्था की बहस चल रही थी कि हम जिप्सम और लिग्नाइट से नाइट्रोजन बनाते हैं तो ज्यादा कास्टली है। नाप्था बाईप्राडक्ट है तेल का। तेल की इतनी बड़ी इन्टरनेशनल क्राइसिज है। अमरीका के पास हथियार हो सकते हैं ईरान को देने के लिए, वह पैट्रोल ले सकता है लेकिन जो एक शांतिमय देश है, सेक्यूलर देश है जो किसी कि जमीन को नहीं दबाना चाहता, एक देश ऐसे के लिए आज तेल का क्राइसिज पैदा कर दी इसलिए नाप्था बाईप्राडक्ट पर डिपेंड करके नाइट्रोजन की फैक्ट्री की स्थापना करने की कल्पना करें तो इसमें गलत कल्पना कोई नहीं हो सकती। इसलिए लिग्नाइट, जिप्सम का फार्मूला पर आना पड़ेगा, सिंदरी में भी उसी फार्मूला पर हम नाइट्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं। आज हमारे पास जिप्सम के भंडार हैं चाहे हनुमानगढ़ में एक्सप्लोर किया हो, चाहे नोहर, चाहे बीकानेर तहसील में जिप्सम केवल जामसर में नहीं हैं राजस्थान गौरव कर सकता कि दुनियां के जिप्सम के स्टाक्स में राजस्थान की अपनी पोजीशन है। अगर हम लिग्नाइट को भी ओपन कास्ट माइनिंग के जरिए लिग्नाइट का एक्सप्लोरेशन शुरू कर दें तो इससे जो एमोनिया पैदा होता है उससे नाइट्रोजेन और फर्टीलाइजर क्रीएट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि बीकानेर या हनुमानगढ़ या सूरतगढ में कारखाना लगायें, देख लीजिए इकानामीकली कौनसी जगह ठीक है और लिग्नाइट बेस्ड जिप्सम बेस्ड कारखाना लगाने की बात सोचिये। उससे नाइट्रोजन बनाने की बात का प्रेक्टिकल रूप दीजिये। यह तरीका हो सकता है कि जिससे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कुछ अचीवमेंट भी हैं हमारे। हमारा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन है, उसकी कई आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उसके अपने अचीवमेंट्स भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का एक अपना गौरव है और वह है राजस्थान के ओरियेन्टल गुड्स। राजस्थान के एम्पोरियम सारे भारतवर्ष में अपने रूप में एक स्थान रखते हैं, विश्व में अपनी पोजीशन बना ली है और फारिन एक्सचेंज अर्न करने का अपने आपके अन्दर एक बढ़िया साधन बनते जा रहे हैं। यह नहीं है कि पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी में भी पोस्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मार्टम नहीं किया है, इस स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन की कमियां हैं, इसमें खामियां हो सकती हैं, गबन हो सकते हैं, घोटाले हो सकते हैं, लेकिन उसके अचीवमेंट्स भी हैं। राजस्थान के अन्दर टूरिज्म, टूरिज्म की डिमाण्ड जब आयेगी, के ऊपर जब मैं विचार रखूंगा। लेकिन हमारे राजस्थान में स्माल स्केल इन्डस्ट्री है, यह महत्व रखती है। पंजाब की इकानामिक कन्डीशन की तरफ हमें देखना पड़ेगा। यहां सेठों को, केपिटलिस्ट्स को इनफ्लुएन्स करने की बात, उनको निमन्त्रण देने की बात तो दूर की बात है, जो तेल शोधक कारखाने को लगाने की बात थी, वह मथुरा के अन्दर कारखाना लगा दिया। यह कारखाना राजस्थान के अन्दर क्यों नहीं लगा ? यहां बहुत बड़े कारखाने लगाने की बात करते हैं तो आप बिहार की इकानामिक्स देखिये, इतना बड़ा स्टील प्लान्ट लगा देने के बाद, इतनी बड़ी रिफाइनरी लगाने के बाद भी वहां की इकानामिक्स का रीजनेरवेशन हो गया हो ऐसी बात नहीं है। हमें स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को भी गम्भीरता से लेना पड़ेगा। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कोरपोरेशन की बात है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और लूंगा। आप पंजाब में देखियेगा, बिल्कुल पंजाब पेटर्न पर पंजाब चल रहा है। आप लुधियाना चले जाइये, जालन्धर चले जाइये, हर घर फैक्ट्री के अन्दर कन्वर्ट हो गया है। वहां लेथ लगी हुई मिलेगी और आपको वहां होजरी के कारखाने चलते हुए मिलेंगे। सारी की सारी फेमिली एक आउट पुट के अन्दर लगी हुई है, प्राडक्शन के अन्दर लगी हुई है, इकानामिक जनरेशन के अन्दर लगी हुई है। बड़े बड़े कारखानों की बात, वहां जाने से आप की समझ में आ सकती है। कुछ बेसिक मशीनरी के कारखाने हों तो समझ में आ सकता है, नाइट्रोजन का कारखाना लगाने की बात हो, फूड प्रोडक्शन का कारखाना लगाने की बात हो तो समझ में आ सकता है। बीकानेर के लोगों की बात समझ में आ सकती है, जब मिल्क बेस्ड इन्डस्ट्री लगाने की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड फेक्ट्री लगाने की बात करते हैं। सारी इकानामी को जनरेट करने के लिए स्माल स्केल इन्डस्ट्री को हर घर में ले जाना होगा, जहां पर जिस जिस किस्म की इन्डस्ट्री की संभावना हो। आज बीकानेर के अन्दर बीस हजार औरतें पापड़ बेल कर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। वह भी अपने आपके अन्दर एक इन्डस्ट्री है। हजारों औरतें ऊन कात कर, हालांकि उनका एक्सप्लोइटेशन होता है, लेकिन ऊन कात कर बीकानेर की काफी पापूलेशन अपना जीवन निर्वाह करती है। सुपारी के ऊपर कत्था चढ़ा कर बहुत बड़ी पापूलेशन अपना जीवन निर्वाह करती है। इतना बड़ा अनएम्प्लायमेंट इस कन्ट्री के अन्दर है, इसलिए एम्पलायमेंट पोटेंसियलिटी क्रियेट करने के लिये हमें आज छोटी छोटी इन्डस्ट्री गांव गांव और घर घर के अन्दर ले जानी होगी

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इकानामिक जनरेशन के लिए बहुत आवश्यक अंग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करन सिंह।

श्री करनसिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग तथा खनिज के कटौती प्रस्तावों के विषय में से मैं प्रथम उद्योग के संबंध में निवेदन करूंगा। जैसी कि माननीय सदस्यों ने अपनी भावना जाहिर की हैं, राजस्थान ने बड़े बड़े उद्योगपति पैदा किये है और उन्होंने अपने उद्योग दूसरे प्रांतों में लगाये हैं। इस बात का गौरव तो है ही कि राजस्थान के उद्योगपतियों ने सारे देश में अपने उद्योग लगाये हैं, परन्तु खेद इस बात का है कि किन कारणों से वह अपने उद्योगों को इस प्रांत में नहीं लगा सकते? उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा एक उद्योगपति से मेरी बात हुई तो वह वही कारण बताये गये जो इस सदन के माननीय सदस्यों ने काफी जोर देकर बताये हैं। उद्योग विभाग की तरफ से लापरवाही, उन लोगों के सामने कठिनाई जैसा कि श्री श्रीराम गोटेवाला ने अभी बतायी थी, सूरत की बात कि उद्योगपति को सब सुविधायें एक ही जगह एक ही टेबल पर मिल जाती है। यह सुविधा मिलने की बात है, यहां उसका बिल्कुल उल्टा होता है। राजस्थान के स्तर पर लघु उद्योगों के संबंध में मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसी अभी सदन में चर्चा हुई, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय लेकिन हमारे यहां के उद्योग विभाग द्वारा इन्हें सुविधा देना तो दूर रहा, भरतपुर में दो स्माल इन्डस्ट्री का इन्होंने अभी हाल ही रजिस्ट्रेशन किया है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान में ही नहीं, भारतवर्ष में पहली मिसाल है कि लगे हुए उद्योग को डीरजिस्ट्रेशन किया जाय। मैं नहीं कहूंगा, यदि कोई उद्योग किसी रा मेटिरियल का दुरुपयोग करता है या और बात है तो उसकी जांच मत करिये। आप उसकी जांच करिये, उसको ब्लेक लिस्ट करिये, लेकिन यह डीरजिस्ट्रेशन करा, यह किन कानून और किन रूल्स के तहत किया गया। उन लोगों ने माननीय स्टेट मिनिस्टर के यहां जब अपनी अपील की तो उन से कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस अपील को स्टेट मिनिस्टर सुन सके। डी रजिस्ट्रेशन का कानून है या नहीं? तो वह कौनसा कानून है? माननीय मंत्री अवश्य इस बात को सदन में बतायेंगे कि ऐसा कौनसा कानून है, कौनसे बॉयलाज हैं, कौन से रूल्स हैं जिनके तहत इनका डी रजिस्ट्रेशन किया गया। आप एक तरफ लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, यहां उल्टे डिस्करेज करना चाहते है। तो कौन इस प्रांत में लघु उद्योग या बड़े उद्योग लगायेगा? यह मेरी समझ में नहीं आता है। भरतपुर में जो औद्योगिक बस्ती 1962 में बनी वहां पर लोगों ने अपने उद्योग लगाये, लेकिन आज 1962 से लेकर उद्योग को पानी तो क्या मिले, वहां के कर्मचारियों को, मजदूरों को, किसी को पानी मिलने की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है। ऐसी हालत में इस प्रदेश में कौन अपने उद्योग यहां लगाना पसन्द करेगा

दूसरी मिसाल है, आर. डी. स्पात की एक फैक्ट्री भरतपुर में लगाने जा रहे थे, उद्योगपति ने जमीन खरीद ली, बाउन्ड्री वाल बनाना शुरु कर दिया, सीमेंट मंगा ली, दो सौ टन लोहा प्राप्त कर लिया लेकिन थोड़े दिनों बाद मालूम पड़ा, वहां यह उद्योग नहीं लग सकता। वह यहां से चला गया। बाद में कारण मालूम हुआ। उसको बिजली उपलब्ध नहीं हो सकी, जबकि सौ गज की

(श्री करनसिंह)

दूरी पर उत्तर प्रदेश के लिए छः लाख किलोवाट बिजली डेली जाती है। यदि हमारे पास बिजली सरप्लस है और आप सोचते है कि दूसरे प्रदेशों को दे दें तो जिस उद्योगपति ने लाखों रुपये की मशीनरी खरीदी, इतनी मेहनत की, टेलीफोन कनेक्शन तक ले लिया, उसने वापिस वह फैक्ट्री वहां से उठा ली। ऐसी बात जब दूसरे उद्योगपति देखते हैं तो उन्हें क्या इन्ट्रेस्ट होगा कि अपना उद्योग यहां लगायें।

अब थोड़ा मैं भरतपुर के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। अभी तेल शोधक कारखाने की बात सदन में कही गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक प्रकार से यह तेल शोधक कारखाना राजस्थान में ही हो क्योंकि जिस गांव में भैंस और बाड़ा की जमीन में यह कारखाना लगा है, यह भरतपुर स्टेट के समय के भरतपुर के गांव हैं और राजस्थान स्टेट बनने से वह गांव यू. पी. में आने की वजह से यू. पी. में चले गये। फिर भी तेल शोधक कारखाना दस मील दूरी पर है। कारखाना यू. पी. में चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, माननीय राज्य मंत्री जी अगर मंत्री महोदय भी विराजे हुए हैं कि भरतपुर से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर औद्योगिक बेंड घोषित मथुरा रोड, आगरा पर किया जाय, जिस प्रकार हरियाणा ने दिल्ली से लेकर अलवर तक मैन रोड को औद्योगिक बेंड घोषित कर रखा है। उससे बड़ा लाभ उस प्रान्त को है, उसी तरह भरतपुर को भी लाभ होगा। इसका दूसरा कारण है, भरतपुर को पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड घोषित नहीं किया है। इसके साथ साथ यू. पी. के मथुरा जिले को औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड घोषित किया है। भरतपुर के बहुत से उद्योगपति अपनी निगाह उधर जमाये हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे। बहुत से अधिकारी भरतपुर के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भरतपुर मथुरा से दूर नहीं है, आप वहां उद्योग लगायें, आप उद्योग लगायेंगे तो आपको यह सुविधा मिलेगी। दूसरे प्रान्त के लोग सब सुविधा देने को तैयार हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इधर हमारा उद्योग विभाग डिस्करेज करता है उद्योगपतियों को परेशान करते हैं। इन परेशानियों को देखकर हमारे यहां के जो उद्योगपति हैं, वह घबराते हैं। दूसरा एक कारण यह भी है कि उद्योगपतियों को रा-मेटीरियल भी कम मिलता है। इसका कारण यह है कि हमारी राज्य सरकार ने इसका उचित प्रबन्ध नहीं किया है। इसलिए यहां पर ऐसा नहीं है कि वहां से ज्यादा सुविधा पा सकें। लोहा 1·5% मिलता है। वस्ट बंगाल की बात तो आप छोड़ दीजिये। देहली को 6% मिलता है। इसी प्रकार से कोयला 62 में 700 वेगन मिलते थे प्रतिवर्ष, आज भी उसी हिसाब से मिलता है। इतनी आबादी बढ़ी है जिसके साथ कोयले की खपत बढ़ी है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की चीजों के लिए जैसा कि माननीय सदस्य गोटेवाला ने सुझाव दिया था कि राज्य का प्रतिनिधि कलकत्ते आदि में जाकर राज्य के लिए इन चीजों के उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री करनसिंह)

एक सैकेन्ड और निवेदन करूंगा। जो कारखाना भरतपुर में खोला जाना चाहिए था, वह कोटा में खोला गया है। इसी तरह से स्टॉक याई की बात है। यदि कोई जयपुर को लोहा लाता है तो पहले वह सवाई माधोपुर आयेगा। उसके बाद में जयपुर में आयेगा। यह परेशानी है। मेरा निवेदन है कि स्टाक यार्ड ऐसी जगह पर खोले जाये जहां कि इसको सुविधा हो। बार बार घन्टी बज रही है। मैं अधिक कहना भी नहीं चाहता हूं। अन्त में इतना ही निवेदन है कि यदि उद्योग विभाग मदद करने में सक्षम हो तो ही उद्योग पनप सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका मिला है, यह बड़ी कृपा है। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के मामले में इतना ही निवेदन करूंगा कि जो पुराने समय के छोटे छोटे गांवों में उद्योग थे जैसे कताई, बुनाई, दरी, गलीचा, बर्तन बनाना, लोहार, सुनार, चमड़ा रंगाई आदि ये उद्योग होते थे। आज मशीन के युग में मशीन की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमारे गांवों में कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ है और कलकारखानों की तरफ बढ़ोतरी जो हुई है। गांवों में उद्योगों के नहीं होने का पहला कारण तो मशीनों के कम कीमत के मुकाबले में वे टिक नहीं पाते और दूसरा कारण है प्रोत्साहन न देना। इन छोटे उद्योगों के लोगों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन हम नहीं दे पाते हैं। हमारी सरकार ने हमारे जिले में औद्योगिक परियोजना स्थापित की है। 7-8 सालों से औद्योगिक परियोजना के अन्तर्गत किस प्रकार से ग्रामीण लघु उद्योग वालों को सहायता मिलती है। किस प्रकार से काम होता है। यह बड़ी शोचनीय बात है। नियम तो इस प्रकार के बने हुये हैं कि 15-20 हजार की आबादी से ऊपर वाले कस्बों में सहायता दी जाय। लेकिन इसका उपयोग आज को बजाय ग्रामीणों के जो शहरों के रहने वाले हैं, वह इसका उपयोग करते हैं। जो गांवों के रहने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं हो पाती है। उदाहरणार्थ नतीजा यही निकलता है। गांवों के अन्दर एक भट्ठे का काम ठीक तरह से चल रहा है। लेकिन भट्ठे के लिए कोयला नहीं मिलता है। कोयला मिलता किसको है, जो काम करने वाले नहीं हैं उनको मिलता है। जो वास्तव में भट्ठे का काम करते हैं, उनको कोयला नहीं मिलता है। कोयले के मामले में एक बात यह भी है कि इसके रेट ऊंचे हैं। उचित रेट पर मिलता नहीं है। जब कि काम करने वाले लोग कितने पीड़ित हैं। रेट का क्या कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि एक लाख वेगन नहीं दे सकते हैं। जो भी आता है, उसका फायदा पूंजीपति लोग उठाते हैं। जो चन्द लोग हैं, वही फायदा उठा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यह जो कोटा आता है, वह वैगन के रूप में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह जो कोयला दिया जाता है और कोयले का जो परमिट दिया जाता है, वह कोयला गायब हो जाता है पहुंचता भी नहीं। इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिनके नाम से वैगन की बिल्टी रवाना की जाये, उसीको लेनी होगी जिससे कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। यह मेरा निवेदन है।

(श्री लूणाराम)

मैं अपने जिले से सम्बन्धित औद्योगिक परियोजना के बारे में जिक्र कर रहा था। परियोजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत वह गांवों के अन्दर जाते हैं। हो सकता है कि इसमें कोई एतराज करें कि वह कोई पक्ष का काम करते हैं। इस मामले में उपाध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलना पड़ेगा कि गांवों में उद्योग बनाने को कोई एजेन्सी नहीं है। लोग लाइसेंस लेकर गांवों में जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर औद्योगिक प्रेशर अधिक लगा हुआ है। जैसे मेरे क्षेत्र में कोई भी लगा हुआ नहीं है। उसके बारे में बार बार निवेदन कर दिया है। मैं इसके लिए विशेषतौर से आग्रह करता हूं कि इस बारे में गांवों को प्रोत्साहन दिया जाये। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जिले के आधार पर उद्योग परियोजना के लिए जो कमेटी बनी हुई है, उसमें मुझे तो कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको चालू किया जाये तो अच्छा होगा। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा, कि चूरू जिले के छापर कस्बे में नमक का उद्योग है। वहां कईयों को लाईसेंस दे रखा है। वहां नमक उद्योग लगाने वाले बहुत हैं पर उसके अन्दर एक एक आदमी को 90-90 एकड़ जमीन एलाट की गई है जो बहुत है। 150 एकड़ 5 आदमियों को एलाट अन्य जगह व जिला के लिये मैंने इस वर्ष की प्रगति रिपोर्ट में पढ़ा है जो 15 एकड़ की होती है तो दूसरी जगह पर आपने हमारे जिले में एक एक व्यक्ति को 90/90 एकड़ जमीन दी है। उपाध्यक्ष महोदय यह नमक उत्पादन के लिये दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत बड़ी मात्रा में जमीनें आपने उनको एलाट कर दी है। इसे कम की जानी चाहिये। क्योंकि इससे ऐसा भी होता है कि सारा का सारा क्षेत्र 57 को एलाट कर वीरान कर दिया है। कोई फसल उसके आस पास में हो सकती नहीं है। और इसके अलावा उस क्षेत्र का पानी भी वर्षा में चालू होकर चाड़वास के गांवों के जोहड़ में इस बंध में घुस गया व दूसरा तालाब है गोपालपुरा का वहां पर भी पानी बहकर आता है। जिससे लोगों के पीने का पानी जो जोहड़ों का है वह खारा हो गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि नमक उत्पादन के लिये जो प्लाट अलोट किये जायें वह दस एकड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिये। और जिनको आपने ज्यादा भूमि दे दी है उन्हें वापिस केन्सिल किया जाना चाहिए जिलाधीश चूरू ने भी ऐसा प्रस्ताव विभाग को भेजा बतलाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इसके लिये आपने उद्योग विभाग के कोई नियम बने हुए हैं अगर नहीं बने हों तो आप नियमों में ऐसा प्रावधान करावें कि दस एकड़ से अधिक किसी भी व्यक्ति को नमक उत्पादन के लिये जमीन नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ग्रामीण जनता बहुत ही भोली है और आपके जो नाप तौल के इन्सपेक्टर आते है वह लोग हमारे गांवों से पुराने बाट उठाकर ले जाते हैं मुकदमा भी बनाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देहाती इलाका है वहां पर लोग गरीब हैं और अभी तक पुराने बाट ही काम में आते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि आपके जो इन्सपेक्टर्स पुराने बाट लेजावे वह राज्य सरकार की तरफ से नये बाट देकर जावें ऐसी व्यवस्था

(श्री लूणाराम)

पत्थर तो होता नहीं है लेकिन रणधीससर गोपालसर की डूंगरी जहां की कंकरी चूरू बीकानेर गंगानगर को जाते हैं सड़क बनाने के लिए उसको भी उद्योग मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि इस धन्धे को पनपायेंगे। इसके अलावा हमारे यहां पर ग्राम पंचायत बिग्गा ने घांधड़ा पत्थर की खान सालसेरा की रोधी में स्वीकृत कराने के लिए कागज चलाये, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की अगर वहां पर स्वीकृति नहीं दी तो और खान नहीं है। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कार्यवाही करें तो काफी लोगों को काम मिल सकता है और वहां की जनता को भी लाभ हो सकता है। इसके अलावा आज लोग जहां कोलायतें आदि क्षेत्र में खड़िया मिट्टी का काम चलता है वहां पर व्यापारी व नौकरों ने महिलाओं के नाम के बच्चों के नाम पर ठेके ले लेते हैं और नाबालिगों के नाम पर भी ठेके ले लेते हैं वह गलत है इसे रोका जाना चाहिए और इसके लिए वहां पर कोओपरेटिव सोसाईटीज के नाम ठेका देना चाहिये। इसके अलावा

.. (समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों पर कृषि भूमि खरीदने की पाबन्दी है उसी प्रकार अन्य कार्यों पर सरकारी कर्मचारी पर पाबन्दी लगनी चाहिये। ताकि गांव की ग्रामीण जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके। अब थोड़ा मैं नियोजन विभाग के बारे में भी निवेदन कर बैठ जाऊंगा।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय सिर्फ दो तीन बात कह कर बैठ रहा हूं। आज नियोजन विभाग में शिक्षित वर्ग के लोग, ज्यादा बेकार होने की वजह से अशिक्षित लोगों की जगह पर आकर मजबूरी में लग जाते हैं जिससे की कई अशिक्षित लोगों को काम नहीं मिल पाता है उसके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें अपनी शिक्षा के मुताबिक लगाया जाय। ताकि दूसरों को काम मिल सके। इसके अलावा उन्हें जो तनख्वाह 85 रुपये श्रम विभाग ने तय किये हैं वह बहुत कम है आज के जमाने में 85 रुपये क्या वक्त रखते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इन लोगों की तनख्वाहें बढायी जायं। मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए 150 रुपये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लूणाराम : बस थोड़ा और रह गया था उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आप कहते हैं तो बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज सदन में राजकीय उद्योगों, राजकीय औद्योगिकरण और उसकी नीतियों पर और राज्य के लिये औद्योगिक आवश्यकता के बारे में अपने विचार रखे। इस सन्दर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी औद्योगिक नीति का प्रश्न है यह इन्डिस्ट्रियल पोलिसी

(श्री हरिदेव जोशी)

रिजोल्यूशन पर आधारित है। सबसे पहले हमारे देश में पार्लियामेन्ट ने स्वीकार किया इसे। और सबसे पहले देश में औद्योगिकरण के बारे में शुरूआत की। दो वर्ष पहले उस नीति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और सरटेन एरियाज को पब्लिक सेक्टर में, सरटेन एरियाज को प्राइवेट सेक्टर में और सरटेन एरियाज को जोइन्ट सेक्टर में रखने की बात तय की। इसके साथ साथ भारत सरकार ने मोनोपोली को मिटाने की अथवा उस पर नियन्त्रण करने का विचार किया और एक मोनोपोली कमीशन तय किया जिसमें सरटेन उद्योग के अन्दर मोनोपोलिक टेन्डेन्सी न बढ़े उन पर नियन्त्रण हो यह चीजें तय कीं। पहली बार भारत सरकार ने यह भी तय किया कि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीज एक प्रकार से कोओपरेटिव सेक्टर में अथवा स्टेट सेक्टर में होंगी। उसके बाद में किसी भी राज्य के लिये अलग से अपनी औद्योगिक नीति रखने की बात नहीं रह जाती है। माननीय सदस्यों ने हमारी औद्योगिक नीति को स्पष्ट करने के बारे में अथवा उसमें सुधार करने की बात कही, मैं समझता हूं कि इस चीज के बारे में यह स्पष्ट हो जायगा कि हम वह ही नीति लिये हुए हैं जिसे देश ने स्वीकार किया है। अलबत्ता उद्योगों में सुविधायें देकर राज्य के औद्योगीकरण को बढ़ाने का सवाल आता है वह अलग से प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया है इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण हैं। हमारा प्रदेश भिन्न भिन्न रियासतों में बंटा हुआ होने के कारण से इन्डस्ट्रियल क्लाइमेट, जिसे हम कहते हैं वह इस स्टेट में नहीं है। न किसी राज्य ने, सरकार ने, रियासत ने राज्य के औद्योगीकरण के बारे में कभी कोई विचार किया है न इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और इसीलिए आज एक दुखद स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। और यह भी राज्य का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन का एक कारण है।

(17.40 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए हैं वे आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़े हैं। जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वे आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं और इसलिए हमने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य के औद्योगीकरण की दिशा में कदम उठाये और औद्योगीकरण के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिये उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की।

राजस्थान में यातायात के साधन बहुत कम रहे हैं, राजस्थान में बिजली बहुत कम रही है, राजस्थान के अन्दर खेती के लिहाज से भी बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ रहा है इसलिए इस क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिए जितना इम्पीटस मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। किन्तु पिछले दस बारह वर्षों में हमने राज्य के औद्योगीकरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की

(श्री हरिदेव जोशी)

कोशिश की और आज उसी का परिणाम है कि हमारे इस प्रदेश में लगभग जहां हमने शून्य से शुरू किया था वहां पर आज 300 करोड़ से ऊपर का इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हम ऐसा समझते हैं कि यह एक दम नगण्य है। हमने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह कल्पना की है कि प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत प्लान में और नोन प्लान में अगर हम 2500 करोड़ का नियोजन कर पाते है तो हमारी पर केपिटा इनकम पांचवर्षीय योजना के अन्त में उतनी होगी जितनी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूरे देश में औसत पर केपिटा इनकम होगी। अर्थात् हम पूरे देश से पर केपिटा इनकम में पांच साल से पीछे रहते चले जावेंगे।

2500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कोई साधारण इन्वेस्टमेंट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर जिस प्रकार की कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों के अन्दर सब लोगों को मिल कर भगीरथ प्रयत्न करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब राजस्थान के अन्दर सबसे पहले कोटा डी०सी०एम० का एक कारखाना लगा और उसको कुछ कन्सेशन्स दिये तो हमारे यहां पर काफी चर्चाएं हुई और दूसरी तरफ भी लोगों ने कई बातें कीं। परन्तु निश्चत रूप से ये एस्टेब्लिश्ड फेक्ट्स हैं कि अगर हम औद्योगीकरण चाहते हैं अगर हम इन्ट्रीप्रिन्युअर्स को हम यहां अट्रेक्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उद्योगों के लिए सेर्टन इन्सेन्टिव देना होगा। राजस्थान जोग्राफिकली बहुत ही डिसएडवान्टेजियस पोजीशन में है। आज जितनी भी बैंकिंग एजेन्सीज हैं, लोनिंग एजेन्सीज है वे सारी की सारी बोम्बे में हैं। देश की राजधानी अगर दिल्ली है तो देश की आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी बम्बई है। अगर किसी इन्ट्रीप्रिन्युअर्स को उद्योग लगाने के लिए लाइसेन्स मिलता है तो सबसे पहले वह बम्बई में लगाना चाहता है। इसलिए कि वहां पर पोर्ट है। इसलिये कि वहां लोनिंग एजेन्सीज हैं, इसलिए कि मार्केट की सब प्रकार की सुविधायें अवेलेबल हैं। परन्तु जोग्राफिकली राजस्थान इतनी असाधारण प्रतिकूल परिस्थितियों में है कि यहां पर आखिर में कोई आदमी आता है और इसलिये हम यह कोशिश करते हैं कि पिछले वर्षों में कि दिल्ली में ड्राई पोर्ट हो जाय तो जो सुविधायें पोर्ट की दूरी पर मिली हुई हैं तो वे सुविधायें राजस्थान को थोड़े पड़ौस में मिले।

अध्यक्ष महोदय, इस चीज को ध्यान में रख कर राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये इन्ट्रीप्रिन्युअर्स आते, कन्सेशन्स चाहते थे, हम बैठ कर डिस्कस करते थे और फैसला करते थे। शायद 67 के अन्दर पहली मर्तबा जो भी इन्सेन्टिव्ज देने है उन इन्सेन्टीव्ज को हमने सब लोगों पर लागू कर दिया कि अमुक प्रकार के उद्योग लगेंगे तो अमुक प्रकार की सुविधायें मिलेंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना में सारे इन्सेन्टीव्ज जो भी उद्योग लगाना चाहें उनको बिजली में, सेल्स टैक्स में, जमीन, पानी, रेट आफ इन्ट्रेस्ट के अन्दर हम, जो कुछ भी सुविधायें दे सकते थे हमने उनको अनाउन्स कर दिया और अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है यह कहते हुए कि कल ही राज्य सरकार ने यह

(श्री हरिदेव जोशी)

फैसला किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान जो लोग उद्योगों का एक्सपान्शन करेंगे अथवा नये उद्योग लगायेंगे उनको उसी प्रकार की सुविधायें देते रहना जारी रखेंगे जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान में दी थीं।

इसलिये मैं आपकी मार्फत और सदन की मार्फत उन सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं जो लोग जोइन्ट सेक्टर, कोआपरेटिव सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में राजस्थान में उद्योग लगाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अन्दर कई प्रकार के मिनरल्स की विपुलता है और जहां पर मिनरल्स के ऊपर आधारित उद्योग बहुत आसानी से लग सकते हैं। मैं अटपटापन महसूस कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इसलिये कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए काफी विस्तार से औद्योगिक नीति पर मैं बोला था और आज फिर मुझे वह ही रिपीट करना पड़ रहा है। किन्तु अध्यक्ष महोदय, आने वाले वर्ष में राजस्थान का औद्योगिक भविष्य में बहुत ही अच्छा देख कर चलता हूं। आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान में फर्टीलाइजर की दो फेक्ट्रियां लगेंगी जिन दोनों में मिलाकर 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। राजस्थान के बनने से लेकर आज तक इन्डस्ट्रियल सेक्टर में जितना पैसा खर्च हुआ है उतना तो इन दो फेक्ट्रियों में होगा। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि चार पांच सीमेंट फेक्ट्रीज राजस्थान में और आने वाली हैं उनमें भी आज जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 2/3 इन्वेस्टमेंट इन सीमेंट फेक्ट्रियों में होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिये किस्मती हैं कि हमारे यहां लैड, जिंक और कोपर बहुतायत में मिला है। हम भारत सरकार से यह अपेक्षा करके चलते हैं कि जो लैड, जिंक स्मेल्टर उदयपुर में बनाया है उसकी न केवल क्षमता दुगुनी करें बल्कि उसको एक्सपान्ड भी करना चाहिये जितना रा मेटीरियल यहां मिल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए। मुझे इस बात की पीड़ा है कि स्मेल्टर की केपेसिटी और माइनिंग की केपेसिटी को जितना सा्इक्रोनाइज करना चाहते थे उतना नहीं हुआ। हम यह आशा करके चलते हैं कि इस दिशा में ध्यान रखा जावेगा और जिंक स्मेल्टर के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जावेगा।

कापर स्मल्टर का जहां तक प्रश्न है वह बहुत ही जल्दी उत्पादन में आ जावेगा। इससे न सिर्फ कापर बल्कि इसके कई बाई प्रोडक्ट्स से भी कई नये उद्योगों की स्थापना हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने और कई दूसरी चीजों के बारे में कहा है। जो जो लाइसेन्स अथवा लेटर आफ इन्टेन्ट राजस्थान को मिले हैं, हमारा सबसे पहला प्रयास यह होगा कि इनको लैप्स नहीं नहीं होने दिया जाय। इनको लगाने के लिए बराबर प्रेरित किया जावेगा। मैं आशा करके चलता हूं कि उद्योग विभाग इस दिशा में अधिक से अधिक गतिशील होगा और शीघ्र काम करता जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमारे यहां पर यह होना चाहिए, हमारे यहां पर यह लगना चाहिये। मैं उन सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग मेरे कहने

(श्री हरिदेव जोशी)

से या आपके चाहने से लगने वाले नहीं है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, परिपाटी होती है, प्रणाली होती है। ये उसी तरह से लगेंगे। आज अगर मैं यह चाहूं कि मेरे डूंगरपुर में उद्योग लग जाने चाहिये तो नहीं लग सकते। अब जो बेसिक इण्डस्ट्रीज होती हैं वे पब्लिक सेक्टर में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार लगाती है। स्वाभाविक रूप से जो सबसे उपयुक्त स्थान होगा वहां ये लगेंगे। जहां हम चाहते हैं वहां नहीं इसलिए जो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सरकार वहां नहीं लगाती तो सरकार का चोइस तो बहुत लिमिटेड है। उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। फरटीलाइजर फैक्ट्री अब अगर राक फास्फेट को बेस बनाकर लगानी है तो सीकर के माननीय सदस्य चाहते हैं कि सीकर में लगनी चाहिये उदयपुर के भाई कहते हैं कि उदयपुर में लगनी चाहिये। पर मैंने भारत सरकार से स्पष्ट कहा है कि चाहे उदयपुर में लगे या सीकर में लगावें राजस्थान में ताकि राजस्थान के लोगों को इसका लाभ मिले।

इस प्रकार के उद्योग जहां लगाने होंगे वहां पहले एक्सपर्ट की टीमें एक्सप्लोर करेंगी, सिचुएशन को हर एंगल से देखेगी, जांचेगी, कास्ट आफ प्रोडक्शन कहां क्या आयेगा, रा मेटीरियल का क्या हाल रहेगा, पानी बिजली की अवेलेबिलिटि कैसी क्या रहेगी, ट्रान्सपोर्ट और कम्यूनिकेशन के साधन कहां सहूलियत के रहेंगे मार्केट की सुविधाएं कहां उपलब्ध होंगी आदि आदि बातों पर सोच विचार करके खोज करके फिर इण्डस्ट्री लगाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय, अब रह जाता है प्राईवेट इण्डस्ट्रीज का सवाल है। कोई कहते हैं धौलपुर से कर दो, कोई डूंगरपुर की बात करते हैं, चुरू के लिए कोई आवाज लगाते हैं। मेरा वश चले तो सब जगह लगा दूं सब कुछ कर दूं। पर अध्यक्ष महोदय, हमारी लिमिटेशन्स हैं। उद्योग लगाने वाला अपनी सुविधाओं का ध्यान रखता है। अपने व्यापार की सारी परिस्थिति को ध्यान में रखकर चलना चाहता है। बाज मरतबा जब उद्योपतियों से कहा जाता है कि आप कृपा करके अमुक जगह पर अमुक इण्डस्ट्री लगा दीजिये तो वह यह कहता है कि आप कहो तो पांच हजार गौ शाला में दान करवा दो गौ शाला में दान करवाना हो तो मैं कर दूंगा। पांच हजार दे दूंगा। पर उद्योग कहां लगाना इसके लिए हमें स्वतन्त्र छोड़ दीजिये।

मेरा निवेदन यही है कि उद्योगों का अपना नियम है, अपनी परिपाटी है अपने कानून कायदे हैं। एन्टरप्रेन्योर अपने उद्योग के लिए लाइसेन्स मांगता है। बड़ा हुआ तो भारत सरकार देती है। छोटा होता है तो हम देते हैं। उसे हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी एन्टरप्रेन्योर राजस्थान में जहां भी उपयुक्त समझे लगावें हम उसे हर हालत में अधिक से अधिक सुविधाएं, जो हमारे वश में हैं, देने को हमेशा तत्पर रहेंगे।

मगर मेरी मानसिक स्थिति भिन्न है जिसे मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह उस जमाने की बात है कि जब राजस्थान में कुछ बातें घोषित करनी थीं इन्सेन्टिव देने के लिए। सुखाड़ियाजी मुख्यमन्त्री थे, और मैं इण्डस्ट्री मिनिस्टर था। सुखाड़िया जी ने फाइल मेरे पास भेजी। तो मैं उसे उनके पास लेकर गया। पूछा उन्होंने क्या कोई सलाह लेनी है?

(श्री हरिदेव जोशी)

मैंने कहा : "हां"।

क्या ?

मैंने कहा कि कोटा और जयपुर को इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया घोषित कर दें तो कैसे ?

यह कैसे होगा ? पूछा उन्होंने।

मैंने कहा उद्योगपति राजस्थान में आते हैं। वे पहले तो कोटा में इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं क्योंकि वहां ब्राडगेज लाइन है। इण्डस्ट्रियल कम्पेक्स का क्लाईमेट है। पानी है। दूसरा वे जयपुर को प्रीफर करते हैं क्योंकि यह राजधानी है। सीट आफ दी गवर्नमेंट जयपुर में होने के कारण जयपुर को तरजीह देते हैं इसलिए राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज कोटा और जयपुर में लग सके इसके लिए इन दोनों जगहों को बैकवर्ड एरिया घोषित करवा दीजिये।

वे हंस दिये और कहा यह पार कैसे पड़ेगा। किसी तरह से हमने फैसला किया फिर। अलवर ईस्ट में और जोधपुर वेस्ट में इन दो को इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में एक करोड़ रुपये भी इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं तो इसे अपना अचीवमेंट मानकर नये मिलस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं यह मानकर काम करना चाहता हूं।

इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे भी इसको इसी रूप में लें। मेरी ममता मेरे जिले के लिए हो सकती है, आपकी ममता आपके जिले के लिए हो सकती है। एक साहब मेरे पास आये। मोलासर में इण्डस्ट्रियल एरिया स्टेट गवर्नमेंट डवलप कर दे तो मैं वहां रुपया लगाऊंगा। मैंने कहा आप जरूर करिये। मैं इसमें भरपूर सहयोग दूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार की जो भी स्कीम है राजस्थान सरकार की जो भी स्कीम है उनके तहत, उन रूल्स के तहत, उन लाज के तहत जो भी असीसटेन्स गवर्नमेंट दे सकती है उसको हम देंगे।

अब रह जाता है सवाल विभाग द्वारा काम करने का अथवा सहयोग देने का। अध्यक्ष महोदय, एक लम्बे अरसे से डाइरेक्टोरेट की आलोचना होती रही है। इण्टरप्रेन्योर के लिए वे जितने रेस्पेक्टोरेट होने चाहिये उतने नहीं हैं। सन् 1967 से लेकर 72 के इलेक्शन से पहले तक यह विभाग मेरे पास था। मैंने हरचन्द कोशिश की कि हम अधिक से अधिक इस दिशा में, जितनी कोशिश कर सकते हैं, करें। बहुत मुमकिन है कि पिछले वर्षों में किन्हीं कारणों से रॉ-मेटीरियल के मामलों में और दूसरी किन्हीं चीजों के मामलों में हमारे यहां पर किन्हीं लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा हो किन्तु आज मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिवाय उन खास लोगों के जो इन्सेन्टिव को ज्यादा देखते हैं और चीजें बाकी हम देखते हैं हमारे यहां पर और दूसरी चीजों में बहुत कम खर्चा हो, सिवाय इसके, कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुत लिबरल इक्विटी पार्टीसिपेशन है और हमारे यहां पर उतना लिबरल इक्विटी पार्टीसिपेशन नहीं है। और हमारा राज्य, हमारी सरकार उतने

(श्री हरिदेव जोशी)

लिबरल वे में इक्विटि पार्टीसिपेशन की सिचुएशन में नहीं भी है, यह मुझे स्वीकार करना चाहिये। आज सर्वथा महाराष्ट्र और गुजरात के अन्दर इन्ड्स्ट्रियल डवलेपमेन्ट के इन्वेस्टमेंट के अन्दर 90 परसेन्ट लोनिंग ऐजेन्सीज अथवा गवर्नमेंट का पार्टीसिपेशन हो जाता है जबकि हमारे यहां 100 में से लगभग 80 परसेन्ट लोनिंग एजेन्सीज इन्क्लूडिंग गवर्नमेंट का पार्टीसिपेशन होता है और इन पिछले वर्षों के अन्दर उनको कम्पनसेट करने के लिये हमने लिबरल वे में गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट गारन्टी देने की और दूसरी सुविधायें देने की कोशिश की है। कई लोग, अभी एक माननीय सदस्य नहीं हैं यहां पर वे इस चीज को दोहराते हैं मगर मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की कन्सेसन्स और महाराष्ट्र के कन्सेसन्स, राजस्थान के कन्सेसन्स और गुजरात के कन्सेसन्स सिवाय इक्विटि पार्टिसिपेशन के दूसरा कोई फर्क नहीं है जबकि मैं आज यह कह सकता हूं इन्डस्ट्रियल फर्म्स और कोरपोरेशन जो राजस्थान में आज मिल रहे है वह दूसरे स्थानो में नहीं मिल रहा है और इसलिये इक्विटि पार्टीसिपेशन कम है तो फिजिकल पार्टीसिपेशन और दूसरे प्रकार के सहयोग ज्यादा हैं, यह मैं कह कर चलना चाहता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने लोहा और दूसरे रॉमेटेरियल के बारे में बात की है। कुछ तो बहुत ज्यादा वेग हैं और कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इसलिये मैं यह कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों को लिखित जवाब उसके बारे में पहुंचा जाय। मैं जब बैठा था तब डीग से आने वाले माननीय सदस्य किन्हीं भरतपुर के दो उद्योगों को डि-रजिस्ट्रेशन की बात कही है। आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि कोई बहुत विशेष कारण न हो तो उद्योगों का डि-रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये स्टेट गवर्नमेंट रॉ-मेटेरियल देती है तो। अगर रॉ-मेटेरियल का दुरुपयोग होता है तो उसे रा-मेटेरियल हम देना बन्द कर सकते हैं अथवा दूसरे तरीके से पेनेलाइज कर सकते हैं। मुझे ऐसा कहा गया है डाइरेक्टोरेट उस डि-रजिस्ट्रेशन के मामले को राज्य मंत्री से स्टे कर दिया हैं इसलिये अब उन्हें यह शिकायत नहीं होनी चाहिये। मगर इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि एक तरफ तो राजस्थान के सरटेन उद्योग रा-मेटेरियल के अभाव के अन्दर स्टार्व करें और दूसरी तरफ कुछ उद्योग ब्लैक मार्केटिंग करे। राजस्थान सरकार ब्लेक मार्केटियर्स को हरगिज प्रश्रय नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पिछड़े हुये जिले घोषित नहीं करने के बारे में भी कहा है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है। मैं चाहता हूं मेरे जिले को भी पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाय तो अच्छा हो, जयपुर भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित होना चाहता है, कोटा भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित होना चाहता है, सब चाहते हैं हमें पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाय दूसरे जिले भी चाहते हैं। राजस्थान के 26 जिलों में से 16 जिले पिछड़े हुये घोषित किये हुये हैं

(व्यवधान)

केस हरएक का स्ट्रांग है लेकिन प्लानिंग कमीशन ने नहीं माना।

श्री भीमसेन : बिजली का कन्जम्शन पर हेड ...

श्री रामकिशन : बीकानेर को भीमसिंह जी सहित पिछड़ा घोषित कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : बिजली का कन्जम्पशन उद्योगों के लिये नहीं मांगा था। प्लानिंग कमीशन पर केपिटा यानि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी रोड्स है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी स्कूलें है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हास्पिटल्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में बिजली कितनी खर्च होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी रेल्वे लाइने हैं इन सारी चीजों को देखकर देयर वाज सरटेन क्वेश्चनेयर। मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन प्लानिंग कमीशन ने भेजा था। हमने उसका उत्तर भेज दिया उन्होंने आंकड़े मांगे थे, हर जिले के आंकड़े मांगे थे एक क्वेश्चनेयर देकर। हमने उन आंकड़ों को कम्पाइल करके गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेज दिया और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक कमेटी कायम की थी। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर आपकी मदद मिल सकती है तो देने की कोशिश करूंगा। जब बाबू जगजीवनरामजी वहां आये थे उन्होंने भी कहा और हमने अपनी ओर से उनके केस को रिकमन्ड कर दिया। अब सहानुभूति में रह जाय तो मैं क्या कहूं कुछ कह नहीं सकता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भरतपुर के लिये वायदा किया था।

श्री हरिदेव जोशी : वायदे तो कई करते हैं। आप भी करते हैं और मैं भी करता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो वायदे को निभाता हूं।

श्री हरदेव जोशी : ये कहते हैं मैं तो निभाता हूं।

श्री रामकिशन : अभी आपको उम्र वायदा निभाने की है बोलने का टाइम नहीं आया है।

श्री हरिदेव जोशी : राज्य के 26 जिलों में 16 जिले इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड माने गये है। इसलिये मैं यह नहीं मानता कि बाकी बचे जिले अच्छे हैं। मैं तो राजस्थान के पूरे जिलों को बेकवर्ड मानता हूं और उधर मेरे मत से कोटा में कोटा शहर को छोड़कर, जयपुर में जयपुर शहर को छोड़कर बाद कर दें तो सबकी स्थिति एक प्रकार की है और हमारे अर्थात् राज्य सरकार का यह पैक्ट होना चाहिये कि पूरे राजस्थान को इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड घोषित किया जाय किन्तु आज जो हालत है उसके अनुसार 16 जिले कुल मिलकर इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड माने गये हैं और 6 जिले ऐसे हैं जिन्हें विशेष सहायता के लिये चुना गया है। उनमें जो ब्लाक इन्वेस्टमेंट होता है, उस ब्लाक इन्वेस्टमेंट का 50 परसेन्ट अगर एक करोड़ तक का है तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया 15 परसेन्ट सब्सीडाइज करती। वे जिले हैं उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, चुरु जोधपुर और अलवर। अब आपको इस बात से सन्तोष होगा कि राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आ सकते है लेकिन इसमें अभी भी नहीं आये हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमें इस बात की शिकायत राज्य सरकार से नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता हूं कि क्राइटेरिया जो बना वह क्राइटेरिया हमारे लिए डिसएडवान्टेजियस था।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने पावर लूम के बारे में भी बातें कही। यह सही है कि शुरू शुरू में राजस्थान को

(180)

(श्री हरिदेव जोशी)

पावरलूम का अलाटमेन्ट बहुत कम हुआ। मैं तो 1967 से इसके लिए लड़ता चला आ रहा हूं। एक बार मौजूदा रेल्वे मंत्री श्री एल० एन० मिश्र, जो उस समय टैक्सटाइल की साइड के स्टेट मिनिस्टर थे, मैंने तो उन्हें यहां तक कह दिया कि जो गैर कानूनी काम करते हैं उनको तो रेगुलेराइज कर देते हैं और हम आपसे कोटा मांगते हैं आप हमारा कोटा बढ़ाते नहीं हैं। दरअसल सूरत वगैरह में अनआथोराइज्ड वे में पावर लूम बन गये तो वह रेगुलेराइज हो गए और राजस्थान ला अबाइडिंग रहा तो यहां पावरलूम की संख्या बढ़ी नहीं लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम अधिक से अधिक पावर लूम अपने यहां ला सकें तो अच्छा हो। निश्चित रूप से पाली में, किशनगढ़ में पावर लूम का काम आज काफी अच्छे ढंग से चल रहा है और वह हमारी सहानुभूति और एनकरेजमेन्ट मांगता है। इसी तरह से कोटा में कैथून के अन्दर डोरिये का काम हो रहा है वह भारत में अपने ढंग का एक ही है और इसे हमारा पैट्रोनेज मिलना चाहिए, हमारा बल मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब हम राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तब शायद हम छोटे उद्योगों को-छोटे उद्योगों से मतलब दस्तकारी से है—उनको हम भूल जाते हैं। राजस्थान के अन्दर इस दृष्टि से काफी बढ़ोतरी हुई है। इन वर्षों के अन्दर उनका उत्पादन काफी बढ़ा है और उनकी सेल भी बढ़ी है और हम कह सकते हैं कि हम उसके ऊपर सन्तोष नहीं कर लें, प्रसन्नता जरूर व्यक्त कर सकते हैं जो प्रयत्न किये गये हैं इस दिशा में उसके लिए।

अभी एक माननीय सदस्य ने हमारी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के बारे में कहा था। इसी वर्ष मुझे मौका मिला था। मैंने कारपोरेशन के किसी एक जलसे में कहा था कि हमारा ध्यान केवल रा मेटेरियल के डिस्ट्रिब्यूशन और प्रोक्योरमेन्ट की ओर नहीं है बल्कि दरअसल में दस्तकारियों के मार्केटिंग के लिए काम हमको करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर नमक और उसके ऊपर आधारित उद्योगों के लिए भी काफी गुंजाइश है और मैं यह आशा करता हूं कि बहुत ही निकट भविष्य के अन्दर राजस्थान के अन्दर नमक के ऊपर आधारित उद्योग भी बहुत अच्छे ढंग से चल सकेंगे। इस सिलसिले में हम बहुत ही जल्द एक आध हफ्ते के अन्दर फैसला करने वाले हैं।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां प्रेसिंग फैक्टरी के लिए इजाजत नहीं दी और मोनोपाली दे दी। केवल मन्डी को डवलप करने के लिए जंक्शन के ऊपर इजाजत नहीं दी है। आप यह चाहते हैं कि मण्डी डवलपमेन्ट नहीं हो और स्टेशन डवलप हो तो यह आपके च्वाइस की बात है मण्डी को छोड़ दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने यह कहा था कि प्रेसिंग नहीं करने देते। आखिर इन्डस्ट्रियल एरिया तो मण्डीज का भी है। इसमें प्रेसिंग करना चाहिए और केवल चौधरी एण्ड कम्पनी प्रेसिंग करे यह तो फिर मानोपाली ही हुई।

श्री हरिदेव जोशी: नहीं, नहीं। इसमें गलतफहमी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा था कि चौधरी एण्ड कम्पनी इन्सटाल हुई है 15 लाख के इन्वेस्टमेन्ट से उसकी मानोपाली है प्रेसिंग की।

श्री हरिदेव जोशी : वहां दो प्रेसिंग फैक्टरी हैं एक तो चौधरी की और एक सेठिया की। टाउन को नहीं देने का कारण केवल यह था कि हम मण्डी को प्रोत्साहन देना चाहते थे मगर इसमें कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए और यह इन्डस्ट्री निश्चित रूप से लाई जानी चाहिए कि गवर्नमेन्ट के किसी एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के कारण से किसी की मानोपाली नहीं बन जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एग्जेक्टली।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर सीमेन्ट के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में बातें कही हैं। बात यह है कि कुछ गलतफहमी है। डायरेक्टोरेट आफ इन्डस्ट्रीज डील करता है सीमेंट वगैरह से ऐसी धारणा है माननीय सदस्यों की मगर सीमेन्ट का डिस्ट्रिब्यूशन सिविल सप्लाईज फूड के हाथ में है। अर्थात् सारी एसेन्शल कमोडिटीज चाहे वह कोयला हो, चाहे वह केरोसिन हो, चाहे वह सीमेंट हो अथवा और भी चीज हो वह सारा का सारा फूड डिपार्टमेन्ट से जुड़ा हुआ है। इसलिए माननीय मन्त्री जी, जो फूड डिपार्टमेंट के हैं, जब वह बोलेंगे तब ही कुछ कह सकेंगे अथवा मैं यह कोशिश करूंगा कि जिनके कटमोशन है उनका जवाब लिखित रूप में सदस्यों के पास पहुंच जायें लेकिन ओवरआल स्टेट गवर्नमेंन्ट की यह पालिसी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। अगर कहीं किसी तरह से गड़बड़ी की जाती हैं जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सीमेन्ट के थैलों में वजन कम आता है और लोग निकाल लेते हैं। वैसे सीमेन्ट के बैग्स एक्ससाइज डिपार्टमेंन्ट, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के तोल के बाद में फैक्टरी के बाहर निकलते हैं, सीधे नहीं निकल सकते लेकिन आज के युग में किसी ने दिमाग लगाकर मैनुपुलेट करने की कोशिश की हो ऐसा तो लगता ही है क्योंकि हाल में सीकर के अन्दर काफी बड़ी तादाद के अन्दर इस प्रकार की बोरियां पकड़ी गयी हैं कि जिनका वजन कम था। तो मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ने उन सबके ऊपर कानूनी कार्यवाही की है और उन सबको पकड़ा है और उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। मगर मैंने आज ही कहा है कि राजस्थान के अन्दर जैसे औषधियों को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर एक मुहीम चलाया जा रहा है इसी प्रकार से सीमेन्ट की जहां भी बोरियों के अन्दर तौल कम है उसी प्रकार से मुहीम चला रहे हैं। सब को पकड़ने की कार्यवाही करने की कोशिश की जानी चाहिए।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कैसा भी एन्टरप्रेन्योर हो अगर वह कहीं ब्लैक मेलिंग करता है तो उसको बक्शा नहीं जायेगा।

हमारे माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं उन्होंने चन्दे वन्दे की बातें कही...

श्री रामकिशन : चन्दे वन्दे की क्यों कहते है। साफ साफ कहो। चन्दा लेकर काम करने की बात कही।

श्री हरिदेव जोशी : यह गलत बात है। हमारी तो चन्दे की परिपाटी अब बदल गयी। अब कांग्रेस का चंदा केवल दिल्ली होता है। हम कोई चंदा-वंदा नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

करते। हमारे चुनावों का खर्चा भी दिल्ली से ही आता है। अब आपने कहीं चंदा किया हो तो आप जानें वरना हमारा जितना चंदा है वह दिल्ली से होता है।

श्री रामकिशन : शांतिप्रसाद से 4 लाख लिया था वह क्या था ?

श्री हरिदेव जोशी : आप कह दें कि आपको जानकारी है। अब तो शांतिप्रसाद जो का कोई कारखाना राजस्थान में नहीं है। अगर आप इनएडवरटेन्टली कह दें कि राजस्थान गवर्नमेंट से सबंधित किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी ने चंदा दिया तो आप कहेंगे उसको मान लूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से उच्चस्तर लेकर काम करना चाहते हैं और किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहते हैं अलबत्ता समाज के अन्दर जो भी घुन लगे हुए हैं उन घुनों से हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। चाहे वे व्यापारी हों, चाहे वे उद्योगपति हों और इसी विश्वास के साथ में मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के औद्योगीकरण के मार्ग के अन्दर चाहे वह डायरेक्टोरेट लेवल पर हो, चाहे सचिवालय लेवल पर हो, चाहे हमारे लेवल पर हो, जहां कहीं भी शिथिलता होगी उसको हम दूर करेंगे और टू अवर बेस्ट एबेलिटी हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में औद्योगीकरण होवे और राजस्थान प्रोस्पर होवे और राजस्थान आगे बढ़े। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है और मैं मन से इस बात को मानता हूं कि औद्योगीकरण कृषि के साथ उतने ही अधिक से अधिक प्रयत्नों के साथ में चलना चाहिए, यही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने एक प्रश्न उठाया था तीन ब्रिक क्लीन के बारे में कि उसको बिना ब्रिक क्लीन्स के प्रोजेक्ट के ही कोल का कोटा मिल गया। उसके पास कोई प्लान नहीं था, माइनिंग लीज नहीं थी उसके बाद भी वैगन मिल गए ...

श्री हरिदेव जोशी : मैंने नोट कर लिया था मगर क्योंकि मुझे आपने पहले तो कहा नहीं था। कलेक्टर इसको अलाट करता है और कलेक्टर ही इसको डील करता है। मैं तो इसके बारे में समझता भी नहीं हूं कि क्लीन की सेंक्शन कौन करता है, डायरेक्टर करता है या कलेक्टर करता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कलेक्टर करता है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे भी अभी बताया है कि कलेक्टर करता है और कोल का कोटा भी कलेक्टर देता है

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लेकिन कलेक्टर ने कैसे कोटा दे दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : यही तो मालूम करना है। बिना डिटेल के मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता।

श्री जुझारसिंह (खनिज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग की मांग को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो सुझाव दिए हैं इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पिछले बीस सालों में और पिछले एक वर्ष में इस सदन के माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं वे इस बात को अनुभव करने लगे है कि खनिज विभाग का महत्व काफी बढ़ा है और इसके ऊपर आधारित, जो उद्योग हैं, उनको काफी तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए।

(श्री जुझारसिंह)

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आबादी का इतना ज्यादा कन्स्ट्रेशन है और लेबर को एम्पलाय करने के ज्यादा चांसेज नहीं रहे हैं और इस वास्ते यह आवश्यक है कि उनका डायवर्शन होना चाहिए और उनका एम्पलायमेंट ऐसे सैक्टर में होना चाहिए जिसमें अधिक उपयोगिता के साथ एम्प्लायमेंट दिलाया जा सकता है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और उस दिशा में खनिज विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि राजस्थान में खनिज के हिसाब से बहुत स्कोप है और हमारे पास में करीब आठ हजार करोड़ की खनिज सम्पदा इस भूमि में है जो नीचे दबी हुई है। मैंने अभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की केजुअली कि इनके कहने में कहां तक तथ्य है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जो भी, जो कुछ केजुअल तौर पर जानकारी मिली है उसके अनुसार राजस्थान में आठ हजार करोड़ ही नहीं, आठ हजार करोड़ से भी कहीं ज्यादा खनिज सम्पदा विद्यमान है और उसकी पूरी तरह से एक्सप्लायट करने की आवश्यकता है। हमारा जो लैड जिंक डिपोजिट है 150 मिलियन टन का उसका एस्टीमेट है आज की वेल्यू के हिसाब से करीब 9 हजार करोड़ का आता है। इसी तरह से राक फास्फेट का डिपाजिट 100 मिलियन टन आंका गया है जिसकी लागत 16 हजार करोड़ है। कोपर के डिपोजिट के मामले में भी हमारा प्रदेश काफी रिच है। हमारे यहां खेतड़ी में करीब 70 मिलियन टन और कोलियान में 24 मिलियन टन और दूसरी जगह हंड्रेड मिलियन टन कोपर उपलब्ध है। यह वास्तव में बड़ी खुशी की बात है। हमको प्रकृति ने खनिज के हिसाब से बहुत कुछ दिया है और यह हमारा एक दायित्व हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसको जल्दी से जल्दी और तेजी से एक्सप्लायट करें और इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सकें। इसमें जिस तरह की कठिनाइयां आती हैं उससे आप सब जानकारी रखते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्राब्लम आती है वह पैसे की है और जैसे जैसे धन की उपलब्धि होगी उसका एक्सप्लायटेशन करने की कोशिश की जायेगी। वैसे पिछले कुछ सालों में 25 सालों में राजस्थान ने खनिज सम्पदा के पाइंट आफ व्यू से काफी डवलपमेंट किया है। जब राजस्थान की स्टेटों का मर्जर हुआ उस वक्त में हमारे पास एक तरह का पैटर्न था जिसके अन्दर प्राइवेट पार्टीज को लीज देते थे उससे जो रायल्टी और डेड रेंट है वह खनिज का मिलता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे खनिज विभाग का आर्गनाईजेशन किया गया है और उसमें इन लीजेज के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोरपोरेशन बनाकर और दूसरी तरफ से इसका एक्सप्लायटेशन शुरू हुआ। मैं यह नहीं कहता कि हमने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी अच्छी प्रकार की शुरूआत हुई है और वह शुरूआत एक दिशा को इंगित करती है जिसकी तरफ हमको और तेजी से बढ़ना है। पिछले दिनों में हमारे यहां लैड जिंक का कारखाना उदयपुर में लगाया गया जिसमें अभी पिछले साल ही 13 हजार टन जिंक और तीन हजार टन लैड का प्रोडक्शन हुआ है और उसको अगले साल में और भी डबल करने की

(श्री जुझारसिंह)

भारत सरकार की योजना है। इसी तरह से जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि 1974 के मई तक जो कोपर स्मेल्टर है खेतड़ी में वहां प्रोडक्शन आने वाला है और उसमें 31 हजार टन कोपर कंसन्ट्रेट होकर एक साल में प्रोडक्शन किया जाने लगेगा। इसी तरह से हमारे दूसरे क्षेत्र में भी जो प्रोडक्शन शुरू हुआ है और अभी अलवर में बहुत बड़ा कोपर का डिपोजिट नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर खोदरपार एक जगह है जहां पर भारत सरकार के कोपर कोरपोरेशन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और रिकार्ड टाईम में प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है कोपर का। उसमें करीब सौ टन कोपर का डेली प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस तरह से हमने हमारी स्टेट में पिछले दिनों में खनिज के उत्पादन में एक सही ढंग से शुरू किया है और अब काम धीरे धीरे जैसे जैसे भी टाईम निकलेगा प्रगति होगी।

अध्यक्ष महोदय, खनिज में प्रोडक्शन के साथ साथ यह आवश्यक होता है कि वहां पर प्रोपर टाईप का प्रोस्पेक्टिंग हो और जब तक हमारे प्रदेश के बारे में जिस जगह पर जितना खनिज उपलब्ध है उसकी जानकारी नहीं कर पाते तब तक हम उसका प्रोपर एक्सप्लायटेशन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के खनिज विभाग ने सिस्टेमेटिक वे पर सर्वे और इनवेस्टीगेशन और प्रोस्पेक्टिंग का काम चलाया हुआ है और पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट की मार्फत 24 प्रोजेक्ट हाथ में लिए और उन्हीं जगहों पर सब तरह की बेस्ड फैक्ट्री का सर्वे किया और उसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं वैसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आपने इस प्रगति विवरण में भी पढ़ा होगा लेकिन मैं यहां संक्षेप में बताना चाहता हूं कि मैटालिक मिनरल बिछवाड़ा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर में माण्डव की पाल के पास अच्छे डिपोजिट, कोपर डिपोजिट इण्डीकेशन किया है। इसी तरह से देलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर में तांबे का इण्डीकेशन किया गया है। .... और भरतपुर के राजाखेड़ा, तेलवट, डिस्ट्रिक्ट अलवर, गोलिया जिला सिरोही में ताम्बे की अच्छी डिपोजिट मिली है। इसी तरह से बसन्तगढ़ जो कि सिरोही जिले में है उसमें कापर जिंक का विस्तृत भंडार मिलने का इन्डीकेशन मिला है। इसकी जो क्वालिटी है, उसमें आपने अच्छा परसन्टेज मिलने की आशा है। रिपोर्ट में काफी कहा गया है। हमारे सिरोही जिले में बड़ी अच्छी कापर डिपोजिट 15 परसेन्ट कन्सन्ट्रेट मेटल का मिला है। इस तरह से राज्य का जो ज्योलोजिकल डिपार्टमेन्ट है उसने मेहनत करके अच्छे डिपोजिट्स को खोज निकालने की कोशिश की है। पिछले साल से अब तक 60 केसेज प्रास्पेक्टिंग के हमारे यहां हो चुके हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स आये हैं। झामरकोटड़ा की जो डिपोजिट्स है उसका इन्वेस्टीगेशन राज्य के ज्योलोजिकल एण्ड माइन्स डिपार्टमेन्ट ने किया है और उसकी वजह से, जैसा कि आप समझते हैं, महसूस करते हैं। राज्य को इनकम मिलने लगेगी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पिछले 12 महीनों में, अक्टूबर से डी० जी० एम० की जो अन्डरटेकिंग थी, उस कम्पनी का नेशनलाइजेशन कर दिया है और राज्य सरकार के 97 परसेन्ट से भी ज्यादा उसमें शेयर हैं और जो मैनेजमेन्ट हैं उसमें भी काफी चेन्जेज की गई है। एक्जीक्यूटिव आफिसर आई०

(श्री जुझारसिंह)

ए० एस० ग्राफिसर है, चेयरमेन राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं और फाइनेन्शियल साइड पर भी एक ग्रच्छे अधिकारी को लगाया हुआ है। अब वहां पर व्यवस्थित ढंग से राक फास्फेट का एक्सप्लाइटेशन शुरू हो गया है और सदन को यह सुन कर खुशी होगी कि पिछले दिनों हमारा प्रोडक्शन 1200 टन के एवरेज पर आ रहा है जो कि अपने आप में एक ग्रच्छी बात है। जो आज का रिकार्ड है, जो फीगर मुझे दी गई है, यह कल का है, राक फास्फेट का कुल उत्पादन वहां पर 1900 टन का है और ग्रोवर बर्डन इसके ग्रलावा है। इस तरह से राक फास्फेट का प्रोडक्शन बढ़ गया है और ग्रगले साल 1000/1200 टन का एवरेज प्रतिदिन का मेन्टेन करते रहेंगे। जब से कम्पनी को गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में लिया है, काफी मशीनें खरीदी गयी हैं। एक करोड़ रुपये की मशीनें पिछले दिनों राज्य सरकार ने राकफास्फेट का ग्रापरेशन करने के लिए खरीदी हैं और इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है अब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह जो आलोचना होती थी कि राक फास्फेट का प्रोडक्शन स्टेडी नहीं हो पा रहा है, बार बार गिर जाता है, उस तरह की शिकायत अब ग्रागे नहीं होगी।

इसके अलावा इन्डस्ट्रीयल मिनरल्स में ग्रौर दूसरों में भी राज्य सरकार ने प्रगति की है और हमने ग्रार. एम. डी. सी. को कुछ ऐसे मिनरल्स जिनको कि इन्डस्ट्रीयल पाइन्ट ग्राफ व्यू से जरूरी समझते हैं कि इनको प्राइवेट पार्टी को न देकर स्टेट डिपार्टमेंट के जरिये उत्पादन करवाते हैं। जिप्सम के पाइन्ट ग्राफ व्यू से राजस्थान में हम बहुत ही लक्की हैं और फर्स्ट प्रीमीयर स्टेट है जो कि जिप्सम का प्रोडक्शन करती है। इसका सारा का सारा एक्सप्लाइटेशन राजस्थान इन्डस्ट्रीयल मिनरल कारपोरेशन या बीकानेर जिप्सम के द्वारा होता है ग्रौर ग्रागे भी सरकार की नीति यही है कि जिप्सम का किसी प्राइवेट पार्टी की मार्फत एक्सप्लाइटेशन न हो ग्रौर राज्य की जो कम्पनी हो उनके द्वारा ही इनका उत्पादन करवाया जाए।

इसी तरह से आपको सूचना देना चाहता हूं, यहां कई माननीय सदस्यों ने भी जाहिर किया है कि बहुतेरे मिनरल्स में राजस्थान करीब करीब मोनोपोली की पोजीशन रखता है। केवल एक ही ऐसी स्टेट हैं जो इन मिनरल को प्रोड्यूज करती हैं, ऐसे सात मिनरल हैं। इसके ग्रलावा 13 मिनरल्स इस प्रकार के हैं जिनमें हमारी पोजीशन हिन्दुस्तान की स्टेट्स में पहली ग्राती है।

एमरल्ड की माइन्स के बारे में भी बताना चाहता हूं। एमरल्ड हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। पिछले कुछ दिनों से इसके प्रोडक्शन में कमी ग्राई है। मिनरल के प्रोडक्शन के लिए यह आवश्यक होता है कि साइन्टिफिक वे में माइनिंग किया जाय। और इसमें हैवी इन्वेस्टमेन्ट की जरूरत होती है। प्राइवेट पार्टी के पास साधन न हो ग्रौर इस तरह से एक्सपेन्सिव मिनरल्स को लीज ले लेती है ग्रौर वे उसका पूरा एक्सप्लाइटेशन नहीं कर पाती है ग्रौर उसके ग्रच्छे रिजल्ट नहीं आते। ग्रभी पिछले दिनों एमेरल्ड की एक लीज दी गयी है, वह एक दूसरी पार्टी के नाम पर ट्रान्सफर हुई है ग्रौर उन्होंने इस बात का हमें ग्राश्वासन दिया है, ग्रन्डर-

(श्री जुझारसिंह)

टेकिंग दी है कि आने आने वाले पांच वर्षों में इस पर करीब 20 लाख रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट करेंगे, यह काला गुमान की माइनिंग है। एक दूसरी माइन्स जो ट्रांसफर हुई है उसमें भी पांच लाख का इन्वेस्टमेन्ट वे करेंगे। इस तरह से एमरल्ड की माइनिंग में अगले पांच वर्षों में करीब 20 लाख का इन्वेस्टमेन्ट होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि हमारा एमरल्ड का प्रोडक्शन जो पिछले कुछ सालों से गिर गया था, बंद हो गया था फिर से चालू हो जाएगा और हम हमारे मिनरल्स के पाईन्ट आफ व्यू से, जो प्रापर प्लेस है, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरी बातों के बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कितनी लेबर इम्पलाइड है उसकी फीगर दी हुई है। कितनी रेवेन्यू रायल्टी और डेड रेन्ट से वसूल होती है तो जब से राजस्थान बना है उसमें आज तक इस दिशा में तरक्की हुई है लेकिन फिर भी कोरा डेड रेन्ट से या रायल्टी से रकम वसूल कर लेना अपने आप में बहुत बड़ा एचीवमेंट नहीं होता। माइन्स का पूरा एक्सप्लाइटेशन हो और उनका इन्डस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाय, यह जरूरी बात है। इस दिशा में कोशिश की जा रही है कि हम इसको जैसे कि सदन के माननीय सदस्यों की भावना है उसके अनुरूप लीज दे और लीज लेने वाले वहां पर मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज को लगावें।

आज माननीय सदस्यों ने कटमोशन के द्वारा कुछ प्रश्न उठाये और इस उद्योग की समस्याओं को यहां पर रखा। वे उम्मीद करते होंगे कि उनके प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाय। मैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पाइन्ट्स रखे, लीज के बारे में रखे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही मारबल के बारे में। मारबल्स के जो भंडार हैं स्टेट में, उसमें हम हिन्दुस्तान के सब दूसरी स्टेटस के मुकाबले में आगे हैं। जो क्वालिटी है मारबल की वह वेरियस फेम की है। इस बैक ग्राउन्ड में यह आवश्यक है कि इसका जो एक्सप्लाइटेशन हो वह साइन्टिफिक वे में हो, माननीय सदस्यों की इस बात से मैं सहमत हूं। जिस तरह से मारबल की माईनिंग होती है वह साइन्टिफिक वे में नहीं हो रही है। वह ब्लास्टिंग से होती है और इससे मारबल टूट जाता है और अच्छी साइज का मारबल बिल्कुल नहीं निकलता है। छोटे छोटे ब्लाक निकलेंगे, किसी तरह का क्रेक आ जाएगा, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी और इससे उसके मूल्य में फर्क आएगा।

तो यह बात सही है कि इसका प्रापर वे में जो है एक्सप्लायटेशन हो, और यह जो हमारे मिनरल्स हैं वह एक बहुत बड़ा सोर्स आफ इनकम हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इनकम का भी सोर्स हो सकता है उसका जो है प्रापर एक्स्प्लायटेशन किया जाय।

हमारे यहां जो मकराने की लीजेज हैं वह बहुत छोटे छोटे स्केल पर हैं और ऐसे आदमियों के द्वारा ज्यादातर ली हुई हैं जिनके पास फाइनेन्शियल रिसोर्सेज नहीं हैं, और वे उसका प्रापर एक्स्प्लायटेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जो मौजूदा लीजहोल्डर्स हैं उनको हम कानूनी तौर से डिसपजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी सिचुएशन है उसको फेस करना पड़ता है, लेकिन आगे के लिए यह कोशिश कर रहे हैं कि मकराने का डेड रेन्ट और रायल्टी पर दी जाती हैं उनको प्रापर माइनिंग लीज दें और प्रापर

(श्री जुझारसिंह)

साइज में उसे दें ताकि जो हमारे रिच मिनरल्स है उनका प्रापर एक्स्प्लायटेशन हो और अच्छे ब्लाक्स, अच्छी साइज का पत्थर निकाल कर उनका प्रापर वे में ट्रेड करके उनका मार्केट बढ़ाया जा सके। आगे से दूसरी जगहों पर जहां राजस्थान में मारबल निकलता है उनको माइनिंग लीज के हिसाब से मारबल की लीज दे रहे हैं। जो साइज फिक्स की है वह 60 बाई 120 मीटर की है और किसी किसी जगह ज्यादा भी हैं, लेकिन इस पर भी हम यह महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसी साइज फिक्स की जाय जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सके, और कुछ दिनों तक उसको चला सके, तो इसका प्रापर एक्स्प्लायटेशन हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो माननीय सदस्य भरतपुर से आते हैं उन्होंने कही थी वह भोजपुरा के बारे में कही थी। किसी व्यक्ति को 1500 रुपये डेड रेन्ट पर लीज देने के बारे में आपत्ति उठाई थी। उनका यह कहना था कि कोई दूसरी पार्टी उसी प्लाट के 20 हजार रुपये देने को तैयार है। उसको न देकर 1500 रुपये के डेट-रेन्ट पर यह प्लाट क्यों उठाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह दूं कि वह प्लाट जो है अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन लीज और डेड रेन्ट पर एलाटमेंट और ऑक्शन यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो बात एलाटमेंट में होती हैं उसमें एक्स्प्लायट करने के बाद में, उसको अगर प्रापर वे में एक्स्प्लायट किया तो रायल्टी के रूप में लेसी से 20 हजार से भी ज्यादा मिल सकते हैं, और यह मामला किसी बुरी इन्टेन्शन से नहीं था। माइनिंग इन्जीनियर के परव्यू में और उनके स्कोप का मामला था तो भी उन्होंने कहा कि 1500 रुपये में यह है और किसी पार्टी ने 5000 देने के लिए आफर किया है तो उन्होंने 2500 रुपया जमा कराकर उन्होंने इस लीज के केस को आगे रेफर कर दिया था कि इसके बारे में क्या किया जाय? इसको एलाटमेंट से दिया जाय या ऑक्शन से दिया जाय, क्योंकि ज्यादा आफर आगई थी, और उसके बाद में बड़ी आफर आगई है इसलिए उसको 1500 डेड रेन्ट पर नहीं देने का फैसला किया गया है और उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है कि किसको फेवर किया गया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं और उनमें माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी भी हो जाती है कि किसी पार्टी को फेवर कर दिया गया है, लेकिन आक्शन में और डेडरेन्ट में फर्क है। वह एलाटमेंट से होता है। उसमें सरफेस रेन्ट जो लिया जाता है वह फिक्स्ड रेट पर लिया जाता है। उसके बाद में अच्छी तरह से उसको एक्स्प्लायट करने के बाद इसमें इतनी धनराशि उपलब्ध हो जाती है।

एक बात और माननीय सदस्य ने उठाई थी। वह नीम के थाने में जो खिरोक की माइन्स है इसके बारे में थोड़े दिनों पहले इस विधान सभा में एक प्रश्न भी आया था, उस वक्त मैंने माननीय सदस्य को बताया था। कि जो खिरोक की लीज है उसमें न अनियमितता है और न गलती है। यह खिरोक की लीज है वह 1953 में किसी मोदी ब्रदर्स को दी गई, और वह 550 रुपये में 1953 में दी गई थी। पांच साल की वह लीज थी तो 1958 में फिर एक हजार

(श्री झुझारसिंह)

में रिन्यू की गई। उसके बाद में 63 में फर्स्ट रिन्युअल हुआ 63 से 68 तक के लिए 2 हजार रुपये में तो एक हजार रुपये का फर्क हो गया। वह 65 में कैन्सिल हो गई तो उसके बाद में कई तरह के मुकद्दमे चले। उसको आक्शन करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए कोर्ट से स्टे आ गया। 7-8 बार स्टे आगया। ऐसी परिस्थिति में खिरोक की माइन्स को लोकल व्यक्तिगत एक्स्प्लायट कर रहा था। वहां के लोगों ने डिपार्टमेंट से कहा कि वहां पर चोरियां हो रही हैं और इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि हमने पुलिस को एप्रोच किया कि चोरी को रोका जाय तो उन्होंने कहा कि इसका सारा खर्चा आप बरदाश्त करें तो हम पुलिस की चौकी वहां पर लगाने को तैयार हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सब कोशिश करने के बावजूद भी या तो इस तरह से राज्य की जो 7-8 साल अनयुटिलाइज्ड लीज पड़ी थी और वहां पर चोरियां हो रही थी, उसको उसी तरह से चलने दिया जाय या उस लीज पर जो मैक्जीमम लिया जा सकता था वह लेकर उसी पार्टी को दें तो सारे झगड़े खत्म हो जायं और कोर्ट केसेज भी विथड्रा हो जायं। इस लीज को 20 हजार में उसी को दे दिया। रेग्युलर वे में 3 हजार से ज्यादा पर नहीं दे सकते थे।

इसी तरह से और कई प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। रामपुरा केशोराय सीमेंट के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था। उसमें किसी तरह से माननीय सदस्य को गलत-फहमी है। केशोराय की जो लीज है उसमें डोलोमाइट को इन्क्लूड करने का प्रश्न था। राज्य सरकार की तरफ से इन्क्लूजन को रिफ्यूज किया गया था। अपील में जाने पर मेजर मिनरल्स में अपील करने का लेसी को राइट होता है— भारत सरकार से इस मिनरल को इन्क्लूड करने की परमिशन मिली। और उसके बाद में डोलोमाइट के साथ में लाइम स्टोन भी निकलता है, और वह सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जब डोलोमाइट निकलता तो फिर लाइम स्टोन को इन्क्लूड करने की परमिशन मांगी, जिसको लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया। उस छोटे से टुकड़े का जो कि आधा मील से ज्यादा का नहीं था उसका 4 मील डेड रेन्ट लिया है इसलिए माननीय सदस्य को किसी तरह की भ्रान्ति या मिसअन्डरस्टेंडिंग जो हो रही है उसका कुछ बेस नहीं है, और वह राइट वे में दी हैं और भारत सरकार की कन्करेन्स और लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस लेने के बाद दी गई है। उसमें यह बात सही है कि बहुत-सी वैस्टेड पार्टीज होती है, इन्ट्रेस्टेड पार्टीज होती है, और उस लीज की वजह से उनके व्यापार में या उनके बिजिनेस में किसी तरह का कम्पीटिशन भी अगर खड़ा हो सके तो उस तरह की पार्टीज इस तरह की बातें खड़ी करती हैं, और उन्हीं के द्वारा इस तरह की बात माननीय सदस्यों के पास पहुंचाई गई है ताकि यह प्रश्न यहां पर उठ सके।

तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की यह इच्छा होगी की इस डिबेट को समाप्त किया जाय। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव करता हूं कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

जगराममसिंह का अनशन

श्री गुलाब सिंह (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, रिपब्लिकन पार्टी के श्री जगराममसिंह हरिजनों की समस्या को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, इस सम्बन्ध में, मैं राज्य सरकार की ओर से श्री जगराममसिंह और रिपब्लिकन पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार हरिजनों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनका समाधान करेगी।

मांग सं० 41 व 43 का पारण

श्री अध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,20,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,88,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल शनिवार, 23 मार्च, 1974 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8 बजकर 50 मिनिट पर शनिवार दिनांक 23 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

नाम जिला	उत्पादन (1000 टनों में)
बाड़मेर	14.858
बीकानेर	0.484
चूरू	1.104
जैसलमेर	0.120
नागौर	18.310

(191)

परिशिष्ट – 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 136 की सूची)

(स्थगित प्रश्न दिनांक 12-3-74)

S. No.	Name of District	No. of incomplete works.	Expenditure incurred	Expenditure to be incurred
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Alwar	13	14,35,513.04	4,73,753.84
2.	Ajmer.	44	23,31,906.49	9,38,000.00
3.	Barmer.	No work is incomplete.		
4.	Bharatpur	38	7,73,880.78	2,21,216.00
5.	Bhilwara.	6	1,05,954.00	1,40,491.00
6.	Bundi.	21	22,52,500.00	5,44,300.00
7.	Bikaner.	11	10,86,640.87	3,19,582.00
8.	Churu.	11	7,00,000.00	7,50,000.00
9.	Chittorgarh.	22	9,85,423.00	2,92,755.00
10.	Banswara.	12	10,335.00	27,500.00
11.	Dungarpur.	15	3,27,300.00	3,17,000.00
12.	Ganganagar	30	1,25,647.00	1,69,774.00
		8½	(मुरब्बा पक्का खाला वाटर चैनल)	
13.	Jodhpur	18	9,09,866.00	12,24,959.00
14.	Jalore.	40	20,11,256.89	7,58,446.86
15.	Jhalawar.	12	3,55,038.87	3,83,875.00
16.	Jaisalmer.	14	11,88,809.83	7,52,660.17

(192)

1		2	3	4
17.	Jhunjhunu.	27	7,70,824.17	4,51,900.00
18.	Jaipur.	28	14,78,895.61	8,02,078.49
19.	Pali.	11	5,50,834.00	4,11,921.00
20.	Kota.	27	12,19,569.00	6,57,821.00
21.	Nagaur.	19	7,60,580.14	4,44,682.00
22.	Sawai Madhopur.	29	11,86,714.00	18,35,970.00
23	Sikar.	22	7,88,000.00	12,00,000.00
24.	Sirohi.	4	1,11,310.77	11,208.23
25.	Tonk.	36	11,19,471.45	24,16,000.00
26.	Udaipur.	9	31,10,000.00	20,75,000.00
	Grand Total :	527	2,56,96,270.91	1,76,19,893.59

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

शेर के जोड़े की खरीद

381. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर जन्तुआलय के लिये एक गीर शेर का जोड़ा गुजरात से क्रय करने के लिये रु० 20,000 की धनराशि विभाग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी थी परन्तु एक अधिकारी की अनुचित कार्यवाही से यह कार्य निरस्त कर दिया गया ?

(2) उपरोक्त शेर का जोड़ा कब तक जोधपुर जन्तुआलय में पहुंचा दिया जायगा और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के जन्तुआलय को आगामी वित्तीय वर्ष से नगरपालिकाओं के सुपुर्द कर दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों और क्या नगरपालिका कार्य उन्हें सम्हालने में तत्पर है ?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर जन्तुआलय जो लगभग वीरान हो चुका है, उसे अधिक वीरान करने के लिये वहां से पशु एवं पक्षी अन्यत्र ले जाने की साजिस चल रही है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जू के विकास हेतु बजट में 20,000/- रुपये का प्रावधान दिया गया था जिसमें से 7000/- रुपये गिर शेर के बच्चों का जोड़ा लेने का प्रस्ताव था। जू मद में कमी हो जाने के कारण तथा जू को नगरपालिका में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण यह कार्यवाही नहीं की जा सकी। अधिकारी की कोई अनुचित कार्यवाही नहीं है।

(2) अभी क्रय नहीं हुआ है,
अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रशासनिक विषय है।
सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं, इस प्रकार के कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेन्ट का निर्धारित कोटा

382. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सीमेंट वितरण के लिये राज्य सरकार द्वारा जिलेवार कोटा निर्धारित किया हुआ है ? अगर हां, तो जिलेवार निर्धारित मात्रा की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिलेवार निर्धारित कोटा डीलरों को निर्धारित मात्रा में नियमित समय पर सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो अप्रेल, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक कोटे के अनुसार सप्लाई की गई सीमेंट की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सवाई माधोपुर सीमेंट कार-

(श्री लूणाराम)

खानों से सीमेंट वितरण हेतु नियुक्त एजेन्टों के अलावा भी आवश्यकता वाले लोगों को सीमेंट दी जाती है ? यदि हां, तो अप्रेल, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक किन किन लोगों को कितना कितना सीमेंट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। जून 1973 तक सीमेंट का कोई कोटा निर्धारित नहीं था। इसके उपरान्त ही त्रैमासिक कोटा निर्धारित किया है। तृतीय व चतुर्थ त्रैमास, 1973 व प्रथम व द्वितीय त्रैमास, 1974 की सूचना संलग्न है।

(2) फैक्ट्रीयों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण यह सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना को फैक्टरियों से मंगवाया जा सकता है जिसमें काफी समय लगेगा।

(3) फैक्ट्रीयों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण यह सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं। फैक्ट्री, सीमेंट कन्ट्रोलर आफ इण्डिया, भारत सरकार के निर्देशानुसार सीमेंट जगह जगह पर भिजवाती है।

195

राजस्थान राज्य में जिलेवार सीमेन्ट के आवंटन की सूची

		1973							1974						
		तृतीय तिमाही			चतुर्थ तिमाही				प्रथम तिमाही			द्वितीय	तिमाही		
क्रम संख्या	जिले का नाम	जन साधारण (सिविल)	फ्रीसेल कोटा लघुउद्योग वैगन लोड से कम	रेट कान्ट्रैक्ट के बाहर वैगन लोड में	जनसाधारण	फ्रीसेल कोटा स्पेशल	लघु उद्योग वैगन लोड से कम	रेट कान्ट्रैक्ट के बाहर लघु उद्योग वैगन लोड	जन साधारण	फ्रीसेल कोटा स्पेशल	लघु उद्योग वैगन लोड से कम	रेट कान्ट्रैक्ट के बाहर वैगन लोड में	जन साधारण	फ्रीसेल कोटा लघु उद्योग वैगन लोड से कम	लघु उद्योग वैगन लोड में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अजमेर	1140	800	900	1450	—	250	695	2200	—	300	1606	2500	300	1452
2.	अलवर	1270	310	70	1500	—	100	180	1800	—	140	480	1600	200	516
3.	बांसवाड़ा	210	430	—	1000	500	80	220	900	200	100	100	900	100	264
4.	बाड़मेर	315	25	—	800	400	30	20	600	—	50	—	1500	50	150
5.	भरतपुर	1110	930	575	600	—	200	475	1400	2000	260	476	1500	320	552
6.	भीलवाड़ा	965	620	200	1200	200	150	80	1200	50	150	200	1200	300	120
7.	बीकानेर	635	225	190	1000	—	100	190	800	—	140	230	800	150	368
8.	बून्दी	310	50	—	525	—	30	—	500	—	30	—	400	20	40
9.	चित्तौड़गढ़	1015	430	430	1100	200	150	820	1000	—	160	860	1000	200	860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	चूरू	670	105	80	800	—	60	110	800	—	90	280	800	90	120
11.	डूंगरपुर	310	30	—	750	400	20	—	600	300	20	—	600	30	—
12.	गंगानगर	1568	550	150	1600	—	200	150	2300	—	300	120	2500	250	174
13.	जैसलमैर	160	30	—	500	300	20	—	300	—	20	—	200	20	—
14.	जयपुर	2905	1815	1060	3100	—	458	1960	4800	325	700	3312	4500	500	3172
15.	जालोर	670	60	60	1000	700	40	40	900	—	60	40	900	60	118
16.	झालावाड़	305	65	—	600	200	40	60	600	100	40	—	1000	50	40
17.	झुंझुनू	670	60	—	800	—	20	—	800	—	30	—	700	30	80
18.	जोधपुर	450	850	70	650	200	250	180	1200	—	300	268	1000	200	182
19.	कोटा	1140	800	334	1300	200	100	230	1400	—	140	400	1200	300	440
20.	नागौर	600	350	240	700	200	80	250	700	—	109	220	600	60	214
21.	पाली	590	400	450	900	800	130	640	800	—	170	700	600	120	716
22.	सवाई माधोपुर	1025	400	400	1400	—	150	60	800	—	200	320	800	160	480
23.	सीकर	1005	85	—	1200	—	60	80	900	—	90	160	800	160	160
24.	सिरोही	310	50	170	700	700	80	80	600	—	100	60	500	100	92
25.	टोंक	310	50	—	525	200	60	—	500	500	80	—	400	80	—
26.	उदयपुर	1215	400	40	1600	800	150	40	1600	300	200	120	1500	150	160
		21,000	10,000	5,419	27,000	6,000	3,000	6,560	30,000	3,775	4,000	9,952	30,000	4,000	10,476

सीमेन्ट आवंटन राजकीय एवं रेट कान्ट्रेक्ट के बाहर (लघु उद्योग निगम को छोड़कर)

क्रमांक	श्रेणी	1973 तृतीय तिमाही इकाइयों की सं०	1973 तृतीय तिमाही आवंटन टनों में	1973 चतुर्थ तिमाही इकाइयों की सं०	1973 चतुर्थ तिमाही आवंटन टनों में	1974 प्रथम तिमाही नियमित कोटा इकाइयों की सं०	1974 प्रथम तिमाही नियमित कोटा आवंटन टनों में	1974 प्रथम तिमाही विशेष कोटा इकाइयों की सं०	1974 प्रथम तिमाही विशेष कोटा आवंटन टनों में	1974 द्वितीय तिमाही नियमित कोटा इकाइयों की सं०	1974 द्वितीय तिमाही विशेष कोटा आवंटन टनों में
1.	60 प्रतिशत (रेट कन्ट्रेक्ट) राजकीय विभाग	9	60,150	13	60,010	17	64,460	—	—	20	62,660
2.	10 (रेट कन्ट्रेक्ट के बाहर)										
	(क) वृहत एवं मझली उद्योग	13	7,000	22	7,000	19	1,442	2	150	17	2,150
	(ख) सार्वजनिक संस्थाएं	34	3,380	32	2,500	40	1,806	1	75	23	1,228
	योग:—	56	70,530	67	69,510	76	67,708	3	225	60	66,038

बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

383. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान ने बाड़मेर जिले में जल कष्ट समस्या के निवारण हेतु किन किन क्षेत्रीय जल प्रदाय ग्रामीण नल योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट सम्पूर्ण की। प्रतियां एवं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कौन कौन सी योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं ? प्रत्येक योजना की स्वीकृति राशि एवं उनमें कौन से गांव कितनी कितनी आबादी के लिये जावेंगे का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त स्वीकृत योजनाओं में किन किन पर कार्य कब से शुरू हो चुका है और अभी क्या प्रगति है तथा उक्त स्वीकृत योजनाओं की जो शुरू नहीं की गई उन्हें कब से शुरू कर दिया जायगा ?

(4) उनमें से कौनसी स्वीकृत नहीं हुई है उनकी सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उन योजनाओं को अब तक स्वीकृत न होने के क्या कारण हैं ? ये योजनायें कब तक स्वीकृत कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जन स्वा० अभि० द्वारा बाड़मेर जिले की जलकष्ट के निवारण हेतु बनाई गई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं की सूची 3 भागों में संलग्न है। योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट्स बड़ी बड़ी है, इसलिए उनको प्रेषित करने में समय लगेगा। योजनाओं की मुख्य बातें सूची में दर्शादी गई हैं।

(2) संलग्न सूची के भाग एक व दो में संबंधित सूचना दी जा चुकी है।

(3) संलग्न सूची के भाग में निर्माणाधीन योजनाओं का विवरण दिया गया है।

(4) संलग्न सूची के भाग 3 में उपलब्ध योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई है। योजनाओं की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी। इन योजनाओं की मुख्य बातें सूची में अंकित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चीनी के तस्करी के मामले

384. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में सरकारी परमिट की चीनी तस्करी, काला बाजारी व जमाखोरी के कितने मामले सरकार की पकड़ में आये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कितने मामलों में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है तथा कितने मामलों में निर्णय लिया है ?

(3) जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति में ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं ?

(4) क्या यह भी सच है कि लालसोट पंचायत समिति में जनता ने कुछ मामले चीनी की तस्करी के पकड़ाये थे ? उन

(श्री मीठालाल)

तस्करों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं करके क्या उन्हें आज भी परमिट की चीनी दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में सरकारी परमिट की चीनी की तस्करी, काला बाजारी व जमाखोरी के 906 मामले सरकार की पकड़ में आये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जो कार्यवाही की गई उसकी सूची संलग्न हैं।

(3) जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति में इस प्रकार के 6 मामले पकड़े गये हैं।

(4) लालसोट पंचायत समिति में जनता ने चीनी की तस्करी का एक मामला पकड़ाया था। जिसमें डीलर को परमिट की चीनी देना बन्द कर दिया गया था। मामले में आवश्यक कार्यवाही जारी है।

नाम जिला		कुल मामले
1.	अजमेर	4
2.	अलवर	9
3.	बाड़मेर	1
4.	बूंदी	2
5.	बांसवाड़ा	—
6.	भरतपुर	21
7.	भीलवाड़ा	30
8.	बीकानेर	—
9.	चूरू	1
10.	चित्तौड़गढ़	14
11.	डूंगरपुर	—
12.	गंगानगर	—
13.	जयपुर	459
14.	जोधपुर	53
15.	जैसलमेर	—
16.	जालोर	15
17.	झुंझुनूं	39
18.	झालावाड़	66
19.	कोटा	—
20.	नागोर	36
21.	पाली	48

(उत्तर)

22.	सीकर	24
23.	सवाई माधोपुर	56
24.	सिरोही	28
25.	टोंक	—
26.	उदयपुर	—
	योग	906

	की गई कार्यवाही	संख्या केसेज	
1.	लाइसेन्स केन्सिल	69	
2.	,, निलम्बित	16	
3.	जमानत जब्त	87	
४.	अदालतों में विचाराधीन	117	
5.	पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई	54	
6.	चालान पेश किये	48	
7.	खारिज	3	
8.	जुर्माना	23	
9.	जुर्माना कोर्ट	2	
10.	सजा	1	केस में एक व्यक्ति को
11.	विभागीय कार्यवाही	296	15 दिन की जेल
12.	अन्तिम निर्णय	159	

पाली जिले में खाद्य की मांग

385. **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अधिक वर्षा के फलस्वरूप पाली जिले में रबी फसल हेतु खाद की काफी मांग रही जिसकी पूर्ति कृषि विभाग द्वारा समय पर नहीं की जा सकी ? यदि हां तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(2) पाली जिले के कृषकों द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद की पंचायत समिति वार कितनी कितनी मांग कब कब की गई थी और उसकी तुलना में कितना कितना खाद कृषि विभाग द्वारा कब कब दिया जा सका ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) खाद के वितरण की क्या प्रणाली अपनाई गई थी ? उसमें कब कब क्या क्या संशोधन किन कारणों से किये गये और उसका क्या नतीजा रहा ?

(स्थगित किया गया)

201

पंचायत समिति बकानी के सरपंच द्वारा भूमि का बेचान

386. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास पंचायत, रटलाई, जिला झालावाड़ पंचायत समिति बकानी के सरपंच द्वारा अवैध रूप से आबादी भूमि का विक्रय अपने निजि रिश्तेदारों को बहुत कम रकम पर कर दिया तथा इसकी शिकायत सतर्कता समिति में प्राप्त हुई और जांच में यह ज्ञात हुआ कि दो पंचों के फर्जी दस्तखत भी सरपंच ने कराये थे ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दो साल से जमीनों का विक्रय उक्त सरपंच द्वारा समय समय पर अवैध रूप से किया जा चुका है और जिसकी शिकायत समय समय पर उच्च विभागीय अधिकारियों एवं मन्त्री तक कर दी थी परन्तु उन पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिस जिस जमीन का अवैध आवंटन या बिक्री हुई तथा कितने कितने रुपयों में दी गई का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई के विरुद्ध दिनांक 23-7-72 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी आवश्यक जांच के पश्चात् अनियमित आबादी भूमि विक्रय को निरस्त करने हेतु दिनांक 8-10-73 को जिलाधीश झालावाड़ को लिखा गया है। जहां तक दो पंचों के फर्जी दस्तखतों का सम्बन्ध है, इसके लिए जिलाधीश, झालावाड़ से सम्बन्धित रिकार्ड मांगा गया था, जो दिनांक 2-3-74 को प्राप्त हुआ है। उसकी जांच की जा रही है और मामले में शीघ्र ही निर्णय लिया जाकर आदेश भेज दिये जावेंगे।

(2) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिये जिलाधीश झालावाड़ को आदेश दे दिये गये हैं। जिलाधीश को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27 (ए) के अन्तर्गत इस प्रकार की शिकायतों की जांच करने के उपरान्त अवैध विक्रय को निरस्त करने की शक्तियां निहित है। जिलाधीश द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जांच करने पर यदि भूमि का अनियमित विक्रय पाया गया तो भूमि विक्रय को रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

२०१

सरपंच रटलाई द्वारा अवैधानिक आवंटन या बिक्री किये गये
भूमि का विवरण

क्र० स०	नाम खरीददार		भूमि का नाप	मूल्य
1	2		3	4
1.	श्री गफूर खां म्रा० नामदारखां, रटलाई		—	—
2.	श्री रोड़मल तुलसीराम, रटलाई		50×40	—
3.	श्री कंवरलाल भंवर लाल	,,	32½×37½	25-00
4.	,, मांगी लाल दवा गुजर	,,	30×22½	25-00
5.	,, पूरा वल्द देवा लाधा	,,	35×45	25-00
6.	,, तारा चन्द देसिंह	,,	38×29	75-00
7.	,, कंवरलाल नन्द राम खटीक	,,	20×20	40-00
8.	,, सफदरअली इमामशाह	,,	34×42	71-00
9.	,, नन्दा मांगीलाल धोबी	,,	24×20	40-00
10.	,, कन्नीराम भेरूं माली	,,	40×20	80-00
11.	,, नन्द राम सेवा राम	,,	20×17	34-00
12.	,, प्रभुलाल नन्दा बागरी	,,	25×20	64-00
13.	,, अजीमन प्यारजी लखारा	,,	15×13	18-00
14.	,, मोहन लाल लक्ष्मीनारायण	,,	30×20	60-00
15.	,, काना भंवरलाल	,,	30×48	80-00
16.	,, ऊंकार उदागुजर	रघुनाथपुरा	26×15	40-00
17.	,, घासी खां कालेखां, रटलाई		25×25	93-00
18.	,, मोतीलाल कालूगुजर भीकड़िया		17×15	51-40
19.	,, बापूलाल मांगीलाल पिंजारा, रटलाई		20×20	40-00

1	2	3	4
20.	प्रभुलाल देवलाल माली, रटलाई	17 × 15	25-50
21.	,, ग्यारसी रामनाथ ,,	40 × 25	100-00
22.	,, अब्दुल चांद पिंजारा ,,	20 × 20	60-00
23.	,, मोतीलाल चन्दा सुनार सावलपुरा	48 × 20½	87-00
24.	,, रामचन्द्र मिश्री लाल दागी ,,	40 × 40	160-00
25.	,, ऊदा कालूराम मीना, रटलाई	20 × 20	30-00
26.	,, मोहनलाल भुवानीराम ,,	20 × 20	100-00
27.	,, अमरलाल हीरालाल तेली ,,	20 × 20	100-00
28.	,, जानकीलाल खटीक, रटलाई	20 × 20	40-00
29.	श्री गुलाम अली फकीर, रटलाई	15 × 22	49-50
30.	,, नारायण लाल घीसा ,,	15 × 15	नि: शुल्क
31.	,, महावीर प्रसाद जैन ,,	15 × 20	45-00
32.	,, रामचन्द्र गोपीलाल ,,	15 – 12	45-00
33.	,, नारायण लाल लक्ष्मीराम ,,	20 × 25	नि: शुल्क
34.	,, नारायणलाल भैरू माली ,,	15 × 15	75-00
35.	,, भंवरलाल कलाल ,,	14 × 16	56-00
36.	,, लक्ष्मीनारान महाजन ,,	16 × 22	88-00
37.	,, राम नारायण नाई ,,	12 × 12	36-00
38.	,, नन्दा ऊदा गूजर ,,	15 × 15	76-50
39.	,, बशीर मोहम्मद ,,	25 × 15	32-50
40.	,, गंगाराम पुत्र घीसा माली ,,	34 × 42	75-00

लूणकरणसर में उद्योग के लिए भूमि

387. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर (जिला बीकानेर) में छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु कोई भूमि निर्धारित नहीं की गई है ?

(2) क्या सरकार उद्योगों के लिए लूणकरणसर में लूणकरणसर विजयनगर रोड के बायें किनारे पर कम से कम दो सौ एकड़ भूमि (set apart) करके उद्योग विभाग को स्थानान्तरित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भूमि की मांग होने पर विचार किया जावेगा।

पंचम पंच वर्षीय योजना

388. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचवीं योजना के अन्तर्गत राज्य की वर्ष 1973–74 की वार्षिक योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वार्षिक योजना को पूर्णतः स्वीकार करली ? यदि नहीं तो किस मद में कितनी कटौती की है ?

उत्तर

(1) माननीय सदस्य द्वारा इंगित वर्ष 1973-74 चतुर्थ योजना की आखिरी वर्ष हैं और पांचवी योजना के अन्तर्गत पहला वर्ष 1974-75 का है जिसके लिए रुपया 79.80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने योजना आयोग को वर्ष 1974-75 के लिये 98.00 करोड़ की वार्षिक योजना के प्रस्ताव भेजे थे। पांचवीं योजना के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों की राशि को अन्तिम रूप नहीं दिये जा सकने के कारण भारत सरकार ने रुपया 79.80 करोड़ की योजना स्वीकार की है। रुपया 98.00 करोड़ एवं रुपया 79.80 करोड़ की योजनाओं में मदवार कटौती निम्नलिखित है।

विकास मद	कटौती (करोड़ रुपयों में)
1. कृषि कार्यक्रम	— 0.02
2. सहकारिता	+ 0.01
3. सिंचाई व विद्युत	—11.56
4. उद्योग एवं खनिज	— 0.84
5. यातायात व संचार	— 3.10
6. सामाजिक सेवायें	— 2.21
7. विविध	— 0.48
	—18.20

लेवी की वसूली और काश्तकारों के विरुद्ध मामले

389. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर व बीकानेर तहसील में जिन काश्तकारों ने लेवी वसूली की सरकारी नीति का स्वागत करते हुए लेवी दी है ऐसे काश्तकारों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा लेवी देने के बाद गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकद्दमा बनाना, व सजा आदि देने की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस किस काश्तकार के खिलाफ ? उनके नाम व गांव दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध, जिन्होंने लेवी की वसूली के दौरान काश्तकारों को भयभीत कर असन्तोष फैलाया है कोई कार्यवाही करने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि लेवी देने के बाद किसी काश्तकार को अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करा कर उसके खिलाफ मुकद्दमा बनाने व सजा देने की कार्यवाही की गई हो।

(2) प्रश्न संख्या एक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती।

कस्बा लाखेरी का शराब का ठेका

390. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी के कस्बा लाखेरी में शराब बेचने का ठेका कब और किसके नाम कौन से स्थान का हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि मजदूर बस्ती गरमपुरा, नयापुरा एवं रामधन चोराहा आदि स्थानों पर शराब बेची जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि औद्योगिक क्षेत्र एवं मजदूर और हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानें नहीं लगाई जायेगी ? यदि हां, तो यहां पर बेची जाने वाली शराब के ठेकेदारों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की जनता एवं स्थानीय विधायक ने इस सम्बन्ध में शिकायतें भी की हैं ? यदि हां, तो कब कब और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लाखेरी में देशी शराब बेचने का लाइसेन्स दिनांक 23-4-73 से 31-3-74 तक के लिये श्री मोहम्मद यूसुफ को दिया गया है।

(2) आबकारी विभाग द्वारा अधिकृत शराब की दुकान नयापुरा में शराब बेची

(उत्तर)

जाती है। यह दुकान मजदूर बस्ती में नहीं है। नयापुरा व रामवन चौराहा पर शराब की कोई दुकान नहीं है।

(3) जी हां, सरकार के आदेश के अनुसार शराब की दुकान मजदूर बस्ती अथवा औद्योगिक क्षेत्रों से 250 मीटर की दूरी पर होना चाहिये। अन्य बस्तियों में दूरी सम्बन्धी नियम लागू नहीं होते।

(4) जी हां, शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। किन्तु शिकायत जिस दुकान को हटाने के लिये प्राप्त हुई थी वह दुकान आबकारी नियमों के अनुसार होने से हटाई नहीं गई।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 753 दिनांक 29-7-73 प्रेषक नन्दलाल बैरवा सदस्य राजस्थान विधान सभा, बून्दी (राजस्थान) प्रेषित माननीय श्री चन्दनमल बैद वित्त मंत्री, राजस्थान, जयपुर

विषय : कस्बा लोखेरी जिला बून्दी के ग्राम पंचायत गर्म नयापुरा से शराब की दुकान को हटाये जाने सम्बन्धी।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने आपको दिनांक 16-7-73 को गर्मपुरा नयापुरा से शराब की दुकान हटाये जाने का निवेदन किया था उसकी एक प्रति श्रीमान् कमिश्नर आबकारी विभाग, उदयपुर को भी भेजी थी। उसी के साथ यहां के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र भी उसी के साथ संलग्न किया था आपका भेजा पत्र 22-6-73 को मुझे मिला। आपने इसकी जांच आदि किया जाने का आश्वासन दिया लेकिन इस शराब की दुकान पर आये दिन लड़ाई झगड़े व गाली गलौच और अन्य प्रकार की गुन्डागिरी होती रहती है। अतः यह बस्ती मजदूर बस्ती है जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति के परिवार निवास करते हैं। और गरीब तबके के लोग रहते हैं, यहां इस कस्बे में केवल लोखेरी गांव के नाम में प्रत्येक वर्ष ठेका होता है लेकिन मर्जी के अनुसार दुकान लगाकर मनमाने ढंग से शराब खुले आम बेचा जाता है।

अतः श्रीमान् उपरोक्त विषय की खुली जांच करवाई जावे अन्यथा यहां के आम नागरिकों की समस्या को मद्देनजर रखते हुये इस दुकान को जो स्थान स्थान पर लगी हैं उन्हें हटायी जावे। जब आपके पास से शराब की दुकानें हटाये जाने का आदेश अत: उसे हटाकर दूसरे स्थान पर लगा दी जाती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोटा के आबकारी विभाग इसमें पूरी दिलचस्पी नहीं लेकर ठेकेदार को खुली मदद कर रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा कि इसकी जांच आदि मेरे सामने ही कराये जाने का आदेश फरमायेंगे। इस एरिया के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र संलग्न करता हूं।

प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र नया पुरा, लोखेरी के नागरिकों का प्रेषित श्री नन्द लाल बैरवा सदस्य राजस्थान विधान सभा।

विषय :—नयापुरा स्थित शराब की दुकान हटाने हेतु।

सविनय निवेदन है कि 8-10 दिन से दुकान शराब की हमारे सामने आ गयी है। लोग गाली गलौच करते हैं। यहां पर सारे मुहल्ले वाले टट्टी पेशाब करने जाते हैं। औरतें भी टट्टी पेशाब करने जाती हैं तो

(श्री नन्दलाल बैरवा)

उन्हें देखकर गाली गलौच करते हैं। अभी कल भी छट्टुर बैरवा की औरत अपने घर बैठी हुई थी तो उनको xxx बताने लग गये। अतः हम लोगों को यहां पर शराब की दुकान से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः आप श्रीमान से प्रार्थना है कि यहां से शराब की दुकानें हटाने का कष्ट करें।

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा अलाट किया गया प्लाट

391. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा विद्युत विभाग को कौन सा प्लाट, कब किस दर पर अलाट किया गया ?

(2) क्या उपरोक्त प्लाट की राशि विद्युत विभाग द्वारा अदा कर दी गई ? नगरपालिका के हिसाब से कुल राशि कितनी बनती है और विद्युत विभाग कितनी अदा करना चाहता है ? यदि अदायगी नहीं हुई है तो किस कारण से ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्लाट के समीप ही नगरपालिका द्वारा एक सिनेमा घर को भी प्लाट अलाट किया गया है ? यदि हां, तो यह प्लाट कब अलाट किया गया है, और किस दर पर, कितने वर्ग गज में ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्लाट के रेट्स और विद्युत विभाग को अलाट किये गये रेट्स में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो प्लाट्स समीप समीप होने पर भी इस भारी अन्तर का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि इस सिनेमा घर के लिये प्लाट के अलाटमेंट से नगरपालिका को भारी हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(6) क्या यह सही है कि इस प्लाट के अलाटमेंट में भारी अनियमिततायें हुई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

जयपुर शहर में देवस्थान की सम्पत्ति

392. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में देवस्थान विभाग की कौन कौन सी सम्पत्ति है और उसमें रहने वाले किरायेदार क्या किराया देते हैं ? किरायेदारों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या मन्दिरों के भोग बनाने के काम आने वाली रसोई को भी किराये पर दी जा सकती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या देवस्थान विभाग सार्वजनिक उपयोग के लिए रिक्त स्थान किराये पर देने का विचार रखता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) किरायेदारों एवं उनके द्वारा दिये जाने वाले किराये की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसा स्थान जो रसोई के काम में आता है वह किराये पर नहीं दिया जाता।

---

xxx ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(उत्तर)

लेकिन रसोई बनाने के लिए यदि दूसरा स्थान उपयुक्त हो तो फेर बदल किया जा सकता है।

(3) जी हां, रिक्त स्थान उसी दशा में दिया जा सकता है कि मन्दिर की मान मर्यादा का उल्लंघन न हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र, मनोहरथाना के विकास की योजना

309. श्री भैरूंलाल (झालावाड़) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति, मनोहरथाना क्षेत्र के विकास के लिए जिला परिषद, झालावाड़ ने कोई योजना हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया है ? यदि हां, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना का प्रारूप तैयार किया गया है ?

(2) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के विकास हेतु योजना को कब तक कार्य रूप में परिणित कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति, मनोहरथाना क्षेत्र के विकास के लिए जिला परिषद, झालावाड़ द्वारा कोई योजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः उपरोक्त पंचायत समिति क्षेत्र विशेष के लिए योजना का प्रारूप तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्यवाही

394. श्री मनोहरलाल गुप्ता : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने एवं उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा डिफेंस आफ इण्डिया रूल, 1971 के अन्तर्गत रूल्स के लागू होने से लेकर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है। कृपया इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि एवं मूल्य निर्धारण हेतु की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था। समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों द्वारा दिया गया ऋण

395. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1959 से 1964 तक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समितियों द्वारा कुए खोदने, पम्पिग सैट्स खरीदने के लिए ऋण दिया गया था ? यदि

(श्री शंकरलाल जाट)

हां, तो किस किस कार्य के लिये किस किस व्यक्ति को कितने कितने रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जो ऋण जिन व्यक्तियों को जिस कार्य के लिये दिये गये थे उनमें से कुछ व्यक्तियों ने उक्त कार्य में राशि खर्च नहीं करके अन्य कार्य में खर्च कर दी है ? यदि हां, तो उनसे रकम एक मुश्त वसूल कर ली गई या नहीं और वसूल नहीं की तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि गरीब किसानों ने तो सारी राशि समय समय पर किश्तों में जमा करा दी है और कुछ सरपंच तथा प्रभावशाली व्यक्तियों ने अब तक राशि जमा नहीं कराई है ?

यदि हां, तो अब उनसे कितने समय में राशि जमा करा ली जायगी ?

(4) क्या यह सही है कि अन्य किसानों से ऋण वसूली में सख्ती से कुर्क वगैरह करके वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो सरपंच एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से ऋण वसूली में शिथिलता क्यों वरती जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा, भैंसरोडगढ़, छोटी सादड़ी, कपासन, भूपालसागर, प्रतापगढ़, भदेसर, अरनोद एवं राश्मी से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन जिन व्यक्तियों को जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया था, वह अधिकतर उसी कार्य पर व्यय किया गया है। जिन्होंने अन्य कार्यों पर व्यय किया है उनसे राशि वसूल करली गई है और शेष से राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही चालू है।

पंचायत समिति, डूंगला बेगूं एवं चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन व्यक्तियों ने ऋण की राशि का उपयोग नहीं किया है, उनसे मूल राशि मय ब्याज के वसूल करली गई है एवं जिनसे नहीं हुई है, उनसे वसूल किये जाने की कार्यवाही चालू है।

(3) पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई सरपंच या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है जिससे ऋण की राशि की वसूली न की गई हो। जिन व्यक्तियों में बकाया है उसे वसूल किये जाने की कार्यवाही चालू है।

(4) सभी ऋणियों से वसूली की जा रही है। किसी भी सरपंच अथवा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति से ऋण वसूली में शिथिलता नहीं बरती जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव दुजाणा की भूमि

396. **श्री सज्जनसिंह** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गांव दुजाणा चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में सांडेराव के भूतपूर्व जागीरदार के नाम अथवा कब्जे में खसरा

(श्री सज्जनसिंह)

नम्बर 1, 3, 5, 26, 226 व 227 कुल रकबा 4033, 113 बीघा भूमि थी ? इस भूमि की किस्म नहरी है और जवाई नहर द्वारा सिंचित होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अब सांडेराव के भूतपूर्व जागीरदार श्री भीमसिंह की विधवा श्रीमती नारायण कुंवर का कब्जा मानकर सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा यह भूमि एस. डी. ओ. बाली के फैसले के अनुसार ले ली गई है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री सी. डी. देवल, आर. ए. एस. ने अपने कुछ मित्रों, सहयोगियों एवं रिश्तेदारों के नाम से श्रीमती नारायण कुंवर से करीब 1700 बीघा भूमि हस्तानान्तरित करवाली है ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि किस किस के नाम से ली है ?

(4) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. बाली के निर्णय से सीलिंग केस 70-71/1970 दिनांक 14-12-1970 के तहत खसरा नम्बर .27 रकबा 1300 बीघा व खसरा नम्बर 227 में रकबा 1600 बीघा भूमि रिज्यूम किया जाने का आदेश दिया ?

(5) क्या यह सही है कि श्री रंगरूप मल कोठारी आर. ए. एस. डी. ओ. बाली ने अपने आदेश दिनांक 8-11-71 को यह भूमि सीलिंग से मुक्त करने का फैसला भी दिया ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सी. डी. देवल आर. ए. एस. ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके रेवेन्यू सेक्रेटरी के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2071 पी. ए. एल. आर. सी. 172 दिनांक 1-5-72 के द्वारा तहसीलदार बाली को बाध्य किया कि उसके सहयोगियों के नाम नामान्तरकरण कर दिये जावें और फलस्वरूप नामान्तरकरण कर दिये गये ? यदि हां, तो किन किन के नाम कितनी कितनी भूमि की गई ?

(7) क्या यह सही है कि श्री सी. डी. देवल आर. ए. एस. ने अब उक्त भूमि को बेचना शुरू कर दिया है ?

(स्थगित किया गया)

कस्बा छींपा बड़ौद की जल प्रदाय योजना

397. (111/वि. म.) श्री जगमोहन सिंह : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

कस्बा छींपाबड़ौद (जिला कोटा) की जल प्रदाय योजना (नल योजना) का कार्य कब से चल रहा है और अब तक की क्या प्रगति है तथा इस योजना को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) छींपा बड़ौद की जलप्रदाय योजना दिनांक 26-7-72 को स्वीकृत की गई थी व अभी निर्माणधीन है। उक्त योजना पर जल स्त्रोत के निर्माण का कार्य किया जाना है व वर्ष 74-75 में कार्य पूरा होने की आशा है।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

398. (104/सह. मं) श्री रामगोपाल—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामगोपाल)

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में मांगरोल बमोरी कलां सूरथाग बस मार्ग पर निर्माण कार्य क्रेस योजना के अन्तर्गत चल रहा है? यदि हां, तो अब तक उस मार्ग पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

(2) क्या राज्य सरकार इस सड़क को पक्की बनाने के लिये योजना में ले चुकी है? यदि हां, तो कितने समय में यह सड़क पक्की बना दी जावेगी?

(3) इस सड़क का कार्य धीमी गति से क्यों चल रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। 28 फरवरी 74 तक 1,20,406) रु० व्यय हो चुके हैं।

(2) जी हां। पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस सड़क को पक्का कराये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(3) इस सड़क का कार्य प्रगति पर है।

मौजा धानोल की भूमि

399. (151/रा. मं.) श्री भगराज चौधरी: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की भीनमाल तहसील के मोजा धानोल के खसरा नं. 590 गैरमुमकिन ओरण में कुछ व्यक्तियों को काश्त करने हेतु कब्जे दिये गये हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में सैकड़ों बड़े बड़े हरे दरख्त खड़े हैं? यदि हां, तो यह कब्जे किसके द्वारा कब दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित भूमि में नियमानुसार अलाटमेंट किये बिना ही कब्जे दे दिये गये हैं जो कतई नियम विरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार इन नाजायज कब्जों को हटाने का शीघ्र विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ग्राम में खसरा नं. 415 काबिल काश्त भूमि पड़त पड़ी है?

उत्तर

(1) जी हां। भू-अभिलेख निरीक्षक, रानीवाड़ा द्वारा दिनांक 17-5-72 को दिया गया था। उस समय इस भूमि में काफी संख्या में हरे वृक्ष खड़े थे।

(2) उक्त आदेश दिनांक 10-9-71 तहसीलदार द्वारा बिना सलाहकार समिति की बैठक आमंत्रित किये, दिये गये थे।

आवंटन निरस्त करने हेतु जिलाधीश द्वारा सम्बोधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है।

(3) खसरा नं० 415 भू-अभिलेख में गैर-मुमकिन गोचर अंकित है।

चावण्ड ग्राम की नल योजना

400. श्री देवीलाल : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के चावण्ड गांव की नल योजना की धनराशि राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है? यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा?

उत्तर

1. जी नहीं। योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है।

(212)

शुद्धि—पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1974)

स्कम्भ	पंक्ति सं	अशुद्ध	शुद्ध
14	उपर से 13	फैनल	फैपल
26	नीचे से 15	भूमिका	भूमि पर
26	नीचे से 17	भूमि में	भूमि का
31	उपर से 15	सिद्ध राम	सिद्ध राज
36	नीचे से 13-14	वसूली के लिए स्थगित किया य नहीं ?	वसूली स्थगित की गई या नहीं ?
38	उपर से 16	किया गया था	की गई थी।
46	नीचे से 8, 16, 21	निर्मलासिंह	निर्मला कुमारी शक्तावत
127	नीचे से 9	एन्प्रिटसशिप	एप्रेन्टिसशिप
148	उपर से 4	सलेदो पुरा	सलादीपुरा
153	उपर से प्रथम	श्री नानुकुमार शास्त्री	श्री भानुकुमार शास्त्री
170	उपर से 9	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष